SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या 1

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या 1

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

अनुक्रमणिका

विषय-वस्तु	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	*v*
कार्यकारी सारांश	-	*vii*
अध्याय-I: विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	4
सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण	1.3	5
राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	11
राज्य सरकार का भारत सरकार की निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार लेने के संबंध में प्रदर्शन	1.5	16
लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् घाटा	1.6	17
लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् - कुल बकाया ऋण	1.7	18
अध्याय-II: राज्य के वित्त		
वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय योगों में हुए प्रमुख परिवर्तन	2.1	21
निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	22
राज्य के संसाधन	2.3	23
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	38
लोक लेखा	2.5	58
लोक देयता प्रबंधन	2.6	65
ऋण धारणीयता विश्लेषण	2.7	72
प्रमुख विशेषताएं	2.8	85
निष्कर्ष	2.9	85
अनुशंसाएं	2.10	86
अध्याय-III: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	87
विनियोजन लेखे	3.2	91

विषय-वस्तु	परिच्छेद	पृष्ठ
बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3	92
बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता	3.4	106
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	112
निष्कर्ष	3.6	120
अनुशंसाएं	3.7	121
अध्याय-IV: लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं		
सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों के प्रति ब्याज के संदर्भ में देयताओं का निर्वहन न करना	4.1	123
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां	4.2	124
उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.3	124
सार आकस्मिक बिल	4.4	127
लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.5	127
मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.6	128
नकद शेष का मिलान	4.7	130
मंडलाधिकारियों के पास रखी अव्ययित राशि	4.8	130
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.9	131
स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	4.10	131
निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना	4.11	132
विभागीय व्यावसायिक उपक्रम/निगम/कंपनियां	4.12	133
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	4.13	134
राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.14	136
निष्कर्ष	4.15	136
अनुशंसाएं	4.16	137

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य रुपरेखा	**1.1**	139
1.2	31 मार्च 2023 व 2024 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	**1.3.2**	140
2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	**2.2 व 2.7.1**	141
2.2	वर्ष 2023-24 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरण का सार	**2.2**	143
2.3	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या जिसमें राज्य सरकार का निवेश (इक्विटी) किया गया	**2.4.2.2 (i)**	145
2.4	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या जिनमें राज्य सरकार द्वारा किए निवेश पर संचित हानि हुई	**2.4.2.2 (i)**	146
2.5	31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों में किए गए निवेश का विवरण	**2.4.2.2 (iii)**	147
2.6	31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का विवरण	**2.4.2.3**	149
3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	**3.1**	153
3.2	श्रेणी-I योजनाएं (100 प्रतिशत महिला लाभार्थी)	**3.1.1**	156
3.3	बचत में परिणत अनावश्यक पुनर्विनियोजन	**3.3.6**	160
3.4	आधिक्य में परिणत अनुचित पुनर्विनियोजन	**3.3.6**	165
3.5	आधिक्य में परिणत अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	**3.3.6**	166
3.6	बचत वाले अनुदानों की सूची	**3.3.7(i)**	168
3.7	निरंतर ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत वाले मामलों का विवरण	**3.3.7(ii)**	171
3.8	मुख्य शीर्ष-वार आधिक्य	**3.3.8.1**	172
3.9	प्रमुख योजना-वार बजट एवं उपयोग	**3.4.4**	174
3.10	मुख्य शीर्षों में हुए व्यय के तिमाही विवरण	**3.4.5**	176

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
3.11	सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का तिमाही विवरण	**3.4.5**	177
4.1	भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां	**4.2**	179
4.2	31 मार्च 2024 तक बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र	**4.3**	182
4.3	लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक व्यय का विवरण	**4.5**	187
4.4	लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत बुक की गई प्राप्तियों का विवरण	**4.5**	188
4.5	स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण/ संस्थाओं की सूची	**4.10 व 4.11**	190
4.6	30 सितम्बर 2024 तक बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक उद्यमों की सूची	**4.12**	192

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-I राज्य का विहंगावलोकन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान, सरकारी लेखाओं की संरचना तथा राज्य के वित्त का आशुचित्र प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II एवं III में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखाओं व विनियोजन लेखाओं की जांच से उजागर मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है।

'लेखाओं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता' पर अध्याय-IV चालू वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना का संक्षिप्त विवरण तथा प्रास्थिति को प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों में हुए निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेनदेनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन एवं लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं तथा राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय-वस्तु पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण आंकड़ों व पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट प्रयोजन के अनुरूप प्रदर्शन, राजस्व व व्यय प्राक्कलन, भिन्नताओं के कारण तथा उसके प्रभाव के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (चालू मूल्यों पर) 7.13 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2019-20 के ₹ 1,59,164 करोड़ से ₹ 2,07,430 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 में राज्य का बजट परिव्यय 7.99 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2019-20 के ₹ 53,708 करोड़ से ₹ 66,991 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 की तुलना में 8.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राजस्व प्राप्तियों में मात्र 2.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2022-23 के 19.87 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 18.88 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की स्वयं की प्राप्तियों (स्व-कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व) की वृद्धि दर वर्ष 2022-23 के 9.29 प्रतिशत से एक प्रतिशत बढ़कर 10.28 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान में हिमाचल प्रदेश राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण व अग्रिम) वर्ष 2022-23 के ₹ 50,564.71 करोड़ से ₹ 96.34 करोड़ (0.19 प्रतिशत) घटकर ₹ 50,468.37 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में गत वर्ष 2022-23 से मात्र 0.69 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। परन्तु गत वर्ष (2022-23) के दौरान इसमें वर्ष 2021-22 से 22.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। राज्य को वर्ष 2022-23 में ₹ 6,336 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 5,558.59 करोड़ का भारी राजस्व घाटा हुआ, जबकि वर्ष 2022-23 में ₹ 9,377 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 में ₹ 8,058 करोड़ का हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुआ। इसी अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा भी ₹ 12,380 करोड़ व ₹ 11,266 करोड़ के उच्च स्तर पर रहा।

प्राप्ति-व्यय का असंतुलन

प्राप्तियों व व्यय के मध्य निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय दबाव को परिलक्षित करता है। राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं यथा राज्य का स्व-कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, करों में राज्यांश का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान एवं अंतरण तथा ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखा के साथ-साथ पूंजीगत लेखा (परिसंपत्ति सृजन, ऋण व अग्रिम, निवेश, इत्यादि) भी शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राजस्व प्राप्तियां में ₹ 30,742.41 करोड़ से ₹ 39,173.04 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.92 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां भी (निवल लोक ऋण सहित) ₹ 4,169.72 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,035.23 करोड़ हो गईं। वर्ष 2019-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का अंश 38.14 प्रतिशत से 55.06 प्रतिशत के मध्य था, जो भारत सरकार की सहायता पर निर्भरता को इंगित करता है। चालू वर्ष में राज्य सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु केंद्रांश के रूप में ₹ 5,328.69 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान हेतु राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार इससे राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा नेटवर्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। वर्ष 2019-20 व 2023-24 के मध्य राजस्व व्यय ₹ 30,730.43 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19.31 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 44,731.63 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.56 प्रतिशत) हो गया। 8.97 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ते हुए इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग (85 से 89 प्रतिशत) बना रहा।

क्षमता से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य का अंतर राजस्व घाटे में परिणत होता है। वर्ष 2015-16 से लगातार राजस्व अधिशेष उपार्जित करने के उपरांत राज्य ने वर्ष 2020-21 (₹ 96.66 करोड़), वर्ष 2022-23 (₹ 6,335.76 करोड़) एवं वर्ष 2023-24 (₹ 5,558.59 करोड़) में ऋणात्मक राजस्व शेष (राजस्व घाटा) दर्ज किया।

राज्य सरकार ने केवल पूंजीगत लेखा में ₹ 5,629.79 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2023-24 के कुल व्यय का 11.16 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय कुल उधारी का मात्र 37.78 प्रतिशत था। इस प्रकार उधार निधियों का उपयोग पूंजी सृजन/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान खपत को पूरा करने एवं उधारियों के पुनर्भुगतान हेतु किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय व ऋण-रहित कुल प्राप्ति के मध्य का अंतर राजकोषीय घाटे में परिणत होता है। वर्ष 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 के ₹ 5,597.06 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.52 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 11,266 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.43 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का परिमाण सबसे बड़ा भाग बनाता है। प्रतिबद्ध व्यय का पहला प्रभार संसाधनों पर होता है, जिसमें ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी एवं पेंशन पर व्यय शामिल है। वर्ष 2019-20 एवं 2023-2024 के मध्य ब्याज भुगतान, वेतन व पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 64-70 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 में 8.82 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2019-20 के ₹ 21,466 करोड़ से ₹ 30,213.59 करोड़ हो गया।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त अनम्य व्यय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय के 3.34 प्रतिशत से बढ़कर 4.58 प्रतिशत हो गया, जो एक बढ़ती प्रवृत्ति का परिचायक है। वर्ष 2023-24 में अनम्य व्यय 1.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2022-23 के ₹ 2,019.65 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,048.78 करोड़ हो गया।

वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय दोनों मिलकर ₹ 32,262.37 करोड़ था; जो राजस्व व्यय का 72.12 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं पूंजी सृजन हेतु कम लचीलापन (गुंजाइश) रह जाता है।

सब्सिडी द्‌वारा अप्रतिबद्ध व्यय का बड़ा भाग ले लेना

अप्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी वर्ष 2019-20 के ₹ 1,067.78 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,768.35 करोड़ हो गई एवं वर्ष 2019-24 के दौरान अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में इसका भाग 9.16 प्रतिशत से 13.64 प्रतिशत तक था। इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में विद्‌युत सब्सिडी का 35 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक उल्लेखनीय भाग रहा।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देयताएं

वर्ष 2023-24 में सरकार ने ₹ 731.09 करोड़ के उधार पर गारंटी प्रदान की। वर्ष के दौरान सरकार ने गारंटी पर कोई राशि अधिरोपित नहीं की।

राजकोषीय धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता की जांच घाटे, ऋण व देयताओं के स्तर, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे व्यापक-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व व व्यय में असंतुलन का प्रश्न है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन व मजदूरी,

पेंशन भुगतान, ब्याज इत्यादि और अन्य अनम्य व्यय भी शामिल हैं जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु प्रतिबद्धता से उत्पन्न होने वाले व्यय, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों में अंतरण, इत्यादि।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अपेक्षाएं तथा राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे व ऋण हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं एवं प्रदान की गई गारंटी गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का एक निश्चित प्रतिशत होनी चाहिए। वर्ष 2023-24 में राजस्व अधिशेष के लक्ष्य के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व घाटा 2.68 प्रतिशत रहा; राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3.5 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 5.43 प्रतिशत रहा; ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद 38.98 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 43.98 प्रतिशत रहा।

इसके अतिरिक्त ऋण धारणीयता विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2023-24 के मध्य हिमाचल प्रदेश की समग्र देयता (जिसमें लोक ऋण व लोक लेखा देयताएं शामिल हैं) 11.07 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। वर्ष 2023-24 में सरकार का कुल बकाया ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019-20 के 39.09 प्रतिशत से बढ़कर 43.98 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय प्रवृत्तियों को देखें तो राज्य की वित्तीय स्थिति भारी दबाव में है।

राज्य सरकार ने 01.04.2023 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को अधिसूचित कर वापस बहाल कर दिया। राज्य की ऋण धारणीयता का आकलन करते समय आगामी वर्षों में पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से आने वाले वित्तीय बोझ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

डोमार मानदंड के अनुसार वर्ष 2019-2024 के दौरान औसत वास्तविक वृद्धि औसत वास्तविक ब्याज दर से अधिक रही, जिससे वृद्धि-ब्याज अंतर अनुकूल बना रहा जिससे राज्य को उधार की लागत पर काबू पाने में सहायता मिली। वास्तविक वृद्धि से प्रेरित सामान्य वृद्धि के विपरीत उपभोक्ता मूल्य सूची द्वारा मापी गई औसत मुद्रास्फीति, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंडविड्थ की 2-6 प्रतिशत की ऊपरी सहनीय सीमा में रही, ने राज्य को वास्तविक ब्याज दर को वास्तविक वृद्धि से नीचे रखने तथा वृद्धि-ब्याज अंतर को अनुकूल बनाए रखने में सहायता की।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-2024 की अवधि के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों के बड़े भाग का उपयोग उधार चुकाने के लिए किया जा रहा था, जो 52.99 प्रतिशत व 74.11 प्रतिशत के

मध्य था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास पर निर्भर रहना राज्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

ऊपर चर्चा किए गए विश्लेषण एवं परिणामों के अनुसार देयताओं (ऋण चुकौती, गारंटी, इत्यादि) की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ-साथ प्राप्ति व व्यय के मध्य लगातार असंतुलन के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य का वित्त दबाव में है, जो ऋण स्थिरीकरण एवं ऋण धारणीयता के लक्ष्य को प्राप्त करने में जोखिम पैदा करता है।

बजट प्रदर्शन

समग्र व्यय आउटटर्न

राजस्व प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर +5.24 प्रतिशत रहा। इसका कारण 18 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। तीन अनुदानों में अंतर +100 प्रतिशत से अधिक था। -0.58 प्रतिशत से -28.87 प्रतिशत तक के अंतर वाले 14 अनुदानों में मूल के सापेक्ष वास्तविक में कमी थी।

पूंजीगत प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर +27.28 प्रतिशत रहा। इसका कारण 19 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। सात अनुदानों में +100 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। -21.95 प्रतिशत से -100 प्रतिशत तक के अंतर वाले 11 अनुदानों में मूल के सापेक्ष वास्तविक में कमी थी।

व्यय संघटन आउटटर्न

बजट प्रदर्शन निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुन: आवंटन से व्यय संघटन में हुए अंतर की अधिकतम सीमा को भी देखता है। यह माप अंतिम बजट एवं वास्तविक व्यय के मध्य के अंतर की अधिकतम सीमा को इंगित करता है। राजस्व प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -5.11 प्रतिशत रहा। इसका कारण 29 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में -1.03 प्रतिशत से -32.08 प्रतिशत तक की कमी होना था। पूंजीगत प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -14.49 प्रतिशत था। इसका कारण 20 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में कमी होना था एवं चार अनुदानों में -50 प्रतिशत से अधिक का अंतर था।

वर्ष 2023-24 के दौरान पाया गया कि 14 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) में ₹ 711 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन इंगित करता है कि ऐसे कई मामले थे, जहां वास्तविक व्यय एवं मूल बजट के मध्य तथा वास्तविक व्यय व अंतिम बजट के मध्य अंतर पाया गया।

इसके अतिरिक्त कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान देखे गए जहां व्यय मूल अनुदान के स्तर तक भी नहीं था। ऐसे अंतरों के समाधान हेतु एक विश्वसनीय बजटीय प्रथा की आवश्यकता है।

लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता

लेखा व वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता उन मदों, लेनदेन एवं घटनाओं को समाहित करती है, जो अनुपालन अंतर, विनियमन की कमियों और उन लेखांकन रिकॉर्ड या समायोजन रिकॉर्ड की प्राप्ति में विलम्ब से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं, जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। इसमें लेखाओं व वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों जैसे निधियां सरकारी खातों के बाहर जमा करना, देयताओं का निर्वहन न करना या कम करना तथा लेनदेन व आंकड़ों में अंतर के गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डाला गया है।

अनुदान/विनियोजन से हुए आधिक्य का विनियमन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 व 205 के अनुसार राज्य सरकार को अनुदानों/विनियोजनों से हुए आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित कराना होता है। यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 में 10 अनुदानों एवं दो विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 1,255.80 करोड़ का व्यय आधिक्य पाया गया, जिसे विनियमित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि से संबंधित ₹ 2,444.31 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को विनियमित करना शेष है।

भारत सरकार लेखांकन मानक की अनुपालना

राज्य सरकार ने भारत सरकार लेखांकन मानकों में निहित अपेक्षाओं के सापेक्ष भारत सरकार लेखांकन मानक-2: सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण का आंशिक रूप से अनुपालन नहीं किया।

एकल नोडल एजेंसी को दी गई निधियां

भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह हेतु एकल नोडल एजेंसी की प्रणाली प्रस्तुत की। भारत सरकार व राज्य सरकार के अंश सरकारी खाते से इतर एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में अंतरित किए गए। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केन्द्रांश के रूप में ₹ 4,856.54 करोड़ प्राप्त हुए। वर्तमान वर्ष में एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में ₹ 1,024.08 करोड़ की अव्ययित राशि को शेष छोड़ते हुए इन योजनाओं पर ₹ 6,048.18 करोड़ का कुल व्यय हुआ।

सशर्त अनुदान के सापेक्ष उपयोगिता-प्रमाणपत्र

31 मार्च 2024 तक निर्धारित समयावधि के भीतर सशर्त अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होने के बावजूद ₹ 2,795.23 करोड़ के 2,990 बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र लंबित थे।

निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का बकाया होना अभीष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों की प्रयुक्ति का आश्वासन न मिलने का परिचायक है एवं लेखाओं में अधिकतम सीमा तक दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता।

प्रचलित नियमों व संहिता (कोडल) प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। नियमों व संहिता प्रावधानों का अनुपालन न करना या आंशिक रूप से अनुपालन एवं विचलन, सशर्त अनुदानों के प्रति उपयोगिता-प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत न करना, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

***

अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय - I
विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी भाग के हिमालयीन क्षेत्र में स्थित है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई में समुद्र तल से 350 मीटर से 6,975 मीटर तक की भिन्नता है, जिससे जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय से शुष्क शीतोष्ण पर्वतीय में परिवर्तित हो जाती है। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 वां (55,673 वर्ग किलोमीटर) सबसे बड़ा राज्य है। इसे 12 जिलों में व्यवस्थापित किया गया है। जिलों को आगे 3 मण्डलों, 81 उप-मंडलों, 113 तहसीलों, 88 खण्डों एवं 20,752 बसे हुए गांवों (31 मार्च 2024 तक) में विभाजित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश 'उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयीन राज्यों' की श्रेणी में आता है, तदनुसार उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयीन राज्यों को दिया जाने वाले अंशदान स्वरुप (राज्यांश के संदर्भ में भारत सरकार की वित्तीय सहायता) का अनुपात 90:10 (मुख्य योजनाओं हेतु) व 80:20 (वैकल्पिक योजनाओं हेतु) है, जबकि सामान्य श्रेणी के राज्यों के राज्यांश के संदर्भ में भारत सरकार की वित्तीय सहायता 60:40 (मुख्य योजनाओं हेतु) व 50:50 (वैकल्पिक योजनाओं हेतु) के अनुपात में होती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के भारत व राज्यों (2011-36) के जनगणना अनुमानों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 75.05 लाख (2024) थी, जो देश की जनसंख्या (140.07 करोड़) का 0.54 प्रतिशत है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 135 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत 426 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (2023-24) से कम है। राज्य की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत थी **(परिशिष्ट 1.1)**।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक होती है, क्योंकि यह किसी समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष क्षेत्रीय भागीदारी में बदलाव भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दर्शाई गई है तथा वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय भागीदारी एवं क्षेत्रीय वृद्धि **चार्ट 1.2** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां (चालू मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत					
सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	2,01,03,593	1,98,54,096 [द]	2,35,97,399 [स]	2,69,49,646[ब]	2,95,35,667[अ]
सकल मूल्य वर्धन	1,83,81,117	1,82,10,997 [द]	2,16,35,584 [स]	2,46,59,041 [ब]	2,67,62,147 [अ]
गत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	-1.24	18.85	14.21	9.60
पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.02	0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
हिमाचल प्रदेश					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	1,59,164	1,51,601 [द]	1,72,162 [स]	1,91,728 [ब]	2,07,430 [अ]
सकल राज्य मूल्य वर्धन	1,49,042	1,42,780 [द]	1,61,664 [स]	1,79,120 [ब]	1,93,121 [अ]
गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.27	-4.75	13.56	11.36	8.19
गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.24	-4.20	13.23	10.80	7.82
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ में)	2,17,229	2,05,589	2,32,180	2,57,249	2,76,943

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पूर्व में सीएसओ), सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनंतिम अनुमान हैं।

अ-अग्रिम अनुमान, ब-प्रथम संशोधित अनुमान, स-द्वितीय संशोधित अनुमान, द-तृतीय संशोधित अनुमान

वर्ष 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2,07,430 करोड़ था एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 2,95,35,667 करोड़ था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2.77 लाख था जबकि देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ₹ 2.12 लाख था। हालांकि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (27.49 प्रतिशत) इस अवधि के दौरान देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (41.23 प्रतिशत) की समान गति से नहीं चल सकी। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत जो 2019-20 के दौरान देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से 44.90 प्रतिशत अधिक था वह वर्ष 2023-24 के अंत तक देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से घटकर 30.80 प्रतिशत रह गया।

सकल मूल्य वर्धन को उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती खपत के मूल्य को घटाकर प्राप्त राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका उपयोग किसी क्षेत्र विशेष के उत्पादन या योगदान को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण हेतु किया जा रहा है क्योंकि यह करों व सब्सिडी के प्रभाव की उपेक्षा करता है इसलिए यह सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में आर्थिक विकास हेतु बेहतर संकेतक माना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद को निजी खपत पर व्यय, सरकारी खपत पर व्यय व सकल अचल पूंजी निर्माण या निवेश पर व्यय सहित अर्थव्यवस्था में होने वाले विभिन्न व्ययों के योग के रूप में परिकलित किया जा सकता है और किया भी जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करता है, जबकि सकल मूल्य वर्धन आपूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। शुद्ध करों की विवेचना में दोनों उपाय भिन्न होते है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति-निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण एवं नीतिगत हस्तक्षेप हेतु सकल मूल्य वर्धन व सकल राज्य मूल्य वर्धन आंकड़ों की तुलना महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य मूल्य वर्धन की प्रवृत्ति नीचे चार्ट में दर्शाई गई हैं:

चार्ट 1.1: सकल राज्य मूल्य वर्धन की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (2019-20 से 2023-24)

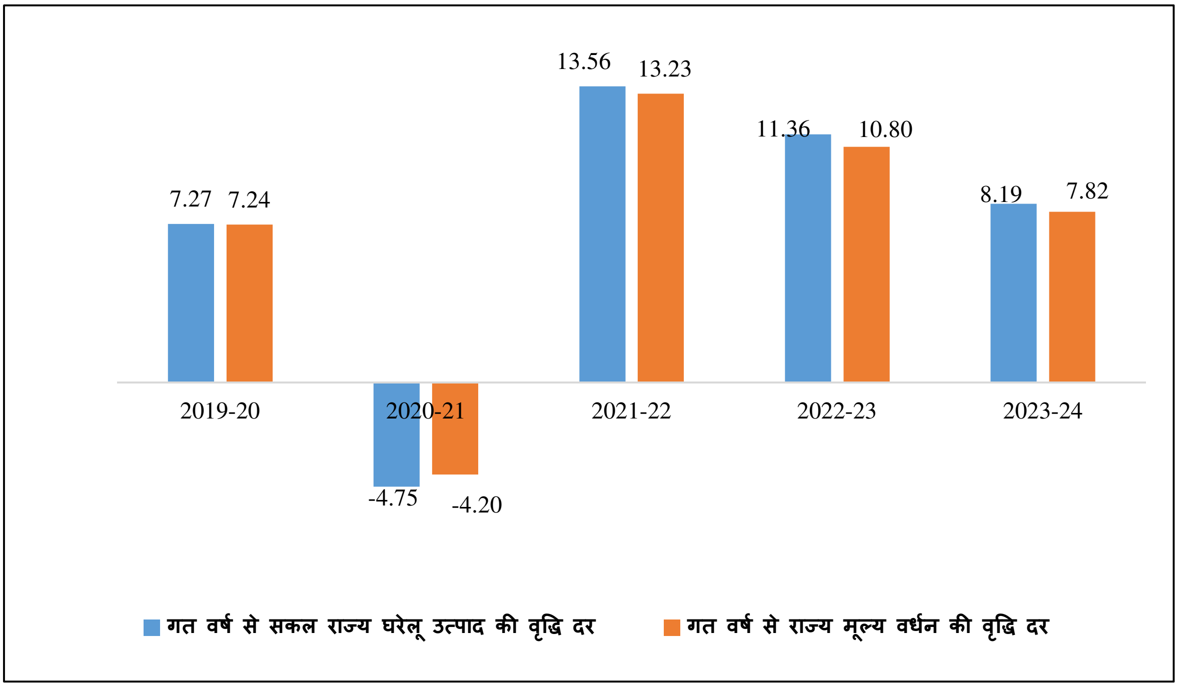

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि

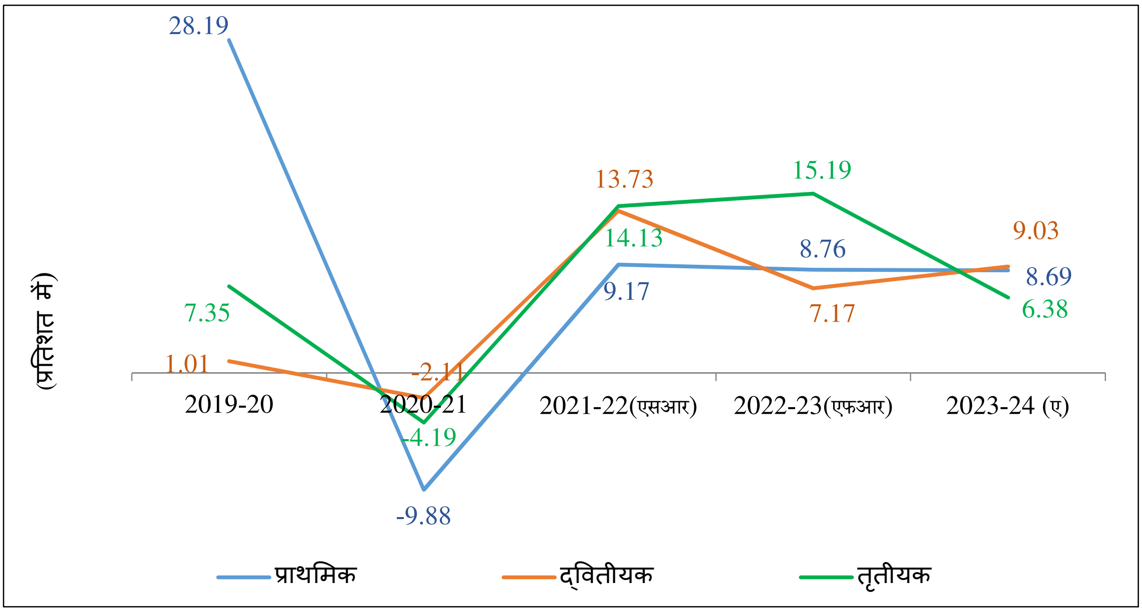

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

एसआर- द्वितीय संशोधित अनुमान, एफआर- प्रथम संशोधित अनुमान, ए- अग्रिम अनुमान

चार्ट 1.2 दर्शाता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी के पश्चात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी करने वाले सभी क्षेत्रों अर्थात् प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि तथा "वी" आकार का सुधार हुआ। तदोपरांत अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों में मिश्रित प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक प्राथमिक क्षेत्र में क्रमशः 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में 9.17 प्रतिशत, 8.76 प्रतिशत एवं 8.69 प्रतिशत की लगभग स्थिर वृद्धि प्रदर्शित हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य रूप से विनिर्माण एवं निर्माण-कार्य में वृद्धि के कारण द्वितीयक क्षेत्र में 1.86 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि दर वर्ष 2022-23 के 15.19 प्रतिशत से 8.81 प्रतिशत अंक घटकर वर्ष 2023-24 के दौरान 6.38 प्रतिशत हो गई है, ऐसा इस वर्ष लोक प्रशासन में वृद्धि दर में गिरावट (-1.02 प्रतिशत) के कारण हुआ है, जबकि विगत वर्ष इस क्षेत्र में 25.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के नियमानुसार राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधायिका के समक्ष रखता है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं लेखाओं का संचालन करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे वार्षिक रूप से संकलित करते हैं। इन लेखाओं की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2023-24 हेतु राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़े (कोर डेटा) हैं। सम्मिलित अन्य स्रोत हैं:

- वर्ष 2023-24 का राज्य बजटः अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं का आंकलन करने, बजट कार्यान्वयन की दक्षता एवं प्रासंगिक नियमों व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए,
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम,
- विभागीय प्राधिकरणों एवं कोषागारों से प्राप्त अन्य विवरण (लेखांकन के साथ-साथ मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम),
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े एवं राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकीय; तथा
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

इस प्रतिवेदन में किए गए विश्लेषण 14वें व 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों, राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं व दिशानिर्देशों पर आधारित है।

राज्य सरकार को राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा विश्लेषण/निष्कर्ष उनके उत्तर/विचार प्राप्त करने के लिए सितंबर 2024 में भेजे गए थे; फरवरी 2025 तक राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

1.3 सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

भाग I: राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त ऋण (बाजार ऋण, बांड, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों एवं राज्य सरकार को ऋणों की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि सम्मिलित है।

इस निधि से कोई धनराशि कानून के अनुसार तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त उद्देश्यों एवं तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से विनियोजित नहीं की जा सकती। व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों का वेतन, ऋण चुकौती इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभारित होती है तथा उन पर विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधायिका की सहमति आवश्यक है।

भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है, जिसे राज्य विधायिका ने कानून द्वारा स्थापित किया है तथा इसे राज्यपाल के अधीन रखा गया है ताकि वह व्यय जो विधायिका की अनुज्ञा हेतु लम्बित है ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु दिए अग्रिमों के निपटान हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस निधि को राज्य को समेकित निधि से सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से व्यय को डेबिट करके पुनः प्राप्त किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस निधि की संचित निधि ₹ 5 करोड़ है।

भाग III: राज्य का लोक लेखा (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त समस्त सार्वजनिक धन लोक लेखा में जमा होता है, जहां सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा में लघु बचतें व भविष्य निधि, निक्षेप (सब्याज व ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (सब्याज और ब्याज रहित) प्रेषण व उचंत शीर्ष (दोनों अस्थाई शीर्ष, जो अंतिम बुकिंग हेतु लम्बित है) जैसे वापस चुकाने वाले भुगतान समाविष्ट होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा हेतु विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती।

बजट दस्तावेज

भारत में यह संवैधानिक रूप से अपेक्षित है (अनुच्छेद 202) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय के विवरण राज्य की विधानसभा के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरणी' मुख्य बजट दस्तावेज बनाता है। इसके अतिरिक्त बजट में राजस्व लेखा के व्यय को अन्य व्यय से पृथक रखा जाए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व व संघीय करों/शुल्कों का अंश), कर-भिन्न राजस्व एवं भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय सम्मिलित हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते। यह उन खर्चों से सम्बन्धित है जो सरकारी विभागों के सामान्य-कामकाज एवं विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए ऋणों पर ब्याज भुगतानों तथा विभिन्न

संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माणार्थ हो) पर किए गए हैं।

पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **लोक ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों के अंतर्गत निवल लेनदेन, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम इत्यादि; तथा
- **ऋण-रहित प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों व अग्रिमों की वसूली, इत्यादि।

पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण के अधिग्रहण एवं शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य पक्षों को दिए गए ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्तमान में सरकार कि एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है, जिसके कार्यात्मक और आर्थिक दोनों आयाम हैं।

अपनाया गया	लेनदेन का कारण	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा मानकीकृत मुख्य व लघु शीर्षों की सूची	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/ विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार-अंकीय)
	सह-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो- अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (तीन- अंकीय)
राज्यों को दी गई छूट	योजना	उप-शीर्ष (दो- अंकीय)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो- अंकीय)
	आर्थिक स्वरूप/ गतिविधि	वस्तु शीर्ष- वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (दो- अंकीय)

यह कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम एवं व्यय के प्रयोजन की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत, ऋण इत्यादि में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण चार-अंकीय मुख्य शीर्ष के पहले अंक में निहित संख्यात्मक तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरणार्थ 0 व 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए और 2 व 3 राजस्व व्यय के लिए है, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ वस्तु शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा व वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरणार्थ आमतौर पर "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूंजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोजन की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखाओं की संरचना

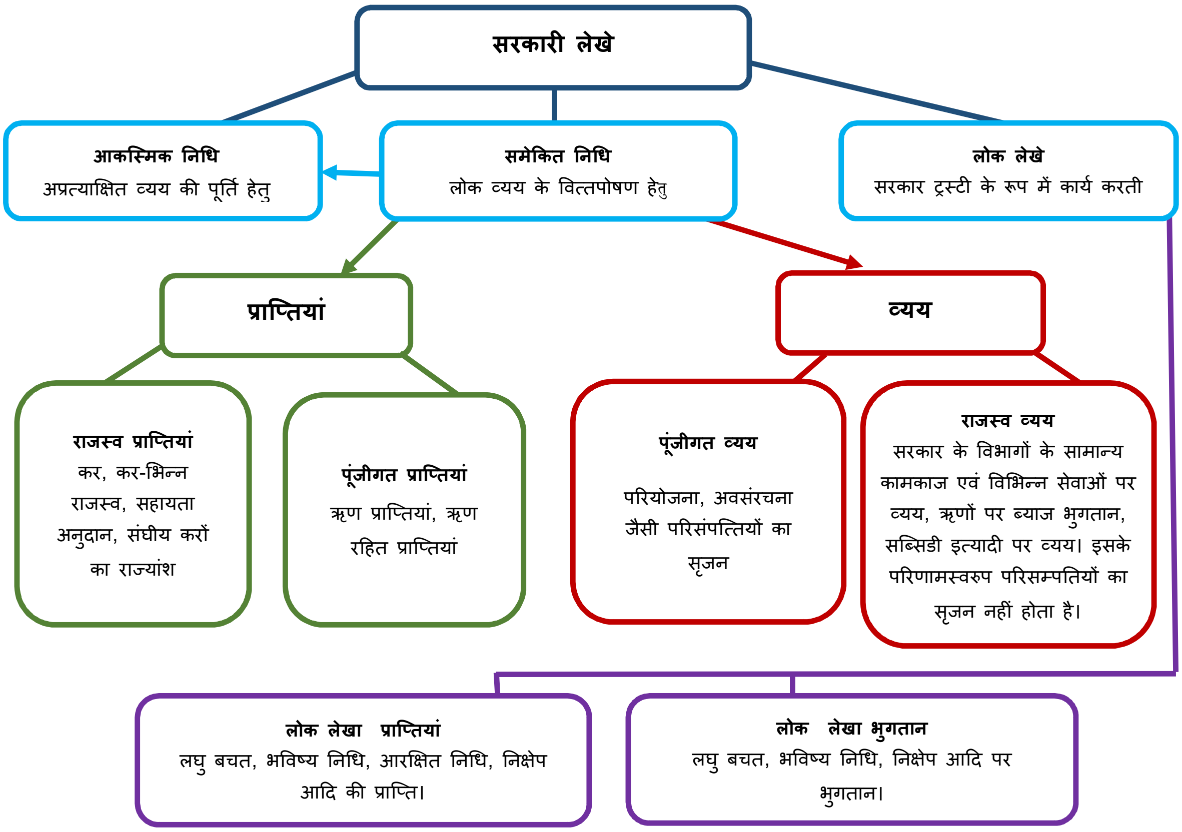

स्रोत: वित्त लेखे

लोक ऋण एवं लोक देयता : इस प्रतिवेदन में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण इत्यादि को समाविष्ट करने के लिए 'लोक ऋण' को लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 - लोक ऋण को लिया गया।

इसके अतिरिक्त लोक लेखा के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि, 'आरक्षित निधि' एवं 'निक्षेप व अग्रिम' से संबंधित ऐसे लेनदेन होते हैं जिनके लिए सरकार पर प्राप्त धनराशि को चुकाने की देयता उत्पन्न होती है अथवा भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा होता है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' व 'उचंत' से संबंधित लेनदेन में केवल लेनदेन जैसे समायोजन शीर्ष शामिल होते हैं यथा कोषागारों एवं मुद्रा संदूकों (चेस्टों) के मध्य नकदी के प्रेषण एवं विभिन्न लेखांकन सर्किलों के मध्य स्थानांतरण के रूप में लेनदेन।

इस प्रतिवेदन में 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' एवं 'निक्षेप व अग्रिम' से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत हुए लेनदेन के साथ मुख्य शीर्ष 6003 व 6004 के तहत किए गए लेनदेन को समाविष्ट करने के लिए 'लोक देयता' को लिया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के नियमानुसार राज्य का राज्यपाल राज्य की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण **वार्षिक वित्तीय विवरणी** के रूप में राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 203 की शर्तानुसार यह विवरण अनुदान/विनियोजनों की मांग के रूप में राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसके अनुमोदनोपरांत विधायिका समेकित निधि में से अपेक्षित धन को विनियोजन हेतु प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के अंर्तगत विनियोजन विधेयक पारित करती है।

राज्य बजट नियमपुस्तिका बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है एवं राज्य सरकार को उसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने व बजटीय अनुमान बनाने में मार्गदर्शन देती है। राज्य सरकार के बजट एवं अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय-III में विवर्णित है।

1.3.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (वास्तविक)	2023-24 के वास्तविक से अनुमानित बजट का प्रतिशत	2023-24 के वास्तविक से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1.	कर राजस्व (i+ii)	18,479.24	21,503.99	21,210.01	98.63	10.23
	(i) स्व-कर राजस्व	10,595.26	13,025.97	11,835.29	90.86	5.71
	(ii) संघीय करों /शुल्कों का अंश	7,883.98	8,478.02	9,374.72	110.58	4.52
2.	कर-भिन्न राजस्व	2,876.33	3,447.20	3,020.88	87.63	1.46
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	16,733.93	13,048.68	14,942.15	114.51	7.20
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**38,089.50**	**37,999.87**	**39,173.04**	**103.09**	**18.88**
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	82.79	26.07	27.40	105.10	0.01
6.	अन्य प्राप्तियां	12.59	0.00	2.20	अनुपलब्ध	0.00
7.	निवल उधार व अन्य देयताएं*	12,379.84	8,353.00	11,265.73	134.87	5.43
8.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**12,475.22**	**8,379.07**	**11,295.33**	**134.80**	**5.45**
9.	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**50,564.72**	**46,378.94**	**50,468.37**	**108.82**	**24.33**
10.	राजस्व व्यय	44,425.26	42,703.99	44,731.63	104.75	21.56
11.	*ब्याज भुगतान#*	*4,828.64*	*5,562.03*	*5,648.37*	*101.55*	*2.72*
12.	पूंजीगत व्यय	6,028.89	5,202.38	5,629.79	108.22	2.71
13.	संवितरित ऋण व अग्रिम	110.57	19.71	106.95	542.62	0.05
14.	**कुल व्यय (10+12+13)**	**50,564.72**	**47,926.08**	**50,468.37**	**105.30**	**24.33**
15.	**राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-10)**	**-6,335.76**	**-4,704.12**	**-5,558.59**	**118.16**	**-2.68**
16.	**राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-14}**	**-12,379.84**	**-9,900.14**	**-11,265.73**	**113.79**	**-5.43**
17.	**प्राथमिक घाटा (16-11)**	**-7,551.20**	**-4,338.11**	**-5,617.36**	**129.49**	**-2.71**

स्रोतः वित्त लेखे

** उधार एवं अन्य देयताएं: निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल अथ व अंत नकद शेष।*

 # राजस्व व्यय में शामिल

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष से 2.84 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जो बजट अनुमान से 3.09 प्रतिशत अधिक रही। इस वर्ष के दौरान सहायता-अनुदान में 10.71 प्रतिशत की गिरावट हुई। चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173.04 करोड़) से राजस्व व्यय (₹ 44,731.63 करोड़) आधिक्य रहा, जो ₹ 5,558.59 करोड़ के राजस्व घाटे में परिणत हुआ।

1.3.2 सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं एवं किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों का ब्यौरा रखते हैं। **परिशिष्ट 1.2** विगत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2024 तक ऐसी देयताओं एवं परिसंपत्तियों का सार दर्शाता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम, लोक लेखा से मिली प्राप्तियां एवं आरक्षित निधियां आती हैं जबकि परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम तथा नकद शेष समाविष्ट हैं। परिसंपत्तियों एवं देयताओं की संक्षेपित स्थिति नीचे **तालिका 1.3** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
घटक		2022-23	2023-24	प्रतिशत में वृद्धि/गिरावट	घटक		2022-23	2023-24	प्रतिशत में वृद्धि/गिरावट
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	55,975.16	61,439.29	9.76	अ	सकल पूंजीगत व्यय	61,488.38	67,118.17	9.16
ख	भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	7,388.31*	8,929.83*	20.8	ब	ऋण व अग्रिम	8,052.62	8,132.18	0.99
आकस्मिक निधि		5.00	5.00	--	--		--	--	--
लोक लेखे									
क	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	17,682.25	19,337.58	9.36	अ	विभागीय अधिकारियों को दिए अग्रिम	--	--	--
ख	निक्षेप व अग्रिम	3,608.49	3,645.97	1.04	ब	प्रेषण	--	--	--
ग	आरक्षित निधि	1,934.72	2,279.77	17.83	स	उचंत एवं विविध	--	--	--
घ	प्रेषण	493.96	620.25	25.57	**नकद शेष (निर्धारित निधि में निवेश सहित)**		3,556.04	1,500.44	-57.81
ङ	उचंत एवं विविध	224.94	265.28	17.93	**कुल**		73,097.04	76,750.79	5.00
					राजस्व लेखा में घाटा		14,215.79	19,772.18	39.09
योग		**87,312.83**	**96,522.97**	**10.55**			**87,312.83**	**96,522.97**	**10.55**

स्रोतः वित्त लेखे

* *वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) शामिल हैं।*

1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व के रूप में एकत्र पूंजी से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को नियंत्रित करते हैं।

घाटे की पूर्ति उधार लेकर की जाती है, जिससे सरकारी ऋण बढ़ता है। घाटे एवं ऋण की अवधारणा का गहन संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है जो ऋणों में वृद्धि करता है। यदि सरकार वर्ष-दर-वर्ष लगातार उधार लेती रहे तो यह ऋण के संचय (संचित ऋण) में परिणत हो जाता है तथा सरकार को ब्याज के रूप में अधिकाधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण को बढ़ाते हैं।

उधार लेकर सरकार खपत कम करने का बोझ भावी पीढ़ी पर स्थानांतरित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रह रहे लोगों को बांड जारी करके उनसे उधार लेती है परंतु लगभग बीस वर्षों बाद करों को बढ़ाकर या खर्च घटा कर बांड का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने से निजी क्षेत्र हेतु उपलब्ध बचत कम हो जाती है। यह पूंजीगत निर्माण एवं विकास को इस हद तक घटा देता है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' की तरह कार्य करता है।

यद्यपि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में यदि सरकारी घाटे सफल होते हैं तो आय अधिक होगी तथा तदनुसार बचत भी अधिक होगी। इस स्थिति में सरकार एवं उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करती है, तो भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते कि ऐसे निवेशों पर मिला प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। वास्तविक ऋण का भुगतान उत्पादन में वृद्धि से किया जा सकता है। ऐसे में ऋण बोझ नहीं लगेगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि के संदर्भ में आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि करके या व्यय में कटौती करके घटाया जा सकता है। यद्यपि सरकारी व्यय में कटौती पर अधिक जोर दिया गया है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना एवं बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्र व प्रत्येक राज्य सरकार ने राजस्व घाटा समाप्त करने, राजकोषीय घाटे व समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करने, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करने और मध्यावधि ढांचे की पारदर्शिता में सुधार करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया। इस संदर्भ में यह अधिनियम घाटे से उबरने के उपाय व ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

अप्रैल 2005 में राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटे एवं विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए राजस्व अधिशेष प्राप्त करके दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु हिमाचल राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू किया। तत्पश्चात मार्च 2011 में राज्य सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2011 में संशोधन किया, जिसके आधार पर वर्ष 2014-15 तक के राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किए गए।

राजकोषीय घाटे पर सांविधिक सीमा में ढील (लचीलापन) प्रदान करने एवं अपूर्ण व चल रही पूंजीगत परियोजनाओं की देयता संचित न होना सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक बजट प्रावधान के उचित गुणक में नए पूंजीगत कार्यों की स्वीकृति पर सांविधिक सीमा (प्रतिबंध) प्रदान करने हेतु चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को उसके राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को संशोधित करने की सिफारिश की।

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार से यह भी सिफारिश की है कि गारंटी, बजट से बाहर के उधार एवं आर्थिक रूप से कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संचित हानियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के संदर्भ में राज्य की ऋण स्थिति के आंकलनार्थ बजट के पूरक के रूप में बजट में कुल दिए गए लोक ऋण की गणना, विश्लेषण एवं वार्षिक रिपोर्टिंग हेतु एक टेम्पलेट (नमूने) को अपनाएं। राजकोषीय प्रबंधन कानून को अधिक शुद्धता एवं वैधता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को मौजूदा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) को लागू करते हुए ऋण सीमा व राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून से बदलने की सिफारिश की गई।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे पर निर्धारित सीमा के ऊपर अतिरिक्त एक प्रतिशत की सशर्त सांविधिक लचीली सीमा की सिफारिश की, जो निम्नवत् सुधारों पर प्राप्त की जा सकेगी: (i) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन; (ii) व्यापार को आसान बनाने वाले सुधार; (iii) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; तथा (iv) विद्युत क्षेत्र में सुधार। प्रत्येक सुधार का भार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25 प्रतिशत था जो कुल मिलाकर एक प्रतिशत था।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्य के वित्त के सुदृढ़ीकरण हेतु डिस्कॉम की वित्तीय शक्तियों की केंद्रीयता पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 से 2024-25 की चार वर्ष की अवधि में राज्य हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त सीमा की सिफारिश की, जिसमें विद्युत क्षेत्र के निम्नवत सुधार सम्मिलित है- (i) परिचालन घाटे में कमी, (ii) राजस्व अंतर में कमी, (iii) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अपनाकर नकद सब्सिडी के भुगतान में कमी, एवं (iv) राजस्व के प्रतिशत के रूप में टैरिफ सब्सिडी में कमी, आदि।

15वें वित्तायोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में उसके राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया। राजकोषीय घाटे पर सांविधिक लचीली सीमा वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के छः प्रतिशत या उससे कम पर (15वें वित्तायोग की 3.5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के सापेक्ष), वर्ष 2023-24 व 2024-25 में 3.5 प्रतिशत या उससे कम पर एवं उसके बाद तीन प्रतिशत या उससे कम पर बनाए रखने पर तय की गई।

इसके अतिरिक्त राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत अनुशंसित मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष तीन वर्ष के आवर्ती लक्ष्यों के साथ तैयार की गई थी। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों की अनुपालना **तालिका 1.4(क)** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.4 (क): हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

राजकोषीय मापदंड		हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा(-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	ल	राजस्व अधिशेष बनाए रखना है।				
	उ	12 ✓	- 97 ✗	1,115 ✓	-6,336 ✗	-5,559 ✗
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	ल	3% या कम			6% या कम	3.5% या कम
	उ	-3.52 ✗	-3.76 ✗	- 3.05 ✗	- 6.46 ✗	-5.43 ✗
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण @ का अनुपात (प्रतिशत में)$	ल	34.04	33.62	40.26	40.49	38.98
	उ	39.09 ✗	44.30* ✗	40.15* ✓	42.86* ✗	43.98* ✗

@ *कुल बकाया ऋण में लोक ऋण व अन्य (लोक लेखा) देयताएं शामिल हैं।*

* *वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-24 के दौरान ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ दिया गया है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।*

$ *सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कुल बकाया ऋण के अनुपात की तुलना मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों से की गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (2011 के बाद, जब संशोधन किए गए थे) में लक्ष्यों को निर्दिष्ट नहीं किया था।*

ल - लक्ष्य, उ- उपलब्धि

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं वर्ष 2023-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में उपलब्धियों की तुलना में राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्य **तालिका 1.4(ख)** में दिए गए हैं।

तालिका 1.4(ख): वर्ष 2023-24 हेतु प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संदर्भ में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन

राजकोषीय चर	15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट द्वारा निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के लक्ष्य	बजट में लक्ष्य
राजस्व अधिशेष(+) या घाटा(-)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.2	-2.19	-2.68	3.88	0.49
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-3.00	-4.61	-5.43	2.43	0.82
कुल बकाया देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	36.80	38.98	43.98*	7.18	5.00

स्रोतः 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें (सौंपी गई अवधि 2020-26 हेतु सभी राज्यों के लिए सांकेतिक घाटा/अधिशेष एवं हिमाचल प्रदेश के लिए ऋण पथ), वार्षिक वित्तीय विवरण व वित्त लेखे

** वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर।*

राज्य को विगत दो वर्षों के दौरान वर्ष 2022-23 में ₹ 9,377 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 में ₹ 8,058 करोड़ का हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान मिलने के बावजूद राज्य को वर्ष 2022-23 में ₹ 6,336 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 में ₹ 5,559 करोड़ का भारी राजस्व घाटा हुआ, जो चिंता का विषय है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार सभी लक्ष्यों अर्थात् कुल बकाया ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एवं राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के साथ-साथ उसके बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रखने में असमर्थ रही।

हिमाचल राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अंतर्निहित मान्यताओं के विनिर्देशन के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों हेतु तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य निर्धारित किए जाए। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में दिए प्राक्कलनों व वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: वर्ष 2023-24 हेतु मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणियों में दिए प्राक्कलनों व वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजकोषीय चर	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के अनुसार प्राक्कलन	वास्तविक (2023-24)	विचलन (प्रतिशत में)
1.	कर राजस्व (i+ii)	21,503.99	21,210.01	-1.37
	(i) स्व-कर राजस्व	13,025.97	11,835.29	-9.14
	(ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश	8,478.02	9,374.72	10.58
2.	कर-भिन्न राजस्व	3,447.2	3,020.88	-12.37
3.	भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	13,048.68	14,942.15	14.51
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**37,999.87**	**39,173.04**	**3.09**
5.	**राजस्व व्यय**	**42,703.99**	**44,731.63**	**4.75**
6.	**राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-5)**	**-4,704.12**	**-5,558.59**	**18.16**
7.	**राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)**	**-9,900.14**	**-11,265.73**	**13.79**
8.	**ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)**	**38.98**	**43.98**	**5.00**
9.	**चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)**	**10.00**	**8.19**	**-1.81**

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार सभी राजकोषीय संकेतकों को मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्राक्कलित के भीतर रखने में असमर्थ रही।

चार्ट 1.4 व चार्ट 1.5 क्रमशः वर्ष 2019-24 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घाटा मानदंड एवं प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.4 :घाटा मानदंडों की प्रवृत्ति

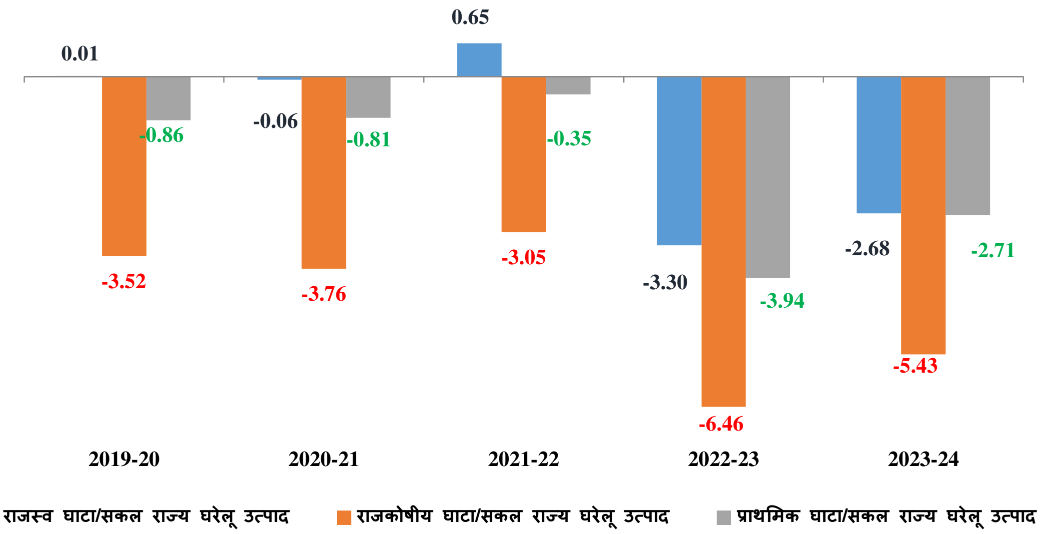

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.5 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)

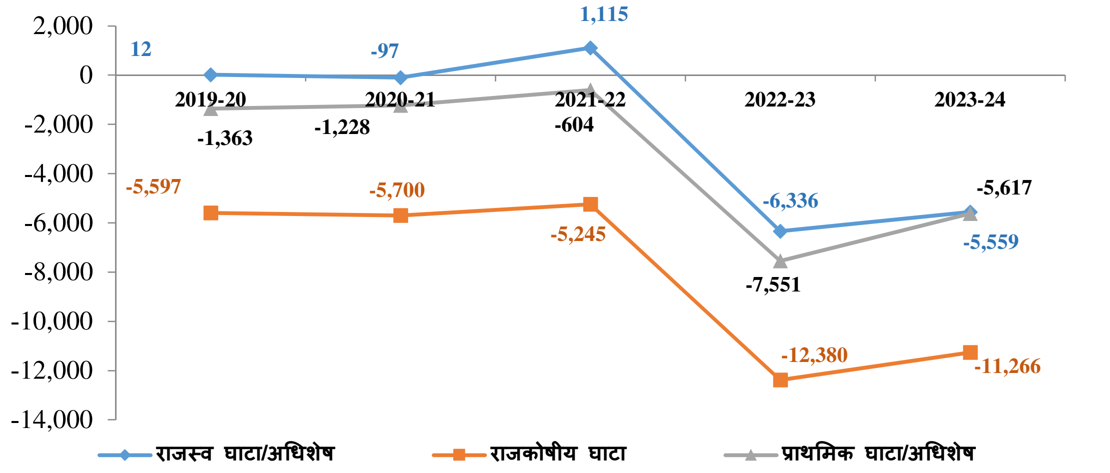

स्रोतः वित्त लेखे

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की अधिकता को इंगित करता है। राजस्व अधिशेष उधार कम करने में सहायता करता है। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (2011 में संशोधित) के अनुसार राज्य को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को घटाना एवं तदोपरांत राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था। राज्य सरकार का विगत दो वर्षों का ₹ 6,336 करोड़ (2022-23) एवं ₹ 5,559 करोड़ (2023-24) का राजस्व घाटा बहुत अधिक है।

राजकोषीय घाटा सरकार की बढ़ी हुई शुद्ध देयताओं अथवा उसके अतिरिक्त उधारों को परिलक्षित करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आतंरिक या बाह्य) द्वारा अथवा लोक लेखा से अधिशेष निधियों का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। गत दो वर्षों से राजकोषीय घाटा (वर्ष 2022-23 में ₹ 12,380 करोड़ व वर्ष 2023-24 में ₹ 11,266 करोड़) उच्च बना हुआ है, जिसने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 3.50 प्रतिशत (2022-23) व 3.00 प्रतिशत (2023-24) अनुपात सीमा को पार कर दिया।

प्राथमिक घाटा जो पिछले उधार के ब्याज भुगतान को घटाते हुए वर्तमान वर्ष का राजकोषीय घाटा दर्शाता है, वह वर्ष 2022-23 में ₹ 7,551 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 में ₹ 5,617 करोड़ रहा।

1.5 राज्य सरकार का भारत सरकार की निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार लेने के संबंध में प्रदर्शन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293(3) अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करता है कि राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है यदि भारत सरकार द्वारा राज्य को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने राज्य सरकार की निवल उधार सीमा ₹ 6,342 करोड़ निर्धारित की (फरवरी 2024) एवं राज्य सरकार को यह

सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्रोतों से उसकी बढ़ती उधारी (जो कि राज्य के वित्त लेखाओं की विवरणी 6 में दर्शाया गया है) इस सीमा के भीतर रहे।

वित्त लेखाओं की विवरणी 6 अर्थात् उधार व अन्य देयताओं के विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के बढ़ते उधार व अन्य देयताएं ₹ 9,043.53 करोड़ (अर्थात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.36 प्रतिशत) थीं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित ₹ 6,342 करोड़ की उधार सीमा से बहुत अधिक थी।

1.6 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् घाटा

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा, ऋण व गारंटी की सीमा इत्यादि हेतु निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। राज्य का परिकलित राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण एवं बजट से इतर राजकोषीय संचालन जैसी विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट देयताओं का आस्थगन, समेकित निधि में उपकर/ रॉयल्टी जमा न करना आदि भी राजस्व व राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए उपरोक्त का प्रभाव लेना आवश्यक है तथा ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् मिला घाटे का विश्लेषण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति (+)/ अत्योक्ति (-))	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति (+)/ अत्योक्ति (-))	संदर्भित परिच्छेद
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत रखी शेष राशि पर ब्याज के संदर्भ में देयता का भुगतान न करना	1.19	1.19	2.4.1.2 (i)
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत रखी शेष राशि पर ब्याज का प्रावधान/भुगतान न करना	11.36	11.36	2.5.2.2 (क)
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में अंशदान का हस्तांतरण न करना	9.71	9.71	2.5.2.2 (ख)
केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अनुदान हस्तांतरित न करना	136.32	136.32	2.5.2.6
योग	**158.58**	**158.58**	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 5,558.59 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.68 प्रतिशत) एवं ₹ 11,265.73 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का

5.43 प्रतिशत) था, जैसाकि **चार्ट 1.4 व 1.5** में दर्शाया गया है। यदि **तालिका 1.6** में दर्शाए गए उपरोक्त लेनदेन को ध्यान में रखा जाए तो वास्तविक राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 5,717.17 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.76 प्रतिशत) एवं ₹ 11,424.31 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.51 प्रतिशत) होगा।

1.7 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् - कुल बकाया ऋण

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल देयताओं का तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में निर्दिष्ट राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखाओं के तहत देयताओं से हैं। बकाया ऋण/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसाकि **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखाओं के अनुसार उधार एवं अन्य देयताएं	राशि
आंतरिक ऋण (क)	**61,439.29**
सब्याज बाज़ार ऋण	52,147.00
ब्याज रहित बाज़ार ऋण	0.06
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	12.93
नाबार्ड से ऋण	3,640.23
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	75.11
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड	2,312.40
अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण	0
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	3,251.56
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (ख)	**8,929.83***
आयोजनेत्तर ऋण	1.09
राज्य की आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	2,948.94*
अन्य	5,979.80*
लोक लेखा पर देयताएं (ग)	**25,263.84**
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	19,337.58
निक्षेप	3,646.49
आरक्षित निधि	2,279.77
कुल (क + ख + ग)	**95,632.96***

स्रोतः वित्त लेखे

* *वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21 में ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 में ₹ 2,695.22 करोड़) को शामिल किया गया है।*

वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक राज्य पर ₹ 95,632.96 करोड़ का सकल बकाया ऋण/ देयताएं थीं। बजट से इतर[1] अर्थात् राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों इत्यादि द्वारा लिए उधार जहां मूलधन एवं/अथवा ब्याज को राज्य बजट से चुकाया जाना; राज्य सरकार के निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के

[1] स्रोत: वित्त लेखा 2023-24 की टिप्पणियों का परिच्छेद 3 (xvii)

उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन इत्यादि द्वारा स्वयं की निधियों का प्रयोग, जिसे राज्य सरकार द्वारा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित करना था; तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से लिए गए ऋण के मूलधन/ब्याज घटक की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों आदि की प्रतिपूर्ति न करना जैसे राजकोषीय प्रचालन का कोई मामला नहीं पाया गया। इस प्रकार राज्य सरकार के समग्र बकाया ऋण/देयताओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अध्याय-II

राज्य के वित्त

अध्याय - II
राज्य के वित्त

2.1 वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय योगों में हुए प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय योगों में हुए प्रमुख परिवर्तन **तालिका 2.1** में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: प्रमुख राजकोषीय योगों में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में हुए परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	• राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई • राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 11.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई • राज्य की स्व कर-भिन्न प्राप्तियों में 5.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई • संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश में 18.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई • भारत सरकार के सहायता-अनुदान में 10.71 प्रतिशत की गिरावट हुई
राजस्व व्यय	• राजस्व व्यय में 0.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई • सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई • सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 0.49 प्रतिशत की गिरावट हुई • आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.65 प्रतिशत की गिरावट हुई
पूंजीगत प्राप्तियां	• ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 33.39 प्रतिशत की गिरावट हुई • ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों में 68.97 प्रतिशत की गिरावट हुई
पूंजीगत व्यय	• पूंजीगत व्यय में 6.62 गिरावट हुई • सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 19.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई • सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 11.13 गिरावट हुई • आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 6.37 गिरावट हुई
ऋण एवं अग्रिम	• ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 3.27 गिरावट हुई • ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 66.90 गिरावट हुई
लोक ऋण	• लोक ऋण प्राप्तियों में 33.39 गिरावट हुई • लोक ऋण चुकौती में 22.10 गिरावट हुई
लोक लेखा	• लोक लेखा प्राप्तियों में 4.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई • लोक लेखा संवितरण में 0.57 गिरावट हुई
नकद शेष	• नकद शेष में 57.81 गिरावट हुई

स्रोतः वित्त लेखे

2.2 निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग के घटकों की विगत वर्ष के साथ तुलना **तालिका 2.2** में दी गई है।

तालिका 2.2: 2022-23 व 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि/ गिरावट
निधियों के स्त्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में अथ नकद शेष	2,522.86	3,556.04	1,033.18
	राजस्व प्राप्तियां	38,089.50	39,173.04	1,083.54
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	12.59	2.20	-10.39
	ऋण व अग्रिम की वसूली	82.79	27.40	-55.39
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	12,236.02	7,005.64	-5,230.38
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	1,176.99	2,204.49	1,027.50
	योग	**54,120.75**	**51,968.81**	**-2,151.94**
निधियों का अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	44,425.26	44,731.63	306.37
	पूंजीगत व्यय	6,028.88	5,629.79	-399.09
	ऋण व अग्रिम का संवितरण	110.57	106.95	-3.62
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंत नकद शेष	3,556.04	1,500.44	-2,055.59
	योग	**54,120.75**	**51,968.81**	**-2,151.94**

स्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1 एवं 2.2 वर्तमान वर्ष के साथ-साथ विगत वर्षों के दौरान हुई प्राप्ति व संवितरण तथा राज्य की समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रदान करते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि में संसाधनों का संघटन एवं अनुप्रयोग **चार्ट 2.1** एवं **2.2** में दिया गया है।

चार्ट 2.1: संसाधनों का संघटन (प्रतिशत में)

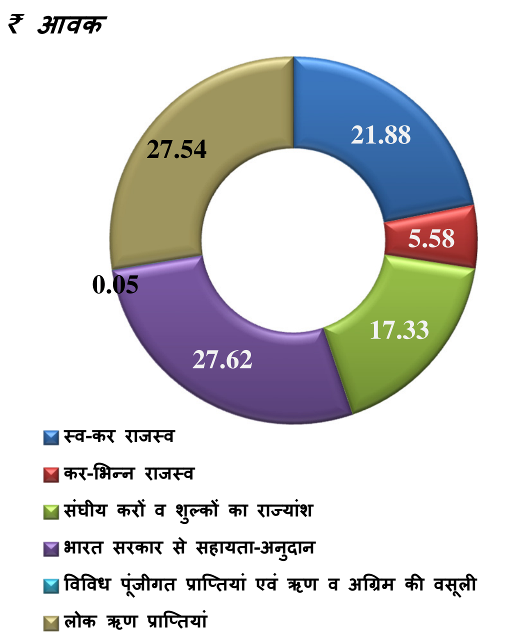

चार्ट 2.2: संसाधनों का अनुप्रयोग (प्रतिशत में)

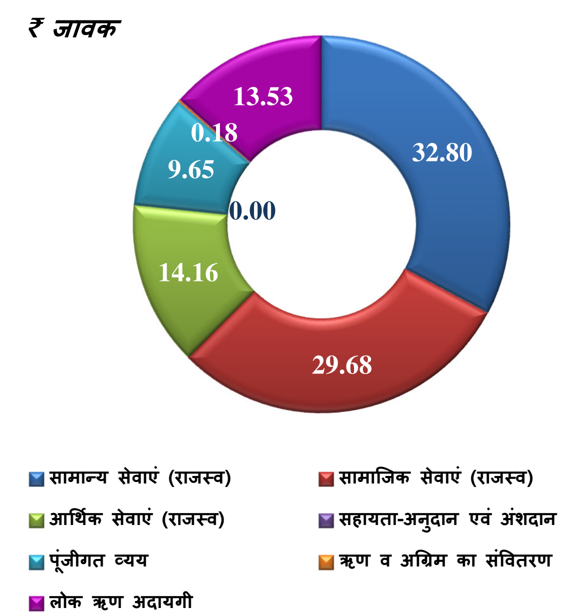

स्रोतः वित्त लेखे

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व सहित संघीय करों व शुल्कों का अंश) कर-भिन्न राजस्व एवं भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण व ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां) में विनिवेशों से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्त्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं।

   राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही राज्य की समेकित निधि का भाग हैं।
3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां**: यह कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, प्रेषण इत्यादि से सम्बंधित ऐसी प्राप्तियां एवं संवितरण हैं जो समेकित निधि का भाग नहीं होती।

   इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा इनके लिए राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। यहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् बची शेष निधि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

यह परिच्छेद समग्र राजस्व प्राप्तियों के संघटन को प्रस्तुत करता है। पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त लोक लेखा में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) को भी सरकार उसके घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग करती है।

वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियां **चार्ट 2.3** में दी गई है जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: राज्य के संसाधनों की प्रवृत्ति *(₹ करोड़ में)*

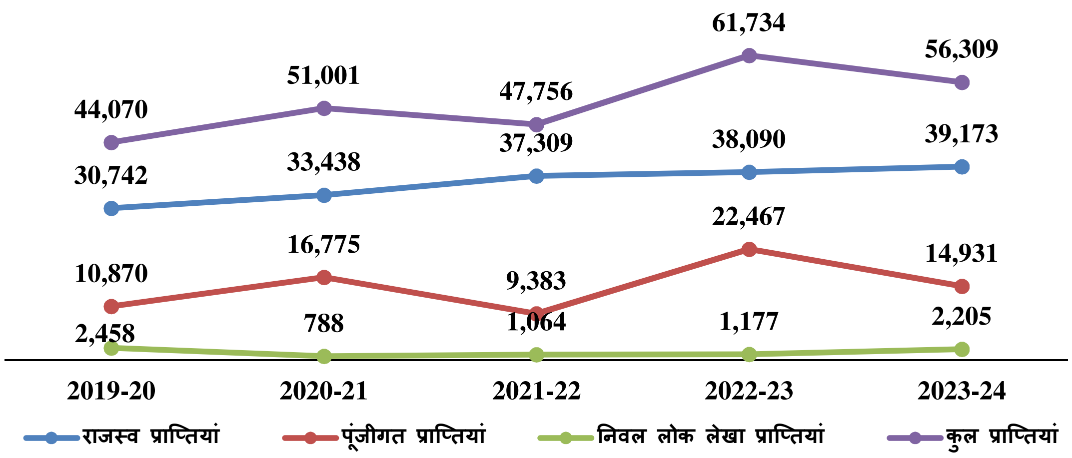

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.4: वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन

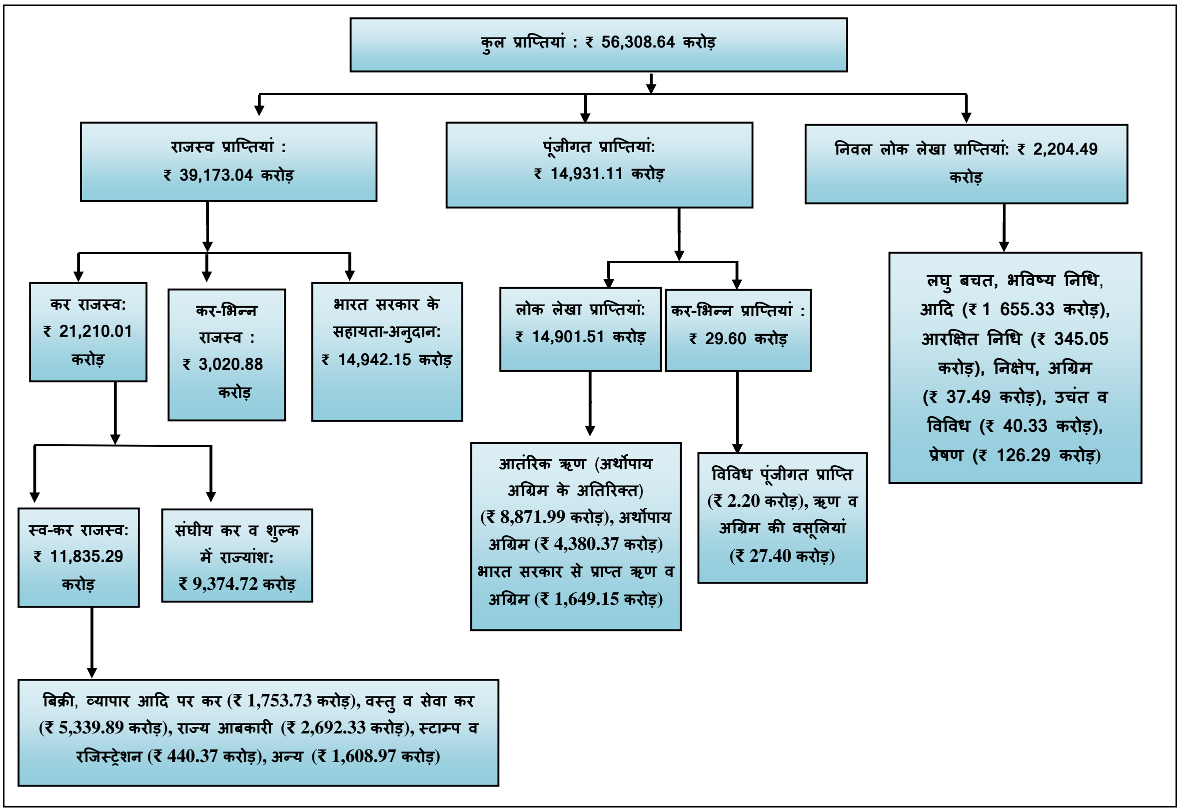

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के ₹ 56,308.64 करोड़ के कुल संसाधनों में से राजस्व प्राप्तियां (₹ 39,173.04 करोड़) 69.57 प्रतिशत थी। पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 14,931.11 करोड़) एवं निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 2,204.49 करोड़) कुल संसाधनों का क्रमशः 26.52 प्रतिशत व 3.92 प्रतिशत रही।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं वृद्धि

पांच वर्ष की अवधि (2019-24) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं वृद्धि **तालिका 2.3** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियां	**30,742.41**	**33,438.27**	**37,309.30**	**38,089.50**	**39,173.04**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*-0.67*	*8.77*	*11.58*	*2.09*	*2.84*
कर राजस्व (i+ii)	**12,301.38**	**12,837.24**	**17,063.62**	**18,479.24**	**21,210.01**
(i) स्व-कर राजस्व	7,623.82	8,083.32	9,714.58	10,595.26	11,835.29
स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*0.67*	*6.03*	*20.18*	*9.07*	*11.70*
(ii) संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश	4,677.56	4,753.92	7,349.04	7,883.98	9,374.72

मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*(-) 13.85*	*1.63*	*54.59*	*7.28*	*18.91*
कर-भिन्न राजस्व	**2,501.51**	**2,188.46**	**2,612.36**	**2,876.33**	**3,020.88**
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*-11.61*	*-12.51*	*19.37*	*10.10*	*5.03*
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	**15,939.52**	**18,412.58**	**17,633.32**	**16,733.93**	**14,942.15**
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*5.44*	*15.52*	*-4.23*	*-5.10*	*-10.71*
राज्य का स्व-राजस्व (स्व-कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व)	10,125.33	10,271.78	12,326.94	13,471.59	14,856.17
राज्य के स्व-राजस्व की वृद्धि दर (स्व-कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	*-2.67*	*1.44*	*20.01*	*9.29*	*10.28*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 **श्रेणी**)	**1,59,164**	**1,51,601**	**1,72,162**[स]	**1,91,728**[ब]	**2,07,430**[अ]
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*7.27*	*-4.75*	*13.56*	*11.36*	*8.19*
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.31	22.06	21.67	19.87	18.88
उत्प्लावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता#	--*	--*	0.85	0.18	0.35
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्व-कर उत्प्लावकता	0.09	--*	1.49	0.80	1.43

स्रोत: वित्त लेखे एवं आर्थिक व सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

स - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब - प्रथम संशोधित अनुमान, अ - अग्रिम अनुमान।

 # उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों के दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया की डिग्री को दर्शाता है।

** उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि राजस्व प्राप्तियां या सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि ऋणात्मक थी।*

तालिका 2.3 निम्नवत् दर्शाती है:

- राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2019-20 के ₹ 30,742.41 करोड़ से 27.42 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 39,173.04 करोड़ हो गईं तथा यह वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2023-24) के दौरान ₹ 1,083.54 करोड़ (2.84 प्रतिशत) रही। वर्ष 2019-24 की विगत पांच वर्ष की अवधि के दौरान इसमें 4.92 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से वृद्धि हुई।
- वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में स्व-कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व में क्रमशः ₹ 1,240.03 करोड़ (11.70 प्रतिशत) व ₹ 144.55 करोड़ (5.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- विगत पांच वर्षों में स्व-कर राजस्व की औसत वृद्धि दर 9.53 प्रतिशत जबकि कर-भिन्न राजस्व की औसत वृद्धि दर मात्र 2.08 प्रतिशत रही।

- वही दूसरी ओर गत तीन वर्षों में सहायता-अनुदान में घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। इसमें विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2021-22 में 4.23 प्रतिशत, वर्ष 2022-23 में 5.10 प्रतिशत एवं वर्ष 2023-24 में 10.71 प्रतिशत की लगातार गिरावट हुई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक एक से नीचे ही रही। चार वर्षों में से दो वर्ष (अर्थात् वर्ष 2021-22 व 2023-24) में स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता एक से ऊपर रही।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **चार्ट 2.5** में दर्शाई गई है :

चार्ट 2.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

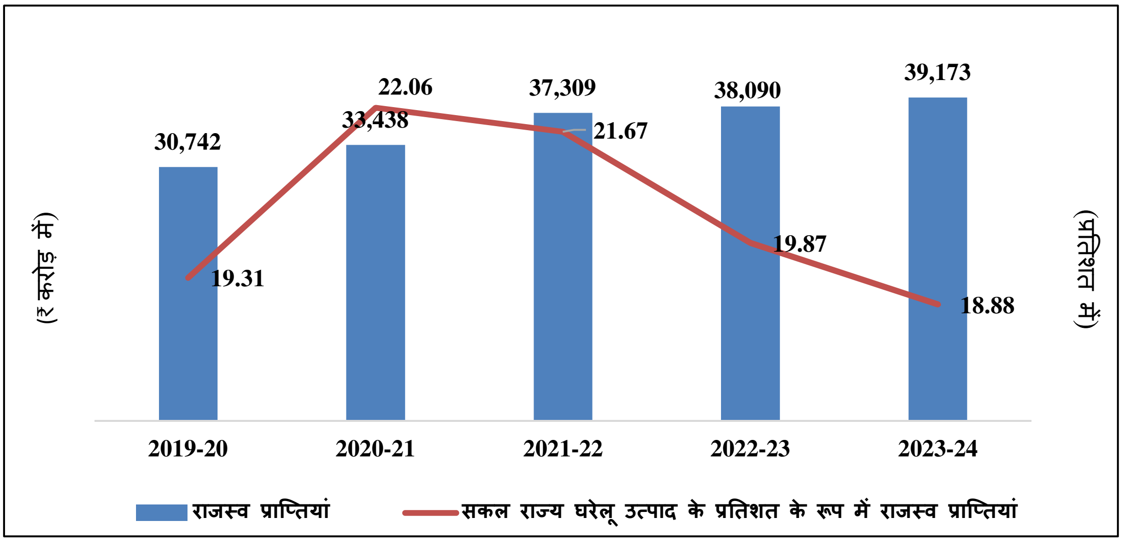

स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों के संघटन की प्रवृत्ति **चार्ट 2.6** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.6: राजस्व प्राप्तियों के संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

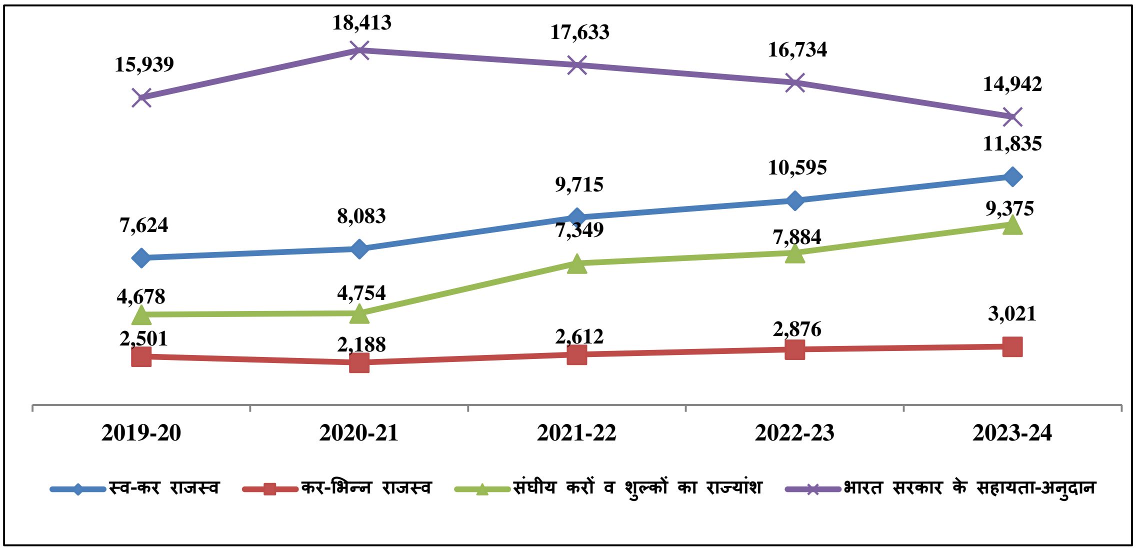

स्रोत: वित्त लेखे

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

(i) स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य वस्तु व सेवा कर, राज्य आबकारी, वाहन कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, माल व यात्री कर इत्यादि समाविष्ट है।

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति एवं इसके घटकों का विश्लेषण क्रमशः **चार्ट 2.7 व तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: 2019-24 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति

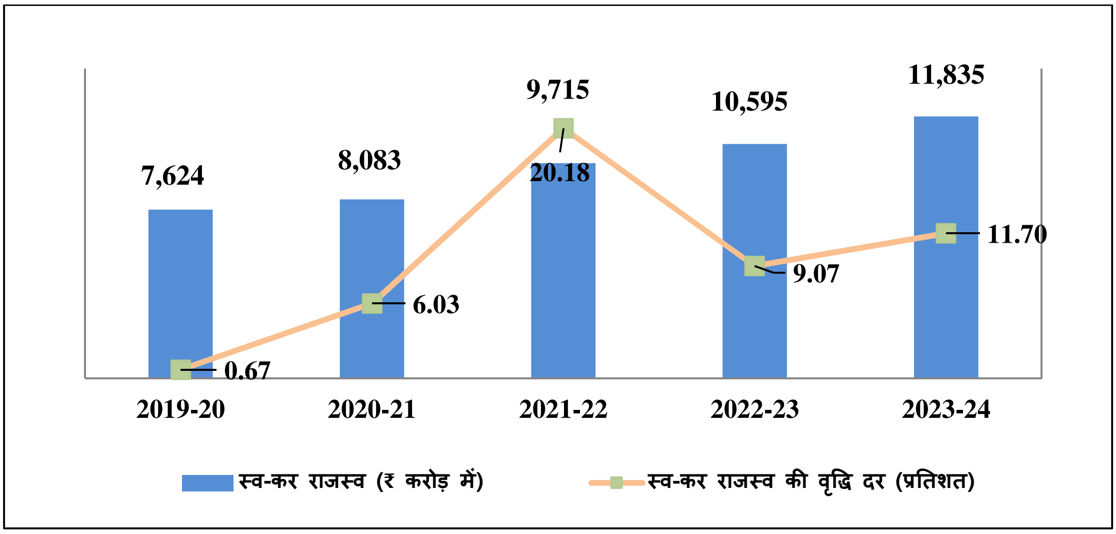

स्रोतः वित्त लेखे

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य वस्तु व सेवा कर	3,550.34	3,466.58	4,482.15	5,259.21	5,339.89
बिक्री, व्यापार आदि पर कर (मूल्य वर्धित कर)	1,169.53	1,630.11	1,592.24	1,370.29	1,753.73
राज्य आबकारी	1,660.02	1,599.74	1,980.63	2,216.34	2,692.33
वाहन कर	465.52	380.20	510.03	675.17	781.74
स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क	259.58	253.36	318.60	398.75	440.37
विद्युत पर कर व शुल्क	100.86	401.76	393.51	252.25	369.07
भू-राजस्व	4.79	6.95	4.81	8.22	7.03
माल व यात्री कर	104.03	83.55	99.18	68.50	70.88
अन्य कर	309.15	261.07	333.43	346.53	380.25
कुल स्व-कर राजस्व	**7,623.82**	**8,083.32**	**9,714.58**	**10,595.26**	**11,835.29**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2023-24) के दौरान कुल स्व-कर राजस्व में ₹ 1,240.03 करोड़ (11.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धि राज्य आबकारी (₹ 475.99 करोड़),

बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 383.44 करोड़), विद्युत पर कर व शुल्क (₹ 116.82 करोड़) एवं वाहन कर (₹ 106.57 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में हुई।

वृद्धि के कारण थे -

- राज्य आबकारी - इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से देशी स्पिरिट, विदेशी शराब व स्पिरिट की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।
- बिक्री, व्यापार आदि पर कर- यह मुख्य रूप से मूल्य वर्धित कर के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।
- विद्युत पर कर व शुल्क - यह मुख्य रूप से विद्युत शुल्क से अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।
- वाहन कर - इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से अधिक संख्या में वाहनों की पंजीयन फीस का एकत्रण एवं टोकन कर की अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

(क) राज्य वस्तु व सेवा कर

वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक एवं वित्त लेखाओं के अनुसार ₹ 6,263.77 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष राज्य वस्तु व सेवा कर राशि ₹ 5,339.89 करोड़ रही।

(ख) वस्तु व सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

22 जून 2020 को वस्तु व सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) परिक्षेत्र में पैन-इंडिया डेटा तक एक्सेस प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया। हिमाचल प्रदेश के मामले में दिसंबर 2020 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को बैक-एंड एप्लिकेशन तक एक्सेस दिया गया। हालांकि इस कार्यालय को दिया गया एक्सेस सीमित तथा विभाग के आंतरिक वेब आधारित जीएसटीएन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए वीपीएन कनेक्शन पर आधारित था क्योंकि यह केवल हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (हिमस्वान) के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। जीएसटीएन पोर्टल तक रिमोट एक्सेस का उपयोग वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत निष्पादन/विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए किया जा रहा है।

(ग) राजस्व बकाया एवं निर्धारण बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली को दर्शाता है। इसी भांति निर्धारण बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंबित निर्धारण के कारण अवरुद्ध है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

राजस्व बकाया

31 मार्च 2024 तक राजस्व के प्रधान (मूल) शीर्षों के संबंध में राजस्व का बकाया ₹ 6,289.46 करोड़ था, जिसमें से ₹ 3,126.21 करोड़ (49.71 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसाकि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 तक बकाया राशि	31 मार्च 2024 तक पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	006- वस्तु एवं सेवा कर	1,451.75	20.05
2.	0039-राज्य आबकारी	393.25	199.95
3.	0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	4,338.20	2,826.61
4.	0042-यात्री व माल कर	13.41	6.49
5.	0045-अन्य कर व शुल्क	92.84	73.11
योग		**6,289.46**	**3,126.21**

स्रोतः आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

निर्धारण में बकाया

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर के संदर्भ में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या, निर्धारण हेतु लंबित मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले एवं वर्ष की समाप्ति में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या की जानकारी **तालिका 2.6** में दशाई गई है।

तालिका 2.6: निर्धारण में बकाया

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष		अथ शेष (मामलों की संख्या)	2023-24 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	देय कुल निर्धारण (मामलों की संख्या)	2023-24 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अंत में बकाया मामले	निपटान का प्रतिशत (कॉलम 6 से 5)
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	केन्द्रीय बिक्री कर	20,917	4,723	25,640	10,472	15,168	40.84
		मूल्य वर्धित कर	23,741	4,575	28,316	11,492	16,824	40.58
2.	वस्तु व सेवा कर		0	441	441	281	160	63.72
3.	वाहन कर		2,160	0	2,160	380	1,780	17.59
4.	विलासिता कर		1,237	66	1,303	450	853	34.54
योग			**48,055**	**9,805**	**57,860**	**23,075**	**34,785**	**39.88**

स्रोतः आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निपटान का प्रतिशत 18 से 64 के मध्य रहा।

विभाग द्वारा पाए गए कर के अपवंचन, प्रतिदाय मामले, इत्यादि का विवरण

पाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिमिकृत मामले एवं अतिरिक्त कर की उठाई गई मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय मामलों के निपटान में तत्परता संबंधित विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

वर्ष 2023-24 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पकड़े गए कर अपवंचन के मामलों के विवरण, अंतिमिकृत मामलों एवं एवं उठाई गई अतिरिक्त कर की मांग; तथा प्रतिदाय मामलों के विवरण क्रमशः **तालिका 2.7** व **तालिका 2.8** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.7: पाए गए कर अपवंचन मामले

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक लंबित मामले	2023-24 के दौरान पाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण की गई व शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2024 तक अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वस्तु एवं सेवा कर	456	3,457	3,913	3,448	130.39	465
2.	राज्य आबकारी	83	855	938	771	1.09	167
3.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	52	225	277	219	17.95	58
4.	यात्री व माल कर	33	483	516	483	0.49	33
5.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	17	660	677	660	0.58	17
	योग	**641**	**5,680**	**6,321**	**5,581**	**150.50**	**740**

स्रोतः आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

तालिका 2.8: प्रतिदाय मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वस्तु व सेवा कर		बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे (31.03.2023 तक)	239	101.47	52	8.00	10	0.16
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे (2023-24)	1,420	487.40	65	8.09	22	0.55
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय (2023-24)	1,240	372.96	67	7.75	13	0.45
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	285	130.28	41	7.97	2	0.01
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	148	85.64	9	0.38	17	0.26

स्रोतः आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

(ii) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल हैं। वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटकों की प्रवृत्तियां **तालिका 2.9** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ब्याज प्राप्तियां	**245.36**	**306.43**	**173.95**	**85.30**	**126.06**
लाभांश व लाभ	**248.44**	**245.43**	**166.53**	**180.90**	**191.17**
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	**2,007.72**	**1,636.60**	**2,271.88**	**2,610.13**	**2,703.65**
विविध सामान्य सेवाएं	5.17	11.41	14.06	7.45	2.62
शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति	238.59	196.08	257.70	161.78	59.80
वानिकी एवं वन्य जीवन	83.61	49.56	106.28	81.79	89.95
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	49.65	37.05	104.90	90.05	40.50
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	246.30	252.16	230.81	286.34	331.73
विद्युत	1,021.68	749.12	1,183.51	1,428.28	1,667.35
अन्य या विविध	362.72	341.22	374.62	554.44	511.70
कुल कर-भिन्न राजस्व	**2,501.51**	**2,188.46**	**2,612.36**	**2,876.33**	**3,020.88**
राजस्व प्राप्तियों से कर-भिन्न राजस्व का प्रतिशत	**8.14**	**6.54**	**7.00**	**7.55**	**7.71**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में कुल कर-भिन्न राजस्व में ₹ 144.55 करोड़ (5.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत (₹ 239.07 करोड़), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 45.39 करोड़) एवं ब्याज प्राप्तियों (₹ 40.76 करोड़), इत्यादि में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि यह वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹ 101.98 करोड़) एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं (₹ 49.55 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में हुई गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हो गई।

इनके अंतर्गत वृद्धि हुई-

- *विद्युत* - इसका मुख्य कारण सतलुज जल विद्युत निगम से नि:शुल्क विद्युत रॉयल्टी की प्राप्तियों में वृद्धि थी।

जबकि इनके अंतर्गत गिरावट हुई-

- *शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति* - इसका मुख्य कारण सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिपूर्ति की प्राप्ति न होना था।
- *अन्य प्रशासनिक सेवाएं* - इसका मुख्य कारण राज्य चुनाव के दौरान हुए व्यय के लिए चुनाव आयोग से कम प्रतिपूर्ति मिलना था।

2.3.2.3 केन्द्रीय अंतरण

केंद्र से किए जाने वाले अंतरणों में मुख्यतः (i) केन्द्रीय करों के अंश, यथा वित्तायोग की अनुशंसानुसार कर हस्तांतरण एवं (ii) केंद्र से अनुदान, यथा वित्तायोग अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार के अंश, इत्यादि शामिल हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति **चार्ट 2.8** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.8: केन्द्रीय अंतरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

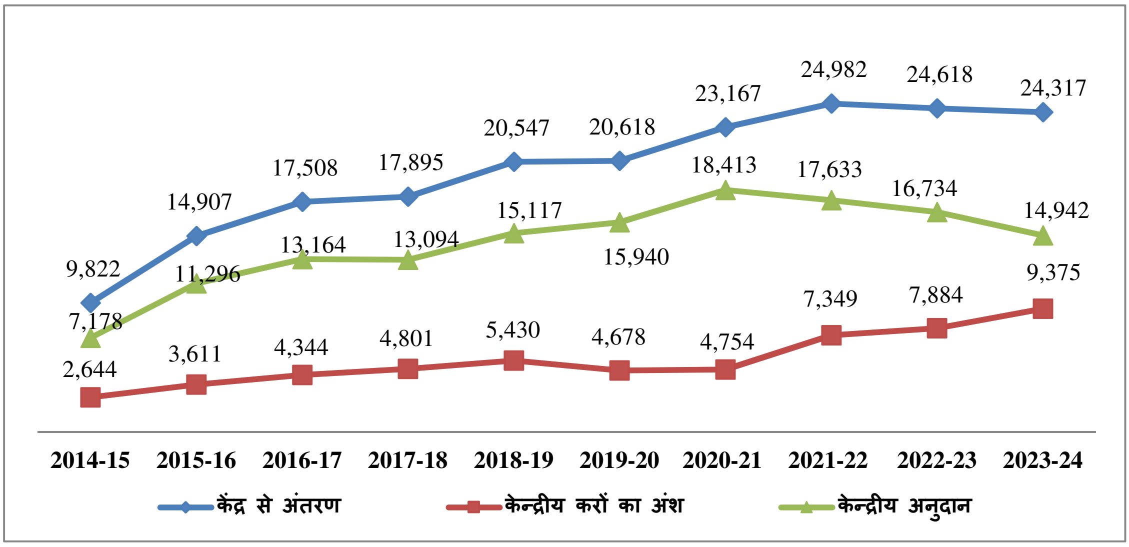

स्रोतः वित्त लेखे

केन्द्रीय कर अंतरण अर्थात् संघीय करों व शुल्कों के अंश एवं राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की प्रवृत्ति पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

(i) केन्द्रीय करों का अंश

वर्ष 2015-16 से 2023-24 की अवधि के दौरान चौदहवें वित्त आयोग व पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्टों में किए गए प्राक्कलनों की तुलना में राज्य सरकार को वास्तव में जारी संघीय करों व शुल्कों के अंश को **तालिका 2.10** में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 2.10: संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश: वित्त आयोग प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के प्राक्कलन	वित्तायोग रिपोर्टों के प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2015-16	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.713 प्रतिशत एवं बांटने योग्य सेवाकर की शुद्ध आय का 0.722 प्रतिशत (14वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	4,141	3,611	-530
2016-17		4,778	4,344	-434
2017-18		5,521	4,801	-720
2018-19		6,387	5,430	-957
2019-20		7,398	4,678	-2,720

वर्ष	वित्त आयोग के प्राक्कलन	वित्तायोग रिपोर्टों के प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2020-21	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.799 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	6,833	4,754	-2,079
2021-22	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.830 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,466	7,349	1,882
2022-23		6,081	7,884	1,803
2023-24		6,842	9,375	2,533

स्रोत: 14वें वित्तायोग व 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट, वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरणी

केंद्रीय करों व शुल्कों में राज्य सरकार के अंश में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 1,491 करोड़ (18.91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंद्रहवें वित्त आयोग (2020-26) की अवधि के चार वर्षों (2020-24) के दौरान केंद्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश ₹ 29,362 करोड़ था जो चौदहवें वित्त आयोग की अवधि (2015-20) के कुल अंशदान (₹ 22,864 करोड़) से 28.42 प्रतिशत अधिक था।

वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य को प्राप्त केंद्रीय कर अंतरण के संघटकों की प्रवृत्ति **तालिका 2.11** में दी गई है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के संघटक

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय कर अंतरण के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	विगत वर्ष की तुलना में अंतर
केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर	1,327.34	1,419.55	2,105.41	2,227.15	2,845.13	617.98
निगम कर	1,594.86	1,429.44	2,202.48	2,644.66	2,813.87	169.21
निगम कर के अतिरिक्त आय कर	1,249.68	1,464.84	2,169.83	2,579.80	3,249.67	669.87
सीमा शुल्क	296.49	257.07	510.58	309.82	328.53	18.71
संघ आबकारी शुल्क	206.16	160.44	265.82	97.22	124.32	27.10
सेवा कर	--	19.39	87.35	12.36	1.73	-10.63
अन्य कर[1]	3.03	3.19	7.57	12.97	11.47	-1.50
केन्द्रीय कर अंतरण	**4,677.56**	**4,753.92**	**7,349.04**	**7,883.98**	**9,374.72**	**1,490.74**
गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि (+)/ गिरावट (-) का प्रतिशत	**(-)13.85**	**1.63**	**54.59**	**7.28**	**18.91**	--
राजस्व प्राप्तियों से केंद्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	**15.22**	**14.22**	**19.70**	**20.70**	**23.93**	--

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.11 दर्शाती है कि वर्ष 2019-24 की विगत पांच वर्ष की अवधि के दौरान केंद्रीय करों व शुल्कों के राज्यांश में उतार-चढ़ाव का प्रतिशत (-) 13.85 व 54.59 प्रतिशत के मध्य था। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें ₹ 1,490.74 करोड़

[1] इसमें सम्पति कर, आय व व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क सम्मिलित हैं।

(18.91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय करों व शुल्कों का अंश 14 प्रतिशत से 24 प्रतिशत रहा।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान एवं उसके संघटकों की प्रवृत्ति **तालिका 2.12** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	4,915.06	4,221.29	5,420.75	4,736.66	5,328.69
वित्तायोग अनुदान*	8,617.82	12,424.10	11,044.26	10,489.70	8,738.16
राज्य/ विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/ अनुदान	2,406.64	1,767.19	1,168.31	1,507.57	875.30
योग	**15,939.52**	**18,412.58**	**17,633.32**	**16,733.93**	**14,942.15**
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि/ गिरावट	5.44	15.52	-4.23	-5.10	-10.71
राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का प्रतिशत	51.85	55.06	47.26	43.93	38.14

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* *वित्तायोग अनुदानों में हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (₹ 8,058 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹ 276.56 करोड़) एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु सहायता-अनुदान (₹ 360.80 करोड़); राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि हेतु सहायता अनुदान (₹ 42.80 करोड़) शामिल है।*

तालिका 2.12 दर्शाती है कि विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2021-22 (4.23 प्रतिशत), वर्ष 2022-23 (5.10 प्रतिशत) व वर्ष 2023-24 (10.71 प्रतिशत) के दौरान भारत सरकार के सहायता अनुदान में कमी आई। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सहायता-अनुदान में हुई गिरावट मुख्यतः हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान के अंतर्गत ₹ 1,319 करोड़ (14.07 प्रतिशत) की उल्लेखनीय गिरावट एवं वस्तु व सेवा कर लागू होने पर हुई राजस्व हानि के लिए राज्य सरकार को ₹ 1,205 करोड़ की क्षतिपूर्ति कम मिलने के कारण हुई। हालांकि राज्यों/विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से राज्य को दी जाने वाली सहायता के अंतर्गत ₹ 572.99 करोड़ की वृद्धि से यह समायोजित हुई।

(*क*) केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान

वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु दिए गए ₹ 5,328.69 करोड़ के अनुदान में से बड़ी राशि निम्न योजनाओं हेतु दी गई :

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - ₹ 617.56 करोड़। गत वर्ष (₹ 624.76 करोड़) की अपेक्षा इसमें ₹ 7.20 करोड़ (1.15 प्रतिशत) की गिरावट हुई।
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - ₹ 599.98 करोड़। गत वर्ष (₹ 53.36 करोड़) की अपेक्षा इसमें ₹ 546.62 करोड़ (1471.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - ₹ 402.54 करोड़। गत वर्ष (₹ 508.71 करोड़) की अपेक्षा इसमें ₹ 106.18 करोड़ (20.87 प्रतिशत) की गिरावट हुई।

(ख) एकल नोडल एजेंसी

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 8 दिसंबर 2021 के माध्यम से प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को हर केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु एक एकल नोडल एजेंसी नामित करना अपेक्षित है। यह एकल नोडल एजेंसी राज्य स्तर पर प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना हेतु राज्य सरकार के कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एकल नोडल खाता खोलेगी। साथ ही प्रक्रियानुसार राज्य सरकार अपने खातों में प्राप्त केंद्रांश को संगत राज्यांश के साथ संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में स्थानांतरित करेंगी। यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियां अव्ययित समस्त राशि एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस करें।

वर्ष 2023-24 में एकल नोडल एजेंसी-01 कोम्प्रेहेंसिव रिलीज व व्यय रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु ₹ 4,856.54 करोड़ (प्रतिपूर्ति के ₹ 1.95 करोड़, माल के ₹ 19.17 करोड़, कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी ₹ 608.79 करोड़, राज्य कोषागार को ₹ 3,824.29 करोड़ एवं एस्क्रो एकाउंट (निलम्ब लेखा) में ₹ 402.34 करोड़) प्राप्त हुए। कोषागार द्वारा एकल नोडल एजेंसी को जारी कुल राशि ₹ 3,983.08 करोड़ थी। वर्तमान वर्ष में इन योजनाओं पर हुआ कुल व्यय ₹ 6,048.18 करोड़ था तथा एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 1,024.08 करोड़ की अव्ययित राशि रह गई।

(ग) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटे हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदान प्रदान किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों के विवरण **तालिका 2.13** में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: अनुशंसित राशि, वास्तव में जारी एवं अंतरित किए गए सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण		2023-24		
		15वें वित्तायोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी	राज्य सरकार द्वारा जारी
1.	**(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान**	**332.00**	**317.42@**	**317.42**
	(अ) सामान्य मूल अनुदान (अनटाइड)	*132.80*	*118.94*	*118.94*
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान (टाइड)	*199.20*	*198.48*	*198.48*
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	**171.00**	**157.43$**	**157.43**
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	*68.40*	*62.97*	*62.97*
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	*102.60*	*94.46*	*94.46*

अंतरण				2023-24		
				15वें वित्तायोग की अनुशंसा	**भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी**	**राज्य सरकार द्वारा जारी**
2.	**स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुदान**			**103.14**	**--**	**--**
3.	*राज्य आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन निधि*	*राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि*	*केंद्रांश*	*360.80*	*360.80*	*360.80*
			राज्यांश	*40.00*	*--*	*40.20*
			राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु दिए कुल	**400.80**	**360.80**	**401.00**
		राज्य आपदा प्रबंधन निधि	*केंद्रांश*	*90.18*	*85.60**	*85.60**
			राज्यांश	*10.02*	*9.60**	*9.60**
			राज्य आपदा प्रबंधन निधि हेतु दिए कुल	**100.20**	**95.20***	**95.20***
	राज्य आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन निधि हेतु दिए कुल			**501.00**	**408.40**	**496.20**
4.	**हस्तांतरण-पश्चात् राज्य घाटा अनुदान**			**8,058**	**8,058**	**--**

स्रोत: 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट एवं राज्य सरकार के विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

@ *2023-24 की ₹ 198.91 करोड़ की राशि की दूसरी किस्त 2024-25 के दौरान जारी करने के कारण वित्त लेखाओं में दर्शाई गई राशि (₹ 118.51 करोड़) इस राशि (₹ 317.42 करोड़) से भिन्न हैं।*

$ *राशि (₹ 157.43 करोड़), वित्त लेखाओं में दर्शाई गई राशि (₹ 158.04 करोड़) से भिन्न हैं, क्योंकि 2022-23 की ₹ 81 करोड़ की दूसरी किस्त भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 को जारी करने के कारण राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान प्राप्त व जारी की गई, तथा 2023-24 की ₹ 81.61 करोड़ की दूसरी किस्त, भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2024 को जारी करने के कारण राज्य सरकार द्वारा 2024-25 के दौरान प्राप्त व जारी की गई थी।*

* *इस राशि में 2023-24 के दौरान प्राप्त ₹ 42.80 करोड़ (केंद्रांश के रूप में) एवं 2022-23 के ₹ 4.80 करोड़ (राज्यांश के रूप में) शामिल हैं।*

- पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 332 करोड़ की राशि के प्रति वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 317.42 करोड़ राशि जारी की एवं उतनी ही राशि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इसी अवधि के दौरान जारी की।
- शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में ₹ 171 करोड़ की अनुशंसित राशि के प्रति वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 157.43 करोड़ राशि जारी की एवं उतनी ही राशि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इसी अवधि के दौरान जारी की।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संदर्भ में 15वें वित्तायोग ने 90:10 के अनुपात में केंद्रांश व राज्यांश की अनुशंसा की। ₹ 360.80 करोड़ के अनुशंसित अंश के सापेक्ष वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 360.80 करोड़ एवं राज्य ने ₹ 401 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 360.80 करोड़ व राज्यांश ₹ 40.20 करोड़) जारी किए।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से आय, ऋण व अग्रिम की वसूली, आतंरिक स्त्रोतों (बाज़ार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम आते हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों एवं उसके घटकों की प्रवृत्ति **तालिका 2.14** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्त्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत प्राप्तियां (i+ii+iii)	**4,169.72**	**3,917.07***	**2,300.21***	**12,331.41**	**7,035.23**
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.04	2.88	7.01	12.59	2.20
(ii) ऋण व अग्रिम की वसूली	21.04	23.02	40.73	82.79	27.40
(iii) निवल लोक ऋण प्राप्तियां	4,146.64	3,891.17*	2,252.47*	12,236.02	7,005.64
- आतंरिक ऋण	4,164.59	3,390.44	1,457.82	11,599.12	5,464.12
वृद्धि दर (प्रतिशत)	*135.06*	*-18.59*	*-57.00*	*695.65*	-52.89
- भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	-17.95	500.73*	794.65*	636.90	1,541.52
वृद्धि दर (प्रतिशत)	*-1.64*	*2,889.56*	*58.70*	*-19.85*	*142.03*
निवल लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) (iii)	*136.40*	*-6.16*	*-42.11*	*443.23*	*-42.75*
ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) (i)+(ii)	*-24.70*	*12.22*	*84.29*	*99.83*	*-68.98*
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*133.64*	*6.06*	*-41.28*	*436.10*	*-42.95*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*7.27*	*-4.75*	*13.56*	*11.36*	*8.19*

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

* *वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल नहीं है।*

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निवल आतंरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 10,141.31 करोड़ (695.65 प्रतिशत) की अचानक वृद्धि हुई। परन्तु इस वर्ष निवल आंतरिक ऋण गत वर्ष के ₹ 11,599.12 करोड़ की तुलना में गिर कर ₹ 5,464.12 करोड़ रह गया तथा वर्ष 2023-24 में निवल लोक ऋण प्राप्तियां 42.75 प्रतिशत (₹ 5,230.38 करोड़) घट गईं।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्व-कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं, के सन्दर्भ में किया जाता है।

पंद्रहवें वित्तायोग व बजट अनुमान/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी द्वारा किए गए प्राक्कलनों की तुलना में वर्ष 2023-24 में राज्य का वास्तविक स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15: 2023-24 के दौरान प्राक्कलनों की तुलना में कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

संघटक	15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन	वास्तविक	वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के प्राक्कलन से	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन से
स्व कर राजस्व	12,783	13,025.97	11,835.29	-7.41	-9.14
कर-भिन्न राजस्व	4,896	3,447.20	3,020.88	-38.30	-12.36

स्रोत: वित्त लेखे व बजट दस्तावेज़

राज्य सरकार का वास्तविक स्व-कर राजस्व पंद्रहवें वित्तायोग के प्राक्कलनों एवं बजट अनुमानों से क्रमशः 7.41 प्रतिशत व 9.14 प्रतिशत घट गया। कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक प्राप्तियां भी 15वें वित्त आयोग एवं बजट अनुमानों से क्रमशः 38.30 प्रतिशत व 12.36 प्रतिशत कम रही।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर इस प्रकार व्यय करने का ज़िम्मा सौंपा गया है कि राज्यों की सतत राजकोषीय सुधार/समेकन प्रक्रिया विकास के लिए किए जाने वाले व्यय के मूल्य पर न हो। व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय एवं स्थानीय निकायों व अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता के संबंध में संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में किया गया है।

व्यय की वृद्धि एवं संघटन

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत प्रभार, चलायमान व कार्य करने पर खर्च जो परिसंपत्तियों को चलायमान क्रम में बनाए रखने हेतु आवश्यक है, साथ ही स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन-प्रति-दिन चलाने हेतु अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय: परियोजना के प्रथम निर्माण के सभी प्रभार, साथ ही परियोजना परिचालित न होने के दौरान के मध्यावधि रखरखाव के प्रभार तथा ऐसे अतिरिक्त आवर्धन एवं संशोधन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संस्वीकृत किए जा सकते है, वे प्रभार भी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

ऋण एवं अग्रिम: सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य पार्टियों को दिए गए ऋण व अग्रिम।

समग्र व्यय एवं उसके घटकों की प्रवृत्ति **तालिका 2.16** व **चार्ट 2.9** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.16: कुल व्यय एवं उसके संघटक

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	**36,362.55**	**39,164.26**	**42,601.89**	**50,564.71**	**50,468.37**
राजस्व व्यय	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26	44,731.63
पूंजीगत व्यय	5,173.91	5,309.21	6,029.38	6,028.88	5,629.79
संवितरित ऋण व अग्रिम	458.21	320.12	377.97	110.57	106.95
वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,59,164	1,51,601	1,72,162[अ]	1,91,728[ब]	2,07,430[स]
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय	22.85	25.83	24.75	26.37	24.33
राजस्व व्यय	19.31	22.12	21.02	23.17	21.56
पूंजीगत व्यय	3.25	3.50	3.50	3.14	2.71
ऋण व अग्रिम	0.29	0.21	0.22	0.06	0.05

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

चार्ट 2.9: कुल व्यय: इसके संघटकों के अंश की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)

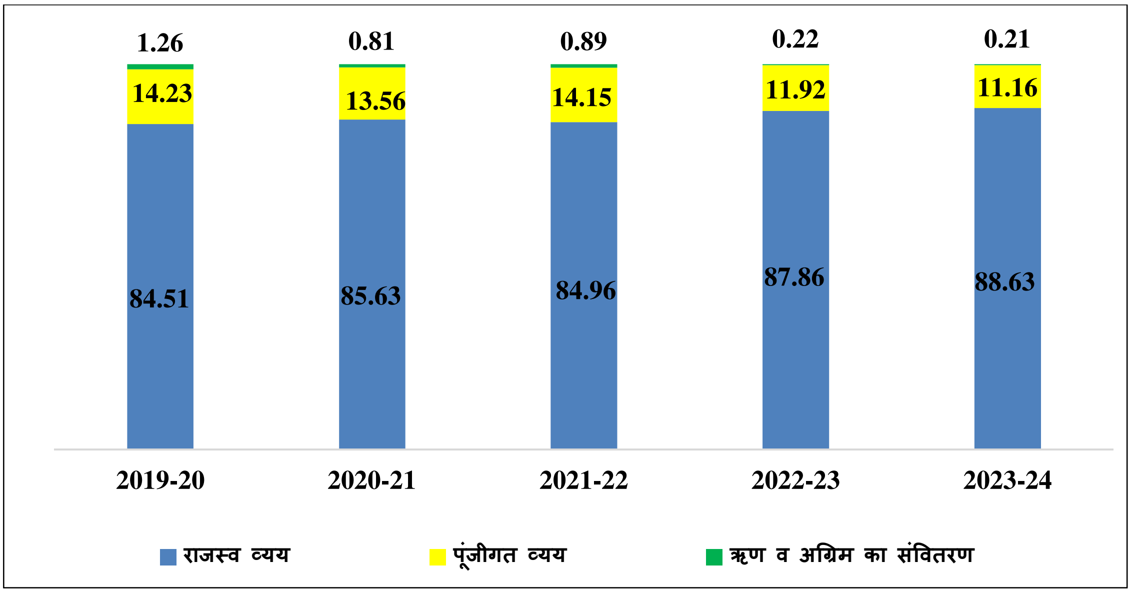

तालिका 2.16 दर्शाती है की कुल व्यय वर्ष 2019-20 के ₹ 36,362.55 करोड़ से ₹ 14,105.82 करोड़ (38.79 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 50,468.37 करोड़ हो गया, जो पांच वर्षों की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 22.85 प्रतिशत से 26.37 प्रतिशत के मध्य रहा। **चार्ट 2.9** दर्शाता है कि राजस्व व्यय कुल व्यय का बड़ा भाग (85 से 89 प्रतिशत) था। दूसरी ओर पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 11 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के मध्य था।

वर्ष 2019-24 के दौरान व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षित अंश **तालिका 2.17** व **चार्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षिक अंश

(₹ करोड़ में)

मानदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएं	12,538.94	13,623.80	14,289.39	18,060.65	19,503.14
सामाजिक सेवाएं	13,305.36	14,580.00	15,807.72	19,370.51	19,066.53
आर्थिक सेवाएं	10,049.77	10,630.97	12,119.10	13,016.89	11,791.75
स्थानीय निकायों को अनुदान	10.27	9.37	7.71	6.09	0.00
ऋण व अग्रिम	458.21	320.12	377.97	110.57	106.95

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 2.10: कुल व्यय- गतिविधियों से व्यय

(प्रतिशत में)

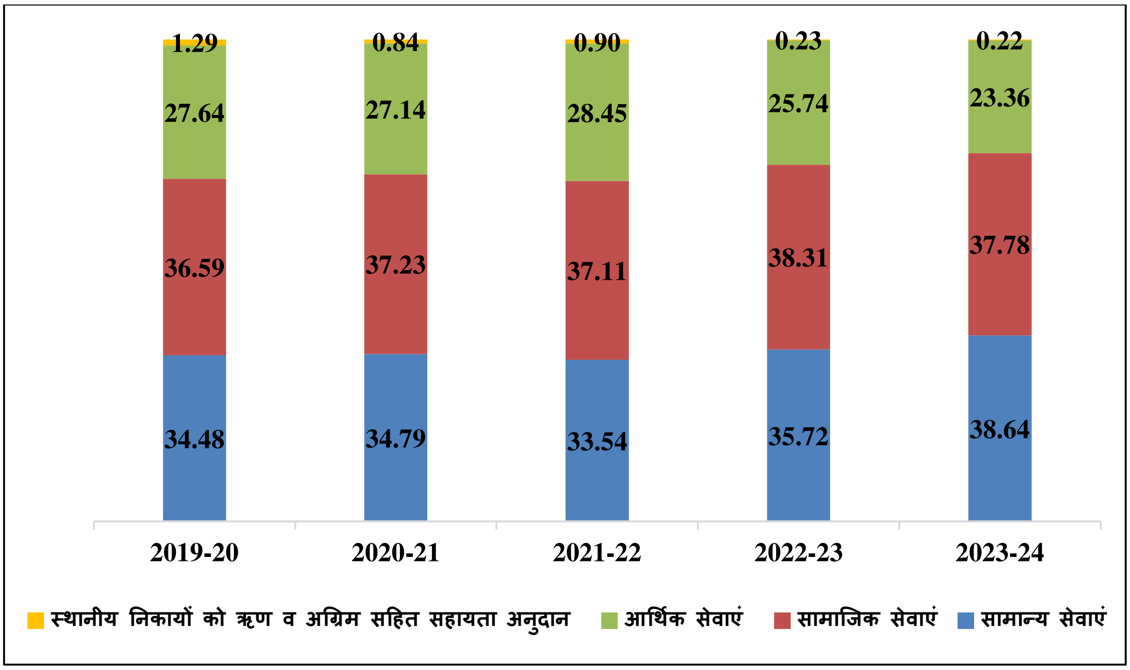

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 2.10 दर्शाता है कि वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान कुल व्यय में व्यय के विभिन्न घटकों के सापेक्षित अंश में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं व सामाजिक सेवाओं का अंश वर्ष 2019-20 के क्रमशः 34.48 प्रतिशत व 36.59 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में क्रमशः 38.64 प्रतिशत व 37.78 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि में आर्थिक सेवाओं का प्रतिशत 27.64 से घटकर 23.36 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 2.11 कार्य के आधार पर व्यय का संघटक दर्शाता है।

चार्ट 2.11: 2023-24 के दौरान कार्यानुसार व्यय के संघटक (प्रतिशत में)

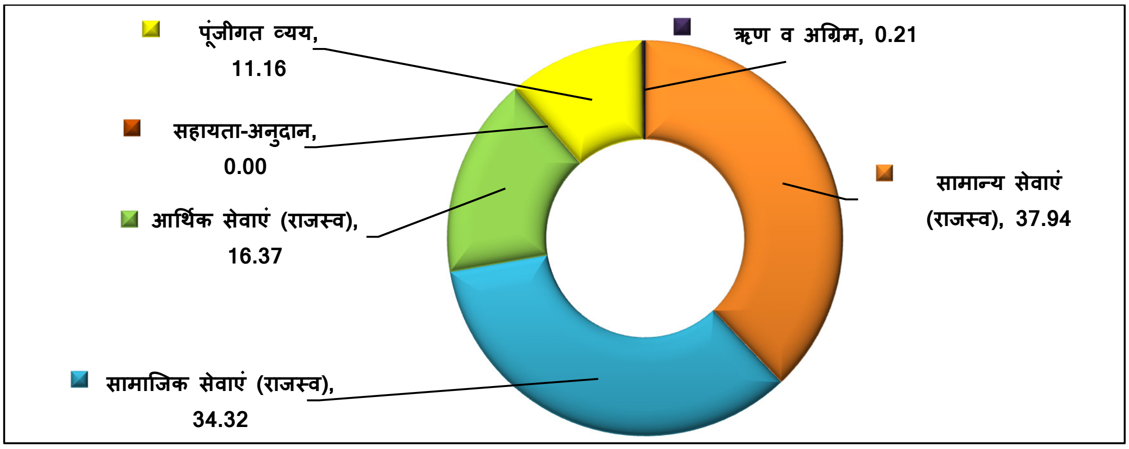

स्रोतः वित्त लेखे

2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछली देयताओं के भुगतान एवं वर्तमान सेवाओं के स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वैसे तो यह राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं करता। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से उसका अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में इसकी वृद्धि दर **तालिका 2.18** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.18: 2019-24 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	36,362.55	39,164.25	42,601.89	50,564.72	50,468.37
राजस्व व्यय	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26	44,731.63
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.38	9.13	7.93	22.74	0.69
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	84.51	85.63	84.96	87.86	88.63
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.31	22.12	21.02	23.17	21.56
राजस्व प्राप्तियां	30,742.41	33,438.27	37,309.30	38,089.50	39,173.04
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-0.67	8.77	11.58	2.09	2.84
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.31	22.06	21.67	19.87	18.88
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	99.96	100.29	97.01	116.63	114.19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,59,164.	1,51,601	1,72,162[अ]	1,91,728[ब]	2,07,430[स]
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.27	-4.75	13.56	11.36	8.19
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.60	--*	0.58	2.00	0.08
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	--*	1.04	0.69	10.88	0.24
स्व-कर राजस्व (अनुपात)	6.54	1.51	0.39	2.51	0.06

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

* *सकल राज्य घरेलू उत्पाद/राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि ऋणात्मक होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई।*

विगत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वर्ष 2019-24 के दौरान ₹ 14,001.20 करोड़ (45.56 प्रतिशत) एवं वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 306.37 करोड़ (0.69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वही दूसरी ओर वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ₹ 8,430.63 करोड़ (27.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 18.88 प्रतिशत रहा जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व व्यय का प्रतिशत 21.56 प्रतिशत रहा।

राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात जिसमें वर्ष 2021-22 (0.69) के दौरान सुधार हुआ था वह वर्ष 2022-23 (10.88) के दौरान बिगड़ गया था, जिसका मुख्य कारण वेतन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण राजस्व व्यय में वृद्धि थी। परन्तु इस वर्ष 2023-24 में इसमें पुनः सुधार (0.24 प्रतिशत) हुआ। वही दूसरी ओर राज्य के स्व-कर राजस्व के संदर्भ में राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2022-23 (2.51) को छोड़कर लगातार घटकर वर्ष 2019-20 में 6.54 व वर्ष 2023-24 में 0.06 हो गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान हुआ ₹ 44,731.63 करोड़ का राजस्व व्यय राज्य द्वारा उनके बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 42,704 करोड़) तथा 15वें वित्तायोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 34,033 करोड़) से अधिक था।

वर्ष 2023-24 के दौरान हुए राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण **चार्ट 2.12** में दिया गया है।

चार्ट 2.12: 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण

(प्रतिशत में)

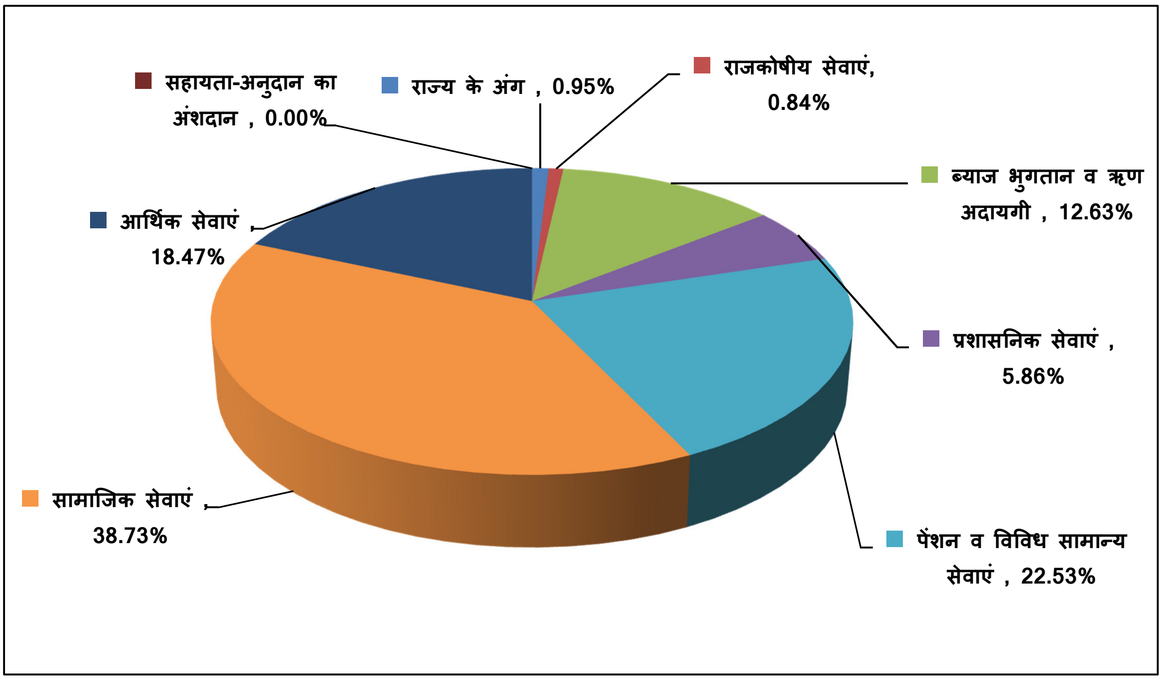

स्रोतः वित्त लेखे

2.4.1.1 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण परिवर्तन

वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय वर्ष 2021-22 के ₹ 36,194.54 करोड़ से ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ₹ 44,425.26 करोड़ हो गया। हालांकि वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 306.37 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में मुख्य लेखा शीर्षों के तहत हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन **तालिका 2.19** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.19: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2023-24	2022-23	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
2049-ब्याज भुगतान	5,648.37	4,828.64	819.73
2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10,055.85	9,283.87	771.98
2245- प्राकृतिक आपदाओं पर राहत	1,283.50	685.86	597.64
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,063.58	1,870.56	193.02
3055-सड़क परिवहन	746.83	562.53	184.30
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	633.79	1,168.98	-535.19
2202- सामान्य शिक्षा	7,949.26	8,459.54	-510.27
2401-फ़सल पालन	680.83	896.39	-215.56
2211-परिवार कल्याण	476.90	626.89	-149.99
2408-खाद्य, भंडारण व भण्डार	231.82	379.38	-147.56
2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2,428.82	2,534.58	-105.76
2505- ग्रामीण रोजगार	537.99	643.66	-105.67

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.19 दर्शाती है:

- 'पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' के तहत ₹ 771.98 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'अधिवर्षिता व सेवानिवृत्ति भत्ते' में ₹ 1,182.70 करोड़, 'पेंशन के परिवर्तित मूल्य' में ₹ 235.13 करोड़, 'पारिवारिक पेंशन' में ₹ 244.63 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जो कि हिमाचल प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के कारण 'सीमित अंशदान हेतु सरकारी अंशदान' में ₹ 939.50 करोड़ की कमी से समायोजित हुई।
- 'ब्याज भुगतान' के तहत ₹ 819.73 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से विगत वर्ष (2022-23) में राज्य सरकार द्वारा उसके खर्चों की पूर्ति हेतु बाजार से भारी मात्रा में ऋण लेने पर 'बाजार ऋण पर ब्याज' में ₹ 819.63 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 'प्राकृतिक आपदाओं से राहत' के अंतर्गत ₹ 597.64 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से

- 'क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार' में ₹ 238.39 करोड़ की वृद्धि तथा 'क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी व सीवरेज कार्य का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार' में ₹ 203.01 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' में हुई ₹ 535.19 करोड़ की गिरावट मुख्य रूप से 'ग्राम पंचायतों को सहायता' में ₹ 256.72 करोड़ एवं 'जिला परिषदों को सहायता' में ₹ 131.83 करोड़ की कमी के कारण हुई।
- 'सामान्य शिक्षा' में हुई ₹ 510.27 करोड़ की कमी 'सरकारी प्राथमिक विद्यालयों' में ₹ 366.52 करोड़ एवं 'सरकारी माध्यमिक विद्यालयों' में ₹ 301.89 करोड़ की कमी के कारण हुई, जो 'समग्र शिक्षा' में ₹ 102.30 करोड़ की वृद्धि से आंशिक रूप से समायोजित हुई।

2.4.1.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखाओं पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार होता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें सामान्यत: परिवर्तित या बदला नहीं जा सकता है अथवा सांविधिक रूप से वार्षिक आधार पर अपेक्षित है न कि परिवर्तनीय लेन-देन जैसे पूंजीगत व्यय आदि के लिए। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

(i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन एवं भत्तों हेतु स्थानीय निकायों को सांविधिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय हेतु हस्तांतरण/अंतरण)।

(ii) आरक्षित निधियों में अंशदान की सांविधिक आवश्यकताएं - समेकित ऋण शोधन निधि, प्रत्याभूति विमोच्य निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि आदि में अंशदान।

(iii) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति - वर्ष के भीतर प्रतिपूरित राशि।

(iv) आरक्षित निधि/अन्य निकाय में उपकर का अंतरण, जिसकी सांविधिक आवश्यकता है।

(v) प्राप्त केन्द्रीय निधि के प्रति केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश - राज्यांश की राशि एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरित की जाएगी/राज्य द्वारा खर्च की जाएगी।

(vi) सब्याज निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान जिसे निवेश किया जा सकता था तथा प्रभारित व्यय के रूप में लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान- ब्याज भुगतान।

प्रतिबद्ध व्यय में आरोही प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र हेतु लचीलापन कम हो जाता है। प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय एवं उसके संघटकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है तथा राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश **चार्ट 2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
वेतन एवं मजदूरी	11,742.23	11,903.67	12,192.52	15,850.87	15,352.58*
पेंशन पर व्यय	5,489.75	6,088.39	6,398.91	9,283.87	9,212.64
ब्याज भुगतान	4,234.02	4,472.45	4,640.79	4,828.64	5,648.37
योग	**21,466.00**	**22,464.51**	**23,232.22**	**29,963.38**	**30,213.59**
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	38.20	35.60	32.68	41.61	39.19
पेंशन पर व्यय	17.86	18.21	17.15	24.37	23.52
ब्याज भुगतान	13.77	13.38	12.44	12.68	14.42
योग	**69.83**	**67.19**	**62.27**	**78.67**	**77.13**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	38.21	35.50	33.69	35.68	34.32
पेंशन पर व्यय	17.86	18.16	17.68	20.90	20.60
ब्याज भुगतान	13.78	13.34	12.82	10.87	12.63
योग	**69.85**	**66.99**	**64.19**	**67.45**	**67.54**
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	9,264.43	11,070.42	12,962.32	14,461.88	14,518.04
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	30.15	33.01	35.81	32.55	32.46
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	25.48	28.27	30.43	28.60	28.77
अनम्य व्यय के घटक					
स्थानीय निकायों को सांविधिक हस्तांतरण	882.52	1,046.42	858.21	1,223.85	1,309.76
आरक्षित निधि में अंशदान	28.70	45.00	35.80	38.40	40.20
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0
आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण	116.53	105.71	132.16	174.94	199.84
प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंश का अंशदान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	580.09	578.73	487.62
सब्याज निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान जिसे निवेश किया जा सकता था तथा प्रभारित व्यय के रूप में लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान- ब्याज भुगतान	अनुपलब्ध	0.06	0.47	3.73	11.36
कुल अनम्य व्यय	**1,027.75**	**1,197.19**	**1,606.73**	**2,019.65**	**2,048.78**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय	3.34	3.57	4.44	4.55	4.58
सब्सिडी	1,067.78	1,240.63	1,187.99	1,973.32	1,768.35
अप्रतिबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	11.53	11.21	9.16	13.64	12.18

**वेतन: ₹ 15,046.97 करोड़, मजदूरी: ₹ 305.61 करोड़*

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, पीएफएमएस एवं राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी।

तालिका 2.20 दर्शाती है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में लगातार वृद्धि हुई। विगत वर्ष (2021-22) की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6,731.16 करोड़ (28.97 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। परन्तु विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2023-24) में प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 250.21 करोड़ (0.84 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान वेतन, मजदूरी व पेंशन में क्रमशः ₹ 498.29 करोड़ व ₹ 71.23 करोड़

की गिरावट हुई। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में 64 से 70 प्रतिशत एवं राजस्व प्राप्तियों में 62 से 79 प्रतिशत के मध्य तक का बड़ा हिस्सा रहा। राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्तियों से प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी का बड़ा हिस्सा होने से विकास गतिविधियों हेतु राज्य सरकार के पास कम लचीलापन रहता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2019-24 के दौरान राजस्व व्यय में अप्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत 30 प्रतिशत से 36 प्रतिशत के बीच अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान अप्रतिबद्ध व्यय में सब्सिडी का अनुपात नौ प्रतिशत से लेकर 14 प्रतिशत तक था।

चार्ट 2.13: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश

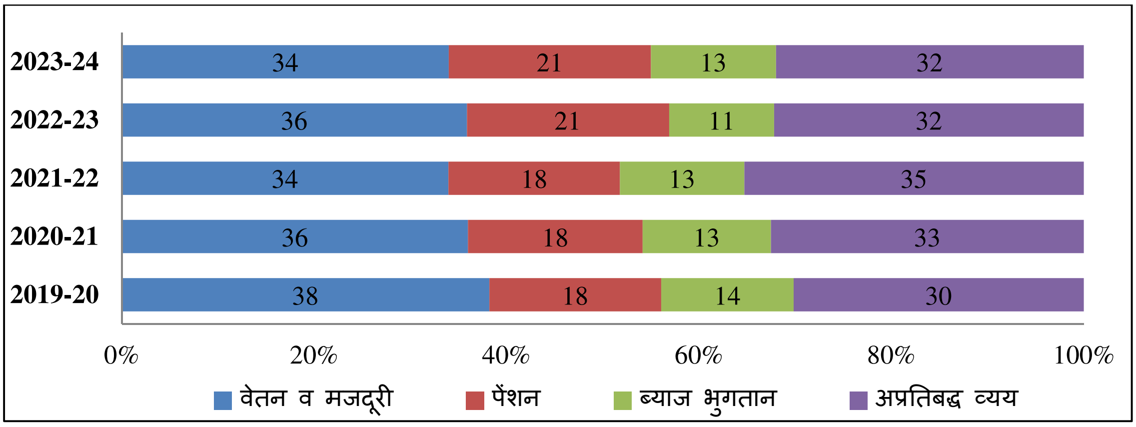

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2019-20 के ₹ 11,742.23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 15,352.58 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें ₹ 498.29 करोड़ (3.14 प्रतिशत) की गिरावट हुई जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 39.19 प्रतिशत व राजस्व व्यय का 34.32 प्रतिशत रहा। विगत वर्ष (2022-23) के दौरान वेतन एवं मजदूरी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि मुख्यतः दिनांक 01.01.2016 से लागू छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कारण वेतनमान, पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं बकाया संशोधित होने के कारण हुई। इस वर्ष कर्मचारियों को बकाया का भुगतान नहीं किया गया। इसके कारण वेतन व पेंशन में आई कमी ने राज्य सरकार पर आगामी वर्षों के लिए देयता स्थानांतरित कर दी। वेतन पर व्यय (₹ 15,352.58 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 14,099.52 करोड़) में बनाए गए प्राक्कलनों से काफी अधिक रहा।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान वर्ष 2019-20 के ₹ 4,234.02 करोड़ से 33.40 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 5,648.37 करोड़ हो गया एवं विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में ₹ 819.73 करोड़ (16.98 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्तियों का 14.42 प्रतिशत एवं राजस्व

व्यय का 12.63 प्रतिशत व्यय हुआ। बाजार ऋण (₹ 3,491.09 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज (₹ 1,284.16 करोड़) ब्याज भुगतान के प्रमुख घटक बने रहे। ब्याज भुगतान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 5,562.01 करोड़) से थोड़ा अधिक रहा।

पेंशन

राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय वर्ष 2019-20 के ₹ 5,489.75 करोड़ से 67.82 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 9,212.64 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें ₹ 71.23 करोड़ (0.77 प्रतिशत) की कमी आई। वर्तमान वर्ष में पेंशन भुगतान पर व्यय (₹ 9,212.64 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलित व्यय (₹ 7,709.19 करोड़) से काफी अधिक रहा।

(i) राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न करना

15 मई 2003 से या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं जो एक सीमित (परिभाषित) अंशदान योजना है। इस योजना की शर्तों में कर्मचारी उनके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से 10 प्रतिशत की भागीदारी करते हैं तथा राज्य सरकार मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत (1 अप्रैल 2019 से प्रभावी) का अंशदान करती है; तथा सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए मुख्य शीर्ष-2071-लघु शीर्ष 117 के अंतर्गत सरकार का अंशदान ₹ 93.73 करोड़ एवं कर्मचारी का अंशदान ₹ 66.33 करोड़ था। इसमें एआईएस (अखिल भारतीय सेवा) अधिकारियों का अंशदान भी शामिल था। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 सीमित अंशदान पेंशन योजना[2] के अंतर्गत लोक लेखा में ₹ 159.90 करोड़ (कर्मचारी अंश ₹ 66.33 करोड़ व सरकार का अंश ₹ 93.57 करोड़) हस्तांतरित किए। सीमित अंशदान पेंशन योजना में मुख्य शीर्ष-8342-117 (₹ 93.57 करोड़) के तहत दर्शाया गया सरकारी अंशदान मुख्य शीर्ष 2071-01-117 (₹ 93.73 करोड़) के अंतर्गत दर्शाई गई राशि से भिन्न है, क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त अभिदाताओं (सब्सक्राइबर) को गत माह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान का सीधा भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शेष राशि के विलंबित हस्तांतरण पर सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) ग्राहकों पर प्रयोज्य ब्याज दरों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अतः राज्य सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित

[2] स्रोत: वित्त लेखा 2023-24 की टिप्पणियों का परिच्छेद 5(i)

नहीं की गई राशि (वित्त लेखाओं के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को ₹ 17.39 करोड़) पर ₹ 1.19 करोड़ (जीपीएफ को देय ब्याज के अनुसार 7.10 प्रतिशत की दर परिकलित ब्याज) की ब्याज देयता सृजित की। यह राजस्व अधिशेष व राजकोषीय घाटे की इस सीमा तक न्यूनोक्ति में भी परिणत हुआ, जैसाकि **परिच्छेद 1.6** में टिप्पणी की गई है।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारी अंश की प्राप्तियों, सरकारी अंशदान, उस पर अर्जित ब्याज एवं पांच वर्ष की पेंशन निधि में निवेश का विवरण **तालिका 2.21** में दिया गया है।

तालिका 2.21: सीमित अंशदान पेंशन प्रणाली के तहत हुए अंशदान व निवेश का विवरण (अवधि 2019-20 से 2023-24)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्ति				संवितरण	अल्प हस्तांतरण(-)/ अधिक हस्तांतरण(+)
	कर्मचारी अंश	सरकारी अंशदान	ब्याज	कुल	(पेंशन निधि में हस्तांतरित)	
1.	2.	3.	4.	5. (2+3+4)	6.	7.=6-5
2019-20	348.72	471.30	कर्मचारी व नियोक्ता का अंशदान सीआरए-नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड निवेशित करती है एवं निवेश में कोई ब्याज घटक नहीं है क्योंकि निवेश पर एनएवी है।	820.02	820.02	-निरंक-
2020-21	395.86	552.00		947.86	947.86	
2021-22	470.26	655.99		1,126.25	1,126.25	
2022-23	746.10	1,033.09		1,779.19	1,779.19	
2023-24	67.10	93.59		160.69	160.59	

स्रोतः राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी

यद्यपि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या एफआईएन (पेन) ए (3)-1/2023, दिनांक 04.05.2023 के तहत 01.04.2023 से सीमित अंशदान आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस ले कर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, जो निश्चित लाभ प्रदान करती है।

इस संदर्भ में राज्य सरकार ने सूचित किया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के कारण राज्य के खजाने पर पड़ने वाले प्रत्याशित वित्तीय प्रभाव एवं राजकोषीय बोझ/देयता के निपटानार्थ कोई पृथक पेंशन निधि नहीं बनाई गई है। इसकी पूर्ति राज्य के अपने संसाधनों से की जाएगी तथा भारत सरकार/पीएफआरडीए के पास रखे अंश का उपयोग भी भविष्य की पेंशन देयताओं की आंशिक पूर्ति हेतु किया जाएगा।

अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के संघटक, जिसमें स्थानीय निकायों को दिए गए सांविधिक हस्तांतरण एवं आरक्षित निधि में अंशदान शामिल है, उनमें वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान

निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 3.34 प्रतिशत से बढ़कर 4.58 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनम्य व्यय (₹ 2,048.78 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 2,019.65 करोड़) की तुलना में 1.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.1.3 सब्सिडी

तालिका 2.22 वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान सब्सिडी पर व्यय को दर्शाती है। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सब्सिडी में ₹ 204.97 करोड़ (10.39 प्रतिशत) की गिरावट हुई। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य एवं आपूर्ति तथा विद्युत परियोजनाओं को दी जाने वाली सब्सिडी में क्रमशः ₹ 126.30 करोड़ तथा ₹ 110.74 करोड़ की कमी के कारण हुई।

तालिका 2.22: 2019-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी *(₹ करोड़ में)*	1,067.78	1,240.63	1,187.99	1,973.32	1,768.35
विद्युत पर सब्सिडी *(₹ करोड़ में)*	400.00	520.45	419.99	1,044.03	933.29
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.47	3.71	3.18	5.18	4.51
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.47	3.70	3.28	4.44	3.95
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	2.94	3.17	2.79	3.90	3.50
राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	*	1,283.50	*	31.15	31.81
कुल सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में विद्युत सब्सिडी	37.46	41.95	35.35	52.91	52.78

स्रोतः वित्त लेखे

* *राज्य के पास राजस्व अधिशेष होने के कारण गणना नहीं की गई।*

पांच वर्ष की अवधि (2019-20 से 2023-24) के दौरान विद्युत सब्सिडी 35.35 प्रतिशत से 52.91 प्रतिशत के मध्य रही जो कुल सब्सिडी का बड़ा हिस्सा थी। वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व घाटे में कुल सब्सिडी का योगदान 31.81 प्रतिशत रहा।

2.4.1.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों व अन्य संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से प्रदत्त सहायता **तालिका 2.23** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.23: स्थानीय निकायों व अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	456.22	814.58	800.71	903.04	970.76
पंचायती राज संस्थाएं	1,053.39	1,176.07	1,148.28	1,753.44	1,193.24
कुल (क)	**1,509.61**	**1,990.65**	**1,948.99**	**2,656.48**	**2,164.00**
अन्य					
शिक्षा संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	1,020.83	944.59	1,031.74	1,157.21	1,208.67
विकास प्राधिकरण	99.16	238.37	331.69	330.42	337.65
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	439.71	458.23	673.60	671.32	446.70
अन्य संस्थान	437.17	931.27	994.78	1031.51	935.19
कुल (ख)	**1,996.87**	**2,572.46**	**3,031.81**	**3,190.46**	**2,928.21**
कुल (क+ख)	**3,506.48**	**4,563.11**	**4,980.80**	**5,846.94**	**5,092.21**
वेतन पर सहायता-अनुदान	1,324.53	1,507.74	1,687.79	1,736.31	1,771.45
पूंजीगत संपत्तियों के सृजन पर सहायता-अनुदान	844.73	1,039.73	833.26	1,376.62	911.05
अवैतनिक पर सहायता-अनुदान	1,337.25	2,015.70	2,459.75	2,734.01	2,409.71
वस्तु रूप में दिया गया सहायता-अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई				
राजस्व व्यय	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26	44,731.63
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता	11.41	13.61	13.76	13.16	11.38

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी

वर्तमान वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता विगत वर्ष की तुलना में ₹ 754.73 करोड़ (12.91 प्रतिशत) कम रही। यह कमी मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं (₹ 560.20 करोड़: 31.95 प्रतिशत), अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 224.62 करोड़: 33.46 प्रतिशत) को दी जाने वाली सहायता में कमी के कारण हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन के उद्देश्यार्थ दी गई वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन एवं अवैतनिक उद्देश्यार्थ दी गई सहायता गत वर्ष की तुलना में कम हो गई। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ दिए गए सहायता-अनुदान में ₹ 465.57 करोड़ (33.82 प्रतिशत) की तथा अवैतनिक सहायता-अनुदान में ₹ 324.30 करोड़ (11.86 प्रतिशत) की गिरावट हुई।

वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता **तालिका 2.24** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.24: वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता

(₹ करोड़ में)

प्राप्तकर्ता	योजना का नाम	राशि
2202-निदेशक, उच्च शिक्षा, शिमला	सर्व शिक्षा अभियान	609.21
2505-ग्रामीण रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	511.45
3055-सड़क परिवहन	परिवहन सेवाओं के लिए सहायता	320.55
2211-परिवार कल्याण	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रावधान	271.18
2217-शहरी विकास	नगर निगम शिमला को अनुदान	160.06
2202-वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को सहायता-अनुदान	152.20
2217-शहरी विकास	स्मार्ट सिटी मिशन शिमला	149.50
2415- कृषि एवं अनुसंधान शिक्षा	डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय सोलन को सहायता-अनुदान	134.84
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	120.00
2216-आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	115.80

2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी संपत्तियों के निर्माण पर हुआ व्यय है। केंद्र व राज्य दोनों में पूंजीगत व्यय की पूर्ति बजटीय सहायता एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बजट से इतर उधारी से की जा रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-24 में राज्य के पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.14** में दी गई है।

चार्ट 2.14: 2019-24 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

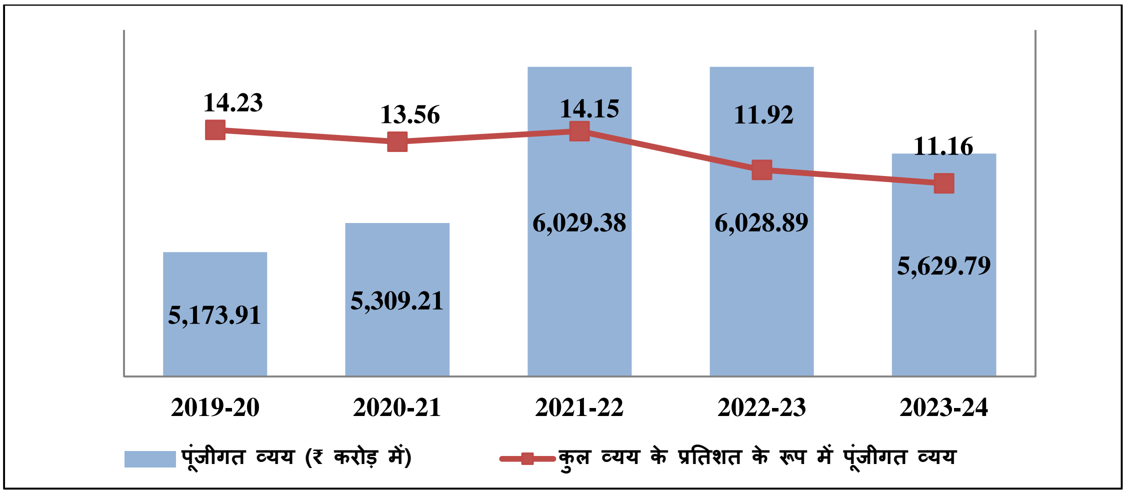

चार्ट 2.14 दर्शाता है कि विगत पांच वर्षों की अवधि में पूंजीगत व्यय में उतार-चढ़ाव रहा। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें ₹ 399.10 करोड़ (6.62 प्रतिशत) की गिरावट हुई। विगत दो वर्षों में पूंजीगत व्यय में न केवल निरपेक्ष रूप से बल्कि कुल व्यय के अनुपात में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। गिरावट की यह प्रवृत्ति भविष्य की आर्थिक वृद्धि के

लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। पांच वर्ष की विगत अवधि (2019-24) में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का मात्र 11 प्रतिशत से 14 प्रतिशत रहा।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों के निर्माणार्थ ₹ 5,005.39 करोड़ का सहायता-अनुदान भी दिया, जिसे राजस्व व्यय का हिस्सा माना गया है (जैसाकि **तालिका 2.23** में दर्शाया गया है)।

2.4.2.1 पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन **तालिका 2.25** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.25: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	21.68	315.82	294.14
4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	812.04	1,022.97	210.93
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	411.24	300.30	-110.94
5054- सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	2,178.22	2,065.12	-113.10
4851- ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	198.28	72.09	-126.19
4210- चिकित्सा व जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	551.64	295.67	-255.97

- विगत वर्ष की तुलना में नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय में हुई वृद्धि मुख्य रूप से 'एयरोड्रोम' के तहत ₹ 193.40 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय में हुई वृद्धि मुख्य रूप से 'विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं' के अंतर्गत ₹ 155.20 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में चिकित्सा व जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय में हुई गिरावट मुख्य रूप से 'एलोपैथी' के अंतर्गत ₹ 203.77 करोड़ की कमी के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय में हुई गिरावट मुख्य रूप से 'अन्य व्यय' में ₹ 111.86 करोड़ की कमी के कारण हुई।

2.4.2.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह प्रभाग वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(i) कंपनियों, निगमों व अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

घाटे में चल रही एवं पूर्ण समाप्त नेटवर्थ वाली कंपनियों तथा निगमों में दिए गए निवेश व दिए गए ऋण पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में

निवेशित शेयर पूंजी में निवेश पर प्रतिफल एवं विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों की अदायगी का वृत्तांत पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं।

नवीनतम वित्तीय लेखाओं के अनुसार वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर राज्य के 28 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 5,899.78 करोड़ थी, जिसमें राज्य सरकार का निवेश (इक्विटी) ₹ 4,140.62 करोड़ (70.18 प्रतिशत) **(परिशिष्ट 2.3)** था।

राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यथा एक निष्क्रिय व एक परिसमापनाधीन को छोड़कर), जिनमें राज्य सरकार के ₹ 4,038.33 करोड़ निदेशित थे, का सकल संचित घाटा ₹ 6,454.47 करोड़ **(परिशिष्ट 2.4)** था।

राज्य के उपरोक्त 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो कर ऋणात्मक हो गया था। 31 मार्च 2024 तक राज्य के इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ (उनके अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार) ₹ 2,354.75 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष (-)₹ 3,347.44 करोड़ था। राज्य के इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई थी, में से दो में 31 मार्च 2024 तक बकाया सरकारी ऋण ₹ 3,089.90 करोड़ था **(परिशिष्ट 2.4)**।

(ii) निवेश एवं प्रतिफल

कंपनियों, निगमों एवं सहकारी बैंकों व संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्ति, सरकारी उधार की लागत एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर **तालिका 2.26** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: निवेश एवं निवेश पर प्रतिफल का विवरण

निवेश/ प्रतिफल/ उधार लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	4,261.06	4,562.40	4,913.00	5,333.57	5,524.23
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	248.44	245.43	166.53	180.90	191.17
प्रतिफल (प्रतिशत)	5.83	5.38	3.39	3.39	3.46
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.98	7.59	7.51	6.74	6.88
उधारों पर ब्याज की औसत दर एवं प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	-2.15	-2.21	-4.12	-3.35	-3.42
सरकारी उधारों पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर के कारण सांकेतिक हानि (₹ करोड़ में)#	91.61	100.83	202.42	178.67	188.93

स्रोत: वित्त लेखे

 # वर्ष की समाप्ति पर निवेश x ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर

वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹ 191.17 करोड़ (3.46 प्रतिशत) था। वर्ष 2019-24 के दौरान इन निवेशों का प्रतिफल 3.39 प्रतिशत से 5.83 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा उसकी उधारी पर चुकाए गए ब्याज की औसत दर 6.74 प्रतिशत से 7.98 प्रतिशत के मध्य थी। 31 मार्च 2024 तक कुल ₹ 5,524.23 करोड़ के

निवेश में से ₹ 4,737.81 करोड़ (85.76 प्रतिशत) का निवेश पांच[3] कंपनियों में था। वर्ष 2023-24 के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम का योगदान कुल प्रतिफल का 97.68 प्रतिशत (₹ 186.74 करोड़) था। विगत पांच वर्षों में सरकारी उधार की लागत एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए निवेश के प्रतिफल के मध्य ₹ 762.46 करोड़ का अंतर था।

(iii) सरकारी निवेशों का कंपनियों के लेखाओं से मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश के आंकड़े राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों से मिलने चाहिए। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं तथा राज्य सरकार के वित्त लेखाओं में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। दोनों लेखाओं की संवीक्षा से उजागर हुआ कि राज्य के 28 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के रूप में किया गया सरकारी निवेश वित्त लेखाओं के अनुसार ₹ 4,270.37 करोड़ था जबकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अभिलेखों में यह ₹ 4,160.32 करोड़ था। इनमें ₹ 110.05 करोड़ का अंतर पाया गया **(परिशिष्ट 2.5)**। अंतर को स्पष्ट करने के लिए समयबद्ध तरीके से मिलान किया जाए।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रास्थिति एवं विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा उसके उधारों पर ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियां **तालिका 2.27** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 2.27: 2019-24 के दौरान संवितरित एवं वसूली किए गए ऋणों की प्रमात्रा का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियों/उधार लागत की प्रमात्रा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋण का अथ शेष*	6,953.33	7,390.49	7,687.59	8,024.83	8,052.62
वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से दी गई राशि	458.21	320.12	377.97	110.57	106.95
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	21.03	23.02	40.73	82.79	27.40
बकाया ऋण का अंत शेष *	**7,390.49**	**7,687.59**	**8,024.83**	**8,052.62**	**8,132.18**
निवल योग	437.17	297.10	337.24	27.78	79.55
प्राप्त ब्याज	135.11	248.98	97.72	15.44	47.65
सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम पर ब्याज दर (प्रतिशत)	1.94	3.37	1.24	0.19	0.59
गत वर्ष की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	7.80	7.19	6.91	6.99	6.87
चुकाए गए ब्याज की दर एवं प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	5.86	3.82	5.64	6.80	6.28

स्रोतः वित्त लेखे

** 2016-17 के बाद से उदय योजना के अंतर्गत डिस्कोम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अथ व अंत शेष में शामिल है।*

[3] सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,098.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 424.50 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (₹ 1,024.71 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 869.64 करोड़) और हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 1,320.82 करोड़)।

वर्ष 2023-24 के दौरान विगत वर्ष के ₹ 110.57 करोड़ के सापेक्ष ₹ 106.95 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई। ऋण का बड़ा भाग ₹ 98.35 करोड़ (91.96 प्रतिशत) केवल विद्युत क्षेत्र को दिया गया। वर्ष के प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र पर ₹ 7,743.37 करोड़ का ऋण बकाया था। विगत 10 वर्षों में विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पूर्ववर्ती ऋणों की चुकौती नहीं की गई थी। फिर भी पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना विद्युत क्षेत्र को निरंतर और ऋण दिए जा रहे हैं।

वर्तमान वर्ष (2023-24) के दौरान मात्र ₹ 27.40 करोड़ की वसूली हुई, जिसका बड़ा भाग (₹ 21.49 करोड़ अर्थात् 78.43 प्रतिशत) सहकारी समितियों से संबंधित था।

(v) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी की प्रवृत्तियों का आकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी दर्शाता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तथा राज्य को लंबे समय तक अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण व ब्याज देयताओं की चुकौती के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती हैं। वर्ष 2023-24 तक पूर्ण की जाने वाली अपूर्ण परियोजनाओं का आयु-वार एवं विभाग-वार विवरण क्रमशः **तालिका 2.28 व 2.29** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.28: 31 मार्च 2024 तक अपूर्ण कार्यों की आयु रुपरेखा (₹ करोड़ में)

प्रारंभ होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2024 तक)
2015 तक	15	600.77	564.69
2016	4	112.95	95.87
2017	5	54.70	20.00
2018	8	55.29	46.97
2019	2	19.13	16.71
2021	3	29.82	7.95
2022	5	53.54	33.04
2023	8	136.94	68.94
2024	1	24.86	4.00
योग	**51**	**1,088.00**	**858.17**

तालिका 2.29: 31 मार्च 2024 तक अपूर्ण कार्यों की विभाग-वार रुपरेखा (₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2024 तक)
सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य	27	752.75	679.97
लोक निर्माण (सड़क व पुल)	24	335.25	178.20
योग	**51**	**1,088.00**	**858.17**

स्रोत: वित्त लेखे

51 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 858.17 करोड़ व्यय होने के बावजूद अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। 51 अपूर्ण परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं, जिन पर 31.03.2024 तक ₹ 564.69 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं, वे वर्ष 2015 से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

परियोजनाएं पूरी करने में हुआ विलम्ब न केवल व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अपितु राज्य को अभीष्ट लाभ और आर्थिक विकास से वंचित भी करता है।

2.4.2.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

सार्वजनिक-निजी भागीदारी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार या सांविधिक इकाई एवं किसी निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक साझेदारी कार्य-रूपरेखा की व्यवस्था है। 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं (पूर्ण, प्रक्रियाधीन व योजनाबद्ध) के विवरण **परिच्छेद 2.6** में तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के क्षेत्र-वार विवरण **तालिका 2.30** में दिए गए हैं।

तालिका 2.30: सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रक्रियाधीन		योजनाबद्ध	
		संख्या	अनुमानित लागत*	संख्या	अनुमानित लागत*	संख्या	अनुमानित लागत*
1.	शहरी अवसंरचना	7	124.00	9	383.00	3	--
2.	ऊर्जा	36	14,456.00	12	4,881.41	47	5,123.11
3.	सामाजिक	4	115.00	0	0	0	0
4.	पर्यटन	3	177.00	6	680.00	3	--
5.	अन्य	0	0	4	13.00	2	--
योग		**50**	**14,872.00**	**31**	**5,957.41**	**55**	**5,123.11**

स्रोत: विभागीय आंकड़ें

** जिन परियोजनाओं की लागत ज्ञात नहीं है, उन्हें अनुमानित लागत में शामिल नहीं किया गया है।*

2.4.3 व्यय प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर में अभिवृद्धि हेतु राज्य को मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उसके व्यय को बढ़ाना आवश्यक होता है। यदि सम्बंधित राष्ट्रीय औसत से आबंटन कम है, तो इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष से न्यून राजकोषीय प्राथमिकताएं (समग्र व्यय के सापेक्ष किसी श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) जुड़ी है। कुल व्यय के सापेक्ष इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.31 वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष लेते हुए वर्ष 2023-24 के दौरान समग्र व्यय, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संदर्भ में उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के साथ राज्य सरकार की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.31: 2019-20 एवं 2023-24 में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य (2019-20)	26.21	14.94	17.08	6.37
हिमाचल प्रदेश (2019-20)	22.85	15.49	17.43	6.34
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य (2023-24)	25.19	17.61	15.93	6.43
हिमाचल प्रदेश (2023-24)	24.33	11.37	16.47	6.34

टिप्पणी: पूंजीगत व्यय में ऋण व संवितरित अग्रिम शामिल है।

तालिका 2.31 दर्शाती है कि:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय वर्ष 2019-20 के 22.85 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 24.33 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों में यह वर्ष 2019-20 के 26.21 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2023-24 में 25.19 प्रतिशत हो गया।

- पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति निर्माण की सुविधा प्रदान करता है जिससे उच्च विकास के अवसर पैदा होते हैं। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2019-20 के 15.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 11.37 प्रतिशत हो गया। परन्तु उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों में यह अनुपात इसी अवधि के दौरान 14.94 प्रतिशत से बढ़कर 17.61 प्रतिशत हो गया।

- वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश के कुल व्यय में शिक्षा का अनुपात वर्ष 2019-20 के 17.43 प्रतिशत से घट कर 16.47 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों हेतु भी यह अनुपात 17.08 प्रतिशत से 15.93 प्रतिशत घट गया।

- वर्ष 2019-20 व 2023-24 के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुल व्यय में स्वास्थ्य का अनुपात स्थिर रहा जबकी इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के मामले में यह 6.37 प्रतिशत से थोड़ा बढ़ कर 6.43 प्रतिशत हो गया।

2.4.4 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वस्तु शीर्ष-वार व्यय वस्तु/व्यय के प्रयोजन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 हेतु वस्तु शीर्ष-वार व्यय का विवरण **चार्ट 2.15** में दिया गया है।

चार्ट 2.15: वस्तु शीर्ष-वार व्यय

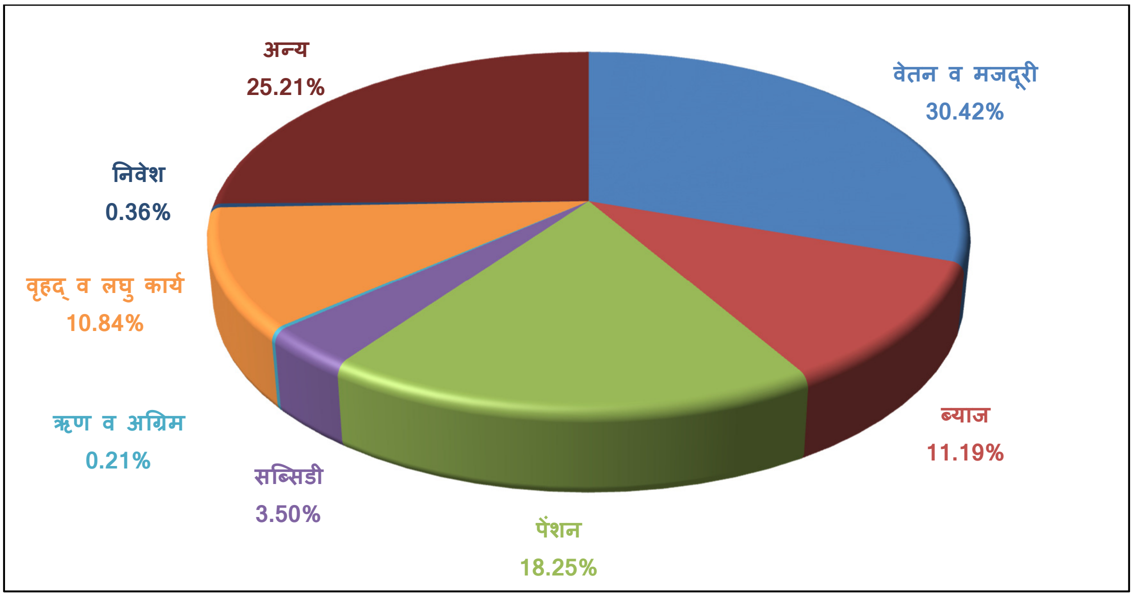

स्रोत: वित्त लेखे

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है। इनके संदर्भ में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा का घटक-वार निवल शेष **तालिका 2.32** में दिया गया है तथा लोक लेखा की शेष राशि के संगठन में आया वार्षिक परिवर्तन **चार्ट 2.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.32: लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

प्रभाग	उप प्रभाग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आई.- लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	15,537.13	16,522.64	17,006.28	17,682.25	19,337.57
	कुल (आई)	**15,537.13**	**16,522.64**	**17,006.28**	**17,682.25**	**19,337.57**
जे.- आरक्षित निधि	(क) सब्याज आरक्षित निधि	1,887.65	1,882.54	1,657.90	1,664.27	1,969.07
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	834.66	834.66	316.00	270.44	310.70
	कुल (जे)	**2,722.31**	**2,717.20**	**1,973.90**	**1,934.71**	**2,279.77**
के.- निक्षेप एवं अग्रिम	(क) सब्याज निक्षेप	-1.64	7.66	14.30	17.39	16.50
	(ख) ब्याज रहित निक्षेप	3,382.45	3,454.50	3,412.87	3,591.61	3,629.99

प्रभाग	उप प्रभाग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	(ग) अग्रिम	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
	कुल (के)	**3,380.30**	**3,461.65**	**3,426.66**	**3,608.49**	**3,645.98**
	(क) उचंत	-1,330.44	-1,539.83	-292.98	224.94	265.28
	(ख) अन्य लेखे	-982.25	-1,696.28	-2,568.27	-3,645.37	-1,458.00
एल.- उचंत एवं विविध	(ग) विदेशी सरकारों के साथ लेखे	--	--	--	--	0.00
	घ) विविध	--	--	--	--	0.00
	कुल (एल)	**-2,312.69**	**-3,236.11**	**-2,861.25**	**-3,420.43**	**-1,192.72**
एम.- प्रेषण	(क) मनीआर्डर एवं अन्य प्रेषण	612.45	546.02	653.51	494.02	620.18
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन लेखे	-6.16	-4.11	-0.01	-0.06	0.07
	कुल (एम)	**606.29**	**541.91**	**653.50**	**493.96**	**620.25**
सकल योग		**19,933.34**	**20,007.29**	**20,199.09**	**20,298.98**	**24,690.85**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.16: लोक लेखा शेष के संघटन में आया वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

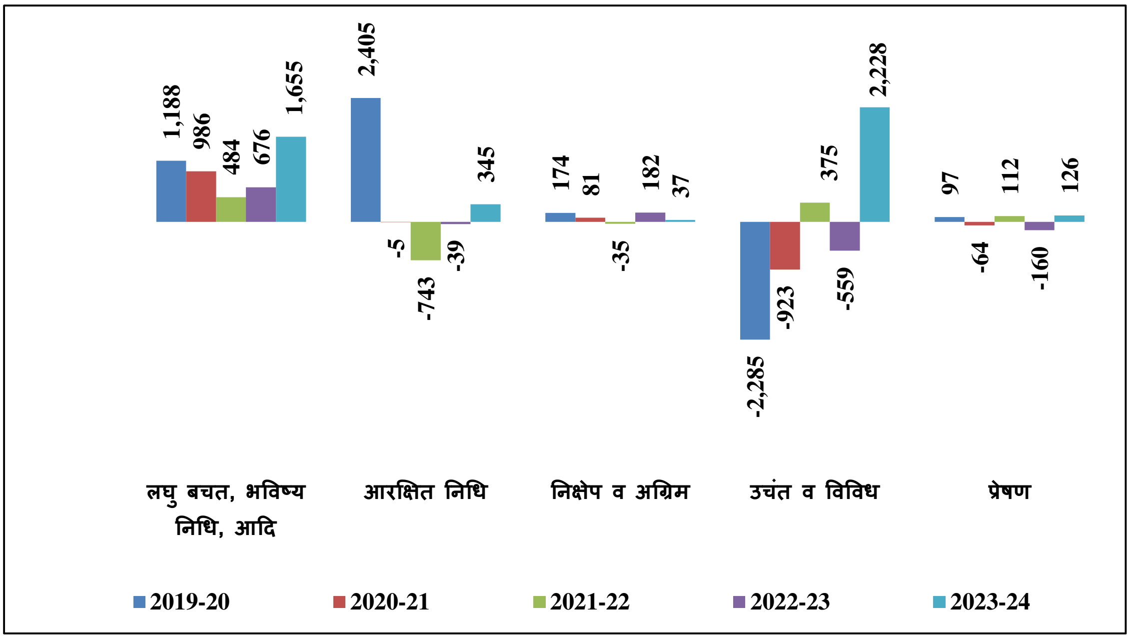

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.5.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती है। इन निधियों को समेकित निधि या बाहरी एजेंसियों से योगदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। यह सब्याज आरक्षित निधियों एवं ब्याज रहित आरक्षित निधियों से मिलकर बनती है।

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखाओं की **विवरणी 21** व **22** में उपलब्ध है। 31 मार्च 2024 तक तीन सब्याज आरक्षित निधियां एवं चार ब्याज रहित आरक्षित निधियां थीं। 31 मार्च 2024 तक इन आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि **तालिका 2.33** में दी गई है।

तालिका 2.33: आरक्षित निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2024 तक बकाया शेष
क	**सब्याज आरक्षित निधियां**	**1,969.07**
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	58.15
2	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष	1,867.46
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	43.46
ख	**ब्याज रहित आरक्षित निधियां**	**310.69**
1	औद्योगिक विकास निधि	0.16
2	विद्युत विकास निधि	254.32
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	56.22
4	उपभोक्ता कल्याण	--*
सकल योग		**2,279.76**

स्रोत: वित्त लेखे

* *मात्र ₹ 0.07 लाख*

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की शर्तानुसार राज्य सरकारों को बकाया देयताओं के निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि सृजित करना अपेक्षित था। राज्यों द्वारा इच्छा आधार पर अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2006 द्वारा परिचालित आदर्श समेकित ऋण शोधन निधि योजना के अनुसार, राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना था।

उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक 31 मार्च 2023 तक की बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत का अंशदान करना अपेक्षित था। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की बकाया देयताएं ₹ 82,177.21 करोड़ थी। इस प्रकार वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार को निधि में न्यूनतम ₹ 410.89 करोड़ (₹ 82,177.21 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) राशि का अंशदान अपेक्षित था।

यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया।

2.5.2.2 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के सृजन की संस्तुति की, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि शामिल होंगे। राज्य

आपदा जोखिम प्रबंधन निधि हेतु कुल राज्य आवंटन को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में विभाजित किया जाएगा, जो मिलकर आपदा प्रबंधन आवश्यकताओं- प्रतिक्रिया व राहत, सुधार व पुनर्निर्माण, तैयारी व क्षमता निर्माण एवं शमन के सम्पूर्ण चक्र का समाधान करेंगे। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को कुल राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का 80 प्रतिशत प्राप्त होगा, जबकि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को आबंटन का 20 प्रतिशत मिलेगा।

(क) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से तत्कालीन आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में परिवर्तित कर दिया था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशानुसार (सितंबर 2010, जुलाई 2015 व जनवरी 2022) इस निधि में केंद्र एवं राज्य सरकारों से 90:10 के अनुपात में अंशदान करना अपेक्षित था। इस अंशदान को लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष-2245 को संचालित कर व्यय किया जाता है।

राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश से अर्जित आय को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि के साथ केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, नीलामी किए गए कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अन्य सब्याज निक्षेपों में निवेश किया जाना है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत हेतु व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए, आपदा की तैयारी, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण एवं शमन के प्रावधान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधियों आदि में शामिल करना होगा।

वित्त लेखाओं के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार को केंद्रांश के रूप में ₹ 360.80 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्यांश ₹ 40.00 करोड़ रहा। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत निधि में ₹ 401.00 करोड़ {केंद्रांश ₹ 360.80 करोड़, राज्यांश ₹ 40.20 करोड़ (₹ 0.20 करोड़ का अतिरिक्त अंतरण वर्ष 2021-22 से संबंधित है)} अंतरित किया।

इसके अतिरिक्त राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए केंद्र सरकार से ₹ 787.25 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष 8235-125 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत कोष में जमा/स्थानांतरित कर दिया गया।

31 मार्च 2023 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की ₹ 55.55 करोड़ की शेष राशि का भी राज्य सरकार ने निवेश नहीं किया। यदि इस शेष राशि का निवेश किया जाता तो ₹ 11.36 करोड़ {8.50 प्रतिशत की दर से परिकलित ब्याज (वर्ष 2022-23 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम की 6.50 औसत दर के साथ दो प्रतिशत)} का ब्याज अर्जित होता, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष व राजकोषीय घाटे की इस सीमा तक न्यूनोक्ति होती।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर प्रभारित व्यय का विवरण **तालिका 2.34** में दिया गया है।

तालिका 2.34: 2023-24 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	व्यय
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि।	101- निःशुल्क राहत	48.22
	102- पेयजल आपूर्ति	0.60
	106- क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत और बहाली	448.35
	109- क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति, जल निकासी व सीवरेज कार्यों की मरम्मत और बहाली	346.75
	111- शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	77.21
	113- आवासों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता	39.13
	193- स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	141.62
	कुल	**1,101.88**
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901- कटौती - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त राशि	-1,145.40

स्रोत: वित्त लेखे

(ख) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का गठन किया जाता है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि दिशानिर्देशों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या एफआईएन-जी-सी (2) 05/2022, दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (सब्याज प्रभाग के अंतर्गत आने वाले मुख्य शीर्ष-'8121 सामान्य व अन्य आरक्षित निधि' के तहत) का सृजन किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 42.80 करोड़ राज्यांश के रूप में प्राप्त किए। वर्ष के दौरान राज्यांश ₹ 4.80 करोड़ था। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत निधि में ₹ 95.20 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 85.60 करोड़ {2022-23

(31 मार्च 2023 को प्राप्त): ₹ 42.80 करोड़ व 2023-24: ₹ 42.80 करोड़}, राज्यांश ₹ 9.60 करोड़ (2022-23 (31 मार्च 2023 को प्राप्त): ₹ 4.80 करोड़ व 2023-24: ₹ 4.80 करोड़) अंतरित किए।

₹ 93.78 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष 2245 में समायोजित की गई क्योंकि व्यय की पूर्ति निधि से की गई थी तथा निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई थी। 31 मार्च 2024 तक निधि में ₹ 43.46 करोड़ का अंत शेष था।

2.5.2.3 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

जारी किए गए बांड एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा लिए गए अन्य उधारों के संदर्भ में तथा लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार द्वारा जारी की गई गारंटी के कारण उत्पन्न भुगतान देयताओं को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति विमोच्य निधि का गठन किया जाता है। निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान पर ही किया जाता है तथा उन संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी। राज्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट योजना परिचालित की (अगस्त 2001) जिसके अनुसार राज्य सरकार से चालू वित्त वर्ष से पूर्व के द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित था, जैसा की प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में दर्शाए गए थे। यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक प्रत्याभूति विमोच्य निधि स्थापित नहीं की।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर बकाया गारंटी राशि ₹ 1,744.81 करोड़ थी। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य निकाय द्वारा भुगतान चूकने की स्थिति में राज्य सरकार को प्रत्याभूत विमोच्य निधि के अभाव में अन्य उपलब्ध संसाधनों से व्यय वहन करना होगा, जिससे वित्त पर अधिक दबाव पड़ेगा। हालांकि बकाया गारंटी राज्य की विगत वर्ष (2022-23) की कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.58 प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित गत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत लक्ष्य की सीमा के भीतर रही।

2.5.2.4 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष

प्रतिपूरक वनीकरण के संचालन, सहयोगकृत प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियां और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों हेतु प्राप्त राशि के प्रबंधन एवं एकत्रित धन के उपयोग हेतु राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष का सृजन अपेक्षित था। इस कोष के तहत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नवम्बर 2018 में जारी किए गए।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई राशि प्राप्त नहीं की। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप से ₹ 308.30 करोड़ (गत वर्ष कोई राशि नहीं) प्राप्त हुए। सरकार ने कोष से ₹ 61.55 करोड़ का व्यय किया एवं वर्ष के दौरान कोई राशि निवेश नहीं की गई। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 हेतु देय ₹ 54.03 करोड़ का ब्याज मुख्य शीर्ष 8121-129- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष के अंतर्गत कोष को चुका दिया है।

31 मार्च 2024 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष में कुल शेष ₹ 1,867.46 करोड़ था।

2.5.2.5 केन्द्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि

भारत सरकार की दिनांक 31.03.2018 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि कर दिया गया। केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं के विकास एवं रखरखाव, रेलवे की सुरक्षा में सुधार, राज्य व ग्रामीण सड़कों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं इत्यादि हेतु किया जाएगा।

मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया की शर्तानुसार केंद्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को आरम्भ में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाएं। तदोपरांत राज्य सरकार इस प्रकार प्राप्त राशि को लोक लेखा में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष (शीर्षों) के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8449-103- केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढांचा से सब्सिडी निधि में हस्तांतरित करती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि में ₹ 136.32 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया। राज्य सरकार ने लोक लेखा की निधि में ₹ 136.32 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी तक निधि का सृजन नहीं किया गया। हालांकि वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय शीर्ष से केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि पर ₹ 148.04 करोड़ खर्च किए।

2.5.3 उचंत एवं विविध

वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा उचंत से ₹ 21.58 करोड़ राशि का निपटान किया गया एवं ₹ 5.73 करोड़ वाउचर/चालान/स्वीकृति पत्र आदि जैसे दस्तावेजों के अभाव में उचंत [मुख्य शीर्ष 8658, लघु शीर्ष 110-रिज़र्व बैंक उचंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय] के अंतर्गत बकाया रहे। सरकार के कुल व्यय में इस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान विगत वर्षों की आपत्ति बही उचंत की ₹ 40.07 करोड़ राशि (राजस्व व्यय ₹ 34.94 करोड़ व पूंजीगत व्यय ₹ 5.13 करोड़) को मंजूरी दे दी गई। इस प्रकार वर्ष 2023-24 के बजट प्रावधानों के प्रति वित्त लेखाओं के राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय एवं विनियोजन लेखाओं के वास्तविक व्यय में इस सीमा तक अत्योक्ति हुई।

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष राशि को दर्शाते हैं। 31 मार्च 2024 तक उचंत व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि ₹ 885.53 करोड़ (क्रेडिट) थी [31 मार्च 2023 तक ₹ 718.90 करोड़ (क्रेडिट)], जिसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट व क्रेडिट शेष को अलग-अलग जोड़कर निकाला गया था।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का निपटान न होना राज्य सरकार के प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों व विभिन्न लेखा शीर्षों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) के अंतर्गत शेष राशि की सटीकता को प्रभावित करता है।

2.6 लोक देयता प्रबंधन

लोक देयता प्रबंधन सरकार की देयताओं के प्रबंधन हेतु निधियन की आवश्यक मात्रा, इसके जोखिमों एवं लागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु, जो सरकार अधिनियम अथवा अन्य वार्षिक बजट उद्घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, के लिए रणनीति स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि हेतु समग्र बकाया देयता की वर्षवार स्थिति **चार्ट 2.17** में दी गई है।

चार्ट 2.17: 2019-24 के दौरान समग्र बकाया देयता का विवरण

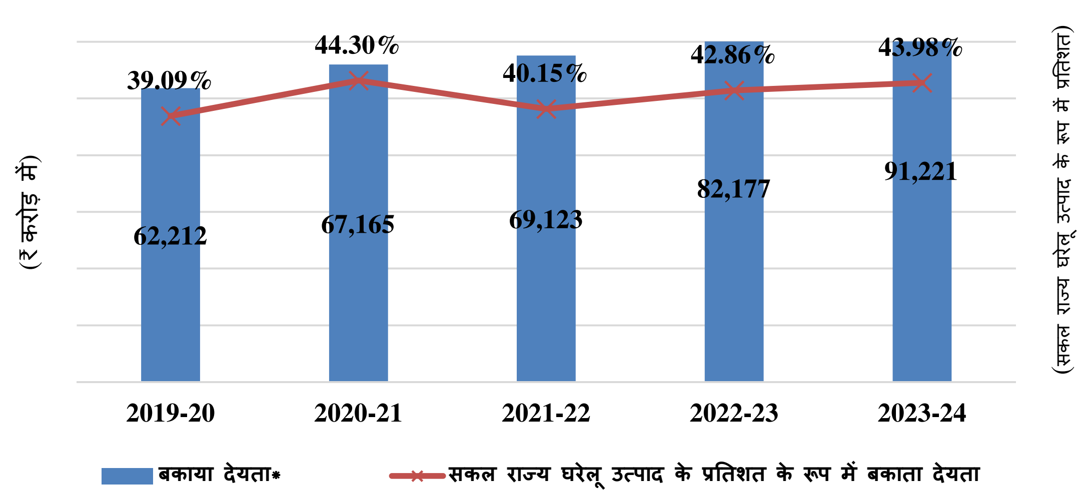

* *कुल बकाया देयताएं एवं कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात की गणना, वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के लिए वस्तु व सेवा कर में क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर की गई है।*

2.6.1 देयता रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार की कुल देयता राज्य के आतंरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति व वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से मिलकर बनती हैं।

वर्ष 2023-24 हेतु राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएं **चार्ट 2.18** में प्रस्तुत की गई हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि में राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां **तालिका 2.35** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.35: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय देयता के घटक		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	31 मार्च 2024 तक समग्र बकाया देयता* (1+2)		**62,211.84**	**67,164.75**	**69,122.58**	**82,177.21**	**91,220.73**
1.	***लोक ऋण***	**(क) आतंरिक ऋण**	**39,527.77**	**42,918.21**	**44,376.03**	**55,975.16**	**61,439.29**
		(ख) भारत सरकार से प्राप्त ऋण	**1,043.81**	**1,544.54**	**4,056.19**	**2,976.09**	**4,517.61**
2.	**लोक लेखा देयताएं**		**21,640.26**	**22,702.00**	**22,407.36**	**23,225.96**	**25,263.83**
	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि		*15,537.13*	*16,522.64*	*17,006.28*	*17,682.25*	*19,337.57*
	सब्याज आरक्षित निधियां		*1,887.65*	*1,882.54*	*1,657.90*	*1,664.27*	*1969.07*
	ब्याज रहित आरक्षित निधियां		*834.66*	*834.66*	*316.00*	*270.44*	*310.70*
	सब्याज निक्षेप		*-1.63*	*7.66*	*14.30*	*17.39*	*16.50*
	ब्याज रहित निक्षेप		*3,382.45*	*3,454.50*	*3,412.88*	*3,591.61*	*3,629.99*
3.	**बकाया कुल देयता की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)**		14.57	7.96	2.91	18.89	11.00
4.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**		1,59,164	1,51,601	1,72,162[अ]	1,91,728[ब]	2,07,430[स]
5.	**कुल देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)**		39.09	44.30	40.15	42.86	43.98
	उधार एवं अन्य देयताएं (वित्त लेखा की विवरणी 6 के अनुसार)						
6.	**कुल लोक लेखा प्राप्तियां**		10,847.39	15,032.21	6,639.75	22,371.82	14,901.51
7.	**कुल लोक ऋण चुकौतियां**		6,700.75	11,141.05	4,387.28	10,135.80	7,895.87
8.	**उपलब्ध निवल निधियां (6-7)**		4,146.64	3,891.16	2,252.47	12,236.02	7,005.64
9.	**चुकौतियाँ/ प्राप्तियां (प्रतिशत) (7/6)**		61.77	74.11	66.08	45.31	52.99
10.	**निवल लोक लेखा प्राप्तियां**		2,458.27	787.97	1,063.80	1,176.99	2,204.49
11.	**कुल उपलब्ध ऋण (8+10)**		6,604.91	4,679.13	3,316.27	13,413.01	9,210.13

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* *वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए वस्तु व सेवा कर में क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।*

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान।

वर्ष 2023-24 में राज्य की कुल बकाया देयता 46.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती हुई वर्ष 2019-20 के ₹ 62,211.84 करोड़ से ₹ 29,008.89 करोड़ बढ़कर ₹ 91,220.73 करोड़ हो गई। पांच वर्षों (2019-24) की अवधि में राज्य के आंतरिक ऋण (जिसमें मुख्यतः खुले बाजार से लिए गए बकाया दीर्घकालिक ऋण, वर्ष 2016-17 के दौरान उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के कार्यान्वयन की अनुपालना में राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के ऋणों को चुकाने हेतु जारी बांड शामिल हैं) में ₹ 21,911.52 करोड़ (55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; भारत सरकार से ऋण

(जिसमें मुख्य रूप से ब्लॉक ऋण शामिल हैं) में ₹ 3,473.80 करोड़ (333 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; तथा लोक लेखा देयता (जिसमें मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, आदि शामिल हैं) में ₹ 3,623.57 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों से ऋण चुकौती का प्रतिशत 45.31 प्रतिशत व 74.11 प्रतिशत (औसतन 60 प्रतिशत) के मध्य रहा। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार ने ऋण प्राप्तियों के केवल 40 प्रतिशत (औसत) का उपयोग विकासात्मक गतिविधियों पर किया (2022-23 व 2023-24 में ऋण प्राप्तियों का उपयोग राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु भी किया गया)।

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल देयता विगत वर्ष के 18.89 प्रतिशत (₹ 13,054.63 करोड़) की तुलना में 11 प्रतिशत (₹ 9,043.52 करोड़) बढ़ गई। पांच वर्ष की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता का अनुपात 39.09 प्रतिशत से 44.30 प्रतिशत के मध्य रहा। कुल देयता/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (43.98 प्रतिशत) 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों (36.80 प्रतिशत) तथा उसके बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों (38.98 प्रतिशत) से काफी अधिक था।

वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया कुल देयताओं का विवरण **चार्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18: 31 मार्च 2024 की समाप्ति पर बकाया कुल देयताओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

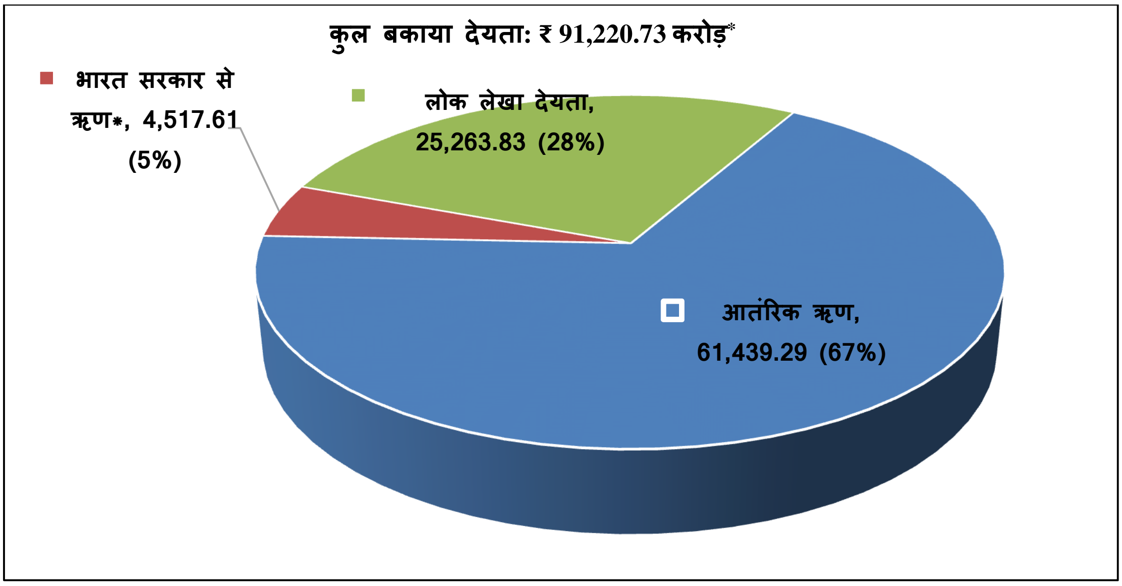

* *वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।*

चार्ट 2.19 पांच वर्ष की अवधि अर्थात् वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में चुकाए गए ऋण की मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 2.19: लिए गए एवं चुकाए गए आतंरिक ऋण के वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

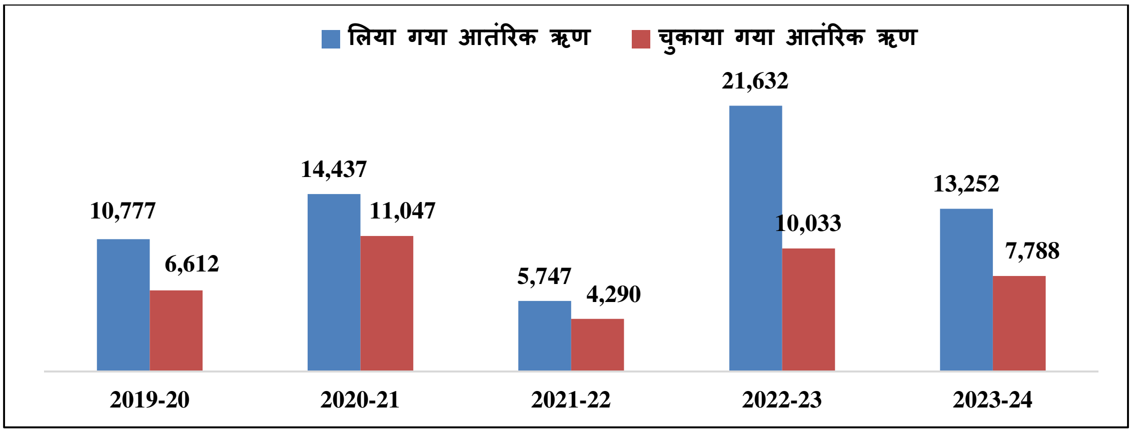

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

पांच वर्ष (2019-24) की अवधि में राज्य सरकार के आंतरिक ऋण (प्राप्तियां) में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने अधिक मात्रा में ऋण (₹ 21,632 करोड़) अर्जित किया। परन्तु चालू वर्ष के दौरान ऋण की राशि ₹ 8,380 करोड़ घट कर ₹ 13,252 करोड़ हो गई।

तालिका 2.36 वर्ष 2019-24 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण पैटर्न को दर्शाती है तथा वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण को एक चार्ट **(चार्ट 2.20)** के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उसका वित्तपोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटे के संघटक		5,597.06	-5,700.09	-5,244.85	-12,379.83	-11,265.73
क	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	11.98	-96.66	1,114.76	-6,335.76	-5,558.59
ख	निवल पूंजीगत व्यय	-5,171.87	-5,306.33	-6,022.37	-6,016.30	-5,627.59
ग	निवल ऋण व अग्रिम	-437.17	-297.10	-337.25	-27.78	-79.55
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न						
1	बाजारी उधार	4,460.00	3755	1,874.99	1,2230	6,144.9
2	भारत सरकार से प्राप्त ऋण	-17.95	2,217.73*	3,489.87*	636.90	1,541.52
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	-569.10	-569.10	-569.10	-569.10	-569.10
4	वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	273.69	204.54	151.92	-61.78	-111.68
5	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,187.60	985.51	483.65	675.96	1,655.33
6	निक्षेप एवं अग्रिम	173.71	81.35	-34.99	181.83	37.49
7	उचंत व विविध	-1,404.92	-209.39	1,246.84	517.93	40.33
8	प्रेषण	96.80	-64.38	111.59	-159.55	126.29
9	आरक्षित निधियां	2,404.71	-5.11	-743.30	-39.18	345.05
10	**समग्र घाटा**	6,604.54	6,396.15	6,011.47	13,413.01	9,210.13
11	नकद शेष में वृद्धि (-)/ गिरावट (+)	-1,007.48	-696.06	-766.62	-1033.18	2,055.60
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**5,597.06**	**5,700.09**	**5,244.85**	**12,379.83**	**11,265.73**

स्रोत: वित्त लेखे

ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरित/जारी किए गए का कुल है।

* *वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) शामिल है।*

चार्ट 2.20: 2019-24 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

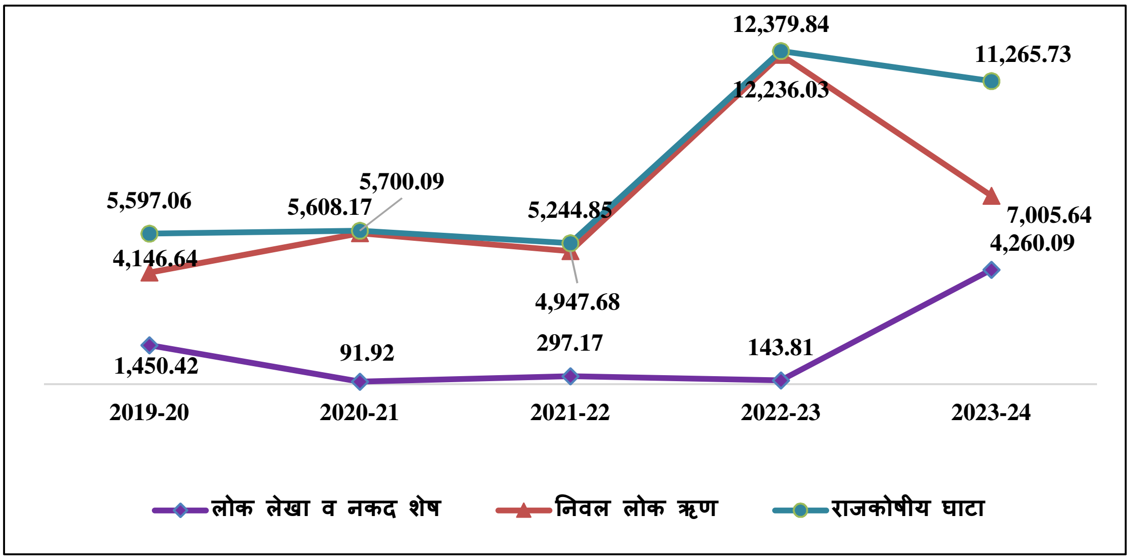

वर्ष 2023-24 में ₹ 11,265.73 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से लोक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जिसमें बाजार उधार, वित्तीय संस्थानों से ऋण तथा लघु बचत आदि सहित लोक लेखा शामिल थे, जैसाकि **तालिका 2.37** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजारी उधार	8,072.00	1,927.10	6,144.90
2	भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,649.15	107.63	1,541.52
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	569.10	-569.10
4	वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	799.99	911.67	-111.68
5	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	4,794.75	3,139.42	1,655.33
6	निक्षेप एवं अग्रिम	4,071.13	4,033.64	37.49
7	उचंत व विविध	1,401.15	1,360.82	40.33
8	प्रेषण	9,076.55	8,950.26	126.29
9	आरक्षित निधियां	1,645.78	1,300.73	345.05
10	**समग्र घाटा**	**31,510.50**	**22,300.37**	**9,210.13**
11	नकद शेष में वृद्धि/ गिरावट	3,556.04	1,500.44	2,055.60
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**35,066.54**	**23,800.81**	**11,265.73**

स्रोत: वित्त लेखे

2.6.2 ऋण रुपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी

ऋण परिपक्वता एवं अदायगी रुपरेखा ऋण चुकाने में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है। राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा **तालिका 2.38** व **चार्ट 2.21** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.38: राज्य के लोक ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

अदायगी अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)			प्रतिशत (कुल लोक ऋण के संदर्भ में)
	लोक ऋण (मूल)	ब्याज#	कुल लोक ऋण (मूल + ब्याज)	
0-1	3,946.98	4,578.12	8,525.10	8.71
1-3	9,119.37	8,261.25	17,380.62	17.77
3-5	9,309.94	6,903.10	16,213.04	16.57
5-7	10,333.58	5,514.66	15,848.24	16.20
7-10	12,921.79	5,521.29	18,443.08	18.85
10 से अधिक	16,740.51	4,679.38	21,419.89	21.90
योग	**62,372.17***	**35,457.79**	**97,829.96**	

स्रोत: वित्त लेखे

* *इस राशि में वस्तु व सेवा कर में क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से 2020-21 व 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़, "पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना" के तहत ऋण के भुगतान के रूप में ₹ 1,333 करोड़, पूंजी निवेश के लिए राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना के रूप में ₹ 2,166.77 करोड़, 1984-85 से पहले के ऋणों से संबंधित ₹ 0.13 करोड़ एवं ₹ 84.77 करोड़ तथा ₹ 5.80 लाख की परिपक्वता जोकि अनिश्चित है, को शामिल नहीं किया गया है।*

\# *7.34 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर परिकलित अनुमानित ब्याज (विगत पांच वर्षों की ब्याज दरों का औसत तालिका 2.39 में दिया गया है)।*

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च 2024 तक ब्याज सहित ₹ 97,829.96 (मूलधन: ₹ 62,372.17 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 35,457.79 करोड़) के कुल बकाया लोक ऋण में से 8.71 प्रतिशत (₹ 8,525.10 करोड़) अगले एक वर्ष में देय है; 17.77 प्रतिशत (₹ 17,380.62 करोड़) अगले एक से तीन वर्ष में देय है (2026-27 तक); 16.57 प्रतिशत (₹ 16,213.04 करोड़) अगले तीन से पांच वर्षों (2028-29 तक); 16.20 प्रतिशत (₹ 15,848 करोड़) अगले पांच से सात वर्षों में (2030-31 तक); 18.85 प्रतिशत (₹ 18,443.08 करोड़) अगले सात से 10 वर्षों में (2033-34 तक) देय है, जबकि शेष 21.90 फीसदी (₹ 21,419.89 करोड़) का भुगतान 10 वर्षों के बाद करना होगा। अगले पांच वर्षों (वर्ष 2028-29 तक) के दौरान लोक ऋण अदायगी व ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 8,423.75 करोड़ होगा जबकि ब्याज सहित लोक ऋण (मूलधन) की चालू वार्षिक अदायगी (वर्ष 2023-24) ₹ 7,808.40 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर) है, जो ऋण देयताओं को पूरा नहीं कर पाएंगी।

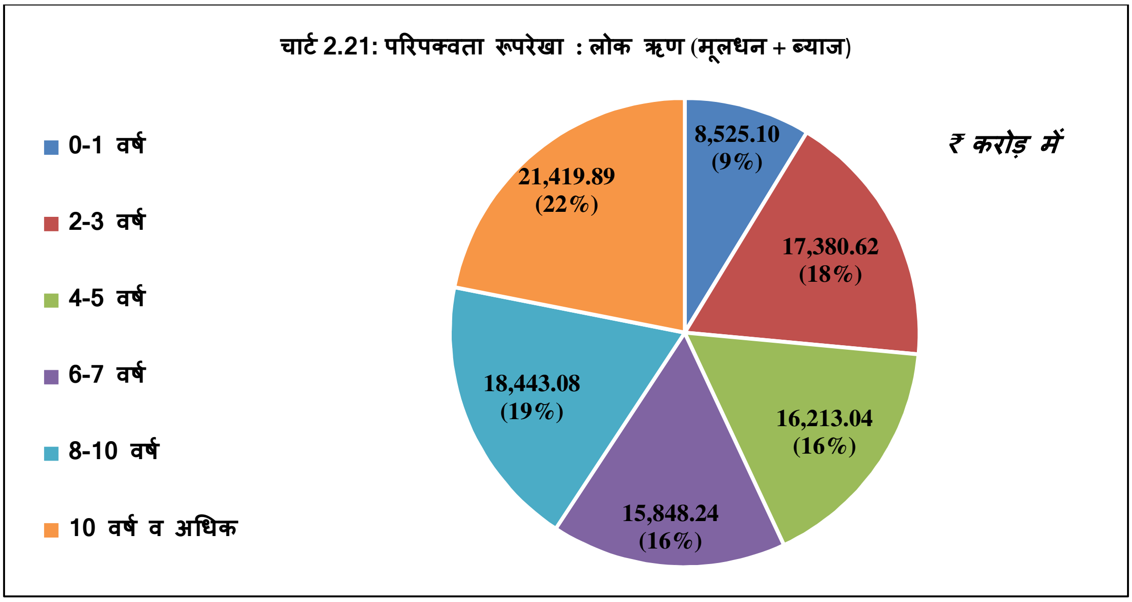

आगामी 10 वर्षों के दौरान अर्थात् 2033-34 तक बकाया लोक ऋण (ब्याज सहित) की वर्ष-वार अदायगी समयसारणी **चार्ट 2.22** में दी गई है।

चार्ट 2.22: आगामी 10 वर्षों के दौरान अर्थात् 2033-34 तक बकाया लोक ऋण (ब्याज सहित) की वर्ष-वार अदायगी समयसारणी *(₹ करोड़ में)*

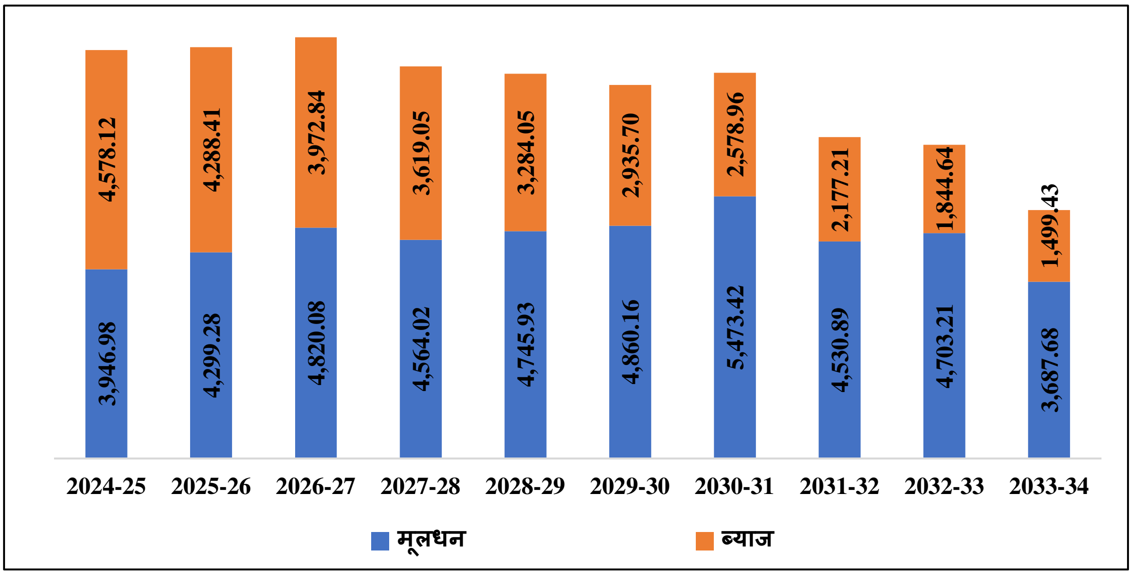

उपरोक्त **चार्ट 2.22** से स्पष्ट है कि वर्ष 2032-33 तक राज्य को औसतन ₹ 7,641.01 करोड़ का लोक ऋण वार्षिक रूप से चुकाना होगा। वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया ऋण के अतिरिक्त राज्य को संसाधन अंतराल को भरने के लिए हर वर्ष और उधारों का सहारा लेना होगा।

बाजार उधार/ऋण

बाजार ऋण एवं उस पर चुकाए जाने वाले ब्याज की पुनर्भुगतान समय-सारणी **चार्ट 2.23** में राशि विवर्णित है।

चार्ट 2.23: बाजार ऋणों की अदायगी समय-सारणी

(₹ करोड़ में)

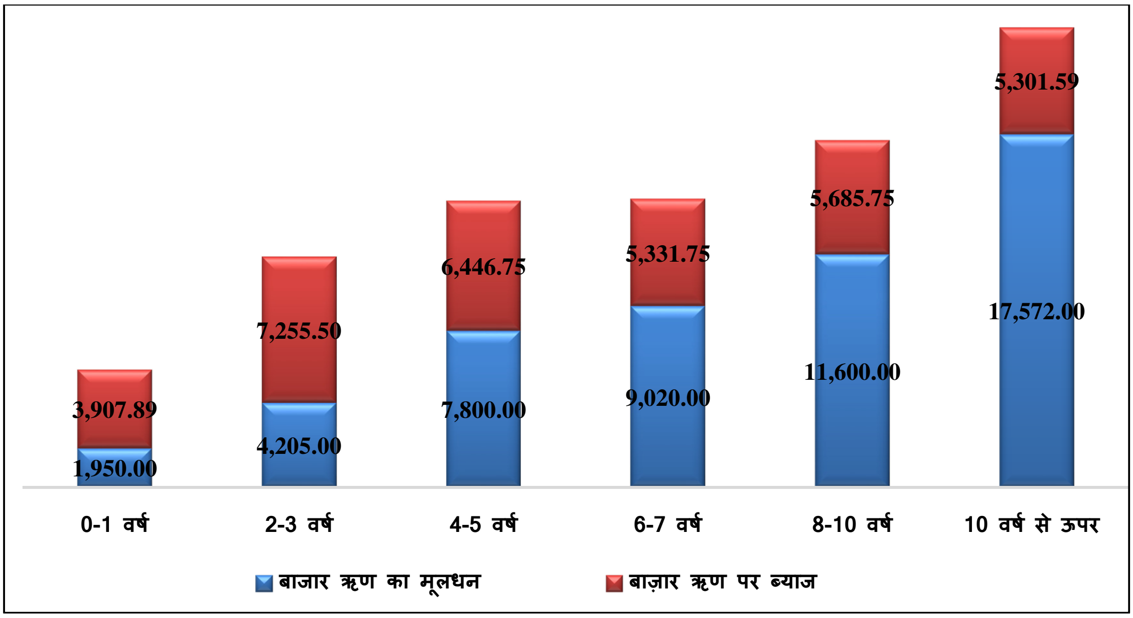

स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: 31 मार्च 2023 तक बकाया बाजार ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा परिकलित की गई है एवं ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण परिपक्व होने वाले हैं।

राज्य को ब्याज सहित ₹ 86,076 करोड़ के कुल बकाया बाज़ार ऋणों (मूलधन: ₹ 52,147 करोड़ व ब्याज: ₹ 33,929 करोड़) में से बाजार ऋण के मूलधन के ₹ 6,155 करोड़ एवं ब्याज के ₹ 11,163 करोड़ की अदायगी अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2026-27 तक करनी होगी। अगले दो वित्तीय वर्षों में ₹ 7,800 करोड़ मूलधन व ₹ 6,447 करोड़ ब्याज देय होगा। इस प्रकार अगले पांच वर्षों (2028-29 तक) के दौरान बाजार ऋण चुकौती एवं ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 6,313 करोड़ होगा। वर्ष 2023-24 के दौरान ब्याज सहित बाजार ऋणों की चुकौती ₹ 5,418 करोड़ थी।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण

ऋण धारणीयता का विश्लेषण राजकोषीय व ऋण मापदंडों, डोमार दृष्टिकोण और संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों हेतु मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित परिच्छेदों में दिए गए हैं:

(**क**) ऋण धारणीयता का तात्पर्य राज्य की वर्तमान एवं भविष्य में अपनी ऋण देयताओं को पूरा करने की क्षमता से है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्षों की अवधि हेतु ऋण धारणीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण **तालिका 2.39** व **चार्ट 2.24** में दिया गया है।

तालिका 2.39: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण धारणीयता सूचकांक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण	62,211.84	67,164.75	69,122.58	82,177.21	91,220.73
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.57	7.96	2.91	18.89	11.00
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सामान्य के अर्थ में)	1,59,164	1,51,601	1,72,162	1,91,728	2,07,430
4	सामान्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)	7.27	-4.75	13.56	11.36	8.19
5	समग्र ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	39.09	44.30	40.15	42.86	43.98
6	**सभी प्रकार के उधारों की परिपक्वता रूपरेखा**					
6अ	0-2 वर्ष	17,112.79				
6ब	2-5 वर्ष	25,005.96				
6स	5-10 वर्ष	34,291.32				
6द	10 वर्ष से अधिक	21,419.89				
7	सकल उधारों की चुकौती (प्रतिशत)	82.57	91.04	99.93	74.84	86.64
8	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	17.43	8.96	0.07	25.16	13.36
9	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	4,234.02	4,472.45	4,640.79	4,828.64	5,648.37
10	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.79	7.43	7.34	6.88	7.06
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	13.77	13.38	12.44	12.68	14.42
12	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	11.98	-96.66	1,114.76	-6,335.76	-5,558.59
13	प्राथमिक राजस्व शेष	4,246	4,375.52	5,755.55	-1,507.12	89.78
14	प्राथमिक शेष	-1,363	-1,228	-604	-7,551	-5,617
15	प्राथमिक शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.86	-0.81	-0.35	-3.94	-2.71
16	समग्र देयता पर निवेश के प्रतिफल व प्रभावी ब्याज दर के मध्य अंतर	-5.90	-4.13	-6.10	-6.69	-6.47
17	तरलता प्रबंधन (रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधन का उपयोग) (कई अवसरों पर)	38	63	16	70	41
18	ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार + प्राथमिक शेष)	-1,664.44	-8,824.02	3,380.35	-4,126.90	-4,667.13
19	**डोमार मानदंड**					
क	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर अर्थ में)	1,21,227	1,15,958	1,24,770	1,33,372	1,42,800
ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिर अर्थ में)	4.13	-4.35	7.60	6.89	7.07
ग	उपभोक्ता मूल्य सूची आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	3.50	4.65	6.66	4.50	5.04

क्र.सं.	ऋण धारणीयता सूचकांक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
घ	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	7.79	7.43	7.34	6.88	7.06
ड	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति)	4.29	2.78	0.68	2.38	2.02
च	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	-0.15	-7.13	6.92	4.52	5.05

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।

समग्र देयताएं या समग्र ऋण में लोक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम सहित) व लोक लेखा देयताओं (ब्याज एवं ब्याज रहित आरक्षित निधि व निक्षेप सहित) के साथ अन्य देयताएं शामिल होती हैं।

प्राथमिक राजस्व शेष: राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय+ब्याज भुगतान, जहां (-) प्राथमिक शेष का अर्थ प्राथमिक घाटा या इसके विपरीत।

प्राथमिक शेष: कुल प्राप्तियां (निवल उधार) -कुल व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष का अर्थ प्राथमिक घाटा या इसके विपरीत।

प्रभावी ब्याज दर: {ब्याज भुगतान [(विगत व चालू वित्तीय वर्ष का औसत बकाया ऋण (ब्याज रहित देयताओं के अतिरिक्त)]}

*प्रमात्रा विस्तार: ब्याज विस्तार * ऋण*

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि हेतु ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्ति **चार्ट 2.24** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 2.24: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

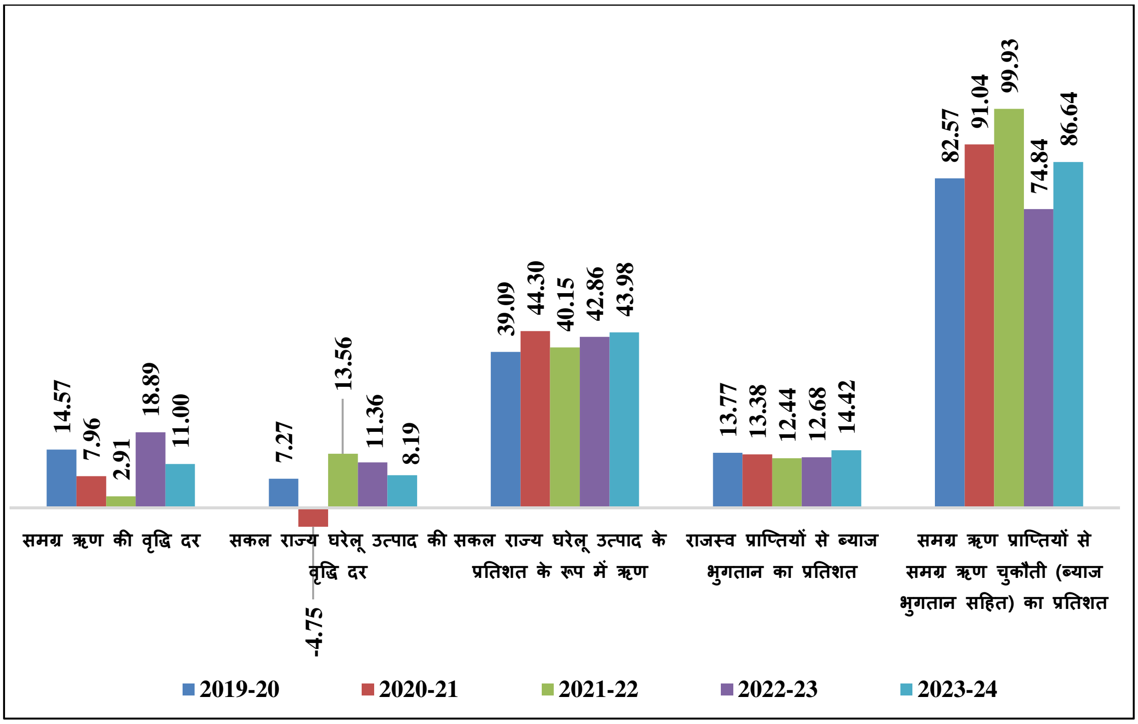

उपरोक्त **तालिका 2.39** में दिए गए प्रत्येक ऋण धारणीयता संकेतक के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-2024 के दौरान राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण निम्नानुसार किया जा सकता है:

(i) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ऋण अनुपात

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ऋण अनुपात का कम मूल्य इंगित करता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था बिना कोई और ऋण लिए ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त सक्रिय है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के सापेक्ष उच्च ऋण दर्शाता है कि राज्य का बोझ उसके आर्थिक उत्पादन/ विकास की तुलना में काफी अधिक है एवं वित्तीय दुर्बलता व कम राजकोषीय लचीलेपन को परिलक्षित करता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य के ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में उतार-चढ़ाव 39.09 व 44.30 प्रतिशत के मध्य रहा, जो वर्ष 2023-24 में 43.98 प्रतिशत पर समाप्त हुआ। यद्यपि वर्ष 2021-22 के दौरान अनुपात में कमी आई परन्तु वर्ष 2022-23 के 42.86 प्रतिशत (2.71 प्रतिशत अंक) एवं वर्ष 2023-24 के 43.98 प्रतिशत (1.12 प्रतिशत अंक) की वृद्धि ने वित्तीय दुर्बलता में वृद्धि को परिलक्षित किया। इसके अतिरिक्त **परिच्छेद 1.4** से स्पष्ट है कि राज्य वर्ष 2019-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति उसके ऋण को वर्ष 2019-24 की अवधि हेतु वित्तायोग की निर्धारित सीमा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के लक्ष्यों के भीतर वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त नहीं रख सका।

कम अनुपात से राज्य को अधिक राजकोषीय लचीलापन मिलेगा जिससे वह विकास या सामाजिक व्यय पर समझौता किए बिना आर्थिक झटकों को बेहतर ढंग से संभाल सकेगा। हालांकि यदि आर्थिक विकास ऋण वृद्धि के साथ सामंजस्य नहीं रखता है तो वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने में सीमित लचीलेपन को इंगित करती है।

(ii) सकल राज्य घरेलू उत्पाद/ऋण वृद्धि की तुलना

जब सामान्य वृद्धि दर ऋण की वृद्धि दर से अधिक हो तथा वास्तविक वृद्धि दर वास्तविक ब्याज दर से अधिक हो तब सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि ऋण अदायगी करने में साध्य होती है; परन्तु जब ये स्थितियां उलट जाती है तब ऋण स्थिर मार्ग पर होता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक (वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त) राज्य ने धारणीयता की शर्तों को पूरा नहीं किया, क्योंकि अधिकांश वर्षों में ऋण की वृद्धि दर सामान्य वृद्धि दर से कहीं अधिक रही। हालांकि वास्तविक वृद्धि दरों के लिए, विशेष रूप से वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी के कारण वास्तविक वृद्धि ऋणात्मक (-4.35 प्रतिशत) रही, जो वास्तविक आर्थिक वृद्धि के माध्यम से ऋण धारणीयता में कठिनाई का परिचायक है। वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में वास्तविक प्रभावी ब्याज दर की तुलना में सुदृढ वास्तविक वृद्धि प्रदर्शित हुई, जो इस प्रवृत्ति के जारी रहने पर ऋण धारणीयता के सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देती है। यह संकेतक बताता है कि यद्यपि वर्ष 2020-21 में कुछ बाधा आई तथापि हाल के वर्षों में ऋण चुकौती में साध्यता प्रदर्शित हुई है।

(iii) प्राथमिक शेष

धनात्मक प्राथमिक राजस्व शेष एवं प्राथमिक शेष इंगित करता है कि ऋण स्थिर मार्ग पर है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राज्य ने ऋणात्मक प्राथमिक शेष का सामना किया, जिसमें विगत दो वर्षों के दौरान प्राथमिक शेष सबसे अधिक ऋणात्मक रहा। अवधि के दौरान प्राथमिक राजस्व शेष धनात्मक बना रहा (वर्ष 2022-23 को छोड़कर) जो बताता है कि राज्य का राजस्व आधार अधिकांश राजस्व व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति ब्याज भुगतान से पहले कर सकता है। प्राथमिक शेष का निरंतर ऋणात्मक बने रहना ऋण धारणीयता पर दबाव बढ़ा सकता है।

(iv) ब्याज भुगतान का अनुपात

राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान के प्रतिशत एवं राजस्व व्यय के प्रति ब्याज भुगतान के प्रतिशत की घटती प्रवृत्ति स्थिर ऋण का संकेत है, जबकि बढ़ती प्रवृत्ति ऋण के अस्थिर प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है।

वर्ष 2019-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान में घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई जबकि विगत वर्ष (2021-22) की तुलना में पिछले दो वर्षों यानी वर्ष 2022-23 व 2023-24 में इसमें बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

(v) परिपक्वता रूपरेखा

ऋण धारणीयता बनाए रखने के लिए ऋण सीमा की अस्थायी दर (फ्लोटिंग रेट) के छोटे अंश के साथ लंबी औसत शेष परिपक्वता अवधि जोखिमों को कम करती है एवं ब्याज दर की अस्थिरता को रोकती है।

5-10 वर्ष की अवधि में परिपक्व होने वाले बड़े भाग (₹ 34,291 करोड़) के साथ ऋण की परिपक्वता रूपरेखा थोड़े (छोटी मात्रा में) ऋण पुनरावृत्ति के जोखिम का संकेत देती है। 0-2 वर्ष (₹ 17,112 करोड़) व 2-5 वर्ष (₹ 25,006 करोड़) के भीतर परिपक्व होने वाले ऋण भी अल्पकालिक दबावों को बढ़ाते हैं। अस्थायी दर ऋण का अंश स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया परन्तु बड़ा होने पर ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का सामना करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। दीर्घकालिक परिपक्वता ऋण को कुल ऋण रूपरेखा का एक बड़ा हिस्सा बनाए रखना सुनिश्चित करना तत्काल ऋण अदायगी व ब्याज दर की अस्थिरता के दबाव को कम करता है, जिससे धारणीयता में सुधार होगा।

(vi) अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष सुविधाओं का उपयोग

अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष सुविधा का बड़ी मात्रा में सतत उपयोग चल निधि के कमजोर प्रबंधन को इंगित करता है, जो खराब राजकोषीय प्रबंधन की ओर ले जाता है तथा अल्पकालिक ऋण धारणीयता में बाधा उत्पन्न होती है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष जैसी चल नकदी सहायता लेने के अवसरों की संख्या की आवृत्ति 16 से 70 अवसरों के मध्य रही परन्तु वर्ष 2023-24 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में गिरावट आई, जो चालू वर्ष में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन का परिचायक है। यह घटती प्रवृत्ति चल नकदी प्रबंधन में सुधार एवं अल्पकालिक उधार पर कम निर्भरता को दर्शाती है, जिससे अल्पकालिक ऋण धारणीयता में वृद्धि होती है। ऐसी प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि राज्य की वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों में सुधार हो रहा है जिससे अस्थायी वित्तीय सहायता साधनों पर निर्भरता कम हो रही है।

(vii) राजकोषीय असंतुलन

राजकोषीय असंतुलन का शून्य के बराबर होना दर्शाता है कि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा। जबकि धनात्मक राजकोषीय असंतुलन ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में गिरावट का और इसके विपरीत होने का संकेत देता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति प्राथमिक शेष के ऋणात्मक बने रहने से राजकोषीय असंतुलन में उतार-चढ़ाव रहा, जो राजकोषीय धारणीयता पर दबाव का संकेत देता है। शून्य या धनात्मक राजकोषीय असंतुलन स्थिर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को इंगित करेगा परन्तु इस अवधि में ऋणात्मक प्राथमिक शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात से तात्पर्य है कि संतुलित राजकोषीय स्थिति प्राप्त करने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। धनात्मक राजकोषीय असंतुलन बनाए रखने से ऋण धारणीयता में सकारात्मक योगदान मिलेगा।

(viii) डोमार मानदंड

डोमार मानदंड के अनुसार वर्ष 2019-2024 के दौरान औसत वास्तविक वृद्धि औसत वास्तविक ब्याज दर से अधिक रही, जिससे वृद्धि-ब्याज अंतर अनुकूल बना रहा जिससे राज्य को उधार की लागत काबू करने में सहायता मिली। वास्तविक वृद्धि से प्रेरित सामान्य वृद्धि के विपरीत उपभोक्ता मूल्य सूची द्वारा मापी गई औसत मुद्रास्फीति, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंडविड्थ की 2-6 प्रतिशत की ऊपरी सहनीय सीमा में रही, ने राज्य को वास्तविक ब्याज दर को वास्तविक वृद्धि से नीचे रखने तथा वृद्धि-ब्याज अंतर (ग्रोथ इंटरेस्ट डिफरेंशियल) को अनुकूल बनाए रखने में सहायता की।

इस प्रकार, ऋण धारणीयता विश्लेषण दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वित्तायोग/राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा या सांकेतिक ऋण पथ से उच्चतर बना हुआ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति राज्य के ऋण अनुपात में गिरावट, जिसमें वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, परिचायक है कि ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को स्थिर रखने

एवं वित्तायोग/राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित ऋण सीमा के अनुरूप इसे बनाए रखने के लिए राज्य को मितव्ययिता उपाय करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं परिणामों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त में देयताओं में बढ़ती प्रवृत्ति चिह्नित होती है, जो ऋण धारणीयता एवं ऋण स्थिरता के लक्ष्य के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।

(ख) हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण **तालिका 2.40** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.40: हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

राजकोषीय मापदंड		हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटा (-) /अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	ल	राजस्व अधिशेष बनाए रखना है।				
	उ	0.01	-0.06	0.65	-3.30	-2.68
राजकोषीय घाटा (-) /अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	ल	3 या कम			6 या कम	3.50 या कम
	उ	-3.52	-3.76	-3.05	-6.46	-5.43
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात@ (प्रतिशत में)$	ल	34.04	33.62	40.26	40.49	38.98
	उ	39.09	44.30*	40.15*	42.86*	43.98*
गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के संदर्भ में गारंटी	ल	पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत।				
	उ	6.29	6.97	5.64	4.77	4.58

@ *कुल बकाया ऋण में लोक ऋण व अन्य (लोक लेखा) देयताएं शामिल हैं।*

* *वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं वर्ष 2020-22 से 2023-24 के दौरान प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर गणना की गई क्योंकि क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।*

$ *सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण के अनुपात की तुलना मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों से की गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए (2011 के बाद 2023 तक, जब संशोधन किए गए)।*

ल- लक्ष्य, उ- उपलब्धि

वर्ष 2015-16 से लगातार राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने के पश्चात् राज्य ने वर्ष 2020-21 में ऋणात्मक राजस्व शेष (राजस्व घाटा) दर्ज किया तथा वर्ष 2022-2024 के दौरान उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग तीन प्रतिशत राजस्व घाटा बना रहा, जो दर्शाता है कि उधार का उपयोग विकासोन्मुख खर्च पर न करते हुए बड़े पैमाने पर राज्य के आवर्ती व्यय को वित्तपोषित करने में किया गया। विगत दो वर्षों में राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.30 प्रतिशत (2022-23) व 2.68 प्रतिशत (2023-24) के उच्च स्तर पर रहा जबकि इसी अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 6.46 प्रतिशत व 5.43 प्रतिशत पर रहा।

राज्य वर्ष 2019-20 हेतु 14वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक ऋण पथ के भीतर समग्र देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को बनाए रख सका परन्तु वर्ष 2021-2024 के दौरान 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित उसी लक्ष्य का उलंघन किया। इसी भांति उसने वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत दी गई कुल बकाया ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की सीमा का उल्लंघन किया। राजकोषीय संकेतकों के चरणों का लगातार उल्लंघन करने से राजकोषीय स्थिति अनियंत्रित होने का जोखिम हो सकता है, विशेष रूप से तब जब राज्य सरकार का आरक्षित निधियों जैसे प्रत्याभूत विमोच्य निधि, अंतर्निहित सब्सिडी का भुगतान आदि में अंशदान शेष हो।

राजकोषीय धारणीयता एवं डोमार मॉडल विश्लेषण **(तालिका 2.39)** के आधार पर अनुमानित है कि जब तक व्यय को युक्तिसंगत बनाने, अतिरिक्त स्रोतों की खोज करने, राजस्व आधार का विस्तार करने एवं राजस्व उपार्जित करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश के उपचारात्मक उपाय नहीं किए जाते, राज्य की राजकोषीय धारणीयता में अल्प से मध्यम अवधि में जोखिम है।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्श उपयोग पूंजी सृजन एवं विकासात्मक गतिविधियों में होना चाहिए। उधार ली गई निधियों का वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज भुगतान में उपयोग करना धारणीय नहीं है। विगत पांच वर्षों के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति **तालिका 2.41** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.41: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	कुल उधार	10,847.39	15,032.21$	6,639.75$	22,371.82	14,901.51
2	पूर्व उधारों की चुकौती (मूलधन)	6,700.75 (61.77)	11,141.04 (74.11)	4,387.28 (66.08)	10,135.80 (45.31)	7,895.87 (52.99)
3	निवल पूंजीगत व्यय*	4,146.64 (38.23)	3,891.17 (25.89)	2,252.47 (33.92)	6,016.30 (26.89)	5,627.59 (37.76)
4	संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम	--	--	--	110.57 (0.49)	106.95 (0.72)
5	राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग {1-(2+3+4)}	--	--	--	6,109.16 (27.31)	1271.10 (8.53)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल उधार के संदर्भ में प्रतिशत दर्शाते हैं।

$ वस्तु व सेवा कर गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं किया गया है।

** निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां*

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

विगत तीन वर्षों की अवधि पश्चात् वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान उधार ली गई निधियों के 62 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के मध्य का उपयोग मुख्यतः पिछले उधारों (मूलधन) की अदायगी

हेतु तथा 26 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के मध्य का पूंजीगत व्यय हेतु किया गया। परन्तु वर्ष 2022-23 से पिछले दायित्वों की अदायगी घट कर वर्ष 2022-23 में 45 प्रतिशत एवं वर्ष 2023-24 में 53 प्रतिशत हो गया।

वित्तायोग के अनुसार राज्यों को राजस्व घाटा कम करके अंततः समाप्त करने तथा सभी उधारों को पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 तक ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया। परन्तु वर्ष 2022-23, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि का तीसरा वर्ष है, में सार्वजनिक उधार के बड़े भाग अर्थात् 27.31 प्रतिशत (₹ 6,109.16 करोड़) एवं वर्ष 2023-24 में 8.53 प्रतिशत (₹ 1,271.10 करोड़) का उपयोग मौजूदा व्यय की पूर्ति हेतु किया गया।

जैसाकि देखा जा सकता है, वर्ष 2021-2023 के दौरान पूंजीगत परिव्यय ₹ 6,029 करोड़ पर स्थिर रहा और फिर वर्ष 2023-24 में घटकर ₹ 5,630 करोड़ हो गया, जिससे वर्ष 2022-23 के ₹ 32,504 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 30,965 करोड़ तक संकुचन (गत वर्षों की तुलना में विकास व्यय में 4.7 प्रतिशत) हुआ **(परिशिष्ट 2.1)**। विकास व्यय में हुई 4.7 प्रतिशत की गिरावट मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में कटौती के कारण हुई, जिसने विकास व्यय में देखी गई ऋणात्मक वृद्धि में क्रमशः 3.8 प्रतिशत अंक व लगभग एक प्रतिशत अंक का योगदान दिया।

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति **चार्ट 2.25** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.25: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत में)

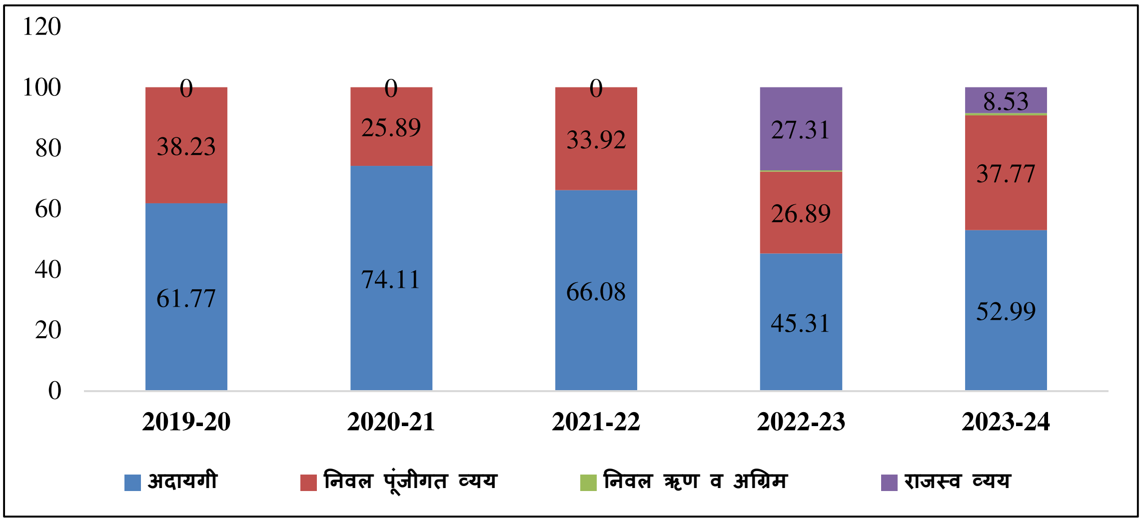

राज्य सरकार को राजस्व घाटा घटाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि उधार ली गई निधियों का उपयोग विकास गतिविधियों एवं परिसंपत्तियों के सृजन में किया जा सके।

2.7.2 गारंटी (प्रत्याभूति)-आकस्मिक देयताओं की स्थिति

गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं हैं, जो उधारकर्ताओं, जिन्हें गारंटियां दी गई हैं, से चूक होने की स्थिति में उत्पन्न होती है। वित्त लेखाओं के **विवरणी-9 व 20** के अनुसार राज्य द्वारा दी गई अधिकतम राशि की गारंटी एवं पिछले पांच वर्षों में बकाया गारंटी **तालिका 2.42** में दी गई है। 31 मार्च 2024 की समाप्ति पर राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं/निकायों का विवरण **चार्ट 2.26** में दिया गया है।

तालिका 2.42: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
गारंटी की बकाया राशि	**1,947.07**	**2,141.76**	**1,884.61**	**1,780.64**	**1,744.81**
वर्ष के दौरान वृद्धि	639.70	418.03	289.46	643.61	731.09
वर्ष के दौरान विलोपन	3,001.84*	165.60	283.09	747.58	766.91
वर्ष के दौरान लागू	--	--	--	--	--
ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	*गत वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत।*				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	6.29	6.97	5.64	4.77	4.58

* *इसमें वर्ष 2019-20 के वित्त लेखाओं से हटाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कोम को ऋण) एवं ₹ 13.18 करोड़ (गारंटीकृत राशि पर प्रभारित ब्याज) की राशि को शामिल किया गया है क्योंकि जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, यह विगत वर्षों के वित्त लेखाओं में अनजाने में शामिल कर दी गई थी। वर्ष 2019-20 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या 20 में इसे दर्शाया गया है।*

चार्ट 2.26: 31 मार्च 2024 के अंत तक गारंटी प्राप्त करने वाले निकाय

(₹ करोड़ में)

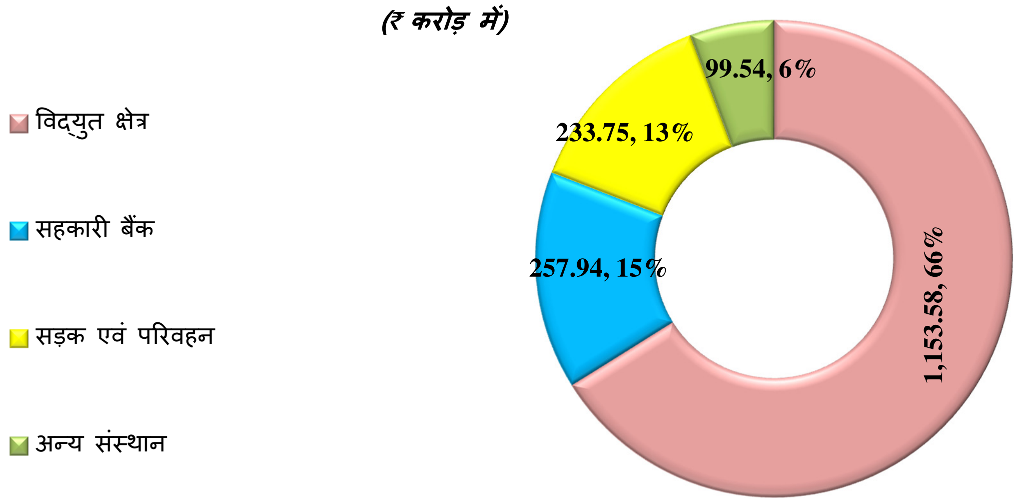

वर्ष 2023-24 के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गई। वित्त लेखों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक बकाया गारंटी राशि ₹ 1,744.81 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा

गारंटी के रूप में विभिन्न निकायों को कुल ₹ 731.09 करोड़ की राशि दी गई। वर्ष के दौरान राज्य सरकार की गारंटी के मुख्य प्राप्तकर्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 514.28 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड (₹ 95.21 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं परिवहन निगम (₹ 88.90 करोड़) थे। वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर गारंटी की बकाया राशि (₹1,744.81 करोड़) राज्य की विगत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.58 प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एव बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 एवं सरकारी निर्देशों (6 मार्च 1992) के अनुसार गारंटी के अनुमोदन के समय उधारकर्ताओं से गारंटी शुल्क (एक प्रतिशत) व प्रतिबद्धता प्रभार (0.2 प्रतिशत) लगाया जाना है। राज्य सरकार के पास निकायों/संस्थाओं से देय गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की प्राप्त होने योग्य राशि की जानकारी नहीं थी। विगत 10 वर्षों में (2018-19 तक) राज्य सरकार ने कोई गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार प्राप्त/उद्ग्रहित नहीं किया। हालांकि गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में ₹ 0.72 लाख (2019-20 में), ₹ 2.16 करोड़ (2020-21 में), ₹ 3.00 करोड़ (2021-22 में) एवं वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 3.31 करोड़ राशि प्राप्त हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान कोई गारंटी शुल्क/प्रतिबद्धता प्रभार प्राप्त नहीं हुआ।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन न्यूनतम अनुमत से शेष कम हो जाता है तो यह कमी समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। राज्य सरकर की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 17 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक ₹ 880 करोड़ और 1 अप्रैल 2022 से ₹ 656 करोड़ नियत है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी देती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार 324 दिनों तक न्यूनतम दैनिक नकदी शेष बनाए रख सकी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 36 अवसरों पर कुल ₹ 3,504.59 करोड़ का साधारण/विशेष अर्थोपाय अग्रिम एवं पांच अवसरों पर ₹ 875.78 करोड़ का अधिविकर्ष लेना पड़ा, जिसे वर्ष के दौरान चुका दिया गया। वर्ष 2023-24 के अंत तक कोई बकाया अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष नहीं थे। इनके सापेक्ष वर्ष के दौरान ₹ 2.51 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में

अदा की गई। **तालिका 2.43** वर्ष के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष एवं इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.43: नकद शेष एवं उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक अथ शेष	31 मार्च 2024 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	0	0	0
स्थानीय पारगमन में प्रेषण	0	0	0
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा	-89.33	42.44	131.77
कुल	**-89.33**	**42.44**	**131.77**
नकद शेष निवेश लेखा में रखा गया निवेश	3,645.18	1,457.81	-2,187.37
योग (क)	**3,555.85**	**1,500.25**	**-2,055.60**
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16	0
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थाई अग्रिम	0.03	0.03	0
निर्धारित निधियों का निवेश	0	0	0
योग (ख)	**0.19**	**0.19**	**0**
योग (क+ख)	**3,556.04**	**1,500.44**	**-2,055.60**

वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष वर्ष 2022-23 के ₹ 3,556.04 करोड़ से ₹ 2,055.60 करोड़ घटकर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,500.44 करोड़ हो गया। नकद शेष से किए गए निवेश भी ₹ 3,645.18 करोड़ से घटकर ₹ 1,457.81 करोड़ हो गए।

राज्य सरकार उसके अधिशेष नकद शेष को भारत सरकार की अल्प एवं दीर्घकालिक प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेशों से प्राप्त लाभ को '0049-ब्याज प्राप्तियां' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश **तालिका-2.44** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.44: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2019-20	102.09	982.06	879.97	55.02
2020-21	982.06	1,696.09	714.03	31.88
2021-22	1,696.09	2,568.08	871.99	55.50
2022-23	2,568.08	3,645.18	1,077.10	20.91
2023-24	3,645.18	1,457.81	-2,187.37	21.43

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के नकदी शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि नकद शेष निवेश लेखा की शेष राशि में वर्ष 2019-23 के दौरान वृद्धि हुई एवं वर्ष 2023-24 में इसमें गत वर्ष की तुलना में गिरावट हुई।

वर्ष की समाप्ति पर भारी नकद शेष का होना राज्य सरकार द्वारा नकद का इष्टतम प्रबंधन न करने का परिचायक है, जिसने भारी नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋण लिया एवं उसका लाभकारी उपयोग नहीं किया गया।

चार्ट 2.27 वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए बाजार ऋण एवं नकद शेष की तुलना प्रस्तुत करता है। बाजारी ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश कम ब्याज दरों पर किए गए थे।

चार्ट 2.27: बाजारी ऋण की तुलना में नकद शेष

(₹ करोड़ में)

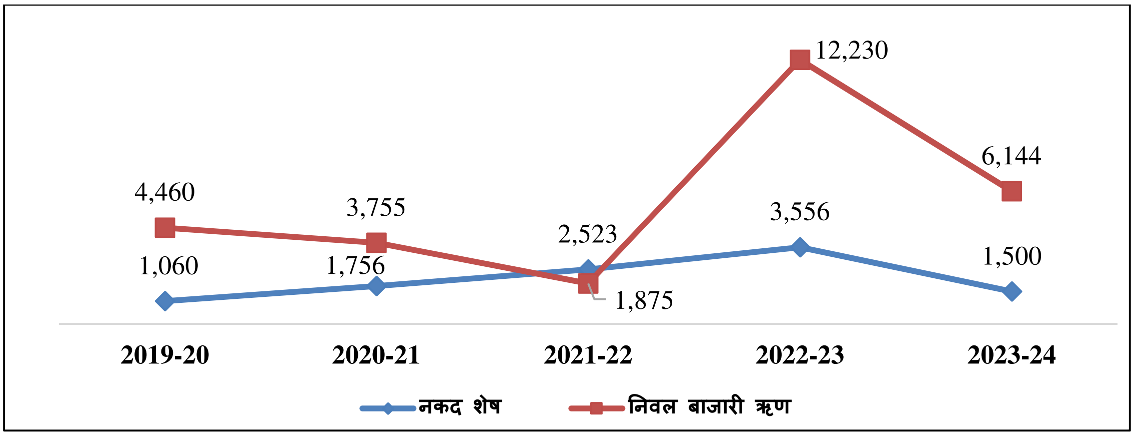

चार्ट 2.28 वर्ष 2023-24 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा एवं नकद शेष की माह-वार तुलना प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.28: 2023-24 के दौरान निवल नकद शेष निवेशों एवं नकद शेष की माह-वार गतिविधियां

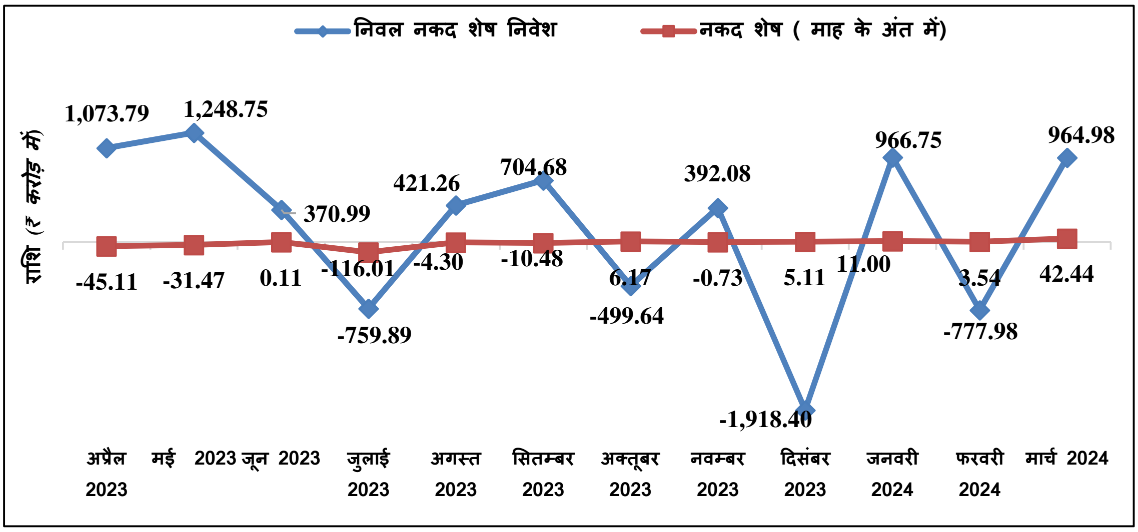

स्रोत: मासिक सिविल लेखे

2.8 प्रमुख विशेषताएं

घाटा संकेतक, राजस्व आवर्धन एवं व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आंकने के प्रमुख मानदंड हैं। विगत वर्ष अर्थात् 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के वित्त के प्रमुख मापदंड **तालिका 2.45** में सारांशित किए गए हैं।

तालिका 2.45: मुख्य मानदंड

सकारात्मक संकेतक	वे मापदंड जिस पर कठोरता से ध्यान दिया जाना आवश्यक है
⇑ कर प्राप्तियों में 11.70 प्रतिशत की वृद्धि	⇓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान में 10.71 प्रतिशत की गिरावट
⇑ संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश में 18.91 प्रतिशत की वृद्धि	⇓ पूंजीगत व्यय में 6.62 प्रतिशत की गिरावट
⇓ लोक ऋण प्राप्तियों में 33.39 प्रतिशत की गिरावट	⇓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.65 प्रतिशत की गिरावट
	⇑ 2022-23 व 2023-24 के दौरान राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा।

2.9 निष्कर्ष

वर्ष 2015-16 से लगातार राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने के बाद राज्य ने वर्ष 2020-21 में ऋणात्मक राजस्व शेष (राजस्व घाटा) दर्ज किया तथा वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लगभग तीन प्रतिशत के आसपास राजस्व घाटा बना रहा। यह राजकोषीय घाटे के 50 प्रतिशत से अधिक है, जो दर्शाता है कि उधार का उपयोग विकासोन्मुख खर्च पर ना करते हुए बड़े पैमाने पर राज्य के आवर्ती व्यय के वित्तपोषण के लिए किया गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 11,266 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.43 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः बाजार उधार के माध्यम से किया गया।

विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,083.54 करोड़ (2.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय ₹ 306.37 करोड़ (0.69 प्रतिशत) बढ़ गया। इसके अतिरिक्त राज्य के स्व-राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 11.70 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य ने कुल राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत वेतन व मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया जिससे प्राथमिकता क्षेत्र के व्यय हेतु मात्र 32 प्रतिशत ही शेष रहा।

सब्सिडी राजस्व व्यय का 3-4 प्रतिशत रही। कुल सब्सिडी में विद्युत सब्सिडी का भाग सबसे बड़ा था। वर्ष 2023-24 के दौरान सब्सिडी ने राजस्व घाटे में 32 प्रतिशत का योगदान दिया।

31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों एवं सहकारी समितियों में उसके कुल निवेश (₹ 5,524.23 करोड़) पर 3.46 प्रतिशत का प्रतिफल अर्जित किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 48 करोड़ (0.60 प्रतिशत) प्राप्त किए जबकि उसने बकाया ऋण पर 6.87 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया।

लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं सहित कुल बकाया देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 43.98 प्रतिशत थीं। विगत वर्ष की तुलना में कुल देयताएं 11 प्रतिशत बढ़ गई।

31 मार्च 2024 तक पूर्ण होने को निर्धारित 51 परियोजनाएं अपूर्ण थीं। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर किए गए ₹ 858.17 करोड़ के व्यय से अभी तक अभीष्ट लाभ नहीं मिल पाया।

2.10 अनुशंसाएं

1. ***राज्य सरकार उसके स्व-राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करें। वह बेहतर संसाधन जुटाने हेतु लंबित कर दावों का समयबद्ध निपटान, कर आंकलन में बकाया का निपटान, राजस्व बकाया की वसूली एवं कर-भिन्न राजस्व में सुधार करें।***
2. ***राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी बैंकों व समितियों पर किए निवेश के अपर्याप्त प्रतिफल के कारणों का आकलन करने एवं उपचारात्मक उपाय करें।***
3. ***राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।***

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

अध्याय - III
बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य की उस वर्ष हेतु प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट)" कहा जाता है, रखवाएंगे। व्यय के प्राक्कलन, व्यय की "प्रभारित" एवं "दत्तमत" मदों[1] को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायिका से प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। बजट संबंधी महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली **परिशिष्ट 3.1** में दी गई है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट बनाता है। नियंत्रण अधिकारी विभाग प्रमुखों के परामर्श पर प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय प्राक्कलन बनाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करते हैं। वित्त विभाग प्राक्कलनों को समेकित कर विस्तृत प्राक्कलन बनाता है जिसे 'अनुदान-मांग' कहा जाता है। राज्य का बजट **चार्ट 3.1** में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों से मिल कर बनता है।

चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेज एवं घटकों का विवरण

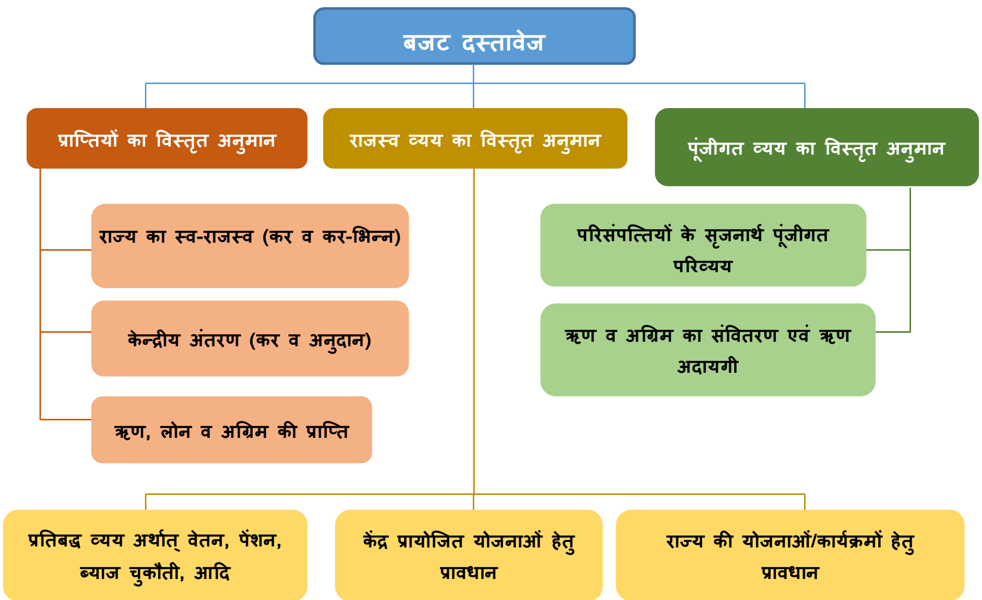

[1] **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभार गठित करती है तथा इनके लिए विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी व्यय हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

वर्ष 2023-24 हेतु बजट कार्यान्वयन का सारांश **चार्ट 3.2** में नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 3.2: वर्ष 2023-24 के बजट कार्यान्वयन का सारांश

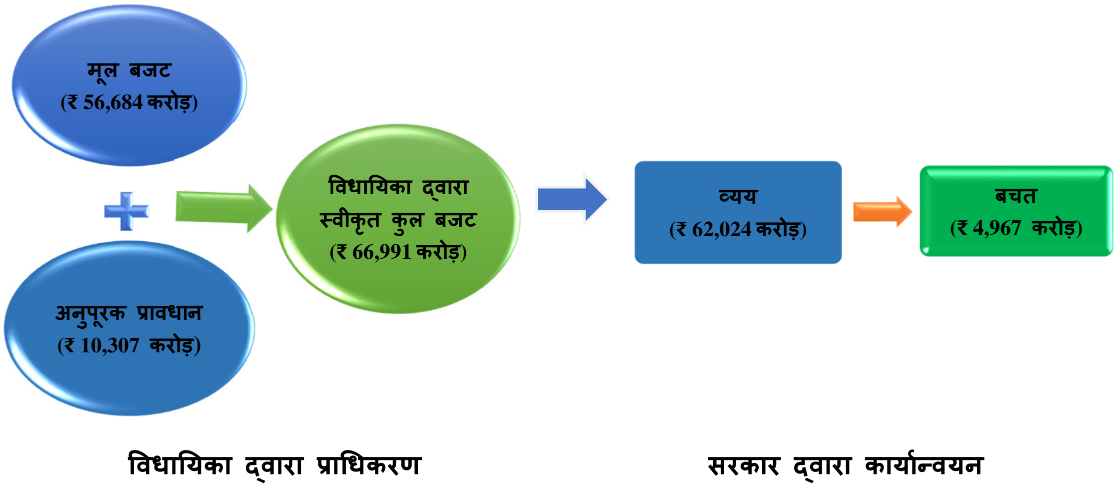

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.1.1 लैंगिक (जेंडर) बजट

जेंडर बजट लिंग आधारित संवेदनशील मुद्दों को हल करने का एक साधन है। यह सरकार की पूरी नीति प्रकिया को लैंगिक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए बजट का उपयोग शुरूआती उपाय के रूप में करता है। जेंडर बजट यह भी मानता है कि बजट महिलाओं एवं बालिकाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने का एक शक्तिशाली साधन है जो उनकी अवस्था व जीवन को बदल सकता है। साथ ही जेंडर बजट यह भी मानता है कि यदि लैंगिक असमानताओं को दूर करना है, तो केवल लैंगिक संवेदनशील कानून, कार्यक्रम और योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त मौद्रिक आवंटन प्रदान करना होगा। आमतौर पर सरकारें लैंगिक समानता एवं महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करती हैं परन्तु अक्सर सरकार के नीतिगत बयानों और उसके धन जुटाने व खर्च करने के तरीकों के मध्य अंतर होता है।

अतः यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक धन अधिक प्रभावी ढंग से अर्जित एवं व्यय किया जाएगा, जेंडर संवेदनशील बजट की पहल इन अंतरों को पाटने में सहायता कर सकती है। इस अवधारणा पर कार्य करते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2005-06 में भारत की बजट प्रक्रिया में जेंडर संवेदनशील बजट को समन्वित किया और तब से हर वर्ष यह लिंग आधारित विवरण तैयार एवं प्रकाशित कर रही है। भारत सरकार का जेंडर बजट विवरण दो भागों में विभाजित है- भाग क, यथा, 100 प्रतिशत महिला-विशिष्ट कार्यक्रमों पर व्यय एवं भाग ख, यथा उन कार्यक्रमों पर व्यय जहां कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएं सम्मिलित हो।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के केंद्र में भी है। विधानों, नीतियों व कार्यक्रमों में जेंडर संवेदनशील बजट को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रारंभ करके प्रति वर्ष जेंडर बजट विवरण (वित्तीय व भौतिक) तैयार करने का विचार भी कर रही है ताकि लैंगिक दृष्टिकोण/परिप्रेक्ष्य से

विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु एक रिपोर्टिंग तंत्र विकसित कर अपनाया जा सके। केवल महिला लाभार्थियों को लक्ष्य करने वाली योजनाएं, या 100 प्रतिशत महिला-उन्मुख योजनाएं श्रेणी-1 में रखी गई हैं तथा 100 प्रतिशत से कम महिला लाभार्थियों वाली योजनाएं श्रेणी-2 में हैं।

जेंडर बजट दस्तावेज़ में श्रेणी-1 योजनाओं के लिए बजट अनुमान ₹ 415.05 करोड़ रखा गया था। परन्तु वास्तव में इन योजनाओं के लिए केवल ₹ 284.02 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया तथा इन योजनाओं पर ₹ 281.77 करोड़ का व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त श्रेणी-1 में कुल 33 योजनाएं हैं, जिनमें 12 योजनाएं केन्द्र की एवं 21 राज्य की योजनाएं हैं। इन योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण एवं बचत का सारांश

वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु कुल बजट प्रावधान ₹ 66,991 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 62,024 करोड़ (92.59 प्रतिशत) रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4,967 करोड़ (7.41 प्रतिशत) की बचत हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान सभी 32 अनुदानों/ विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
52,318	14,673	48,376	13,648	-3,942	-1,025

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.1.3 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पांच वर्षों (2019-24) के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के रूप में वर्गीकृत कुल बजट व संवितरण की स्थिति **तालिका 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.2: 2019-20 से 2023-24 के दौरान संवितरण एवं बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	दत्तमत	दत्तमत	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2019-20	42,255	11,453	34,507	11,021	-7,748	-432
2020-21	45,157	16,440	37,440	15,699	-7,717	-741
2021-22	45,270	10,445	41,020	9,109	-4,250	-1,336
2022-23	51,164	16,569	48,390	15,073	-2,774	-1,496
2023-24	52,318	14,673	48,376	13,648	-3,942	-1,025

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि **तालिका 3.2** से स्पष्ट है, दोनों प्रभागों अर्थात् दत्तमत एवं प्रभारित में बचत हुई। वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक बचत (दत्तमत) में घटती प्रवृत्ति रही, किन्तु वर्ष 2023-24 में इसमें विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक बचत (प्रभारित) में बढ़ती प्रवृत्ति रही, किन्तु वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें गिरावट हुई। **परिच्छेद 3.3.7** में अधिक मात्रा में एवं निरंतर बचत के मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

3.1.4 बजट लक्ष्य प्राप्ति

समग्र बजट आउटटर्न (परिणाम)

समग्र बजट आउटटर्न उस अधिकतम सीमा को मापता है, जिससे समग्र बजट व्यय आउटटर्न/वास्तविक व्यय, मूल रूप से स्वीकृत राशि को स्वीकृत से कम व स्वीकृत से अधिक दोनों के संदर्भ में दर्शाता है। वर्ष 2023-24 का कुल बजट आउटटर्न **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: समग्र बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्वीकृत मूल बजट (बजट अनुमान)	वास्तविक आउटटर्न	बजट अनुमान व वास्तविक के मध्य अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4) (3-2)
राजस्व	45,925.01	48,330.68	(+)2,405.67
पूंजीगत	10,758.68	13,693.28	(+)2,934.60
योग	**56,683.69**	**62,023.96**	**(+)5,340.27**

** मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक का आधिक्य (+) आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है एवं मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक की कमी (-) आंकड़ों के रूप में दर्शाई गई है।*

राजस्व प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर +5.24 प्रतिशत रहा। इसका कारण 18 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। तीन अनुदानों में +100 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। मूल अनुदान से वास्तविक में कमी वाले अन्य 14 अनुदानों में अंतर -0.58 प्रतिशत से -28.87 प्रतिशत तक था।

पूंजीगत प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर + 27.28 प्रतिशत रहा। इसका कारण 19 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। सात अनुदानों में +100 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। मूल अनुदान से वास्तविक में कमी वाले 11 अनुदानों में अंतर -21.95 प्रतिशत से -100 प्रतिशत तक था।

व्यय संघटन आउटटर्न

व्यय संघटन आउटटर्न निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुन: आवंटन के व्यय संघटन में हुए अंतर में दिए योगदान की अधिकतम सीमा को मापता है, जैसाकि **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: व्यय संघटन आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आउटटर्न	संशोधित अनुमान व बजट अनुमान में अंतर	वास्तविक व संशोधित अनुमान में अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (3-2)	(6) (4-3)
राजस्व	45,925.01	50,932.71	48,330.68	5,007.70	-2,602.03
पूंजीगत	10,758.68	16,058.58	13,693.28	5,299.90	-2,365.30
योग	**56,683.69**	**66,991.29**	**62,023.96**	**10,307.60**	**-4,967.33**

* *संशोधित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक का आधिक्य(+) आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है एवं संशोधित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक की कमी (-) आंकड़ों के रूप में दर्शाई गई है।*

राजस्व प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -5.11 प्रतिशत रहा। इसका कारण 29 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में -1.03 प्रतिशत से -32.08 प्रतिशत तक की कमी होना था।

पूंजीगत प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -14.49 प्रतिशत रहा। इसका कारण 20 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में कमी होना था एवं चार अनुदानों में -50 प्रतिशत से अधिक का अंतर था।

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशि की तुलना में सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को अलग-अलग करके दर्शाते हैं तथा जो बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, उनकी तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को दर्शाते है। इस प्रकार विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है, तथा यह कि संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। वह ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों तथा निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1 विधिक प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अंतर्गत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में, पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के अतिरिक्त, निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका 3.5 चार अनुदानों वाले सात मामलों में बिना किसी बजट प्रावधान के किए गए व्यय की सारांशित स्थिति दर्शाती है। यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। राज्य सरकार को ऐसे व्ययों से बचना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में व्यय अपरिहार्य हो जाता है, तो वित्त विभाग को अनुच्छेद 205 एवं 206 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन अवश्य करना चाहिए।

तालिका 3.5: बजट प्रावधान के बिना किए व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ राशि में)	योजना/ उप शीर्ष के नाम
दत्तमत			
16	2406-02-110-11-C90N	19,61,000	हाथी परियोजना
	2406-02-110-11-S10N	2,17,900	
18	4851-00-101-04-S00N	66,00,00,000	प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना
28	2217-80-192-26-S00N	27,85,00,000	पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु नगरपालिकाओं को अनुदान
32	2202-01-789-13-S10N	40,250	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
	2202-03-789-04-C00N	27,00,000	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
	2401-00-789-76-S10N	1,33,000	कृषि वानिकी उप-मिशन
योग		**94,35,52,150 या (₹ 94.36 करोड़)**	

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.2 विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिदेशित न किए गए अंतरण (बैंक खातों में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा निधि आहरित कर उसे बैंक खातों में जमा करना हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमवली के नियम 183(v) व नियम 184(1) का उल्लंघन है। इससे दुर्विनियोजन का जोखिम होता है क्योंकि निधियां बिना किसी निगरानी के सरकारी खाते से बाहर रहती है और उनका अनधिकृत उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अंतरित की गई/उसके पास रखी अप्रयुक्त निधियों के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

3.3.3 व्यय का गलत वर्गीकरण

व्यय एवं प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर गहरा प्रभाव डालता है। राज्य के वित्तीय नियम विनियोजन की प्राथमिक इकाइयों को वर्गीकृत करते हैं। पूंजीगत परिसंपत्तियों एवं अन्य पूंजीगत व्यय के अधिग्रहण का प्रावधान लेने हेतु विशिष्ट वस्तु शीर्ष बनाए गए हैं। पूंजीगत प्रकृति के व्यय की बुकिंग से संबंधित ये वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होने चाहिए। राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत व्यय में या पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय में वर्गीकरण राजस्व व्यय की अत्योक्ति/न्यूनोक्ति तथा राजस्व घाटे/अधिशेष में परिणत होता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय के गलत वर्गीकरण का कोई मामला नहीं देखा गया।

3.3.4 अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर कोई पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन किया जा सकता है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता। जब ऐसे अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य हो एवं पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय आधिक्य को पूरा करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत की कोई संभावना न हो, तो संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन का प्रस्ताव देते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान 12 अनुदानों (राजस्व/पूंजीगत-दत्तमत) के तहत 14 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए जहां ₹ 711 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (**तालिका 3.6**) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। वहीं 10 मामलों (**तालिका 3.7**) में ₹ 1,318 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 1,191 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे (**चार्ट 3.3**)।

चार्ट 3.3: अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

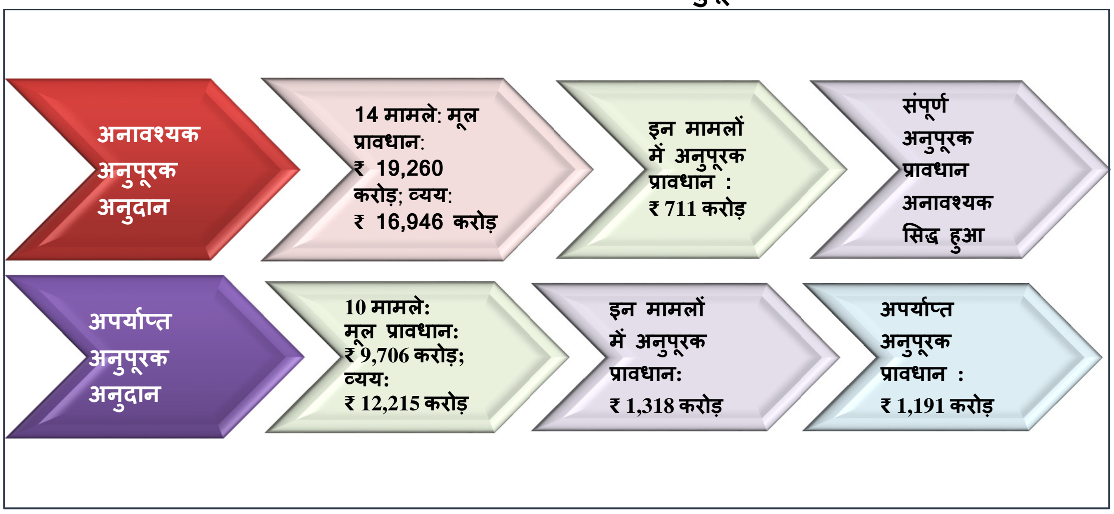

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 3.6: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपुरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
	राजस्व- दत्तमत				
1	04-सामान्य प्रशासन	219.66	12.79	214.24	-5.42
2	06-आबकारी एवं कराधान	113.70	20.07	112.28	-1.42
3	08-शिक्षा	7,866.54	164.06	7,230.03	-636.51
4	11-कृषि	405.88	7.64	326.81	-79.07
5	14-पशु पालन	514.11	6.89	511.12	-2.99
6	16-वन एवं वन्यजीव	746.33	57.36	649.82	-96.51
7	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1,712.86	46.27	1,615.10	-97.76
8	20-ग्रामीण विकास	1,438.21	67.94	1,022.95	-415.26
9	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	188.12	36.45	163.43	-24.69
10	26-पर्यटन और नागरिक उड्डयन	29.37	4.60	25.69	-3.68
11	31-जनजातीय विकास	1,823.81	40.24	1,535.42	-288.39
12	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2,476.94	219.23	2,386.75	-90.19
	पूंजीगत-दत्तमत				
13	26-पर्यटन और नागरिक उड्डयन	484.44	5.99	274.48	-209.96
14	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,240.21	21.00	878.17	-362.05
	योग	**19,260.18**	**710.53**	**16,946.29**	**-2,313.89**

स्रोत: विनियोजन लेखे

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक अनुदान की मांग इस तर्क के आधार पर की गई थी कि संबंधित अनुदानों के तहत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त व्यय किया जाना था, फिर भी 14 मामलों में अंतिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय
	राजस्व- दत्तमत				
1.	28-शहरी विकास	503.77	339.08	939.77	96.92
2.	29-वित्त	8,792.89	635.29	10,408.82	980.64
	पूंजीगत- दत्तमत				
3	03- न्याय प्रशासन	10.39	6.37	17.05	0.29
4	04-सामान्य प्रशासन	5.93	35.82	41.77	0.02
5	05-राजस्व	8.00	46.47	143.54	89.07
6	08-शिक्षा	98.73	12.74	113.96	2.49
7	09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	95.02	138.89	236.68	2.77
8	23-विद्युत विकास	65.85	40.48	110.98	4.65
9	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	55.76	27.61	91.57	8.20
10	28-शहरी विकास	69.33	35.47	110.55	5.75
	योग	**9,705.67**	**1,318.22**	**12,214.69**	**1,190.80**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ऊपर इंगित 10 मामलों में अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त थे क्योंकि वास्तविक व्यय कुल बजट प्रावधानों (मूल+अनुपूरक) से अधिक था।

उपर्युक्त दोनों प्रकार के मामले (**तालिका 3.6 व 3.7**) दर्शाते हैं कि प्रशासनिक विभाग व्यय की खराब निगरानी के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु धन की वास्तविक आवश्यकता का वास्तविक आकलन/अनुमान नहीं लगा सका।

3.3.5 पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता वाले पुनर्विनियोजन

'पुनर्विनियोजन' का तात्पर्य है, विनियोजन की एक इकाई से हुई बचत को उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के भीतर अन्य इकाई के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतरित करना। सरकार को एक ही अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में प्रावधानों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति है, इस प्रकार एक मूल प्रावधान के गंतव्य को एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्यार्थ निर्धारित सीमाओं एवं प्रतिबंधों के अधीन बदल दिया जाता है। विधानसभा की सम्मति से एक निश्चित प्रयोजन हेतु किए गए अनुपूरक अनुदानों से किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपूरक अनुदान जिस प्रयोजनार्थ सम्मत किया गया है उसी के लिए प्रयोग किया गया तथा अन्य किसी उद्देश्य हेतु नहीं।

वर्ष 2023-24 के दौरान एक अनुदान से दूसरे अनुदान में या अनुपूरक अनुदान से पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं पाया गया।

अनुदानों के अंतर्गत अनावश्यक/ अपर्याप्त पुनर्विनियोग के मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

3.3.6 अनावश्यक, अनुचित एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसे 123 मामले (**परिशिष्ट 3.3**) थे जहां पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। 14 मामलों में **(परिशिष्ट 3.4)**, उन लेखाओं से अनुचित तरीके से पुनर्विनियोजन किया गया, जहां वास्तविक व्यय आधिक्य में परिणत हुआ। 36 मामलों में **(परिशिष्ट 3.5)** पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन करने के उपरांत भी वास्तविक व्यय अधिक हुआ। महत्वपूर्ण मामले (₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत/अधिक) नीचे दी गई **तालिका 3.8, 3.9** व **3.10** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.8: अनावश्यक पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुई बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	अंतिम बचत
राजस्व-दत्तमत								
1	07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	2055-00-108-05-S00N	335.97	2.58	0.08	338.63	319.34	-19.29
2	08-शिक्षा	2202-01-101-03-S00N	1,663.03	0.00	4.62	1,667.64	1,487.01	-180.63
3		2202-01-113-01-C90N	6.75	131.03	28.13	165.91	36.27	-129.64
4		2202-02-109-01-S00N	2,839.01	0.00	7.87	2,846.88	2,804.56	-42.32
5	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2210-01-110-03-S00N	300.47	25.64	7.07	333.18	320.93	-12.25
6	10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-19-S00N	187.94	0.00	1.50	189.44	179.20	-10.24
7	11-कृषि	2401-00-108-17-S00N	0.00	0.00	16.48	16.48	0.00	-16.48
8	16-वन एवं वन्यजीव	2406-01-001-02-S00N	369.19	0.00	0.73	369.92	339.62	-30.3
9	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2235-02-102-05-S00N	104.71	0.00	0.23	104.94	68.85	-36.09
10	20-ग्रामीण विकास	2515-00-196-08-S00N	14.58	0.00	0.11	14.69	0.02	-14.67
11		2515-00-197-08-S00N	14.58	0.00	0.11	14.69	0.12	-14.57
12		2515-00-198-07-S00N	68.05	0.00	0.51	68.56	0.10	-68.46
13	31-जनजातीय विकास	2406-01-796-02-S00N	5.09	0.08	33.83	39.00	3.38	-35.62
14	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2202-01-789-21-C90N	2.58	40.28	23.23	66.09	19.07	-47.02
15		2406-02-789-02-S00N	3.21	0.00	15.11	18.32	2.41	-15.91
पूंजीगत-दत्तमत								
16	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702-00-101-06-C90N	46.86	50.70	0.32	97.88	47.25	-50.63
17	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	5054-04-337-27-S00B	47.19	0.00	6.10	53.29	42.23	-11.06

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 3.9: अनुचित पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरुप हुआ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	पुनर्विनियोजन	वास्तविक	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	29-वित्त	2071-01-104-02-S00N	966.83	0.00	966.83	-66.83	1070.22	103.39
2	31-जनजातीय विकास	3054-04-796-01-S00N	17.60	0.00	17.60	-0.52	137.20	119.60
पूंजीगत-दत्तमत								
3	09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4210-03-105-12-C90N	0.02	0.00	0.02	-0.01	25.63	25.61

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 3.10: अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरुप हुआ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	20-ग्रामीण विकास	2216-03-102-07-C90N	10.41	9.20	28.02	47.63	64.36	16.73
2	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	2217-80-191-51-S00N	1.00	0.00	4.09	5.09	33.05	27.96
3		2217-80-191-54-S00N	0.00	15.70	24.57	40.27	160.06	119.79
4	29-वित्त	2071-01-101-03-S00N	4,967.68	181.80	17.70	5,167.18	5,844.72	677.55
5		2071-01-102-02-S00N	687.04	110.00	53.87	850.91	923.01	72.10
पूंजीगत- दत्तमत								
6	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	4851-00-101-04-S00N	0.00	0.00	0.05	0.05	66.00	65.95

स्रोत: विनियोजन लेखे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 44(2) के अनुसार वित्त विभाग के अनुमोदन से निधियों का पुनर्विनियोजन तभी किया जाएं, जब यह ज्ञात या प्रत्याशित हो कि जिस इकाई से निधियां स्थानांतरित की जानी है, उसमें विनियोजन का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या उक्त इकाई के विनियोजन में बचत प्रभावित हो सकती है।

3.3.7 बचत

बजट में हर उस चीज का, जिसे पहले से भांपा जा सके, प्रावधान करना तथा जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान करना सभी प्राक्कलन अधिकारियों का स्वर्णिम सिद्धांत माना जाना चाहिए। पूर्ण रूप से सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता; परंतु जहां

दूरदर्शिता के अभाव, स्पष्ट अनुमान की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अनुमान बनाया जाता है, वहां उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को अनुमानों की जांच करते समय, विगत वास्तविकों के प्रमाणित तथा अच्छी तरह से जांचे गए औसत को, साथ ही उन ज्ञात अथवा यथायोग्य पूर्वाभास तथ्यों को जो औसत में संशोधन ला सकते है, कठोरता से लागू करना चाहिए।

जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः प्रकट होती है, नियंत्रण अधिकारियों को अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि का आंकलन सतर्कता से करना चाहिए। जितना हो सके उतना अधिक अभ्यपर्ण करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां जारी करने को बढ़ावा देते हैं तथा बड़ी शेष राशि को सरकारी खाते के बाहर, बैंक खातों में रोके रखने की विभागों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। अत्यधिक बचत अन्य विभागों को भी उन निधियों से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

(i) आबंटन की तुलना में बचत

विनियोजन के विश्लेषण से पता चला कि 62 मामलों में बचत हुई, जैसाकि **परिशिष्ट 3.6** में विवर्णित है। ₹ 66,991 करोड़ के कुल प्रावधानों के प्रति ₹ 4,967.34 करोड़ की सकल बचत हुई, जो ₹ 6,223.14 करोड़ की बचत का निवल परिणाम थी, जो कि विभिन्न अनुदानों में ₹ 1,255.80 करोड़ के व्यय आधिक्य से समायोजित हुई। ₹ 4,967.34 करोड़ की सकल बचत में से 12 अनुदानों से संबंधित 15 मामलों में अधिक मात्रा में बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ व अधिक) पाई गई, जिसका विवरण **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: 2023-24 के दौरान ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक	बचत
राजस्व-दत्तमत					
1	2	3	4	5	6 (5-4-3)
1	05-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,447.58	1,742.96	3,069.07	-121.47
2	08-शिक्षा	7,866.54	164.06	7,230.03	-800.57
3	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,521.14	193.95	2,527.81	-187.28
4	10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	3,307.74	0.00	2,630.08	-677.67
5	16-वन एवं वन्यजीव	746.33	57.36	649.82	-153.87

क्र.सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक	बचत
6	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1,712.86	46.27	1,615.10	-144.03
7	20-ग्रामीण विकास	1,438.21	67.94	1,022.95	-483.20
8	31-जनजातीय विकास	1,823.81	40.24	1,535.42	-328.63
9	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2,476.94	219.23	2,386.75	-309.42
पूंजीगत-दत्तमत					
10	10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	1,076.46	775.89	1,500.98	-351.37
11	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	681.61	0.00	336.41	-345.20
12	26-पर्यटन और नागरिक उड्डयन	484.44	5.99	274.48	-215.95
13	31-जनजातीय विकास	498.14	0.00	309.16	-188.98
14	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,240.21	21.00	878.17	-383.04
पूंजीगत- प्रभारित					
15	29-वित्त	5,486.64	3,369.98	7,895.87	-960.75

स्रोत: विनियोजन लेखे

लोक निर्माण, शिक्षा, वित्त एवं ग्रामीण विकास विभागों में बड़ी बचत देखी गई।

चार्ट 3.4 अनुदानों/विनियोगों को बजट आवंटन के प्रति बचत के प्रतिशत के अनुसार वर्गीकृत करता है। इस चार्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष के दौरान 10 अनुदानों में ₹ 2,953.52 करोड़ (प्रत्येक अनुदान में पांच से 20 प्रतिशत) की बचत हुई।

चार्ट 3.4: प्रत्येक समूह में हुई कुल बचत सहित बचत के प्रतिशत द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या

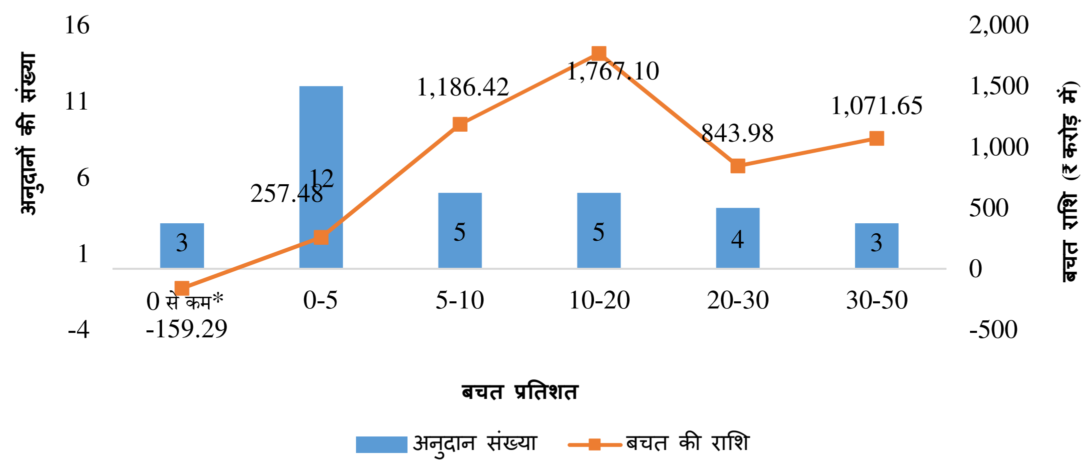

** टिप्पणी: शून्य (0) से कम दिखाई गई राशि आधिक्य को दर्शाती है।*

बचत अपने पास रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है अतः आदर्श रूप से इसे समय पर अभ्यर्पित कर देना चाहिए। अतएव जिन विनियोजनों के अव्ययित रहने की संभावना है, इनके अभ्यर्पण हेतु शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए। बचत का अभ्यर्पण न करने से अन्य व्यय करने वाले विभाग उन निधियों से वंचित रह जाते हैं, जिसका वे उपयोग कर सकते थे तथा इस प्रकार वे विभाग पूरक अनुदानों की मांग से बच सकते थे। अभ्यर्पण आमतौर पर मार्च माह में किए जा रहे हैं तथा किए गए व्यय के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक

अध्ययन एवं गत माह के व्यय की प्रगति पर ध्यान देना एक नियंत्रण अधिकारी को उचित सटीकता एवं शुद्धता के साथ अपनी अंतिम आवश्यकताएं तय करने में सक्षम बनाता है।

(ii) निरंतर बचत

विगत पांच वर्षों के दौरान 17 अनुदानों से संबंधित 25 ऐसे मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए, जहां लगातार बचत हुई (**परिशिष्ट 3.7** में विवरण दिया गया है), जिनमें से सात मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) नीचे **तालिका 3.12** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.12: निरंतर बचत के मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ 100 या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व-दत्तमत							
1	08	शिक्षा	-1,110.61	-1,362.09	-1,096.43	-121.60	-800.57
2	09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	-377.72	-489.64	-243.85	-207.53	-187.28
3	10	लोक निर्माण कार्य - सड़क, पुल व भवन	-736.83	-963.02	-1,194.46	-552.77	-677.67
4	20	ग्रामीण विकास	-351.17	-163.47	-134.10	-120.02	-483.20
5	31	जनजातीय विकास	-371.39	-415.69	-403.42	-206.93	-328.64
6	32	अनुसूचित जाति उप योजना	-513.37	-264.69	-141.50	-193.90	-309.43
पूंजीगत-दत्तमत							
7	32	अनुसूचित जाति उप योजना	-231.62	-149.75	-390.46	-321.78	-383.05

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त अनुदानों में पर्याप्त मात्रा में हुई निरंतर बचत इंगित करती है कि इन विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे क्योंकि वे आवंटित धन खर्च करने में असमर्थ रहे। विभागों को खर्च करने की अपनी क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि ये सभी सामाजिक क्षेत्र के विभाग हैं और यहां तक कि धन आवंटित करते समय पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इन्हें इंगित किया गया था।

(iii) ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

मार्च माह की समाप्ति तक प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक के अभ्यर्पण के दृष्टांत **तालिका 3.13** में दिए गए हैं।

तालिका 3.13: मार्च 2024 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत							
1	4	219.66	12.79	232.45	214.24	-18.21	-10.48
2	6	113.70	20.07	133.77	112.28	-21.49	-16.28
3	7	1,634.64	56.78	1,691.42	1,636.70	-54.72	-46.79
4	8	7,866.54	164.06	8,030.60	7,230.03	-800.57	-251.41
5	9	2,521.14	193.95	2,715.09	2,527.81	-187.28	-63.62
6	10	3,307.74	0.00	3,307.74	2,630.08	-677.66	-350.67
7	11	405.88	7.64	413.52	326.81	-86.71	-49.81
8	16	746.33	57.36	803.69	649.82	-153.87	-61.69
9	19	1,712.86	46.27	1,759.13	1,615.10	-144.03	-105.04
10	31	1,823.81	40.24	1,864.05	1,535.42	-328.63	-85.34
11	32	2,476.94	219.23	2,696.17	2,386.75	-309.42	-33.43
पूंजीगत-दत्तमत							
12	15	681.61	0.00	681.61	336.41	-345.20	-290.95
13	26	484.44	5.99	490.43	274.48	-215.95	-33.06
14	31	498.14	0.00	498.14	309.16	-188.98	-19.21
15	32	1,240.21	21.00	1,261.21	878.17	-383.04	-265.32
योग		**25,733.64**	**845.38**	**26,579.02**	**22,663.26**	**-3,915.76**	**-1,683.10**

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका में दिया है, माह मार्च 2024 में 15 मामलों में कुल ₹ 1,683.10 करोड़ (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण किया गया (कुल आवंटित बजट का 6.54 प्रतिशत)।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 41 के अनुसार बचत सहित वे प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना जब भी अनुमान लगाया जाए, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाए। किसी भी बचत को भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखा जाए।

सभी अभ्यर्पण आदेशों की जांच/संवीक्षा के दौरान पाया गया कि अभ्यर्पण आदेश वर्ष के अंतिम दिन (अर्थात् 31 मार्च) को दिए गए। वर्ष के अंत में निधियों का अभ्यर्पण व्यय की निम्नस्तरीय निगरानी, कमजोर वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है तथा इसका तात्पर्य है कि निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका।

(iv) उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदान/विनियोजनों की संख्या का वितरण

उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या के वितरण का विवरण **चार्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.5: उपयोग के प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या का वितरण

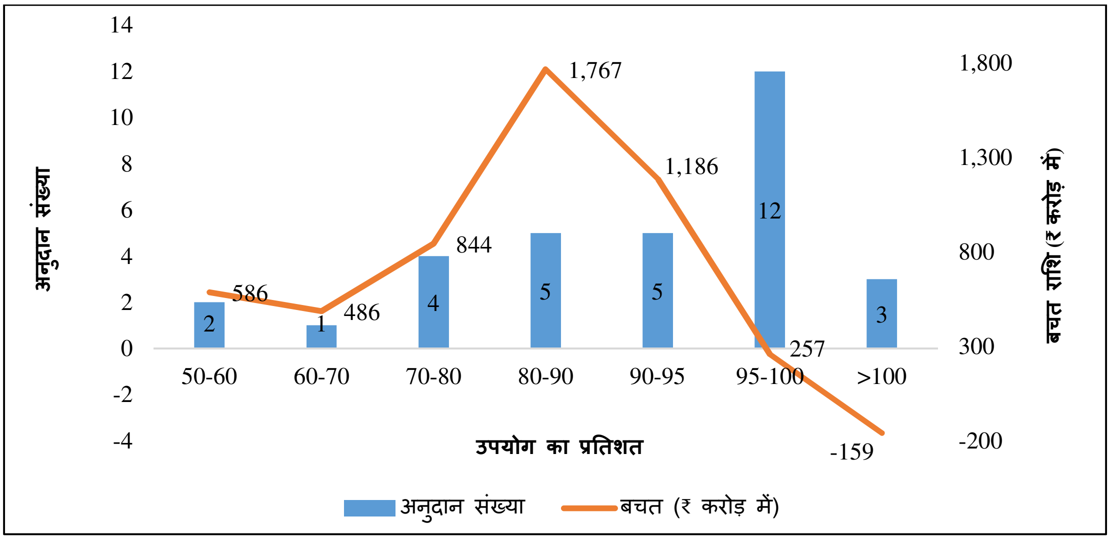

टिप्पणी: शून्य (0) से कम दिखाई गई राशि आधिक्य को दर्शाती है।

दो अनुदानों (अनुदान संख्या 15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना और 26-पर्यटन व नागरिक उड्डयन) में उपलब्ध निधियों का उपयोग 60 प्रतिशत से कम हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 585.73 करोड़ की बचत हुई।

तीन अनुदानों (18, 28 व 29) में उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 159.29 करोड़ का आधिक्य हुआ।

चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति/अंतिम दिन से पूर्व बचत व अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

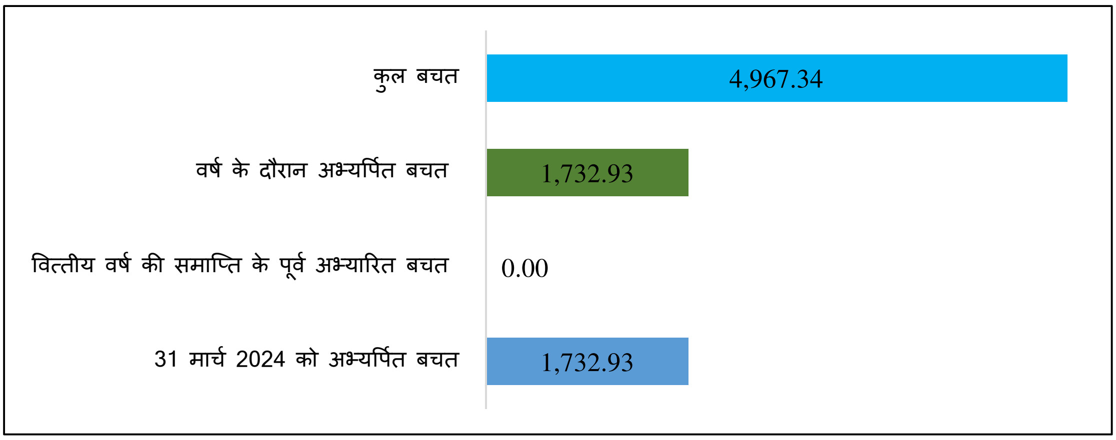

चार्ट 3.6 के विश्लेषण से उजागर हुआ कि बचत का मात्र 35 प्रतिशत अभ्यर्पित किया गया। सभी अभ्यर्पण (₹ 1,732.93 करोड़) 31 मार्च 2024 को किए गए। यह निधियों के कमजोर प्रबंधन का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों का निम्नतर इष्टतम उपयोग हुआ।

3.3.8 व्यय आधिक्य एवं इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को अनुदान/विनियोजनों से अधिक आहरण को राज्य विधायिका से विनियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है।

3.3.8.1 व्यय आधिक्य

प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायिका से अपेक्षित संस्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु यह अकुशल कार्य-योजना का भी परिचायक है। बजटीय परिव्यय के संदर्भ में व्यय की वृद्धि के क्रम पर दृष्टि रखकर इस को टाला जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय आधिक्य के विवरण **तालिका 3.14** दिए गए हैं।

तालिका 3.14: 2023-24 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक संवितरण का सारांश

(₹ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	दत्तमत		प्रभारित	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	03-न्याय प्रशासन	--	29,02,742	--	--
2	04-सामान्य प्रशासन	--	1,56,705	--	--
3	05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	--	89,07,31,500	--	--
4	08-शिक्षा	--	2,49,33,718	--	--
5	09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	--	2,76,28,007	--	--
6	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	--	--	--	344
7	16-वन एवं वन्यजीव	--	--	2,10,000	--
8	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	--	64,99,88,786	--	--
9	23- विद्युत विकास	--	4,65,29,000	--	--
10	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	--	8,20,06,000	--	--
11	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	96,91,88,399	5,74,28,266	--	--
12	29-वित्त	9,80,63,24,113	--	--	--
कुल		**10,77,55,12,512**	**1,78,23,04,724**	**2,10,000**	**344**
सकल योग		**1255,80,27,580 या ₹ 1,255.80 करोड़**			

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है वर्ष 2023-24 के दौरान 13 मामलों (12 अनुदान से सम्बंधित) में बजट प्रावधान से ₹ 1,255.80 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ, जिसका राज्य विधायिका से विनियमन अपेक्षित है। मुख्य शीर्ष-वार आधिक्य का विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दिया गया है एवं ₹ 50 करोड़ से अधिक वाले मामले **तालिका 3.15** में दिए गए हैं।

तालिका 3.15: 2023-24 के दौरान प्राधिकार से अधिक किए गए मुख्य शीर्ष-वार संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	29-वित्त	2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	8,693.78	598.71	9,292.49	10,294.46	1,001.98
2	13- सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,822.38	139.90	1,962.28	2,091.32	129.03
3	05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	8.00	45.27	53.27	142.34	89.07
4	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	2217- शहरी विकास	485.57	329.08	814.79	884.42	69.62
5	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	4851- ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5.62	0.00	5.62	70.62	65.00
6	23- विद्युत विकास	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	6.52	40.48	47.00	97.33	50.33

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.8.2 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी अनुदान में लगातार आधिक्य का कोई मामला नहीं था।

3.3.8.3 विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन

लम्बी अवधि तक व्यय आधिक्य का विनियमन न होना कार्यकारिणी पर विधायी नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

वर्ष 2014-15 से 2022-23 के दौरान हुआ ₹ 11,262.78 करोड़ का व्यय आधिक्य जनवरी 2025 तक राज्य विधायिका से विनियमित होना शेष था। जिसमें से ₹ 8,818.47 करोड़ का व्यय (वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि से संबंधित) राज्य विधायिका ने फरवरी 2025 के दौरान विनियमित कर दिया। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 व 2022-23 हेतु ₹ 2,444.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अभी भी विनियमन के लिए लंबित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 10 अनुदानों व दो विनियोजनों में ₹ 1,255.80 करोड़ का प्राधिकार से अधिक किया गया व्यय आधिक्य भी विनियमन हेतु अपेक्षित है।

विनियमन हेतु लम्बित व्यय आधिक्य की वर्ष-वार राशि नीचे **तालिका 3.16** में दी गई है:

तालिका 3.16: विगत वर्षों से संबंधित व्यय आधिक्य

वर्ष	अनुदान/ विनियोजन संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	विनियोजन लेखों में टिप्पणीबद्ध आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित हैं (आंकडे ₹ में)	विनियमन प्रास्थिति
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1, 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 23 (राजस्व) 23 (पूंजीगत) व 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूंजीगत), 31	15,85,69,18,458	राज्य विधायिका द्वारा विनियमित किया गया (फरवरी 2025)
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 (राजस्व) व 13, 16, 29 (राजस्व) 29 (पूंजीगत)	28,48,43,38,113	
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2, 13 (राजस्व) 3, 10, 23 (पूंजीगत) व 1, 16 (राजस्व) 29 (पूंजीगत)	30,37,60,82,471	
2017-18	2 अनुदान 1 विनियोजन	5, 10 (राजस्व) व 10 (पूंजीगत)	3,86,76,41,211	
2018-19	6 अनुदान 5 विनियोजन	05, 13, 22 (राजस्व), 03, 10, 12 (पूंजीगत) व 07, 20, 25 (राजस्व), 10, 29 (पूंजीगत)	8,21,37,16,840	
2019-20	4 अनुदान 3 विनियोजन	22 (राजस्व), 13, 21, 28 (पूंजीगत) व 05 (राजस्व), 13, 29 (पूंजीगत)	49,91,20,218	
2020-21	3 अनुदान 2 विनियोजन	28 (राजस्व), 10,25 (पूंजीगत) 13 (राजस्व),31 (पूंजीगत)	88,69,12,706	
कुल (2014-15 से 2020-21):			**88,18,47,30,017**	
2021-22	13 अनुदान 2 विनियोजन	05,12,23 (राजस्व), 05,06,07,08,09,17,18,20,23,25, 27,30 (पूंजीगत), 07(राजस्व), 13 (पूंजीगत)	17,82,16,59,142	प्रक्रियाधीन
2022-23	16 अनुदान 2 विनियोजन	14,17,18,22,25,28,29,30 (राजस्व), 5,7,9,12,18,20,21,23,25,27,30 (पूंजीगत), 8 (राजस्व), 13 (पूंजीगत)	6,62,14,42,051	
कुल (2021-22 व 2022-23):			**24,44,31,01,193**	
सकल योग			**1,12,62,78,31,210**	

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.9 पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान

भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों के अतिरिक्त, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी को संवितरित सहायता-अनुदान राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किए जाएं, भले ही सहायता-अनुदान के रूप में संवितरित निधि अनुदेयी ने जिस भी उद्देश्य से खर्च की हो।

वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत संपत्तियों के निर्माणार्थ सहायता-अनुदान के रुप में ₹ 911.06 करोड़ की राशि भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुपालन में सम्पूर्ण राशि राजस्व शीर्ष के तहत बुक की गयी एवं लेखाओं में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत की गई।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता

3.4.1 बजट प्राक्कलन एवं प्रत्याशित व वास्तविक के मध्य अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों व सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति हेतु संतुलन बनाए रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच धन का इष्टतम आवंटन नहीं हो पाता। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत से अन्य विभाग उन निधियों से वंचित हो जाते हैं, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2023-24 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के संबंध में मूल एवं अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति **तालिका 3.17** में दी गई है।

तालिका 3.17: 2023-24 के दौरान बजट (मूल/ अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-)	मार्च में अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	40,281.72	4,850.25	45,131.97	42,591.56	-2,540.41	1,109.27	2.46
	II. पूंजीगत	5,252.34	1,871.46	7,123.80	5,677.51	-1,446.29	617.40	8.67
	III. ऋण व अग्रिम	19.71	43.10	62.81	106.95	44.14	5.96	9.49
	कुल	**45,553.77**	**6,764.81**	**52,318.58**	**48,376.02**	**-3,942.56**	**1,732.63**	**3.31**
प्रभारित	I. राजस्व	5,643.29	157.45	5,800.74	5,739.12	-61.62	0.30	0.01
	II. पूंजीगत	0	15.35	15.35	12.94	-2.41	0	0.00
	III. ऋण व अग्रिम	5,486.64	3,369.98	8,856.62	7,895.87	-960.75	0	0.00
कुल		**11,129.93**	**3,542.78**	**14,672.71**	**13,647.93**	**-1,024.78**	**0.30**	**0.01**
सकल योग		**56,683.70**	**10,307.59**	**66,991.29**	**62,023.95**	**-4,967.34**	**1,732.93**	**2.59**

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2023-24 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 66,991.29 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 62,023.95 करोड़ रहा। 31 अनुदानों व 11 विनियोजनों में हुई ₹ 6,223.14 करोड़ की बचत के शुद्ध परिणाम के रूप में ₹ 4,967.34 करोड़ की समग्र बचत हुई, जो 12 अनुदान/विनियोजन में हुए ₹ 1,255.80 करोड़ के आधिक्य से समायोजित हुई। ₹ 4,967.34 करोड़ की निवल बचत में

से मात्र ₹ 1,732.93 करोड़ (35 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित किए गए। सभी अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2024 को किए गए।

पांच वर्षों के दौरान बजट उपयोग की प्रास्थिति **चार्ट 3.7** में दी गई है।

चार्ट 3.7: बजट उपयोग की प्रवृत्ति

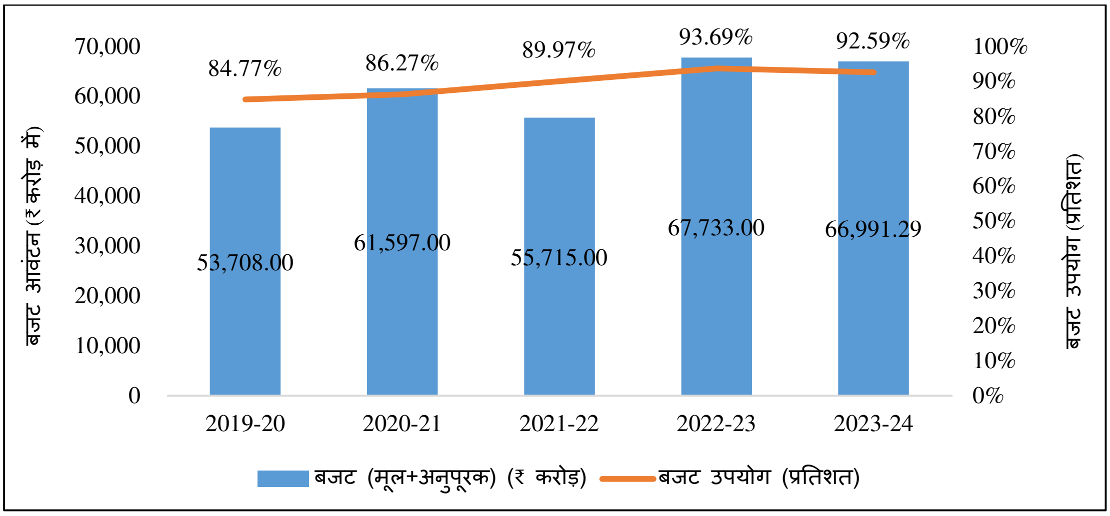

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान कुल आवंटन के सापेक्ष बजट उपयोग के प्रतिशत में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई जबकि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें मामूली गिरावट हुई।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय के विवरण **तालिका 3.18** में दिए गए हैं।

तालिका 3.18: 2019-24 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

संघटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	46,971	52,472	53,485	54,592	56,684
अनुपूरक बजट	6,737	9,125	2,230	13,141	10,307
कुल बजट	53,708	61,597	55,715	67,733	66,991
संशोधित अनुमान	49,688	53,460	48,834	62,871	61,625
वास्तविक व्यय	45,528	53,139	50,129	63,463	62,024
बचत (-)/ आधिक्य (+)	-8,180	-8,458	-5,586	-4,270	-4,967
मूल प्रावधान से अनुपूरक का प्रतिशत	14.34	17.39	4.17	24.07	18.18
समग्र प्रावधान से सकल बचत/आधिक्य का प्रतिशत	-15.23	-13.73	-10.03	-6.30	-7.41
कुल बजट-संशोधित अनुमान	4,020	8,137	6,881	4,862	5,366
संशोधित अनुमान-वास्तविक व्यय	4,160	321	-1,295	-592	-399
(कुल बजट-संशोधित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	7.48	13.21	12.35	7.18	8.01
(संशोधित अनुमान-वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	7.75	0.52	-2.32	-0.87	-0.60

स्रोत: विनियोजन लेखे व संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज

तालिका 3.17 दर्शाती है कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 10,307 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 18.18 प्रतिशत रहे जबकि विगत वर्ष यह 24.07 प्रतिशत थे।

बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और उसके सापेक्ष उपयोग की प्रवृत्ति **चार्ट 3.8** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.8: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक को दर्शाती प्रवृत्ति

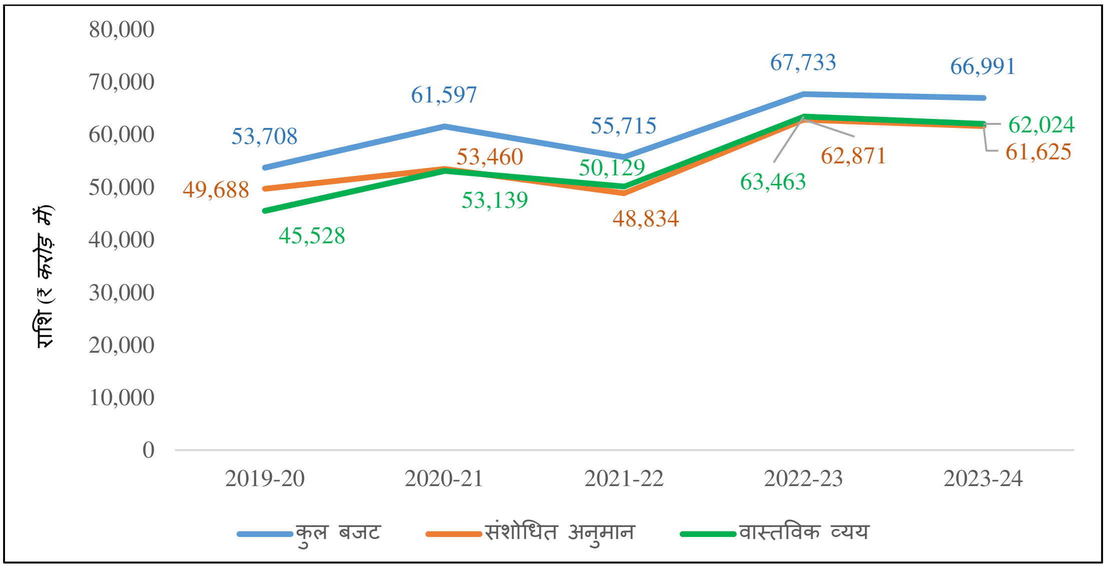

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि इन पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में कुल बजट सदैव संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय से अधिक रहा। वर्ष 2019-20 के अतिरिक्त, संशोधित अनुमान वास्तविक व्यय के करीब रहे।

प्रतिशत के संदर्भ में वर्ष 2019-24 के दौरान संशोधित अनुमान कुल बजट से 7.18 प्रतिशत से 13.21 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय का प्रतिशत संशोधित अनुमान से क्रमशः 7.75 प्रतिशत व 0.52 प्रतिशत कम था, जबकि विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) में संशोधित अनुमान वास्तविक व्यय से क्रमशः 2.32 प्रतिशत, 0.87 प्रतिशत व 0.60 प्रतिशत कम था (जैसाकि **तालिका 3.18** में दर्शाया गया है)। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 व 2021-22 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

यह परिचायक है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़े हुए थे तथा वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम रहा।

3.4.2 अनुपूरक बजट

कभी-कभी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय विभाग विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत अलग-अलग उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग की सूचना देता है, परन्तु वे न तो संपूर्ण

अनुपूरक प्रावधान या उसके किसी हिस्से को खर्च कर पाता है एवं न ही मूल बजट प्रावधान को ही खर्च कर पाता है। 'पूंजीगत-दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण **तालिका 3.19** में नीचे दिया गया है।

तालिका 3.19: 'पूंजीगत-दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आबंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधियां
1	01- विधान सभा	3.05	2.62	5.67	5.55	0.12
2	06-आबकारी एवं कराधान	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
3	07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	57.74	30.74	88.48	79.16	9.32
4	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	1,076.46	775.89	1,852.35	1,500.98	351.37
5	11-कृषि	47.33	0.00	47.33	33.74	13.59
6	12-बागवानी	7.69	7.00	14.69	14.40	0.29
7	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	538.05	571.11	1,109.16	1,079.18	29.98
8	14-पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	9.62	0.54	10.16	7.51	2.65
9	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	681.61	0.00	681.61	336.41	345.20
10	16-वन एवं वन्यजीव	13.99	0.00	13.99	2.96	11.03
11	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	26.23	2.21	28.44	27.02	1.42
12	20-ग्रामीण विकास	12.25	0.00	12.25	9.52	2.73
13	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0.11	0.00	0.11	0.06	0.05
14	24-प्रिंटिंग व स्टेशनरी	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30
15	25-सड़क एवं जल परिवहन	127.35	141.51	268.86	256.47	12.39
16	26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	484.44	5.99	490.43	274.48	215.95
17	29-वित्त	6.68	2.50	9.17	7.32	1.85
18	30-विविध सामान्य सेवाएं	23.40	9.43	32.83	24.74	8.09
19	31-जनजातीय विकास	498.14	0.00	498.14	309.16	188.98
20	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,240.21	21.00	1,261.22	878.17	383.05
योग		**4,856.65**	**1,570.54**	**6,427.19**	**4,846.83**	**1,580.36**

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.4.3 बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय

सरकार बजट भाषण एवं अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु कई नई नीतियों/योजनाओं की घोषणा करती है, जो या तो उस विशेष वित्तीय वर्ष (एक बार की गतिविधि) या बाद के वित्तीय वर्षों (आवर्ती प्रकृति के) के लिए होती हैं।

वर्ष 2023-24 हेतु बजट में कुछ प्रमुख नीतियों की घोषणा की गई परन्तु उनके सापेक्ष कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। विवरण **तालिका 3.20** में दिया गया है।

तालिका 3.20: 2023-24 के दौरान बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं व वास्तविक व्यय

क्र.सं.	योजना के नाम	बजट प्रावधान
1	मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना	निरंक
2	मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान	
3	नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान	
4	हिम गंगा	
5	मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना	

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.4.4 योजनाएं एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनको किया गया वास्तविक वित्तपोषण

योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों को मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न होने इत्यादि कारणों से सरकार की कई नीतिगत पहल या तो आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई हैं या नहीं की गई। इससे लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रह जाते हैं। ऐसी योजनाओं में बचत होने से अन्य विभागों को वह निधियां नहीं मिलती जिसका उपयोग किया जा सकता था।

वर्ष 2023-24 के दौरान 40 ऐसी योजनाएं थीं जहां बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ (**परिशिष्ट 3.9** में विवरण दिया गया है)। ऐसी आठ प्रमुख योजनाओं (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) का विवरण **तालिका 3.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.21: ऐसी कुछ योजनाओं का विवरण जिनके लिए पर्याप्त प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	अभ्युक्ति
1	20	वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान	129.52	वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया।
2	20	केंद्रीय वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों को टाइड अनुदान	28.24	
3	20	केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायत समितियों को टाइड अनुदान	27.75	
4	19	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	20.14	
5	20	केंद्रीय वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों को मूल अनुदान	18.82	
6	11	हिम उन्नति	16.48	
7	08	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना	16.45	
8	29	अटल पेंशन योजना	15.00	

स्रोत: विनियोजन लेखे

स्वीकृत योजनाओं पर निधियों की अप्रयुक्ति दर्शाती है कि राज्य सरकार के विभागों ने या तो ऐसी योजनाएं प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी अथवा उनके कार्यान्वयन की

क्षमता नहीं थी। योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमताओं के कारण सरकारी खाते से इतर नकद शेष को बैंक खातों में रखने या वर्ष के अंत में निधियां अभ्यर्पित करने की प्रवृत्ति विभागों में बढ़ जाती है, जिससे अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रह जाते है जिसका उपयोग किया जा सकता था।

3.4.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकारी निधियां सम्पूर्ण वर्ष के दौरान एक समान रूप से खर्च की जानी चाहिए। व्यय की गति स्थिर बनाए रखना, सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह राजकोषीय असंतुलन एवं अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न अस्थाई नकदी संकट को टालता है।

चरणबद्ध ढंग से व्यय विनियमित करने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान हुए व्यय हेतु तिमाही-वार प्रतिशतता (प्रथम तिमाही-20 प्रतिशत; द्वितीय तिमाही- 25 प्रतिशत; तृतीय तिमाही-30 प्रतिशत; चतुर्थ तिमाही- 25 प्रतिशत) निर्धारित की (सितम्बर 1995)।

संवीक्षा में वर्ष 2023-24 के दौरान 19 मुख्य शीर्षों के तहत 25 प्रतिशत लक्ष्य के प्रति अंतिम तिमाही में 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय होना पाया गया। चार मामलों में केवल मार्च माह में ही कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय किया गया। विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दिए गए हैं।

यह भी पाया गया कि मुख्य शीर्ष- 2801 (विद्युत) के अंतर्गत ₹ 1,148.23 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 721.71 करोड़ (62.85 प्रतिशत) विगत तिमाही में व्यय किए गए जबकि ₹ 235.40 करोड़ (21 प्रतिशत) मार्च 2024 में व्यय किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत के तहत हुआ माह-वार व्यय **चार्ट 3.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.9: 2023-24 के दौरान "2801-विद्युत" के तहत माहवार व्यय

(₹ करोड़ में)

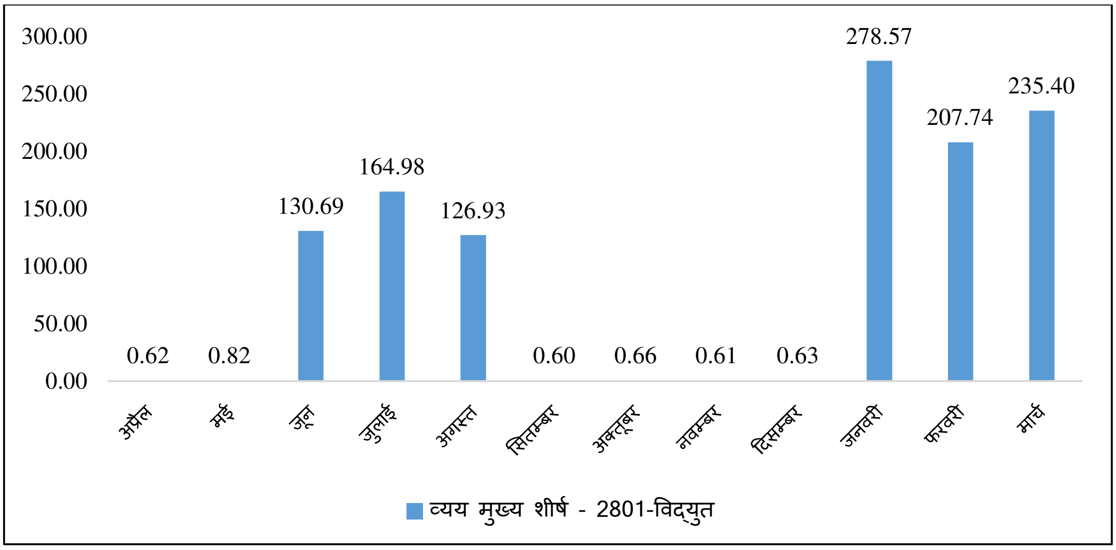

अंतिम तिमाही के दौरान विशेषकर मार्च माह में व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों का पालन न करने का परिचायक है। सरकारी निधियां पूरे वर्ष समान रूप से व्यय की जानी चाहिए। व्यय की स्थिर गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन एवं अस्थायी नकदी संकट को टालता है। सभी अनुदानों पर हुए व्यय का त्रैमासिक विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है।

इस परिशिष्ट से स्पष्ट है कि 28 अनुदानों के मामले में वर्ष के दौरान त्रैमासिक व्यय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अंतिम तिमाही में जहां 40 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ, उन अनुदानों का विवरण **तालिका 3.22** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.22: 2023-24 के दौरान अंतिम तिमाही में 40 से अधिक के व्यय वाले अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24 के दौरान आवंटन	व्यय					2023-24 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में हुआ व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2024 में हुआ व्यय
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
1	10 लोक निर्माण कार्य - सड़क, पुल व भवन	5,163.41	579.62	924.52	926.98	1,700.77	1,063.56	4,131.88	41.16	25.74
2	13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	3,867.63	731.69	645.95	706.52	1,725.07	1,101.32	3,809.24	45.29	28.91
3	23 विद्युत विकास	917.74	88.61	228.37	4.86	553.69	156.66	875.54	63.24	17.89
4	26 पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	524.40	34.55	19.32	27.22	219.08	198.86	300.17	72.99	66.25
5	28 शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	948.03	128.23	372.51	68.25	481.69	304.15	1,050.69	45.84	28.95

अंतिम तिमाही, मुख्यतः मार्च माह के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों की अवमानना को दर्शाता है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/ माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र सृजित करें।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2023-24 के लिए दो अनुदानों अर्थात् अनुदान संख्या 08- 'शिक्षा' एवं अनुदान संख्या 20- 'ग्रामीण विकास' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया व व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा से निम्नलिखित उजागर हुआ:

3.5.1 अनुदान संख्या 08 - शिक्षा

यह अनुदान शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसमें मुख्य शीर्ष: 2059-लोक निर्माण, 2202-सामान्य शिक्षा, 2216-आवास, 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं।

(i) बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान अनुदान संख्या 08 के अंतर्गत आवंटित निधियों एवं किए गए व्यय की समग्र स्थिति, **तालिका 3.23** में विवर्णित है।

तालिका 3.23: बजट प्रावधान, व्यय, आधिक्य/बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	बजट		व्यय		बचत (-)/आधिक्य (+)	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2021-22	राजस्व	7,087.45	0.10	5,991.02	0.10	-1,096.43	0
	पूंजीगत	224.69	0.13	239.73	0.13	15.04	0
2022-23	राजस्व	7,891.90	0.23	7,770.30	0.43	-121.60	0.20
	पूंजीगत	164.40	0	163.79	0	-0.62	0
2023-24	राजस्व	8,030.60	2.69	7,230.03	2.69	-800.57	0.0
	पूंजीगत	111.47	0	113.96	0	2.49	0

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2023-24 में राजस्व-दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत ₹ 800.57 करोड़ की भारी बचत हुई तथा पूंजीगत-दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत ₹ 2.49 करोड़ का आधिक्य हुआ।

(ii) अनावश्यक पुनर्विनियोजन

वर्ष 2023-24 के दौरान 8 मामलों में **(तालिका 3.24)** पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचा।

तालिका 3.24: अनावश्यक पुनर्विनियोजन सिद्ध हुए मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बजट	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	2202-01-101-03-S00N	1,663.03	4.62	1,487.01	-180.64
2	2202-01-104-01-S00N	21.05	0.17	19.12	-2.10
3	2202-01-104-02-S00N	73.44	0.71	71.09	-3.05
4	2202-01-107-04-S00N	24.99	0.89	21.96	-3.92
5	2202-01-112-01-C90N	82.23	5.01	79.58	-7.67
6	2202-01-113-01-C90N	137.78	28.13	36.27	-129.64
7	2202-02-001-01-S00N	22.34	0.22	21.84	-0.72
8	2202-02-109-01-S00N	2,839.01	7.87	2,804.56	-42.32

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। वे मामले जहां पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुए वहां अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु कई शीर्षों में हुई बचतों को पुनः विनियोजित किया जा सकता था।

(iii) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हुई बचत

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में चार केंद्र प्रायोजित योजनाएं यथा (i) मध्याह्न भोजन, (ii) न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, (iii) समग्र शिक्षा अभियान, एवं (iv) राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम व परिणाम सुदृढ़ीकरण इत्यादि कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य, छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और उनके सीखने के परिणामों को सुधारना; प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करना, शिक्षण मूल्यांकन प्रणालियां, शिक्षक प्रदर्शन और कक्षा प्रथाओं को सुदृढ़ करना, स्कूल से कार्यस्थल तक अवस्थांतरण एवं सेवाओं के बेहतर वितरण हेतु शासन व विकेंद्रीकृत प्रबंधन को सशक्त बनाना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, कक्षाओं में प्रभावी शिक्षण विधियों को लागू करना तथा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित कुल बजट ₹ 668.15 करोड़ था, जिसमें से मात्र 53 प्रतिशत बजट का ही उपयोग किया गया। विवरण **तालिका 3.25** में दिया गया है।

तालिका 3.25: केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत हुई बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

योजना	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	बचत
मध्याह्न भोजन	2202-01-112-01	139.35	0.00	7.67	147.02	120.50	26.52
न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम	2202-01-105-01	0.02	0.00	1.42	1.44	0.36	1.08
समग्र शिक्षा अभियान	2202-01-113-02	334.59	0.00	0.00	334.59	193.50	141.09
राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम व परिणाम सुदृढ़ीकरण (स्टार)	2202-01-113-01	6.76	150.21	28.13	185.10	40.30	144.80
योग		**480.72**	**150.21**	**37.22**	**668.15**	**354.66**	**313.49**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन योजनाओं के अंतर्गत भारी बचत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति राज्य सरकार/विभाग की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए विभाग ने बताया कि इन योजनाओं के अंतर्गत हुई बचत भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुई। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर भी व्यय नहीं किया गया। इससे लाभार्थी अपेक्षित लाभ से वंचित रह जाते हैं।

ऐसी योजनाओं में बचत से अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रह जाते हैं जिसका उपयोग किया जा सकता था।

(iv) संपूर्ण बजट प्रावधान की अप्रयुक्ति

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2023-24 के दौरान छः योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 31.85 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया परन्तु विभाग ने कोई व्यय नहीं किया। विवरण **तालिका 3.26** में दिया गया है।

तालिका 3.26: प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय न होने वाली कुछ योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	व्यय
1	2202-02-109-38-S00N	राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल	9.74	वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया।
2	2202-02-107-03-S10N	ओबीसी व अन्य पोस्ट मैट्रिक हेतु वाइब्रेंट इंडिया के लिए प्रधानमंत्री यंग अचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना	0.66	
3	2202-02-109-15-S00N	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना	16.45	
4	2202-80-107-18-S00N	कल्पना चावला छात्रवृति योजना	2.47	
5	2202-02-109-30-S00N	खेल से स्वास्थ्य योजना	1.82	
6	2202-02-109-21-S00N	मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना	0.71	
		योग	**31.85**	

स्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग न करना परिलक्षित करता है कि राज्य सरकार के विभागों ने या तो ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी या उनके पास उनके कार्यान्वयन की क्षमता नहीं थी।

प्रत्युत्तर में निदेशक, उच्च शिक्षा, शिमला ने बताया कि इन बिलों को कोषागार द्वारा पारित न करने से विभाग इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों की देयताओं की पूर्ति भी इन निधियों से की गई। विभाग का उत्तर संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि विभाग ने कोषागार द्वारा बिल पारित न करने के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

(v) बजट प्रावधान से ऊपर व अधिक व्यय आधिक्य

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 37 (3) के अनुसार अनुपूरक अनुदान या विनियोजन या आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यय नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव किसी वित्तीय वर्ष में राज्य विधायिका द्वारा विधिपूर्वक अधिकृत कुल अनुदान या विनियोजन से अधिक हो।

विभाग के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 22.89 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति शीर्ष 4202-01-202-01 के तहत ₹ 44.86 करोड़

व्यय किया गया, जो अनुमोदित बजट प्रावधान से ₹ 21.97 करोड़ के व्यय आधिक्य में परिणत हुआ।

प्रत्युत्तर में निदेशक, उच्च शिक्षा, शिमला ने बताया कि सरकार से ₹ 33.90 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्राप्त हुई थी, जिसे कोषागार से आहरित किया गया था परन्तु वित्त विभाग ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी, साथ ही पुनर्विनियोजन आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि इसे अनुपूरक अनुदान या पुनर्विनियोजन आदेश में लिया जाना चाहिए था।

(vi) आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण की विवरणी क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की तिथियां निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए (9 अगस्त 2023), जो थे- आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम विवरणी 31.10.2023 को, आधिक्य व अभ्यर्पण की द्वितीय विवरणी 31.12.2023 को तथा आधिक्य व अभ्यर्पण की तृतीय विवरणी 15.03.2024 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाएं।

वर्ष 2023-24 की आधिक्य व अभ्यर्पण की विवरणियों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम व द्वितीय विवरणी क्रमशः 15 दिन और 5 दिन के विलम्ब से 15 नवंबर 2023 एवं 5 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की।

उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला ने उत्तर में बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों से आंकड़े प्राप्त होने तथा मुख्यालय स्तर पर उनके समेकन में देरी के कारण बजट अनुमान व रिटर्न प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है तथा विभाग को अपने क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देना चाहिए था।

3.5.2 अनुदान संख्या 20 - ग्रामीण विकास

यह अनुदान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसमें मुख्य शीर्ष: 2216- आवास, 2230- श्रम रोजगार और कौशल विकास, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं।

(i) बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत आवंटित निधियों एवं उसके प्रति हुए व्यय की समग्र स्थिति **तालिका 3.27** में विवर्णित है।

तालिका 3.27: बजट प्रावधान, व्यय, आधिक्य/बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	बजट		व्यय		बचत (-)/ व्यय (+)	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2021-22	राजस्व	1,229.11	0.07	1,095.01	0.07	-134.10	0
	पूंजीगत	14.01	0	18.85	0	4.84	0
2022-23	राजस्व	1,771.88	0.06	1,651,86	0.06	-120.02	0
	पूंजीगत	15.16	0	15.51	0	0.35	0
2023-24	राजस्व	1,506.15	0	1,022.95	0	-483.20	0.00
	पूंजीगत	12.25	0	9.52	0	-2.73	0

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राजस्व प्रभाग में सात प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक लगातार बचत हुई।

(ii) संपूर्ण बजट प्रावधान की अप्रयुक्ति

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2023-24 के दौरान आठ मामलों में कुल ₹ 246.45 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया परन्तु विभाग द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया। विवरण **तालिका 3.28** में दिया गया है।

तालिका 3.28: प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय न होने वाली कुछ योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
1	2501-06-101-08-C90N	3.29	0.00	-3.29	वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया।
2	2501-06-800-09-S00N	2.63	0.00	0.00	
3	2505-01-702-06-S00N	32.90	0.00	-32.90	
4	2515-00-102-24-S00N	3.30	0.00	-3.30	
5	2515-00-196-06-S00N	18.82	0.00	0.00	
6	2515-00-196-07-S00N	28.24	0.00	0.00	
7	2515-00-197-07-S00N	27.75	0.00	0.00	
8	2515-00-198-06-S00N	129.52	0.00	0.00	
योग		**246.45**	**0**	**-39.49**	

स्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग न करना परिलक्षित करता है कि राज्य सरकार के विभागों ने या तो ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी या उनके पास उनके कार्यान्वयन की क्षमता नहीं थी।

विभाग ने उत्तर में बताया कि विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों, बकाया महंगाई भत्ते, संशोधित वेतन जारी न होने एवं राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण निधियां अप्रयुक्त रही।

(iii) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बजट में कटौती

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2023-24 के दौरान तीन योजनाओं में ₹ 132.84 करोड़ के मूल बजट प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा घटाकर ₹ 51.63 करोड़ कर देने के बावजूद ₹ 12.09 करोड़ की बचत हुई। यह इंगित करता है कि विभाग ने या तो यथार्थवादी बजट प्रावधान नहीं किए या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि निर्धारित प्रक्रिया/नियम के अनुसार संवितरित/अभ्यर्पित नहीं की। इन योजनाओं का विवरण **तालिका 3.29** में दिया गया है।

तालिका 3.29: केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बजट

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	बचत
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	2501-06-101-07-C90N	45.52	-28.02	17.50	13.16	-4.34
	2501-06-101-07-S10N	5.06	-3.34	1.72	0.03	-1.69
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	2501-06-101-08-C90N	3.29	-3.29	0.00	0.00	0.00
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	2515-00-102-23-C90N	78.97	-46.56	32.41	26.35	-6.06
योग		**132.84**	**81.21**	**51.63**	**39.54**	**12.09**

प्रत्युत्तर में विभाग ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि वार्षिक कार्य योजना की मसौदा प्रक्रिया के दौरान गत वर्ष के अधूरे रह गए लक्ष्यों को समाहित करने पर काफी जोर दिया गया था। हालांकि वर्ष 2023-24 के सभी अप्राप्त लक्ष्यों को आगामी वर्ष में लेते हुए पूर्ण कर लिया जाएगा।

(iv) बजट प्रावधान से ऊपर व अधिक व्यय आधिक्य

बजट प्रावधान के प्रति व्यय आधिक्य न केवल विधायी अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है अपितु निम्नस्तरीय नियोजन को भी इंगित करता है। बजटीय परिव्यय के संदर्भ में व्यय प्रगति पर नज़र रखकर इसे टाला जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान से हुए व्यय आधिक्य का विवरण **तालिका 3.30** में दिया गया है।

तालिका 3.30: बजट प्रावधान के प्रति व्यय आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	2216-03-102-07-C90N	10.41	9.20	28.02	47.63	64.36	16.73
2	2216-03-102-07-S10N	0.71	1.24	3.34	5.29	7.15	1.86
3	2501-06-101-05-C90N	27.64	0.00	0.00	27.64	28.14	0.50
4	2501-06-101-05-S10N	1.97	0.37	0.00	2.34	3.13	0.79
5	2505-02-101-01-S25N	59.23	0.00	0.00	59.23	81.21	21.98
6	2515-00-102-23-S10N	0.12	1.38	0.70	2.20	2.93	0.73
7	4515-00-103-02-S00N	0.40	0.00	0.00	0.40	0.70	0.30
योग		**100.48**	**12.19**	**32.06**	**144.73**	**187.62**	**42.89**

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विभाग ने सात मामलों में बजट प्रावधान से ₹ 42.89 करोड़ का व्यय आधिक्य किया, जो परिचायक है कि विभाग ने यथार्थवादी आधार पर बजट नहीं बनाया था साथ ही व्यय को नियंत्रित करने में ढिलाई बरती गई थी।

(v) आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण का विवरण क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की तिथियां निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए (9 अगस्त 2023), जो थे- आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम विवरणी 31.10.2023 को, आधिक्य व अभ्यर्पण की द्वितीय विवरणी 31.12.2023 को तथा आधिक्य व अभ्यर्पण की तृतीय विवरणी 15.03.2024 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाएं। विवरणियों के प्रस्तुतीकरण का ब्यौरा **तालिका 3.31** में दिया गया है।

तालिका 3.31: आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब

क्र.सं	विवरण	देय तिथि	प्रस्तुति की तिथि	विलम्ब (दिनों में)
1	प्रथम आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी	31.10.2023	10.01.2024	71
2	द्वितीय आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी	31.12.2023	10.01.2024	10
3	अंतिम आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी	15.03.2024	30.03.2024	15

वर्ष 2023-24 की आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणियों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग को आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विवरणी 10 जनवरी 2024 एवं 30 मार्च 2024 को क्रमशः 10 दिन एवं 71 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत की।

विभाग ने प्रत्युत्तर में बताया कि विभाग के क्षेत्राधिकार में 91 ब्लॉक हैं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से आंकड़े प्राप्त होने तथा मुख्यालय स्तर पर उनके समेकन में देरी के कारण बजट अनुमान व रिटर्न प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है तथा विभाग को अपने क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देना चाहिए था।

3.6 निष्कर्ष

वर्ष 2023-24 के दौरान बजट का समग्र उपयोग कुल अनुदान व विनियोजन का 92.59 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2023-24 के दौरान चार अनुदानों के तहत सात मामलों में मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में कोई प्रावधान किए बिना एवं इस आशय का कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना ₹ 94.36 करोड़ का व्यय किया गया।

अनुपूरक प्रावधान भी यथार्थवादी आधार पर नहीं थे क्योंकि 14 मामलों में ₹ 710.55 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। बजटीय आबंटन यथार्थ प्रस्तावों पर आधारित नहीं थे क्योंकि 12 अनुदानों से संबंधित 15 मामलों में अभ्यर्पण को छोड़कर बचत ₹100 करोड़ से अधिक हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान 40 योजनाएं ऐसी थीं जिनमें बजट प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ।

वर्ष 2021-23 की अवधि में ₹ 2,444.31 करोड़ एवं वर्तमान वर्ष 2023-24 में ₹ 1,255.80 करोड़ का व्यय आधिक्य राज्य विधायिका द्वारा विनियमित किया जाना अपेक्षित था।

वर्ष के अंत में व्यय का तीव्र प्रवाह देखा गया। 19 मुख्य शीर्षों में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के तहत 50 प्रतिशत से अधिक व्यय अंतिम तिमाही में किया गया एवं चार मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2024 माह में किया गया। सभी अभ्यर्पण अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2024 को किए गए।

3.7 अनुशंसाएं

1. ***राज्य सरकार बजट अनुमान तैयार करने के उसके पूर्वानुमानों में सटीक बनें।***

2. ***सरकार अनुपूरक प्रावधान बनाने में बजट मैनुअल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।***

3. ***सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु रणनीति बनाने पर विचार करें।***

4. ***राज्य सरकार निर्धारित तिमाही लक्ष्यों के संदर्भ में व्यय की प्रगति सुनिश्चित करने एवं प्रत्याशित बचत/आधिक्य के आकलन हेतु नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बहुत पहले किया जाए ताकि उनका उपयोग अन्य योजनाओं हेतु किया जा सके।***

5. ***विधायिका द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण से अधिक व्यय से बचे एवं सभी आधिक्य को समयबद्ध रूप से विनियमित करें।***

अध्याय-IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

अध्याय - IV
लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय जानकारी सहित एक सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रिया व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग सुशासन की विशेषताओं में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रभावी व परिचालनात्मक रिपोर्ट हो, तो वह सरकार को रणनीतिक आयोजना एवं निर्णय लेने सहित उसकी बुनियादी प्रबंधन जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहयोग करती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों के प्रति ब्याज के संदर्भ में देयताओं का निर्वहन न करना

सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों पर ब्याज उपलब्ध करा कर उसका भुगतान करना सरकार की देयता होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 अप्रैल 2023 तक सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों में रखी ₹ 114.98 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 22.26 करोड़ का भुगतान अपेक्षित था, जैसाकि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है। हालांकि इसका भुगतान नहीं किया गया। ब्याज देयताओं का भुगतान न करना इस अधिकतम सीमा तक राजस्व घाटे व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ।

तालिका 4.1: सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों के प्रति ब्याज के संदर्भ में देयताओं का निर्वहन न करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सब्याज निक्षेप का नाम/शीर्ष</th><th>1 अप्रैल 2023 तक अथ शेष राशि</th><th>ब्याज गणना का आधार</th><th>चुकाई न गई ब्याज राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदान पेंशन योजना</td><td>17.39</td><td>सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज के अनुसार 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई</td><td>1.19</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि</td><td>55.55</td><td rowspan="2">8.50 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई {2023-24 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम की औसत दर (6.50) और 2 प्रतिशत जोड़ कर}</td><td>11.36</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि</td><td>42.04</td><td>9.71</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>114.98</td><td></td><td>22.26</td></tr>
</table>

स्रोत: वित्त लेखे

4.2 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को बड़ी निधियां सीधे अंतरित करती रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 से इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से देने का निर्णय लिया। हालांकि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि एवं राज्य बजट को अनदेखा करते हुए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को 41 केंद्रीय योजनाओं (केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित) के तहत ₹ 1,946.42 करोड़ सीधे अंतरित किए गए, जैसाकि **परिशिष्ट 4.1** में विवर्णित है। वर्ष 2023-24 हेतु यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173.04 करोड़) एवं सहायता-अनुदान (₹ 14,942.15 करोड़) का क्रमशः 4.97 प्रतिशत व 13.03 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का सीधा अंतरण वर्ष 2022-23 की तुलना में 33.76 प्रतिशत घट गया (वर्ष 2022-23 के ₹ 2,938.36 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 1,946.42 करोड़ तक)। वर्ष 2023-24 के दौरान वे केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिनमें सीधे अंतरित निधियां ₹ 400 करोड़ से अधिक थी, वे थीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 604.57 करोड़), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (₹ 544.71 करोड़) एवं जल जीवन मिशन **(**₹ 402.34 करोड़)।

वर्ष 2023-24 हेतु राज्य सरकार के लेखाओं में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रांश के अंतर्गत मात्र ₹ 5,328.69 करोड़ दर्शाए गए। ₹ 1,946.42 करोड़ की अधिकतम सीमा तक राज्य सरकार के बजट व व्यय को अनुबंधित करने के अतिरिक्त जनता के लिए सृजित परिसंपत्तियां व व्यय राज्य सरकार के लेखाओं में नहीं थे, जिससे लेखे अपूर्ण रहे।

पारदर्शिता से सम्बंधित मुद्दे

4.3 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 से संबंधित नियम 157 में निर्धारित है कि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं अथवा संगठन सहायता अनुदान के उपयोग के बाद सरकार को लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का बकाया होना अभीष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों की प्रयुक्ति का आश्वासन न मिलने का परिचायक है एवं लेखाओं में दर्शाए गए उस सीमा तक के व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता। मार्च 2024 तक ₹ 2,795.23 करोड़ राशि के कुल 2,990 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे **(परिशिष्ट 4.2)**। इनमें से ₹ 1,050.63 करोड़ के अनुदान के 1,648 उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष 2017-22 की अवधि से संबंधित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में आयु-वार एवं वर्ष-वार बकाया **तालिका 4.2** व **तालिका 4.3** में सारांशित किए गए हैं।

तालिका 4.2: उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	अथ शेष		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2021-22 तक	2,260	1,688.92	1,400	1,208.67	860	480.25
2022-23	1,846	2,553.59	1,058	1,983.21	788	570.38
2023-24	18,804	5,846.94	17,462	4,102.34	1,342	1,744.60
योग	**22,910**	**10,089.45**	**19,920**	**7,294.22**	**2,990#**	**2,795.23#**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर संकलित।

*टिप्पणी: *2022-23 के दौरान संवितरित सहायता-अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र केवल 2023-24 में बकाया हुए अर्थात् "देय वर्ष" से सम्बंधित ऊपर उल्लिखित वर्ष अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 माह पश्चात्।*

 # इसमें केंद्र प्रायोजित योजना के सहायता-अनुदान के 128 वाउचर शामिल हैं, जिनकी कुल राशि ₹579.47 करोड़ है।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

सहायता अनुदान अंतरित किए जाने का वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2017-18 तक	102	50.88
2018-19	147	66.84
2019-20	199	75.08
2020-21	412	287.45
2021-22	788	570.38
2022-23	1,342	1,744.60
योग	**2,990**	**2,795.23**

चार्ट 4.1: 31 मार्च 2024 तक 10 प्रमुख विभागों के सम्बन्ध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

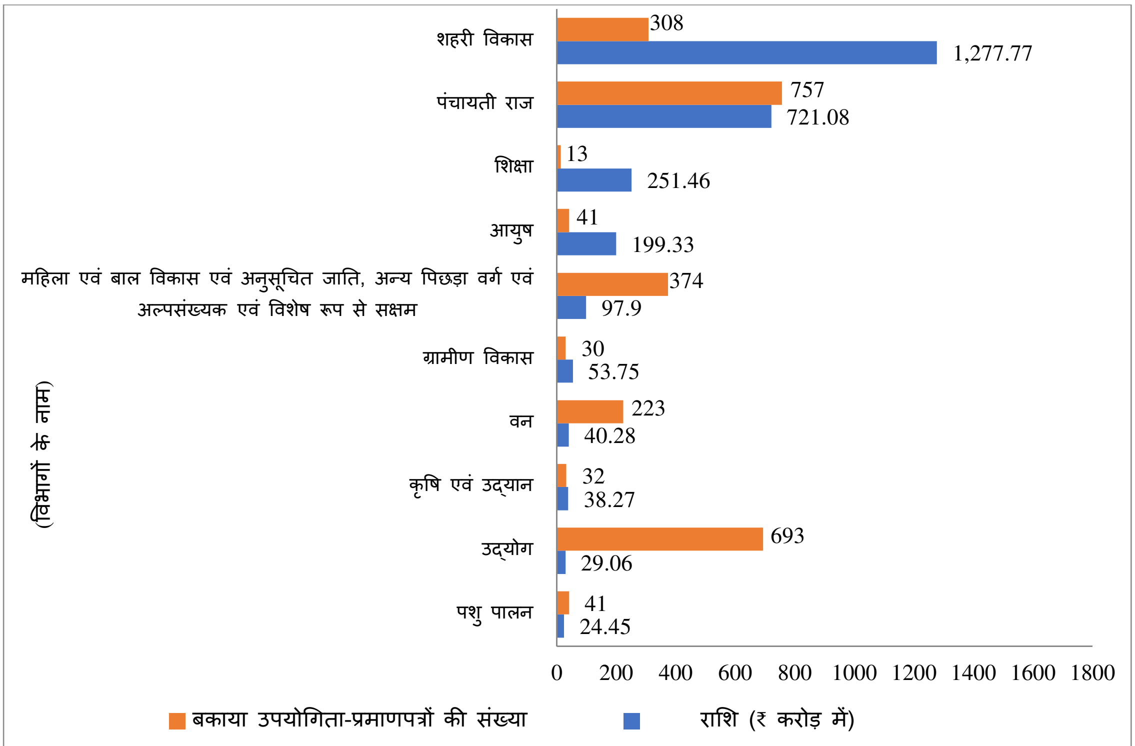

चार्ट 4.1 से प्रमाणित होता है कि ₹ 2,733.35 करोड़ राशि के 2,512 उपयोगिता प्रमाणपत्र अर्थात् कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (₹ 2,795.23 करोड़) का 97.79 प्रतिशत 10 विभागों से सम्बंधित हैं, जिसमें से ₹ 2,547.54 करोड़ राशि के 1,493 उपयोगिता प्रमाणपत्र पांच विभागों, यथा - शहरी विकास (45.71 प्रतिशत, ₹ 1,277.77 करोड़), पंचायती राज (25.80 प्रतिशत, ₹ 721.08 करोड़), शिक्षा (9 प्रतिशत, ₹ 251.46 करोड़, आयुष (7.13 प्रतिशत, ₹ 199.33 करोड़) तथा महिला एवं बाल विकास और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष रूप से सक्षम (3.50 प्रतिशत, ₹ 97.90 करोड़) से संबंधित हैं।

उपरोक्त में से वर्ष 2023-24 के दौरान दो प्रमुख विभागों यथा शहरी विकास (308 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 1,277.77 करोड़), एवं पंचायती राज (757 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 721.08 करोड़) के निम्नलिखित संख्या में उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को ठोस (भौतिक) लेखापरीक्षा/ नमूना-जांच हेतु चुना गया:

(i) शहरी विकास (142 उपयोगिता प्रमाणपत्र - ₹ 1,078.16 करोड़),

(ii) पंचायती राज (135 उपयोगिता प्रमाणपत्र - ₹ 41.64 करोड़),

नमूना-जांच हेतु चयनित ₹ 1,119.80 करोड़ मूल्य के 277 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संवीक्षा के दौरान, ₹ 152.43 करोड़ मूल्य के 39 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को सहायक दस्तावेजों (अर्थात् सह-वाउचर, बिल व स्वीकृति आदेश आदि) के साथ पूर्णतः या आंशिक रूप से निपटान किया गया। ₹ 967.37 करोड़ के शेष 238 उपयोगिता प्रमाणपत्रों का भी आंशिक/पूर्ण उपयोग/निपटन किया गया परन्तु विभाग के पास सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। अनुदेयी (कार्यान्वयन/ निष्पादन एजेंसी) कार्य पूर्ण होने पर उपयोग की गई अधिकतम राशि के उपयोगिता-प्रमाणपत्र विभागाध्यक्षों को भेजते हैं। हालांकि विभागाध्यक्ष स्तर पर उपयोगिता प्रमाणपत्रों एवं अनुदेयी द्वारा उपयोग की गई राशि का स्वीकृत अनुदान के साथ मिलान/सह-संबंधन नहीं किया रहा है। इसका कारण भी विभिन्न स्तरों पर अनुदानों की स्थिति का मिलान एवं निगरानी का अभाव है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उपरोक्त विभागों के अभिलेखों की भौतिक/नमूना-जांच से निम्नलिखित बिन्दु भी प्रकट हुए:

- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 (संशोधित) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उपयोगिता प्रमाणपत्रों को सत्यापन के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को भेजा जाए। अतः इन मामलों में विभागाध्यक्षों ने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप लेखाओं में ये उपयोगिता-प्रमाणपत्र बकाया के रूप में प्रदर्शित हुए।
- स्वीकृतियां इस हद तक अपूर्ण पाई गईं कि अधिकांश स्वीकृतियों में (i) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवधिकता, (ii) अनुदान आवर्ती है या

गैर-आवर्ती, (iii) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था या नहीं, इसका उल्लेख नहीं था;

- अनुदेयी (कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों) को दिए गए कुल अनुदान एवं विभाग को प्राप्त आंशिक रूप से उपयोग किए गए अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्रों के मध्य मिलान/ सह-संबंधन का अभाव पाया गया। जिसका कारण सहायक दस्तावेजों के बिना आंशिक अनुदान के उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण था।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समयबद्ध ढंग से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति पर बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए तथा उसका मिलान कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से किया जाना चाहिए।

4.4 सार आकस्मिक बिल

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 का नियम 183 (3)(V) में परिकल्पित है कि सरकारी कोषागार से कोई धन तब तक आहरित न किया जाए जब तक कि उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से धन का आहरण करने का अधिकार होता है। उक्त नियम के नियम 187 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी से उसी वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। विस्तृत आकस्मिक बिल विलम्ब से जमा करने या लंबे समय तक जमा न करने से लेखाओं की पूर्णता व शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

यह पाया गया है कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 5.93 करोड़ राशि के कुल 368 सार आकस्मिक बिल आहरित किए गए, जिनमें से ₹ 0.04 करोड़ (0.67 प्रतिशत) राशि के 31 सार आकस्मिक बिल मार्च 2024 में आहरित किए गए। मुख्य शीर्ष-2851 (ग्राम एवं लघु उद्योग) से संबंधित ₹ 0.12 करोड़ की राशि का एक सार आकस्मिक बिल 31 दिसंबर 2024 तक समायोजन/ विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने हेतु अभी भी लंबित है।

4.5 लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

अन्य प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बंधित लघु शीर्ष-800 का परिचालन तब किया जाता है जब लेखाओं के मुख्यशीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते। लघु शीर्ष-800 का नियमित रूप से परिचालन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अस्पष्ट बनाते हैं। इस बहुउद्देशीय लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन प्राथमिकताओं व व्यय की गुणवत्ता के सटीक विश्लेषण को विकृत करता है।

पाया गया कि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुक किया गया व्यय ₹ 654.61 करोड़ (28 मुख्य लेखा शीर्षों में) से घटकर ₹ 530.09 करोड़

(19 मुख्य लेखा शीर्षों में) हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान यह ₹ 50,361.42 करोड़ के कुल राजस्व व पूंजीगत व्यय का 1.05 प्रतिशत (वर्ष 2022-23 के दौरान 1.30 प्रतिशत) था। इसमें से उल्लेखनीय व्यय (20 प्रतिशत और उससे अधिक) 05 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया **(परिशिष्ट 4.3)**। इसके अतिरिक्त राशि के संदर्भ में 75 प्रतिशत बुकिंग निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षों- मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास (₹ 92.37 करोड़), मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (₹ 97.58 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष-2801-विद्युत (₹ 207.23 करोड़) में की गई।

हालांकि वर्ष 2023-24 के दौरान 47 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत प्राप्तियों की बुकिंग विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,277.32 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,425.22 करोड़ हो गई। यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173.05 करोड़) का 6.19 प्रतिशत (वर्ष 2022-23 के दौरान 5.98 प्रतिशत) था। इन 47 मुख्य शीर्षों में से 32 मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत उल्लेखनीय प्राप्तियां (20 प्रतिशत व अधिक) बुक की गई **(परिशिष्ट 4.4)**। इसके अतिरिक्त राशि के संदर्भ में 86 प्रतिशत राशि निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षों- मुख्य शीर्ष-0071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का अंशदान व वसूली (₹ 150.88 करोड़), मुख्य शीर्ष-0045-माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क (₹ 274.95 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष-0801-विद्युत (₹ 1,667.36 करोड़) के अंतर्गत बुक की गई। ऐसी बुकिंग में अकेले विद्युत का भाग 69 प्रतिशत रहा।

माप से संबंधित मुद्दे

4.6 मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को परिलक्षित करते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष एवं क्रेडिट शेष को अलग-अलग समेकित करके इन शीर्षों के तहत बकाया शेष की गणना की जाती है। विगत तीन वर्षों हेतु उल्लेखनीय उचंत मदें सकल डेबिट व क्रेडिट शेष के रूप में **तालिका 4.4** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 4.4: उचंत व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2021-22		2022-23		2023-24	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658	**उचंत लेखा**						
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	133.69	87.07	138.84	82.14	55.47	2.54
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**46.62 डेबिट**		**56.70 डेबिट**		**52.93 डेबिट**	
102	उचंत लेखा (सिविल)	767.15	271.88	373.26	338.42	49.79	3.53
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**495.27 डेबिट**		**34.84 डेबिट**		**46.27 डेबिट**	
109	रिज़र्व बैंक उचंत-(मुख्यालय)	00.05	00.00	00.05	00.00	00.05	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**00.05 डेबिट**		**00.05 डेबिट**		**00.05 डेबिट**	

लेखा शीर्ष		2021-22		2022-23		2023-24	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
110	रिज़र्व बैंक उचंत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	26.53	00.00	27.32	00.00	5.73	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**26.53 डेबिट**		**27.32 डेबिट**		**5.73 डेबिट**	
112	स्रोत पर कर कटौती उचंत	00.03	41.60	00.00	81.72	00.00	42.22
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**41.57 क्रेडिट**		**81.72 क्रेडिट**		**42.22 क्रेडिट**	
123	ए.आई.एस अधिकारी समूह बीमा योजना	00.81	00.03	00.84	00.03	00.79	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**00.78 डेबिट**		**00.81 डेबिट**		**00.79 डेबिट**	
129	सामग्री खरीद-निपटान उचंत लेखा	00.00	234.90	00.00	263.05	00.00	328.95
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**234.90 क्रेडिट**		**263.05 क्रेडिट**		**328.95 क्रेडिट**	
8782	**एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण एवं समायोजन**						
102	लोक लेखा प्रेषण	00.00	637.47	00.00	477.98	0.78	606.09
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**637.47 क्रेडिट**		**477.98 क्रेडिट**		**605.30 क्रेडिट**	
103	वन प्रेषण	00.00	16.67	00.00	16.67	5.77	22.44
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**16.67 क्रेडिट**		**16.67 क्रेडिट**		**16.67 क्रेडिट**	
8793	**अंतर-राज्य उचंत लेखा**						
101	अंतर-राज्य उचंत लेखा	00.03	00.00	00.08	00.00	00.00	00.05
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	**00.03 डेबिट**		**00.08 डेबिट**		**00.05 क्रेडिट**	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 हेतु वित्त लेखाओं में दर्शाए गए मुख्य शीर्ष 8658-उचंत खाता के तहत लघु शीर्ष 101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत, 102 उचंत लेखा (सिविल) एवं 129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा तथा 8782-नकद प्रेषण के अंतर्गत 102-लोक निर्माण-कार्य प्रेषण एवं 103-वन प्रेषण के अंतर्गत उचंत शेष (डेबिट/क्रेडिट) के विवरण नीचे दिए गए हैं:

वेतन एवं लेखा कार्यालय - उचंत (लघु शीर्ष 101): इस लघु शेष का परिचालन संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ शासित प्रदेशों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों एवं महालेखाकार की लेखा-बहियों में हुए अंतर्विभागीय एवं अंतर्सरकारी लेनदेनों के समायोजन हेतु किया जाता है। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किसी अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालय (कार्यालयों) की ओर से भुगतान किया गया, जिसकी वसूली अभी शेष है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2024) गत वर्ष के ₹ 56.70 डेबिट शेष से घट कर ₹ 52.93 करोड़ हो गया।

उचंत लेखा - सिविल (लघु शीर्ष 102): वे लेन-देनों जो कुछ जानकारी/दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखाओं के अंतिम शीर्ष में नहीं लिए जा सकते, उन्हें आरंभिक तौर पर इस उचंत शीर्ष के अंतर्गत बुक किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस लेखा में प्राप्तियां क्रेडिट की जाती हैं एवं व्यय डेबिट किए जाते हैं तथा अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर क्रमश: माइनस क्रेडिट व माइनस डेबिट द्वारा इसका निपटान किया जाता है। 31 मार्च 2024 तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत ₹ 46.27 करोड़ का बकाया डेबिट शेष था, जिसका तात्पर्य है कि

'भुगतान किया गया' परन्तु कुछ विवरणों के अभाव में इसे व्यय के अंतिम शीर्ष में डेबिट नहीं किया जा सका।

सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा (लघु शीर्ष 129): 31 मार्च 2024 तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत ₹ 328.95 करोड़ का बकाया क्रेडिट शेष था। ऐसा मण्डलों द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त सामग्री के मूल्य के संबंध में लंबित समायोजन के कारण हुआ परन्तु इसका भुगतान अभी शेष है। इस राशि के निपटान/समायोजन पर राज्य के नकद शेष में वृद्धि होगी।

लोक निर्माण-कार्य प्रेषण (लघु शीर्ष 102): वर्ष 2023-24 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 605.30 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था। निपटान/समायोजन होने पर राज्य सरकार के नकद शेष में वृद्धि होगी। यह प्रेषण उन चेकों से सम्बंधित हैं जो लोक निर्माण विभाग द्वारा कोषागार में जमा होते हैं।

वन प्रेषण (लघु शीर्ष 103): इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 16.67 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था। निपटान/समायोजन होने पर राज्य सरकार का नकद शेष घट जाएगा। यह प्रेषण उन चेकों से सम्बंधित हैं जो वन मण्डल पार्टियों को जारी करते हैं।

वर्ष की समाप्ति पर इन शीर्षों (लोक लेखा) के तहत शेष भारी राशि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को अधिकतम सीमा तक विकृत कर देती है, क्योंकि इन व्ययों/प्राप्तियों को उनके अंतिम लेखा शीर्षों में बुक नहीं किया जा सका तथा यह राज्य की समेकित निधि से बाहर ही रहे।

4.7 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 42.44 करोड़ (डेबिट) था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे ₹ 33.38 करोड़ (क्रेडिट) सूचित किया था। इस प्रकार ₹ 9.06 करोड़ (डेबिट) का शुद्ध अंतर था, जिनका मिलान नहीं हुआ।

यह अंतर मुख्य रूप से कोषागार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ एजेंसी बैंक एवं महालेखाकार कार्यालय के बीच आंकड़ों का मिलान न करने के कारण हुआ।

4.8 मंडलाधिकारियों के पास रखी अव्ययित राशि

संहिता संबंधी प्रावधानों के अनुसार लोक निर्माण-कार्य मण्डलों को गैर-सरकारी एजेंसियों से निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियां मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप के तहत लघु शीर्ष 108-लोक निर्माण-कार्य निक्षेप के अंतर्गत क्रेडिट करना अपेक्षित है। संबंधित निक्षेप कार्यों का व्यय भी उसी लेखा शीर्ष से किया जाता है। मण्डलों के मासिक लेखाओं में लोक निर्माण मण्डलों द्वारा ऐसे निक्षेपों की प्रेषण न की गई राशि राज्य के लोक लेखा के तहत मुख्य शीर्ष 8671-विभागीय शेष, 101-सिविल के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है एवं तदोपरांत सरकारी लेखाओं का भाग बनती है।

हालांकि निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियों का प्रेषण सरकारी लेखाओं में करने के बजाय वह लोक निर्माण मण्डलों द्वारा संचालित मंडलाधिकारियों के बैंक खातों में रखी जा रही है और इसीलिए यह भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य के नकद शेष का भाग नहीं बन रही है।

31 मार्च 2024 तक वित्त लेखाओं के अनुसार ₹ 0.16 करोड़ (डेबिट) की छोटी राशि मुख्य शीर्ष 8671 (लोक लेखा) के अंतर्गत रखी थी।

प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) से संबंधित मुद्दे

4.9 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर संघ एवं राज्यों के लेखाओं का रूप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारत सरकार लेखांकन मानक अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों का अनुपालन एवं उनमें हुई कमियों का विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है।

तालिका 4.5: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखा मानक	भारत सरकार लेखांकन मानक का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	अभ्युक्ति
1.	भारत सरकार लेखांकन मानक -1	सरकार द्वारा दी गई गारंटी - डिस्क्लोज़र आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया *(वित्त लेखाओं की विवरणी 9 व 20)*	क्षेत्र-वार ब्यौरे विवरणी 9 में दर्शाए गए हैं, जबकि क्षेत्र-वार व वर्ग-वार ब्यौरे वित्त लेखाओं की विवरणी 20 में दर्शाए गए हैं।
2.	भारत सरकार लेखांकन मानक -2	सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन किया गया *(वित्त लेखाओं की विवरणी 10)*	वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के कुल मूल्य के संबंध में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
3.	भारत सरकार लेखांकन मानक -3	सरकारों द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	अनुपालन किया गया *(वित्त लेखाओं की विवरणी 7 व 18)*	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के ब्यौरे विवरण 7 व 18 में दिए गए हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

4.10 स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार ने शिक्षा, कल्याण, कानून व न्याय, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं। राज्य के 31 स्वायत्त निकायों/प्रधिकरणों की लेखापरीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। इन 31 निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के तहत संचालित की जाती है तथा इसके लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाए जाते हैं **(परिशिष्ट 4.6)**। बकाया लेखाओं वाले निकायों/प्राधिकरणों का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: 31 मार्च 2024 तक स्वायत्त निकायों के बकाया लेखे

क्र.सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे लंबित हैं	लंबित लेखाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	10
2.	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2021-22	02
योग			**12**

स्रोत: विभागीय आंकड़े/जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो निकायों/प्राधिकरणों के लेखे दो एवं दस वर्षों तक बकाया थे।

लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता न लग पाने का जोखिम रहता है एतएव लेखाओं को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देना एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए स्वायत्त निकायों एवं विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में गति लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करें।

4.11 निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, उस सहायता को देने का प्रयोजन एवं संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा व लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 के परिच्छेद 88 में प्रावधान है कि निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण स्वीकृत करने वाली सरकार एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष की जुलाई के अंत में ऐसे निकायों/प्राधिकरणों की, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख या उससे अधिक के सकल अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया गया हो, विवरणी निम्नवत् दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे (क) सहायता राशि, (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई है, तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय।

राज्य सरकार ने ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के सकल अनुदान वाले हिमाचल प्रदेश राज्य के स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों से सम्बंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि लेखापरीक्षा ने सम्बंधित निकायों/प्राधिकरणों से जानकारी मांगी थी (सितम्बर, 2023) तथापि केवल पांच[1] निकायों/ प्राधिकरणों (39 में से) ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत की **(परिशिष्ट 4.5)**।

[1] (i) हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्कफेड सहकारी, टूटू, शिमला (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद, कसुम्पटी, शिमला (iii) डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन, हिमाचल प्रदेश (iv) हिमाचल प्रदेश पशुधन व कुक्कुट विकास बोर्ड, बालूगंज, शिमला-5 और (v) हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन व उपभोक्ता संघ लिमिटेड (हिमफेड)।

राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा को सूचना न देना लेखापरीक्षा एवं लेखा (संशोधन) विनियम, 2020 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 14 का उल्लंघन था।

4.12 विभागीय व्यावसायिक उपक्रम/निगम/कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 व 395 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए। इसके तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियमों में दिए गए हैं। उपरोक्त तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों एवं निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

पाया गया कि 30 सितंबर 2024 तक 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों (दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित) के मामले में 54 लेखे बकाया थे **(परिशिष्ट 4.6)**, जिनमें से पांच[2] घाटे में चल रहे थे (उनके नवीनतम/अंतिम लेखाओं के अनुसार)। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि घाटे में चल रही पांच कम्पनियों में से दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखे बकाया होने के बावजूद विगत तीन वर्षों के दौरान उन्हें ₹ 146.48 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की गई, जैसाकि **तालिका 4.7** में विवर्णित है।

तालिका 4.7: हानि उठाने वाले व्यावसायिक उपक्रमों/निगमों/कंपनियों को दी गई बजटीय सहायता का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	बजटीय सहायता						कुल		सकल योग
		2021-22		2022-23		2023-24				
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड	11.00	0.58	67.35	0.58	21.50	43.47	**99.85**	**44.63**	**144.48**
2	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2.00**	**0.00**	**2.00**
सकल योग		**13.00**	**0.58**	**67.35**	**0.58**	**21.50**	**43.47**	**101.85**	**44.63**	**146.48**

स्रोतः सार्वजनिक के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

[2] (i) हिमाचल प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ii) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (iii) श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड (iv) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, एवं (v) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड।

बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की आयु रूपरेखा **तालिका 4.8** में दी गई है।

तालिका 4.8: बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की आयु-रूपरेखा

वर्ष सीमा	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या	बकाया लेखाओं की संख्या
0-1	5	5
1-3	8	21
3-5	3	13
>5	2	15
योग	**18**	**54**

स्रोतः सार्वजनिक के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

तालिका 4.8 दर्शाती है कि राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जो निष्क्रिय कंपनियां है, के लेखे पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप न देने से सरकार के निवेश के प्रभाव राज्य विधायिका की परिधि से बाहर रह जाते हैं एवं लेखापरीक्षा संवीक्षा से बच जाते हैं। परिणामस्वरूप जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं दक्षता में सुधार करने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हो तो वे समय पर नहीं हो पाता। धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार एक तंत्र विकसित करें एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों को उनके अद्यतन लेखे (अर्थात् पूर्ववर्ती वर्ष के) पूर्ण करने हेतु निर्देशित करें।

अन्य मुद्दे

4.13 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 23 व 24 में प्रावधान है कि संबंधित प्राधिकारी चल व अचल संपत्ति, जैसा भी मामला हो, की हानि के कारण की विस्तृत जांच करेगा तथा विस्तृत जांच पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित प्राधिकारी उसकी विस्तृत रिपोर्ट यथोचित माध्यम से सरकार को उचित कार्यवाही हेतु भेजेगा, जिसकी एक प्रति महालेखाकार को प्रेषित की जाएगी। नियम 145(5) में निर्धारित है कि यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण माल ख़राब हो जाता है तो उसकी जवाबदारी तय की जाएगी।

31 मार्च 2023 तक ₹ 49.56 लाख से जुड़े दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के 30 मामले पाए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान इनमें से लोक निर्माण विभाग से संबंधित ₹ 11.17 लाख राशि के 15 मामलों का समायोजन/निपटान किया गया। वर्ष के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि 31 मार्च 2024 तक ₹ 38.39 लाख से अंतर्ग्रस्त 15 मामले अभी भी लंबित थे। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है।

तालिका 4.9: लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में कार्रवाई लंबित होने के कारण

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
शिक्षा	3	2.95
भू-राजस्व	1	0.91
बागवानी	3	2.89
पुलिस	1	0.08
नगर निगम, चम्बा	1	0.42
गृह रक्षक	2	25.37
लोक स्वास्थ्य (चिकित्सा)	1	0.95
वन	3	4.82
योग	**15**	**38.39**

दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
विभागीय एवं आपराधिक जांच हेतु प्रतीक्षित	6	5.36
वसूली या बट्टे खाते में डालने के आदेश हेतु प्रतीक्षित	1	0.91
न्यायालयों में लंबित	3	25.43
वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए परन्तु लोक लेखा समिति के अंतिम निपटान हेतु प्रतीक्षित	4	6.27
अन्य	1	0.42
योग	**15**	**38.39**

स्रोत: विभाग द्वारा प्राप्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि से सम्बंधित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करें।

लंबित मामलों की आयु-रुपरेखा एवं सरकारी सामग्रियों की प्रत्येक चोरी तथा दुर्विनियोजन/हानि की श्रेणी के लंबित मामलों की संख्या **तालिका 4.10** में सारांशित की गई है।

तालिका 4.10: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

लंबित मामलों की आयु-रुपरेखा		
वर्ष सीमा	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0-5	0	0.00
5-10	3	4.81
10-15	5	4.81
15-20	7	28.77
योग	**15**	**38.39**

लंबित मामलों की प्रकृति		
	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
चोरी के मामले	3	1.13
सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	12	37.26
योग	**15**	**38.39**

दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के कुल 15 मामलों में से 80 प्रतिशत मामले सरकारी सामग्री के दुरुपयोग/हानि से संबंधित हैं एवं शेष 20 प्रतिशत चोरी के मामले थे। इन 15 मामलों में से 40 प्रतिशत (छः मामले) विभाग द्वारा अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने एवं आपराधिक जांच में

विलम्ब के कारण लंबित थे। आगे यह पाया गया कि सभी 15 मामले पांच वर्ष से अधिक पुराने थे, जिनमें से सात ऐसे मामले भी शामिल थे, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने थे।

सरकार चोरी, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि से संबंधित उपरोक्त मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

4.14 राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश राज्य में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर लोक लेखा समिति/वित्त विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई से संबंधित टिप्पणी (एक्शन टेकन नोट्स)/स्वतः व्याख्यात्मक टिप्पणी (सुओ-मोटो नोट्स) संबंधित (लाइन) विभागों से लेना अपेक्षित है। लाइन विभागों से इसकी प्रति (तीन प्रतियां) महालेखाकार को जांच हेतु उपलब्ध कराना अपेक्षित है ताकि यदि कोई अन्य अभ्युक्तियां हो तो उसे लोक लेखा समिति को अग्रेषित की जा सके।

वर्ष 2008-09 से हिमाचल प्रदेश में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से तैयार कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर एक्शन टेकन नोट्स/सुओ-मोटो व्याख्यात्मक नोट्स वर्ष 2021-22 तक प्रस्तुत किए। लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2008-09 से 2021-22 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर 19.11.2024 को चर्चा की गई। इन प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही (एक्शन टेकन) की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

4.15 निष्कर्ष

₹ 2,795.23 करोड़ राशि के सहायता-अनुदान हेतु 2,990 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण हेतु प्रतीक्षित थे, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी तथा सरकार की ओर से पूर्ववर्ती अनुदानों का यथोचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान संवितरित करने की प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है।

दो स्वायत्त निकायों एवं 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों ने काफी लम्बी अवधि तक अपने अंतिम लेखे प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका तथा सरकार के निवेश के प्रभाव राज्य विधायिका की परिधि से बाहर रहे।

इसके अतिरिक्त चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि एवं गबन के 15 मामलों में विभागीय कार्रवाई लम्बी अवधि से लम्बित थी।

4.16 अनुशंसाएं

1. ***सरकार विशिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।***
2. ***स्वायत्त निकायों व विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों को उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने हेतु उनके वित्तीय लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण में तेजी लाने के लिए वित्त विभाग एक तंत्र स्थापित करें।***
3. ***सरकार दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध ढांचा बनाएं तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करें।***

(पुरुषोत्तम तिवारी)

शिमला — प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

दिनांक: 12 जून 2025 — हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 01 जुलाई 2025

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1)

राज्य रुपरेखा

क्र. सं.	विवरण		आंकड़े
1.	क्षेत्रफल		55,673 प्रति वर्ग किलोमीटर
2.	जनसंख्या		
	क	जनगणना के अनुसार (2011)	0.69 करोड़
	ख	2024 (अनुमानित)	0.75 करोड़
3.	**(क)** जनसंख्या का घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व) **(ख)** जनसंख्या घनत्व 2024 (अनुमानित) (अखिल भारतीय औसत)		123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (368 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) 135 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (426 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)
4.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (2024) (अखिल भारतीय औसत)		8.06 % (21.92 %)
5.	साक्षरता (2024) (अखिल भारतीय औसत)		82.80 % (73.00 %)
6.	(क) शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 सजीव जन्म के प्रति शिशु मृत्यु दर) (2024) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर) ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2024) (अखिल भारतीय औसत)		17 (28) 73.5 (70.00)
7.	चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 (₹ करोड़ में)		2,07,430
8.	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2023-24) (₹ करोड़ में)	हिमाचल प्रदेश	2,76,943
		उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य	2,01,137
9.	चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (2014-15 से 2023-24)	हिमाचल प्रदेश	8.00
		उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य	10.56
		अखिल भारतीय	10.06
10.	चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (2014-15 से 2023-24)	हिमाचल प्रदेश	7.33
		उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य	9.56
		अखिल भारतीय	8.89
11.	जनसंख्या वृद्धि (2014 से 2024)	हिमाचल प्रदेश	6.59
		उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य	13.11
		अखिल भारतीय	11.26

स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत की जनगणना (2011) द्वारा भारत एवं राज्यों हेतु जनसंख्या अनुमान (2011-36), हिमाचल प्रदेश के अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.3.2)

31 मार्च 2023 व 2024 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक
आतंरिक ऋण -	**55,975.16**	**61,439.29**
सब्याज बाज़ार ऋण	46,002.10	52,147.00
ब्याज रहित बाज़ार ऋण	0.06	0.06
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	15.77	12.93
नाबार्ड से प्राप्त ऋण	3,437.84	3,640.23
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	97.09	75.11
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड	2,601.45	2,312.40
अन्य संस्थानों से ऋण	0.19	0
भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	0	0
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	3,820.66	3,251.56
केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम -	**7,388.31**	**8,929.83**
आयोजनागत ऋण	1.51	1.09
राज्य की आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	3,061.65	2,958.77
1984-85 के पूर्व के ऋण	0.13	0.13
राज्य हेतु अन्य ऋण	4,325.03	5,969.84
आकस्मिकता निधि	**5.00**	**5.00**
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	**17,682.25**	**19,337.58**
निक्षेप व अग्रिम	**3,608.49**	**3,645.97**
आरक्षित निधि	**1,934.72**	**2,279.77**
उचंत व विविध शेष	**224.94**	**265.28**
प्रेषण शेष	**493.96**	**620.25**
कुल	**87,312.83**	**96,522.97**
परिसंपत्तियां		
अचल संपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय -	**61,488.38**	**67,118.17**
कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	5,333.57	5,524.23
अन्य पूंजीगत व्यय	56,154.81	61,593.94
ऋण व अग्रिम -	**8,052.62**	**8,132.18**
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	7,743.37	7,841.72
अन्य विकास ऋण	283.16	261.52
सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	26.09	28.94
विभागीय अधिकारियों को दिए अग्रिम	**0**	**0**
प्रेषण शेष	**0**	**0**
नकद	**3,556.04**	**1,500.44**
कोषागार में नकद व स्थानीय प्रेषण	0	0
विभागीय नकद शेष	0.16	0.16
स्थायी अग्रिम/नकद अग्रदाय	0.03	0.03
नकद शेष निवेश	3,645.18	1,457.81
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	-89.33	42.44
चिन्हित (इरमार्कड) निधियों से निवेश	0	0
उचंत व विविध शेष	**0**	**0**
पूर्णांकन के कारण जुड़ा अंतर	**0**	**0**
सरकारी लेखा में घाटा	**14,215.79**	**19,772.18**
योग	**87,312.83**	**96,522.97**

स्रोत: वित्त लेखा

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2 व 2.7.1)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकडे

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग-क: प्राप्तियां					
1. **राजस्व प्राप्तियां**	30,742.41	33,438.27	37,309.30	38,089.50	39,173.04
(i) कर राजस्व (अ+ब)	12,301.38	12,837.24	17,063.62	18,479.24	21,210.01
(अ) स्व कर राजस्व	7,623.82	8,083.32	9,714.58	10,595.26	11,835.29
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	3,550.34	3,466.58	4,482.15	5,259.21	5,339.89
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	1,169.53	1,630.11	1,592.24	1,370.29	1,753.73
राज्य आबकारी	1,660.02	1,599.74	1,980.63	2,216.34	2,692.33
वाहन कर	465.52	380.20	510.03	675.17	781.74
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	259.58	253.36	318.60	398.75	440.37
विद्युत पर कर व शुल्क	100.86	401.76	393.51	252.25	369.07
भू-राजस्व	4.79	6.95	4.81	8.22	7.03
माल व यात्री कर	104.03	83.55	99.18	68.50	70.88
अन्य कर	309.15	261.07	333.43	346.53	380.25
(ब) संघीय करों व शुल्क में राज्यांश	4,677.56	4,753.92	7,349.04	7,883.98	9,374.72
(ii) कर-भिन्न राजस्व	2,501.51	2,188.46	2,612.36	2,876.33	3,020.88
(iii) भारत सरकार से सहायता अनुदान	15,939.52	18,412.58	17,633.32	16,733.93	14,942.15
2. विविध पूंजीगत प्राप्ति	2.04	2.88	7.01	12.59	2.20
3. ऋण व अग्रिम की वसूली	21.04	23.02	40.73	82.79	27.40
4. कुल राजस्व व ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**30,765.49**	**33,464.17**	**37,357.04**	**38,184.88**	**39,202.64**
5. लोक ऋण प्राप्तियां*	10,847.39	15,032.21	6,639.75	22,371.82	14,901.51
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	7,333.23	6,692.87	4,703.98	14,845.14	8,871.99
अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	3,443.68	7,744.47	1043.49	6,786.84	4380.37
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम*	70.48	594.87	892.28	739.82	1,649.15
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)*	**41,612.88**	**48,496.38**	**43,996.79**	**60,556.70**	**54,104.15**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. लोक लेखा प्राप्तियां	22,568.94	15,444.88	15,182.79	20,069.60	20,989.36
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**64,181.82**	**63,941.26**	**59,179.58**	**80,626.30**	**75,093.51**
भाग-ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26	44,731.63
आयोजना	4,028.00	4,983.00	-	-	-
आयोजनेत्तर	26,702.00	28,552.00	-	-	-
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	12,335.20	13,454.26	13,899.76	17,763.27	19,146.43
सामाजिक सेवाएं	12,046.95	12,843.81	13,882.41	17,408.48	17,322.92
आर्थिक सेवाएं	6,338.01	7,227.49	8,404.66	9,247.42	8,262.28
सहायता अनुदान व अंशदान	10.27	9.37	7.71	6.09	0.00
11. पूंजीगत व्यय	5,173.91	5,309.21	6,029.38	6,028.88	5,629.79
आयोजना	4,820.00	5,033.00	-	-	-
आयोजनेत्तर	354.00	276.00	-	-	-
सामान्य सेवाएं	203.74	169.54	389.63	297.38	356.71
सामाजिक सेवाएं	1,258.41	1,736.19	1,925.31	1,962.03	1,743.61
आर्थिक सेवाएं	3,711.76	3,403.48	3,714.44	3,769.47	3,529.47
12. ऋण व अग्रिम का संवितरण	458.21	320.12	377.97	110.57	106.95
13. कुल व्यय (10+11+12)	**36,362.55**	**39,164.26**	**42,601.89**	**50,564.71**	**50,468.37**
14. लोक ऋण की अदायगी	6,700.75	11,141.05	4,387.28	10,135.80	7,895.87

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष को छोड़कर)	3,168.64	3,302.43	3,246.16	3,246.02	3,407.87
अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	3,443.68	7,744.47	1,043.49	6,786.84	4,380.37
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	88.43	94.15	97.63	102.94	107.63
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**43,063.30**	**50,305.31**	**46,989.17**	**60,700.51**	**58,364.24**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. लोक लेखा संवितरण	20,110.67	14,656.91	14,119.00	18,892.61	18,784.87
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**63,173.97**	**64,962.22**	**61,108.17**	**79,593.12**	**77,149.11**
भाग-ग: घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	11.98	-96.66	1,114.76	-6,335.76	-5,558.59
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	-5,597.06	-5,700.09	-5,244.85	-12,379.83	-11,265.73
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	-1,363.04	-1,227.64	-604.06	-7,551.19	-5,617.36
भाग-घ: अन्य डेटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	4,234.02	4,472.45	4,640.79	4,828.64	5,648.37
24. स्थानीय निकाय, आदि को वित्तीय सहायता	3,506.48	4,563.11	4,980.80	5,846.94	5,092.21
25. प्राप्त किया अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष (दिवस)	38	63	16	70	41
प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	25	51	16	70	36
प्राप्त अधिविकर्ष (दिवस)	13	12	0	0	5
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	3.61	6.13	0.25	4.66	2.51
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,59,164	1,51,601	1,72,162[अ]	1,91,728[ब]	2,07,430[स]
28. बकाया राजकोषीय देयता (वर्षांत)#	62,211.84	67,164.75	69,122.58	82,177.21	91,220.73
29. बकाया गारंटियां (वर्षांत) (ब्याज सहित)	1,947.07	2,141.76	1,884.61	1,780.64	1,744.81
30. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्षांत)	639.70	2,298.69	2,035.37	354.00	3128.85
31. अपूर्ण परियोजना की संख्या	13	78	74	67	51
32. अर्पूण परियोजना में अवरूध पूंजी	267.94	1,014.05	967.93	953.85	758.17

** वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल नहीं है।*

अ- द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

 # वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं वर्ष 2021-24 के दौरान प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़कर गणना की गई क्योंकि क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2)

वर्ष 2023-24 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरण का सार

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2023-24	विवरण	2022-23	2023-24
प्रभाग-क: राजस्व					
I- राजस्व प्राप्तियां	**38,089.50**	**39,173.04**	**I- राजस्व व्यय**	**44,425.26**	**44,731.63**
(i) कर राजस्व	**10,595.26**	**11,835.29**	**सामान्य सेवाएं**	**17,763.27**	**19,146.43**
(ii) कर भिन्न राजस्व	**2,876.33**	**3,020.88**	**सामाजिक सेवाएं**	**17,408.48**	**17,322.92**
(iii) संघ करों व शुल्क में राज्यांश	7,883.98	9,374.72	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	8,645.50	8,099.98
(iv) केंद्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	4,736.66	5,328.69	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,161.46	2,905.72
(v) वित्त आयोग के अनुदान	10,489.70	8,738.16	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2,348.01	2,438.86
(vi) विधायिका वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,507.57	875.30	सूचना और प्रसारण	92.93	51.46
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	136.94	53.17
			श्रम और श्रमिक कल्याण	380.11	336.62
			समाज कल्याण और पोषण	2,620.14	3,407.58
			अन्य	23.39	29.52
			आर्थिक सेवाएं	**9,247.42**	**8,262.28**
			कृषि और संबद्ध गतिविधियां	2,948.57	2,545.29
			ग्रामीण विकास	1,999.62	1,282.55
			सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	462.57	449.74
			ऊर्जा	1,105.40	1,151.43
			उद्योग और खनिज	264.14	195.34
			परिवहन	2,341.07	2,453.12
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	12.82	8.44
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	113.23	176.34
			सहायता-अनुदान एवं अंशदान	6.09	0
कुल	**38,089.50**	**39,173.04**	**कुल**	**44,425.26**	**44,731.63**
II-प्रभाग-ख से लिया गया राजस्व घाटा	6,335.76	5,558.59	**II- प्रभाग-ख से लिया गया राजस्व अधिशेष**	-	-
कुल:	**44,425.26**	**44,731.63**	**कुल:**	**44,425.26**	**44,731.63**
प्रभाग-ख: पूंजीगत					
III- स्थायी अग्रिम व नकद शेष सहित अथ नकद शेष	2,522.86	3,556.04	**III- भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आरंभिक अधिविकर्ष**	-	-
IV- विविध पूंजी	12.59	2.20	**IV- पूंजीगत परिव्यय**	**6,028.89**	**5,629.79**
			सामान्य सेवाएं	**297.38**	**356.71**
			सामाजिक सेवाएं	**1,962.02**	**1,743.61**
			शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	411.24	300.30
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	551.64	295.67
			जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	985.59	1,109.03
			सूचना और प्रसारण	0.72	0.47
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.44	1.27
			समाज कल्याण और पोषण	5.25	35.96
			अन्य	1.15	0.91
			आर्थिक सेवाएं	**3,769.47**	**3,529.47**
			कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	90.37	7.58

विवरण	2022-23	2023-24	विवरण	2022-23	2023-24
			अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	41.71	24.56
			सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	338.28	385.47
			ऊर्जा	100.35	23.50
			उद्योग व खनिज	198.28	72.09
			परिवहन	2,664.22	2,680.41
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	336.26	335.86
			कुल	**6,028.89**	**5,629.79**
V- ऋणों व अग्रिमों की वसूली	**82.79**	**27.40**	**V- संवितरित ऋण व अग्रिम**	**110.57**	**106.95**
विद्युत परियोजनाओं से	0	0	विद्युत परियोजनाओं के लिए	98.54	98.35
सरकारी कर्मचारियों से	6.16	5.76	सरकारी कर्मचारियों के लिए	6.76	8.60
सहकारिता से	76.24	21.49	सहकारिता के लिए	5.27	0
अन्य से	0.39	0.15	अन्य के लिए	0.00	0
VI- घटा राजस्व अधिशेष	**-**	**-**	**VI- घटा राजस्व घाटा**	**6,335.76**	**5,558.59**
VII- लोक ऋण प्राप्तियां	**22,371.82**	**14,901.51**	**VII- लोक ऋण की अदायगी**	**10,135.80**	**7,895.87**
अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आतंरिक ऋण	14,845.16	8,871.99	अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आतंरिक ऋण	3,246.03	3,407.87
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिम	6,786.83	4,380.37	अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष	6,786.83	4,380.37
केंद्र सरकार के ऋण व अग्रिम	739.83	1,649.15	केंद्र सरकार को ऋण व अग्रिम अदायगी	102.93	107.63
VIII- आकस्मिक निधि में विनियोजन	**-**	**-**	**VIII- आकस्मिक निधि में विनियोजन**	**-**	**-**
IX- आकस्मिक निधि में अंतरित राशि	**-**	**-**	**IX- आकस्मिक निधि से व्यय**	**-**	**-**
X- लोक लेखा प्राप्तियां	**20,069.60**	**20,989.36**	**X- लोक लेखा संवितरण**	**18,892.61**	**18,784.87**
लघु बचत व भविष्य निधि	3,633.27	4,794.75	लघु बचत व भविष्य निधि	2,957.31	3,139.42
आरक्षित निधि	741.45	1,645.78	आरक्षित निधि	780.63	1,300.73
निक्षेप व अग्रिम	5,946.22	4,071.13	निक्षेप व अग्रिम	5,764.39	4,033.64
उचंत व विविध	1,569.93	1,401.15	उचंत व विविध	1,052.01	1,360.82
प्रेषण	8,178.73	9,076.55	प्रेषण	8,338.28	8,950.26
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंत अधिविकर्ष	**-**	**-**	**XI- अंत में नकद शेष**	**3,556.04**	**1,500.44**
			कोषागार व स्थानीय प्रेषण नकद	0	0
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय नकद शेष	0.19	0.19
			रिजर्व बैंक में निक्षेप	-89.33	42.44
			नकद शेष निवेश	3,645.18	1,457.81
योग	**45,059.66**	**39,476.51**		**45,059.67**	**39,476.51**

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.2.2 (i))

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या जिसमें राज्य सरकार का निवेश (इक्विटी) किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	हिमाचल प्रदेश सरकार की इक्विटी	अन्य	प्रदत्त पूंजी
1	कृषि एवं संबद्ध	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2024-25	16.89	1.96	18.85
2		हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2022-23	2024-25	31.20	7.57	38.77
3		हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2024-25	11.71	0.00	11.71
4	वित्त	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2020-21	2024-25	15.97	0.00	15.97
5		हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2017-18	2023-24	14.90	0.10	15.00
6		हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2018-19	2024-25	16.09	0.00	16.09
7	अवसंरचना	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	25.00	0.00	25.00
8		हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2024-25	30.82	0.00	30.82
9		धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2022-23	0.00001	0.00033	0.00034
10		शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2022-23	0.0035	0.0035	0.007
11	विनिर्माण	हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2024-25	7.04	0.12	7.15
12	सेवा	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2019-20	2023-24	3.52	0.00	3.52
13		हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2022-23	2024-25	3.72	0.00	3.72
14		हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21	2023-24	9.22	0.03	9.25
15		हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2018-19	2024-25	24.30	0.00	24.30
16		हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2020-21	2024-25	0.007	0.000	0.007
17		हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	2022-23	2023-24	0.00	0.18	0.18
18		शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	2022-23	2024-25	0.005	0.00	0.005
19		रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड	2022-23	2024-25	0.50	0.50	1.00
20		श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	2019-20	2022-23	0.50	0.50	1.00
21		हिमाचल सड़क परिवहन निगम	2022-23	2024-25	1,289.50	15.44	1,304.94
22	वित्त	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2021-22	2023-24	106.59	6.59	113.18
23	विद्युत	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2022-23	2024-25	882.23	0.00	882.23
24		हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2024-25	625.40	108.70	734.10
25		हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2024-25	1,024.70	1,317.93	2,342.63
26		ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2023-24	0.00	300.00	300.00
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल योग				**4,140.62**	**1,759.16**	**5,899.78**
27	सेवा	मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	नई कंपनी (प्रथम लेखा प्रतीक्षित)				
28		हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड					

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराए गए सांख्यिकीय आंकड़ों (31 मार्च 2024 तक) के अनुसार संकलित किए गए हैं।

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.2.2 (i))

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या जिनमें राज्य सरकार द्वारा किए निवेश पर संचित हानि हुई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	हिमाचल प्रदेश सरकार की इक्विटी	राज्य सरकार का ऋण	भारत सरकार के ऋण	राज्य सरकार व भारत सरकार के ऋणों का योग	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नेटवर्थ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9. (7+8)	10.	11. (5-10)
क	कार्यशील सरकारी कंपनियां									
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2024-25	18.85	16.89	11.56	0.40	11.96	-10.86	7.99
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2022-23	2024-25	38.77	31.20	60.09	0.00	60.09	-91.20	-52.43
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2024-25	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	-110.42	-98.71
4	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2018-19	2024-25	13.10	16.09	0.00	66.95	66.95	-5.74	10.35
5	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21	2023-24	9.25	9.22	0.00	0.00	0.00	-12.42	-3.17
6	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2018-19	2024-25	12.30	24.30	0.00	0.00	0.00	-36.28	-11.98
7	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	2019-20	2022-23	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.97
8	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2021-22	2023-24	99.57	106.59	0.00	0.00	0.00	-180.97	-67.79
9	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2022-23	2024-25	1,243.12	1,289.50	0.00	0.00	0.00	-1,966.13	-661.19
10	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2024-25	732.10	625.40	2,004.31	0.00	2,004.31	-105.13	628.97
11	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2024-25	2,251.03	1,024.70	2,578.97	0.00	2,578.97	-688.32	1,654.31
12	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2022-23	2024-25	882.23	882.23	3,029.81	15.60	3,045.41	-3,246.97	-2,364.74
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल योग			**5,313.03**	**4,038.33**	**7,684.74**	**82.95**	**7,767.69**	**-6,454.47**	**-1,141.44**

टिप्पणी: प्रदत्त पूंजी, संचित लाभ/हानि व नेटवर्थ के आंकड़े नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं से लिए गए हैं तथा शेष आंकड़े राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराए गए सांख्यिकीय आंकड़ों (31 मार्च 2024 तक) के अनुसार संकलित किए गए हैं।

सात कंपनियों के नेटवर्थ का क्षरण हुआ	**-3,347.44**
दो कंपनियों में हिमाचल प्रदेश सरकार का ऋण	**3,089.90**
सात कंपनियों में इक्विटी निवेश	**2,354.75**

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.2.2 (iii))

31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों में किए गए निवेश का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	निवेश का वर्ष	वित्त लेखा 2023-24 के अनुसार आंकड़े	31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपलब्ध सांख्यिकीय डेटा/लेखा के अनुसार आंकड़े	अंतर
1	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2023-24	2,197.79	10,658.92	-8,461.13
2	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	2023-24	1,32,082.15	1,28,949.88	3,132.27
3	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	2022-23	3,432.58	3,082.43	350.15
4	हिमाचल प्रदेश एग्रो-इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	984.08	1,885.17	-901.09
5	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2022-23	922.45	922.46	-0.01
6	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2022-23	1,171.12	1,171.12	0.00
7	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2022-23	1,429.86	2,429.86	-1,000.00
8	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2022-23	371.67	371.67	0.00
9	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2022-23	351.50	351.50	0.00
10	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	1,675.00	1,675.00	0.00
11	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2022-23	3,119.70	3,119.70	0.00
12	हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	988.57	703.96	284.61
13	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम लिमिटेड	2022-23	1,490.40	1,490.40	0.00
14	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2022-23	2,187.50	1,721.50	466.00
15	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2022-23	1,127.04	1,609.34	-482.30
16	हिमाचल प्रदेश रोड व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2,500.00	2,500.00	0.00
17	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2021-22	0.00	0.70	-0.70
18	हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड	2020-21	0.00	100.00	-100.00
19	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.00	0.03	-0.03
20	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.00	0.35	-0.35

क्र.सं.	कंपनी का नाम	निवेश का वर्ष	वित्त लेखा 2023-24 के अनुसार आंकड़े	31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपलब्ध सांख्यिकीय डेटा/लेखा के अनुसार आंकड़े	अंतर
21	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	2023-24	36,004.90	4.90	36,000.00
22	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड	2020-21	0.00	50.00	-50.00
23	रोपवेज़ व रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2023-24	3,115.50	0.50	3,115.00
24	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2022-23	86,963.74	88,222.74	-1,259.00
25	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2023-24	1,02,470.84	1,02,470.21	0.63
26	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2023-24	42,450.30	62,539.75	-20,089.45
27	मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	नई कंपनी (प्रथम लेखा प्रतीक्षित)			
28	हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड				
	कंपनियों का कुल		**4,27,036.69**	**4,16,032.09**	**11,004.60**
	कंपनियों का कुल (करोड़ में)		**4,270.37**	**4,160.32**	**110.05**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.2.3)

31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
परियोजना – पूर्ण		
शहरी बुनियादी ढांचा		
1	कांगड़ा बस स्टैंड	1,000.00
2	आईएसबीटी शिमला	1,500.00
3	चिंतपूर्णी बस स्टैंड और पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर	3,200.00
4	ऊना बस स्टैंड और पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर	3,000.00
5	कुल्लू बस स्टैंड और पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर	2,200.00
6	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	1,500.00
7	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर, टूटीकंडी	-अनुपलब्ध-
	कुल:	**12,400.00**
ऊर्जा		
1	मलाणा-I	34,191.00
2	बासपा-II	94,923.00
3	टॉस	2,659.81
4	पटिकरी	12,590.00
5	एलेन दुहंगुन	92,235.50
6	सरबरी-II	4,600.00
7	ऊपरी ज्वाईनर	7,225.00
8	करछम वांगटू	5,90,959.00
9	सुमेज़	7,117.23
10	ब्यास कुंड	7,584.00
11	मलाना-II	63,347.00
12	बुधिल	68,877.80
13	नियोगल	15,270.00
14	जोगिनी	8,813.00
15	नांटी	8,836.00
16	कुर्मी	6,849.00
17	बड़ागॉव	17,481.00
18	बनैर-II	5,459.50
19	ब्रुआ	7,018.00
20	चांजू-I	29,509.00
21	ऊपरी नांटी	11,450.00
22	बालारगढ़	7,768.00
23	कुट	19,219.00
24	ज्यूरी	7,416.00
25	रौड़ा	9,491.00
26	कुवारसी-II	9,579.00
27	सालूं	8,842.00
28	राला	14,850.00
29	वांगर होमटे	27,450.00
30	चांजू-II	18,300.00
31	सोरांग	12,000.00
32	बाजोली होली	1,69,693.00
33	राजपुर	8,502.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
34	लाम्बादुग	21,423.00
35	होली-II	6,490.00
36	सोल्दन	7,556.00
	कुल:	**14,45,573.84**
सामाजिक (स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)		
1	हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवाएँ	10,000.00
2	हिमाचल प्रदेश में मोबाइल डायग्नोस्टिक इकाइयां	500.00
3	हिमाचल प्रदेश में हेमोडायलिसिस इकाइयां	500.00
4	जेएसएसके का संचालन एवं रखरखाव	500.00
	कुल:	**11,500.00**
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
1	रोपवे-सह-स्की केंद्र, सोलन	1,500.00
2	शिवालिक होटल-जाखू रोपवे	1,200.00
3	धर्मशाला-मैक्लोडगंज रोपवे	15,000.00
	कुल:	**17,700.00**
चल रही (सौंपी गई एवं कार्यान्वयनाधीन)		
शहरी बुनियादी ढांचा		
1	मैक्लोडगंज बस स्टैंड	800.00
2	धर्मशाला बस स्टैंड और पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर	2,500.00
3	पार्किंग परिसर, संजौली	2,500.00
4	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	1,500.00
5	पार्किंग परिसर, कार्ट रोड, लिफ्ट के पास	4,500.00
6	पार्किंग परिसर, रोहड़ू	1,000.00
7	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर मंडी, यू-ब्लॉक	5,500.00
8	पर्यटक सूचना केंद्र (टीआईसी) लिफ्ट द मॉल शिमला रोपवे	20,000.00
9	टाउन हॉल, द मॉल शिमला के भूतल पर एक उच्च स्तरीय कैफे का संचालन और रखरखाव	-अनुपलब्ध-
	कुल:	**38,300.00**
ऊर्जा		
1	फोज़ल	4,916.92
2	टिडोंग-I	1,33,900.00
3	तांगनु रोमाई-I	25,500.00
4	तांगनु रोमाई-II	3,150.00
5	पौडिटल लस्सा	21,000.00
6	रूड़ा-II	16,621.00
7	सेल्टी मसरंग	24,311.00
8	कुटेहर	2,13,967.00
9	चिरचंद-II	14,300.00
10	कुवारसी	9,426.00
11	सोइल दशल	8,889.00
12	ग्रामांग	12,160.00
	कुल:	**4,88,140.92**
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
1	हिमानी-चामुंडा रोपवे	25,000.00
2	पलचान-रोहतांग रोपवे	34,000.00
3	कुल्लू बाई पास-बिजली महादेव रोपवे	9,000.00
4	पर्यटन परियोजना का उन्नयन और संचालन एवं रखरखाव (जंजैहली (मंडी) में सांस्कृतिक केंद्र)	-अनुपलब्ध-
5	पर्यटन परियोजना का उन्नयन और संचालन एवं रखरखाव (बड़ाग्रां (मनाली, कुल्लू) में सांस्कृतिक केंद्र)	- अनुपलब्ध-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
6	पर्यटन परियोजना का उन्नयन और संचालन एवं रखरखाव (मंडी में कन्वेंशन सेंटर)	- अनुपलब्ध -
	कुल:	**68,000.00**
अन्य		
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, बद्दी	1,300.00
2	शिमला के पास आनंदपुर, शोघी में विज्ञान, शिक्षण व रचनात्मकता केंद्र (सीएसएलसी) का संचालन, प्रबंधन व रखरखाव।	- अनुपलब्ध -
3	श्री चिंतपूर्णी सदन ब्लॉक-सी, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश का संचालन एवं प्रबंधन	- अनुपलब्ध -
4	सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के मार्कण्डेय मंदिर परिसर में आगंतुकों की सुविधाओं का संचालन व प्रबंधन	- अनुपलब्ध -
	कुल:	**1,300.00**
आयोजनागत / प्राक्कलित (बोली के अधीन/ भविष्यगामी)		
शहरी बुनियादी ढांचा		
1	बस स्टैंड-सह-कार पार्किंग परिसर, हमीरपुर	-अनुपलब्ध-
2	बिलासपुर में बस स्टैंड व कार पार्किंग-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	-अनुपलब्ध-
3	लिफ्ट शिमला के पास वेंडिंग कॉम्प्लेक्स के सामने फूड कोर्ट का उन्नयन संचालन प्रबंधन व रखरखाव।	-अनुपलब्ध-
ऊर्जा		
1	जय बन्नी माता	25,245.00
2	उहल	14,573.00
3	सरसाडी-II	6,246.00
4	पलछम भांग	9,640.00
5	उमली	9,962.00
6	शिरिखंड	4,590.00
7	उहल खड्ड	11,500.00
8	रूपिन	39,261.00
9	भरमौर चरण-I	25,420.00
10	भरमौर चरण - II	16,750.00
11	हरसर चरण -I	-अनुपलब्ध-
12	हरसर चरण-II	21,230.00
13	हरसर चरण-III	-अनुपलब्ध-
14	चांगो-यांगथांग	2,07,729.00
15	शर्नी	8,702.00
16	सरसाडी	8,830.00
17	कुरहेद-II	5,827.00
18	जारी	10,579.00
19	चोनेड	-अनुपलब्ध-
20	भराड़ी	4,162.00
21	पार्बती	-अनुपलब्ध-
22	नेसांग	-अनुपलब्ध-
23	जोब्री	-अनुपलब्ध-
24	यंग थांग खाब	-अनुपलब्ध-
25	शांगलिंग	-अनुपलब्ध-
26	टैलिंग	-अनुपलब्ध-
27	टिनगेट	-अनुपलब्ध-
28	टिडोंग-II	-अनुपलब्ध-
29	लोअर महल	-अनुपलब्ध-
30	अपर महल	-अनुपलब्ध-
31	दुनाली-I व II	-अनुपलब्ध-
32	सुंदराली	-अनुपलब्ध-
33	टुंडाह-II	22,350.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
34	बुजलिंग	-अनुपलब्ध-
35	रूपिन-II	-अनुपलब्ध-
36	मकोरी	-अनुपलब्ध-
37	जांगलिक	-अनुपलब्ध-
38	कलाह खोल	8,930.00
39	मेलन	8,061.00
40	नरगनी	-अनुपलब्ध-
41	पांडर	-अनुपलब्ध-
42	परसोर	9,706.00
43	टुंडन	-अनुपलब्ध-
44	कोट डोगरी	7,560.00
45	अपर कुर्मी	6,220.00
46	तोरल कुंडली	12,338.00
47	छते का नाला	6,900.00
	कुल:	**5,12,311.00**
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
1	श्री आनंदपुर साहिब जी से श्री नैना देवी जी यात्री रोपवे परियोजना का विकास व ग्राम रामपुर, जिला रूपनगर, पंजाब से नैना देवी जी मंदिर, जिला बिलासपुर	-अनुपलब्ध-
2	हिमाचल प्रदेश राज्य में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत	-अनुपलब्ध-
3	मारकंडा घाटी जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में शिवालिक जीवाश्म पार्क, सुकेती का विकास।	-अनुपलब्ध-
अन्य		
1	सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुफरी में अपशिष्ट से ऊर्जा जैव-मिथेनेशन संयंत्र की स्थापना।	-अनुपलब्ध-
2	हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना।	-अनुपलब्ध-

स्रोत: विभागीय आंकड़े

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. ***वर्ष के 'लेखे' या 'वास्तविक' -*** यह 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरण की वह राशि होती है, जो लेखांकन प्राधिकारी की बहियों में अंततः दर्ज की गई हो (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा)। अनंतिम लेखाओं का तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखाओं से है।

2. ***योजना, प्रस्ताव अथवा कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति' -*** यह समक्ष प्राधिकारी द्वारा व्यय करने के उद्देश्य से उसकी औपचारिक स्वीकृति होती है। यह उस वर्ष विशेष के दौरान जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, कार्य हेतु बजट में निधियों के प्रावधान के साथ ली गई वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है।

3. ***'वार्षिक वित्तीय विवरण'-*** यह बजट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे संसद/राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

4. ***'विनियोजन'-*** इसका अर्थ है विनियोजन की किसी पृथक इकाई या भाग के तहत् व्यय हेतु संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशि जो संवितरण अधिकारी के निपटान हेतु रखी गई है।

5. ***'प्रभारित व्यय'-*** इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से होता है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत् विधायिका की सम्मति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होता।

6. ***'भारत/राज्य की समेकित निधि'-*** संघ/ राज्य सरकार का समस्त राजस्व, उनके द्वारा उठाए गए ऋण व ऋण की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि भारत/राज्य की समेकित निधि का निर्माण करती है। इस निधि से संविधान द्वारा प्रदत्त पद्धति में किसी उद्देश्य हेतु कानून के अनुरूप हो धन का विनियोजन किया जा सकता है।

7. ***'आकस्मिक निधि'*** अग्रदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य वर्ष के दौरान उत्पन्न अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यपालिका/सरकार को वह अग्रिम प्रदान करना है जिसका संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकरण लम्बित है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/ राज्य विधायिका से अनुमोदित होने के पश्चात् की जाती है।

8. ***'नियंत्रक अधिकारी (बजट)' -*** इसका तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे व्यय करने पर नियंत्रण अथवा राजस्व के संग्रहण की जिम्मेदारी विभाग द्वारा सौंपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित है।

9. ***'आहरण एवं संवितरण अधिकारी'-*** इससे तात्पर्य कार्यालय प्रमुख तथा कोई भी उस अन्य अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार की ओर से बिलों के

आहरण एवं भुगतान करने हेतु नियुक्त किया गया है। इस शब्द में इस प्रकार के कार्य का स्वयं निर्वहन करने वाले विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित है।

10. ***'अतिरिक्त अनुदान'-*** अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत प्रावधान के ऊपर एवं अधिक व्यय की वह राशि जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 से अंतर्गत संसद/राज्य विधायिका से अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया है तथा जिसका विनियमन अपेक्षित है।

11. ***'नई सेवा'-*** जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 115(1) (क)/250(1) (क) में दर्शाया गया है, नई सेवा का अर्थ उस व्यय से है जो नई नीति निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ तथा संसद/राज्य विधायिका के संज्ञान में पहले नहीं लाया गया था तथा इसमें निवेश के नए रूप अथवा नई गतिविधि भी शामिल है।

12. ***'सेवा के नए विलेख'-*** इससे तात्पर्य है अपेक्षाकृत वह बड़ा व्यय जो मौजूदा गतिविधि के आगे बढ़ जाने से उत्पन्न होता है।

13. ***'लोक लेखा'-*** इसका तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में संदर्भित लोक लेखा से है। निक्षेप, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जैसा प्राप्तियां व संवितरण, जो समेकित निधि का भाग नहीं बनते, वे लोक लेखा में सम्मिलित किए जाते है। लोक लेखा से संवितरण हेतु संसद/राज्य विधायिका की सम्मति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी की गई धनराशि नहीं होती।

14. ***'पुनर्विनियोजन'-*** इससे तात्पर्य उस अंतरण से है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई से बचत का अंतरण उसी अनुदान अथवा प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु किया जाता है।

15. ***'संशोधित अनुमान'-*** यह एक वित्तीय वर्ष हेतु संभावित प्राप्तियों अथवा व्यय का अनुमान है जो पहले से जारी आदेशों के आलोक में शेष वर्ष हेतु पहले से दर्ज तथा प्रत्याशित लेनदेन के संदर्भ में तैयार किया जाता है।

16. ***'अनुदानों की अनुपूरक मांग'-*** यह वह अनुपूरक मांगों का विवरण है, जिसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आवश्यक अतिरिक्त व्यय की अनुमानित राशि को दर्शाया गया हो। अनुपूरक की मांग सांकेतिक (टोकन), तकनीकी अथवा वास्तविक नकद हो सकती है।

क) **नकद अनुपूरक** मूल बजट प्रावधानों से अधिक व ऊपर लिए जाने वाले अनुदान होते है तथा इनके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आंबटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में तथा उचित उद्यम के पश्चात् प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जा रहा है।

ख) प्रत्येक मांग में चार अनुभाग है अर्थात् दत्तमत राजस्व, प्रभारित राजस्व, दत्तमत पूंजीगत एवं प्रभारित पूंजीगत। **तकनीकी अनुपूरक**, राज्य विधायिका का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी एक प्रभाग की बचतों को किसी अन्य प्रभाग में उपयोग करने की अनुमति देता है।

ग) **सांकेतिक (टोकन) अनुपूरक** अनुदान के समान प्रभाग के भीतर बचतों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।

17. 'मुख्य शीर्ष' - इससे तात्पर्य है राज्य के प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्ज करने एवं वर्गीकरण करने के उद्देश्य के लिए लेखाओं का मुख्य शीर्ष। मुख्य शीर्ष विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आता है जो सामान्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के 'कार्य' के समान है।

18. उप-मुख्य शीर्ष'- इसका अर्थ उस मध्यावर्ती लेखा शीर्ष से है जो मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्षों के मध्य तब प्रस्तुत किए जाते है जब लघु शीर्षों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा उन्हें सरलीकृत करते हुए ऐसे मध्यावर्ती शीर्ष के तहत् समूहबद्ध किया जा सकता है।

19. 'लघु शीर्ष'- इसका अर्थ मुख्य शीर्ष अथवा उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। किसी मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले 'कार्यक्रम' की पहचान करता है।

20. 'उप शीर्ष' - इसका अर्थ है लघु शीर्ष के अधीनस्थ एक लेखा इकाई जो सामान्यतः उस लघु शीर्ष अथवा कार्यक्रम के तहत योजना अथवा संगठन को दर्शाता है।

21. 'मुख्य कार्य'- इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभारों को छोड़कर, समय-समय पर बढ़ जाती है।

22. 'लघु कार्य'- इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभारों को छोड़कर, समय-समय पर नहीं बढ़ती।

23. 'रूपांतरित अनुदान अथवा विनियोजन'- यह किसी विनियोजन उप-शीर्ष को आवंटित वह राशि है जो सक्षम अधिकारी द्वारा पुनर्विनियोजन अथवा अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान संस्वीकृति के पश्चात् दी गई है।

24. 'अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन'- इसका अर्थ विनियोजन अधिनियम में सम्मिलित उस प्रावधान से है जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान, उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में सम्मिलित राशि से अधिक हुए व्यय की पूर्ति की जाती है।

25. 'नए व्यय की अनुसूची'- इसका अर्थ आगामी वर्ष हेतु बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण है।

26. 'सांकेतिक (टोकन) मांग'- इसका तात्पर्य अत्यन्त कम अथवा सांकेतिक राशि के लिए विधान सभा में की गई मांग से है, उदाहरणार्थ इसे संस्वीकृत बजट अनुदान से हुई बचत से किसी नई सेवा के पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1.1)

श्रेणी-I योजनाएं (100 प्रतिशत महिला लाभार्थी)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय	बचत
1	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	19	2235-02-102-20-C00N	1.00	0.00	279.39	280.39	0.00
		31	2235-02-796-42-C00N	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
		32	2235-02-789-42-C00N	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
2	बेटी है अनमोल	19	2235-02-102-13-S00N	856.00	0.00	0.00	792.72	-63.28
		32	2235-02-789-06-S00N	328.00	0.00	0.00	294.29	-33.71
		31	2235-02-796-04-S00N	117.00	0.00	-71.07	18.99	-26.94
3	हिमाचल गृहणी सुविधा योजना	22	2408-01-800-02-S00N	658.00	0.00	0.00	658.00	0.00
		31	2408-01-796-10-S00N	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00
		32	2408-01-789-05-S00N	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00
4	इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना	9	2211-00-200-02-S00N	55.00	0.00	-15.00	29.85	-10.15
		31	2211-00-796-05-S00N	5.00	0.00	-3.25	1.00	-0.75
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	32	2235-60-789-05-C00N	232.00	0.00	-6.50	225.50	0.00
		19	2235-60-102-03-C00N	689.00	0.00	-20.00	669.00	0.00
		31	2235-60-796-04-C00N	25.00	0.00	-0.36	24.64	0.00
6	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	8	2202-80-107-18-S00N	247.00	0.00	0.00	0.00	-247.00
		32	2202-02-789-29-S00N	94.00	0.00	0.00	0.00	-94.00
		31	2202-80-796-03-S00N	34.00	0.00	0.00	0.00	-34.00
7	महिला मंडल प्रोत्साहन योजना	20	2515-00-102-18-S00N	53.00	0.00	0.00	0.00	-53.00
		31	2515-00-796-18-S00N	7.00	0.00	0.00	0.00	-7.00
8	मदर टेरेसा योजना	19	2235-02-103-15-S00N	658.00	0.00	0.00	637.68	-20.32
		31	2235-02-796-07-S00N	90.00	0.00	-54.86	13.65	-21.49
		32	2235-02-789-13-S00N	252.00	0.00	0.00	225.26	-26.74

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय	बचत
9	मुख्यमंत्री कन्या दान योजना	32	2235-02-789-07-S00N	300.00	0.00	0.00	230.52	-69.48
		31	2235-02-796-05-S00N	106.00	0.00	-86.86	6.12	-13.02
		19	2235-02-103-17-S00N	792.00	0.00	0.00	609.65	-182.35
10	नारी अदालत	19	2235-02-103-29-C00N	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
		31	2235-02-796-32-C00N	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
		32	2235-02-789-36-C00N	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
11	वन स्टॉप सेंटर	19	2235-02-103-28-C00N	1.00	0.00	402.30	403.15	-0.15
		31	2059-60-796-01-C00N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
		31	2235-02-796-31-C00N	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
		31	4235-02-796-05-C00N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
		32	2059-60-789-01-C00N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
		32	2235-02-789-35-C00N	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
		32	4235-02-789-06-C00N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
12	पुलिस आवास	31	2059-01-796-14-S00N	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00
		31	2216-06-796-01-S00N	10.00	0.00	0.00	9.97	-0.03
		32	2216-06-789-01-S00N	27.30	0.00	0.00	26.30	-1.00
		32	4055-00-789-04-S00N	1,209.00	0.00	0.00	1,115.37	-93.63
13	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	19	2235-02-103-19-C90N	122.00	0.00	663.89	785.89	0.00
		19	2235-02-103-19-S10N	99.00	0.00	0.00	87.32	-11.68
		31	2235-02-796-20-C90N	17.00	0.00	25.26	42.26	0.00
		31	2235-02-796-20-S10N	14.00	0.00	0.00	4.70	-9.30
		32	2235-02-789-21-C90N	47.00	0.00	213.99	260.99	0.00
		32	2235-02-789-21-S10N	38.00	0.00	0.00	29.00	-9.00
14	सखी निवास	19	2235-02-103-31-C90N	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
		19	2235-02-103-31-S10N	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
		31	2059-60-796-02-C90N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
		31	2059-60-796-02-S10N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
		31	4235-02-796-06-C90N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय	बचत
		31	4235-02-796-06-S10N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
		32	2059-60-789-02-C90N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
		32	2059-60-789-02-S10N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
		32	2235-02-789-38-C90N	39.00	0.00	0.00	0.00	-39.00
		32	2235-02-789-38-S10N	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
		32	4235-02-789-07-C90N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
		32	4235-02-789-07-S10N	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
15	सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना/मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	9	2210-06-200-10-S00N	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
		31	2210-06-796-18-S00N	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
		32	2210-06-789-09-S00N	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
16	महिलाओं को स्वरोजगार	19	2235-02-103-34-S00N	13.00	0.00	0.00	12.80	-0.20
		31	2235-02-796-41-S00N	2.00	0.00	0.00	1.25	-0.75
		32	2235-02-789-44-S00N	5.00	0.00	0.00	4.95	-0.05
17	सशक्त महिला योजना	31	2235-02-796-26-S00N	9.00	0.00	-3.40	3.73	-1.87
18	तकनीकी छात्रवृत्तियां	27	2225-03-277-04-S00N	50.00	0.00	0.00	47.46	-2.54
19	विशेष महिला उत्थान योजना	32	2235-02-789-10-S00N	25.00	0.00	0.00	22.26	-2.74
		31	2235-02-796-10-S00N	9.00	0.00	0.00	0.00	-9.00
20	विधवा पेंशन	19	2235-60-102-02-S00N	13,802.00	145.41	-206.50	13,705.24	-35.67
		31	2235-60-796-02-S00N	589.00	0.00	-9.00	571.52	-8.48
		32	2235-60-789-02-S00N	5,984.00	0.00	-88.50	5,791.60	-103.90
21	विधवा पुनर्विवाह	19	2235-02-103-18-S00N	46.00	0.00	0.00	42.30	-3.70
		31	2235-02-796-08-S00N	6.00	0.00	1.30	1.95	-5.35
		32	2235-02-789-09-S00N	18.00	0.00	0.00	17.50	-0.50
22	महिला हेल्पलाइन	19	2235-02-103-27-C00N	1.00	0.00	19.10	20.00	-0.10
		31	2235-02-796-30-C00N	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
		32	2235-02-789-34-C00N	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
23	शक्ति सदन	19	2235-02-103-30-S10N	64.00	0.00	0.00	3.99	-60.01
		19	2235-02-103-30-C90N	11.00	0.00	24.95	35.95	0.00

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय	बचत
		32	2235-02-789-37-S10N	20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00
		32	2235-02-789-37-S10N	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
		31	2235-02-796-33-S10N	9.00	0.00	0.00	0.00	-9.00
24	महर्षि बाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना	अनुपलब्ध		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	रक्षा बंधन और भाई दूज			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	बकरीद			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	मुख्यमंत्री शगुन योजना			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	सुंदरनगर (विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए संस्थान, सुंदरनगर) में श्रवण बाधित/दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए विशेष स्कूल			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	आशा योजना			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम (सैनिटरी नैपकिन योजना)							0.00
33	एक बूटा बेटी के नाम			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल योग				**28,256.80**	**145.53**	**1,061.88**	**28,177.21**	**-1,447.00**

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.6)

बचत में परिणत अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ में)

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	अभ्यर्पण	व्यय	बचत
दत्तमत									
1	05- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-103-02-S00N	1,38,66,20,000	1,69,53,000	12,000	1,40,35,85,000	0	1,39,46,48,072	-89,36,928
2		2245-02-106-01-C00N	0	3,12,96,50,000	1,000	3,12,96,51,000	0	3,08,38,31,137	-4,58,19,863
3	07- पुलिस व संबद्ध संगठन	2055-00-101-01-S00N	58,64,15,000	85,65,000	5,00,000	59,54,80,000	-1,73,56,000	57,79,02,400	-1,75,77,600
4		2055-00-108-05-S00N	3,35,96,75,000	2,58,20,000	7,60,650	3,38,62,55,650	-19,02,75,000	3,19,34,32,464	-19,28,23,186
5		2055-00-116-01-S00N	9,04,07,000	1,05,83,451	1,000	10,09,91,451	0	9,95,64,776	-14,26,675
6	08- शिक्षा	2202-01-101-03-S00N	16,63,02,67,000	0	4,61,50,000	16,67,64,17,000	-8,27,34,000	14,87,00,63,520	-1,80,63,53,480
7		2202-01-104-01-S00N	21,05,30,000	0	16,83,000	21,22,13,000	-1,94,52,000	19,12,14,263	-2,09,98,737
8		2202-01-104-02-S00N	73,43,88,000	0	70,65,000	74,14,53,000	-2,35,53,000	71,09,45,516	-3,05,07,484
9		2202-01-107-04-S00N	24,99,12,000	0	89,00,000	25,88,12,000	-1,69,000	21,96,34,079	-3,91,77,921
10		2202-01-112-01-C90N	82,23,00,000	0	5,01,34,000	87,24,34,000	-7,66,73,000	79,57,61,000	-7,66,73,000
11		2202-01-113-01-C90N	6,75,00,000	1,31,03,33,878	28,12,64,122	1,65,90,98,000	0	36,26,64,000	-1,29,64,34,000
12		2202-02-001-01-S00N	22,33,81,000	0	22,25,000	22,56,06,000	-40,26,000	21,84,31,095	-71,74,905
13		2202-02-109-01-S00N	28,39,00,98,000	0	7,86,99,000	28,46,87,97,000	-1,01,389	28,04,56,31,984	-42,31,65,016
14	09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2210-01-001-01-S00N	18,06,26,000	1,00,000	4,14,000	18,11,40,000	-10,95,000	17,93,58,640	-17,81,360
15		2210-01-110-03-S00N	3,00,46,94,000	25,64,03,000	7,07,11,478	3,33,18,08,478	-6,68,64,478	3,20,92,91,672	-12,25,16,806
16		2210-05-105-13-S00N	68,08,80,000	3,26,57,000	17,08,819	71,52,45,819	-2,049	69,48,45,869	-2,03,99,950
17	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-19-S00N	1,87,94,27,000	1,000	1,49,95,000	1,89,44,23,000	-3,000	1,79,19,86,339	-10,24,36,661
18		3054-80-001-01-S00N	58,70,60,000	0	62,87,000	59,33,47,000	0	53,00,58,211	-6,32,88,789
19	11- कृषि	2401-00-108-17-S00N	0	5,000	16,47,95,000	16,48,00,000	0	0	-16,48,00,000
20	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	4702-00-101-06-C90N	46,86,26,000	50,70,00,000	32,00,000	97,88,26,000	0	47,25,23,198	-50,63,02,802

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	अभ्यर्पण	व्यय	बचत
21	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	4210-03-101-01-S00B	90,00,000	0	19,03,745	1,09,03,745	0	59,39,146	-49,64,599
22		4215-01-102-01-S00B	16,50,00,000	0	2,61,21,698	19,11,21,698	0	13,46,83,804	-5,64,37,894
23		4402-00-102-07-S00B	60,00,000	0	20,20,294	80,20,294	0	56,69,543	-23,50,751
24		5054-04-337-27-S00B	47,19,00,000	0	6,10,33,717	53,29,33,717	0	42,22,77,759	-11,06,55,958
25	16- वन एवं वन्य जीवन	2406-01-001-02-S00N	3,69,19,38,000	0	72,52,000	3,69,91,90,000	-25,08,17,900	3,39,62,26,104	-30,29,63,896
26		2406-02-110-01-S00N	13,45,00,000	0	53,99,000	13,98,99,000	-51,49,400	12,86,07,730	-1,12,91,270
27		2406-02-111-01-S00N	4,61,00,000	0	15,86,000	4,76,86,000	-11,07,400	3,70,99,455	-1,05,86,545
28	17- चुनाव	2015-00-102-01-S00N	21,96,42,000	24,22,000	9,000	22,20,73,000	-1,02,61,000	21,11,83,213	-1,08,89,787
29		2015-00-103-01-S00N	8,50,00,000	3,48,38,000	6,000	11,98,44,000	0	11,91,98,877	-6,45,123
30		2015-00-109-01-S00N	62,44,000	2,90,37,000	4,000	3,52,85,000	-2,64,000	3,43,20,154	-9,64,846
31	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	2851-00-102-13-S00N	20,06,79,000	1,37,50,000	30,46,000	21,74,75,000	0	20,53,06,249	-1,21,68,751
32		2852-80-102-01-S00N	80,21,000	76,85,000	2,59,000	1,59,65,000	0	81,44,373	-78,20,627
33		2852-80-102-10-S00N	85,09,000	0	43,000	85,52,000	0	74,59,608	-10,92,392
34		2852-80-102-11-S00N	1,50,00,000	0	1,000	1,50,01,000	0	1,32,02,735	-17,98,265
35		2853-02-102-01-S00N	13,62,24,000	0	2,32,000	13,64,56,000	-64,13,000	12,23,06,921	-1,41,49,079
36	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	2225-01-001-02-S00N	15,14,58,000	0	13,89,000	15,28,47,000	-33,31,626	14,86,62,502	-41,84,498
37		2235-02-102-05-S00N	1,04,71,00,000	0	22,95,000	1,04,93,95,000	-34,10,28,000	68,84,84,658	-36,09,10,342
38		2235-02-107-08-S00N	1,75,00,000	0	57,00,000	2,32,00,000	0	1,71,07,494	-60,92,506
39		2235-60-800-88-S00N	23,000	0	2,00,000	2,23,000	0	6,047	-2,16,953
40	20- ग्रामीण विकास	2515-00-196-08-S00N	14,58,15,000	0	11,01,000	14,69,16,000	0	2,21,000	-14,66,95,000
41		2515-00-197-04-S00N	8,78,19,000	0	1,10,32,000	9,88,51,000	0	8,00,52,728	-1,87,98,272
42		2515-00-197-08-S00N	14,58,15,000	0	11,01,000	14,69,16,000	0	11,71,000	-14,57,45,000
43		2515-00-198-07-S00N	68,04,70,000	0	51,35,000	68,56,05,000	0	10,27,000	-68,45,78,000
44	24- मुद्रण व लेखन सामग्री	2058-00-101-01-S00N	4,83,15,000	3,12,44,824	4,113	7,95,63,937	-6,76,875	7,88,87,062	-6,76,875
45		2058-00-103-01-S00N	16,66,21,000	2,18,68,703	4,105	18,84,93,808	-3,39,89,694	15,44,90,313	-3,40,03,495
46	25- सड़क व जल परिवहन	2041-00-800-01-S00N	18,38,11,000	5,57,97,000	3,45,000	23,99,53,000	0	18,47,15,171	-5,52,37,829

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	अभ्यर्पण	व्यय	बचत
47	26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	3452-80-001-01-S00N	2,73,66,000	91,27,410	1,00,02,000	4,64,95,410	0	3,29,06,154	-1,35,89,256
48		5452-01-101-01-S00N	2,00,00,000	2,99,00,000	22,04,000	5,21,04,000	0	1,79,14,168	-3,41,89,832
49	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	2203-00-105-01-S00N	67,85,27,000	0	93,00,000	68,78,27,000	0	67,79,09,520	-99,17,480
50		2230-02-001-01-S00N	92,09,000	0	98,000	93,07,000	0	82,33,830	-10,73,170
51		2230-02-101-01-S00N	11,57,59,000	0	28,41,048	11,86,00,048	0	10,90,05,939	-95,94,109
52		2230-03-003-05-S00N	1,09,91,81,000	0	4,92,00,000	1,14,83,81,000	0	1,09,51,71,575	-5,32,09,425
53	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	2217-80-191-58-S00N	1,25,00,000	0	1,00,00,000	2,25,00,000	0	1,00,00,000	-1,25,00,000
54		2217-80-191-62-S00N	2,55,37,000	0	3,51,000	2,58,88,000	0	0	-2,58,88,000
55	29- वित्त	2054-00-095-04-S00N	11,85,00,000	9,49,93,321	7,65,756	21,42,59,077	0	20,80,98,942	-61,60,135
56		2054-00-098-01-S00N	9,86,19,000	8,74,000	70,000	9,95,63,000	-4,00,000	9,62,40,810	-33,22,190
57	30- विविध सामान्य सेवाएं	2059-01-053-23-S00N	2,10,000	0	3,00,000	5,10,000	0	1,83,402	-3,26,598
58		2205-00-103-01-S00N	2,99,00,000	4,12,21,170	7,78,830	7,19,00,000	0	6,21,82,440	-97,17,560
59		2205-00-107-01-S00N	2,86,76,000	17,01,000	5,88,000	3,09,65,000	0	2,93,17,212	-16,47,788
60	31- जनजातीय विकास	2014-00-796-01-S00N	2,84,27,000	0	2,12,000	2,86,39,000	0	2,77,98,833	-8,40,167
61		2045-00-796-01-S00N	1,37,34,000	0	88,000	1,38,22,000	0	1,26,15,526	-12,06,474
62		2053-00-796-01-S00N	13,40,98,000	0	36,10,000	13,77,08,000	0	12,79,34,362	-97,73,638
63		2053-00-796-02-S00N	2,12,03,000	0	1,10,000	2,13,13,000	0	1,91,87,544	-21,25,456
64		2053-00-796-05-S00N	62,19,000	0	1,07,000	63,26,000	0	39,60,783	-23,65,217
65		2054-00-796-01-S00N	4,36,39,000	0	4,50,000	4,40,89,000	0	4,23,70,054	-17,18,946
66		2055-00-796-01-S00N	60,62,49,000	0	41,02,000	61,03,51,000	0	58,15,33,028	-2,88,17,972
67		2055-00-796-04-S00N	9,43,33,000	0	2,00,000	9,45,33,000	0	8,91,29,480	-54,03,520
68		2202-01-796-02-S0NM	4,25,95,000	0	8,21,000	4,34,16,000	0	3,94,00,124	-40,15,876
69		2202-01-796-26-S10N	1,00,000	0	1,22,000	2,22,000	0	55,569	-1,66,431
70		2202-02-796-01-S00N	2,42,66,000	1,59,000	2,18,727	2,46,43,727	0	2,17,79,656	-28,64,071
71		2202-02-796-02-S00N	68,84,64,000	0	2,10,000	68,86,74,000	0	61,85,44,339	-7,01,29,661
72		2202-03-796-02-S00N	8,77,83,000	0	1,00,000	8,78,83,000	0	8,30,09,918	-48,73,082
73		2202-03-796-08-S10N	19,00,000	0	5,00,000	24,00,000	0	16,64,123	-7,35,877

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	अभ्यर्पण	व्यय	बचत
74		2210-03-796-02-S00N	21,21,01,000	0	86,05,000	22,07,06,000	0	17,15,70,377	-4,91,35,623
75		2210-06-796-21-S00N	1,55,00,000	0	7,00,000	1,62,00,000	0	1,54,21,482	-7,78,518
76		2230-02-796-02-S00N	2,16,00,000	0	13,07,000	2,29,07,000	0	53,77,671	-1,75,29,329
77		2235-02-796-03-S00N	9,00,00,000	0	1,47,22,000	10,47,22,000	-1,11,82,000	7,96,54,779	-2,50,67,221
78		2235-02-796-08-S00N	6,00,000	0	1,30,000	7,30,000	0	1,95,000	-5,35,000
79		2235-02-796-19-S10N	18,00,000	0	19,85,000	37,85,000	0	14,38,000	-23,47,000
80		2401-00-796-09-S00N	1,00,000	0	52,00,000	53,00,000	0	0	-53,00,000
81		2401-00-796-31-S00N	1,00,00,000	0	56,00,000	1,56,00,000	0	84,34,576	-71,65,424
82		2401-00-796-60-C90N	1,00,000	15,36,000	14,35,700	30,71,700	0	15,35,700	-15,36,000
83		2401-00-796-78-S00N	1,00,000	0	2,20,000	3,20,000	0	0	-3,20,000
84		2402-00-796-02-S00N	5,00,00,000	0	10,47,000	5,10,47,000	-40,56,099	2,73,39,393	-2,37,07,607
85		2402-00-796-14-S00N	72,00,000	0	19,00,000	91,00,000	0	66,91,225	-24,08,775
86		2403-00-796-02-S00N	28,55,87,000	0	3,00,000	28,58,87,000	0	24,76,61,508	-3,82,25,492
87		2403-00-796-05-S00N	1,00,00,000	0	1,80,000	1,01,80,000	-26,72,000	54,13,781	-47,66,219
88		2406-01-796-02-S00N	5,09,25,000	7,91,725	33,83,07,000	39,00,23,725	0	3,38,31,721	-35,61,92,004
89		2406-01-796-36-S00N	19,00,000	0	50,000	19,50,000	-3,50,000	31,500	-19,18,500
90		2406-01-796-42-S00N	2,11,00,000	0	32,00,000	2,43,00,000	0	90,68,500	-1,52,31,500
91		2406-02-796-09-S00N	1,50,00,000	0	1,50,000	1,51,50,000	-4,50,000	1,24,01,300	-27,48,700
92		2408-01-796-01-S00N	1,59,70,000	0	2,11,000	1,61,81,000	0	1,34,95,384	-26,85,616
93		2408-01-796-02-S00N	19,00,000	0	8,00,000	27,00,000	0	18,00,000	-9,00,000
94		2501-06-796-07-S10N	69,00,000	0	12,66,000	81,66,000	0	61,41,000	-20,25,000
95		2515-00-796-01-S00N	15,08,62,000	0	21,00,000	15,29,62,000	0	14,32,25,481	-97,36,519
96		2515-00-796-02-S00N	6,27,96,000	0	3,49,000	6,31,45,000	0	5,71,15,005	-60,29,995
97		2515-00-796-16-C90N	1,74,00,000	7,41,000	24,59,000	2,06,00,000	0	87,00,000	-1,19,00,000
98		4055-00-796-02-S00N	4,32,00,000	0	3,00,000	4,35,00,000	0	4,30,00,000	-5,00,000
99		4202-02-796-01-S00N	1,00,00,000	0	15,00,000	1,15,00,000	0	74,00,000	-41,00,000
100		4202-03-796-01-S00N	2,00,00,000	0	2,89,08,000	4,89,08,000	0	1,77,53,000	-3,11,55,000

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	अभ्यर्पण	व्यय	बचत
101		4210-02-796-01-S00N	7,80,00,000	0	2,35,000	7,82,35,000	0	7,51,60,000	-30,75,000
102		4215-01-796-03-S00N	8,00,00,000	0	1,17,42,000	9,17,42,000	0	7,83,27,158	-1,34,14,842
103		4216-01-796-02-S00N	4,98,00,000	0	1,74,000	4,99,74,000	0	4,48,08,664	-51,65,336
104		4216-01-796-03-S00N	90,00,000	0	13,64,000	1,03,64,000	0	47,83,938	-55,80,062
105		4403-00-796-01-S00N	1,50,00,000	0	5,95,000	1,55,95,000	0	1,47,61,000	-8,34,000
106		4406-01-796-02-S00N	2,00,00,000	0	24,21,000	2,24,21,000	0	79,04,670	-1,45,16,330
107		4702-00-796-06-S00N	6,25,00,000	0	91,60,000	7,16,60,000	0	5,81,17,747	-1,35,42,253
108		5075-60-796-01-S00N	11,00,000	0	2,00,000	13,00,000	0	0	-13,00,000
109	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2202-01-789-21-C90N	2,58,00,000	40,27,84,000	23,23,04,000	66,08,88,000	0	19,07,16,000	-47,01,72,000
110		2217-80-789-04-C90N	8,00,00,000	0	9,10,000	8,09,10,000	0	6,83,10,000	-1,26,00,000
111		2225-01-789-17-S00N	5,29,000	0	66,000	5,95,000	-79,000	4,60,270	-1,34,730
112		2235-02-789-28-S00N	42,09,00,000	0	1,61,42,000	43,70,42,000	0	41,88,12,429	-1,82,29,571
113		2235-02-789-48-C00N	0	2,000	45,11,376	45,13,376	0	0	-45,13,376
114		2401-00-789-75-S00N	0	4,000	6,23,96,000	6,24,00,000	0	0	-6,24,00,000
115		2406-02-789-02-S00N	3,21,00,000	0	15,11,00,000	18,32,00,000	0	2,40,75,000	-15,91,25,000
116		4202-01-789-02-S00N	8,19,00,000	0	3,39,74,000	11,58,74,000	0	5,40,03,300	-6,18,70,700
117		4202-01-789-08-S00N	5,00,00,000	0	3,76,00,000	8,76,00,000	0	1,50,00,000	-7,26,00,000
118		4210-02-789-01-S00N	15,62,00,000	13,00,000	59,00,000	16,34,00,000	0	15,06,82,000	-1,27,18,000
119		4225-01-789-02-S00N	2,51,00,000	0	25,62,000	2,76,62,000	0	27,00,000	-2,49,62,000
120		5054-04-789-01-S00N	91,94,00,000	0	1,26,33,000	93,20,33,000	0	90,77,41,783	-2,42,91,217
121		5054-04-789-12-C00N	27,71,00,000	10,93,59,000	1,66,41,000	40,31,00,000	0	36,91,90,926	-3,39,09,074
122		5054-04-789-16-S00N	11,81,00,000	0	76,000	11,81,76,000	0	11,35,22,121	-46,53,879
प्रभारित									
123	02- राज्यपाल व मंत्रिपरिषद	2012-03-090-01-S00N	4,93,52,000	12,10,664	10,05,000	5,15,67,664	0	4,86,41,088	-29,26,576

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.6)

आधिक्य में परिणत अनुचित पुनर्विनियोजन

(₹ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल बजट	पुनर्विनियोजन	अभ्यर्पण	व्यय	आधिक्य
1	05- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-102-04-S00N	21,20,19,000	9,36,000	21,29,55,000	-1,000	0	22,99,97,097	1,70,42,097
2		2053-00-094-01-S00N	22,91,43,000	0	22,91,43,000	-8,000	0	24,08,33,932	1,16,90,932
3	08- शिक्षा	2202-01-101-12-S00N	1,00,000	0	1,00,000	-1,00,000	0	4,47,18,265	4,46,18,265
4	09- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	4210-03-105-12-C90N	2,33,000	0	2,33,000	-1,17,000	0	25,63,00,000	25,60,67,000
5		4210-03-105-12-S10N	2,33,000	0	2,33,000	-1,17,000	0	2,84,78,000	2,82,45,000
6		4210-03-105-13-S10N	2,34,000	1,21,94,000	1,24,28,000	-1,17,000	0	1,42,61,000	18,33,000
7	17- चुनाव	2015-00-101-01-S00N	1,80,60,000	0	1,80,60,000	-4,000	-1,50,000	1,98,80,432	18,20,432
8	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	2230-02-101-03-S00N	12,56,000	0	12,56,000	-5,133	0	12,60,678	4,678
9	29- वित्त	2071-01-104-02-S00N	9,66,82,73,000	0	9,66,82,73,000	-66,82,73,000	0	10,70,21,53,604	1,03,38,80,604
10	30- विविध सामान्य सेवाएं	2250-00-103-01-S00N	37,25,000	0	37,25,000	-50,000	0	41,64,548	4,39,548
11	31- जनजातीय विकास	2202-01-796-16-S00N	1,00,000	0	1,00,000	-1,00,000	0	86,10,277	85,10,277
12		3054-04-796-01-S00N	17,59,99,000	0	17,59,99,000	-51,59,000	0	1,37,20,06,532	1,19,60,07,532
13		4059-01-796-12-S00N	72,00,000	0	72,00,000	-25,00,000	0	86,49,000	14,49,000
14	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2202-01-789-12-S00N	1,00,000	0	1,00,000	-1,00,000	0	1,59,25,544	1,58,25,544

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.6)

आधिक्य में परिणत अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	व्यय	आधिक्य
दत्तमत								
1	07- पुलिस व संबद्ध संगठन	2056-00-101-01-S00N	36,05,52,000	2,65,34,000	9,39,000	38,80,25,000	40,69,08,351	1,88,83,351
2		2056-00-102-01-S00N	1,11,54,000	30,00,000	22,78,600	1,64,32,600	1,67,83,237	3,50,637
3	09- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2210-06-001-04-S00N	4,53,46,000	19,83,000	93,000	4,74,22,000	4,75,32,420	1,10,420
4		2210-06-102-01-S00N	1,55,60,000	63,70,000	13,000	2,19,43,000	2,23,60,300	4,17,300
5		4210-03-105-06-S00N	2,63,00,000	46,60,88,000	7,59,62,136	56,83,50,136	63,00,88,177	6,17,38,041
6	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-02-S00N	2,72,19,35,000	0	6,05,58,300	2,78,24,93,300	2,83,81,62,505	5,56,69,205
7		3054-04-105-28-S00N	50,00,00,000	0	15,00,00,000	65,00,00,000	65,03,62,480	3,62,480
8		3054-04-337-06-S00N	25,18,87,000	0	10,00,00,000	35,18,87,000	38,32,86,436	3,13,99,436
9		5054-04-101-01-S00N	40,86,00,000	3,18,30,000	17,48,47,000	61,52,77,000	66,81,04,611	5,28,27,611
10	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2700-01-101-01-S00N	2,11,65,000	4,06,12,000	1,00,01,000	7,17,78,000	7,34,62,721	16,84,721
11		4702-00-101-04-S00N	13,58,00,000	0	6,93,58,000	20,51,58,000	21,16,52,270	64,94,270
12		4711-01-103-02-S00N	2,84,00,000	0	6,48,93,000	9,32,93,000	9,52,36,478	19,43,478
13	14- पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन	2403-00-101-01-S00N	3,28,74,08,000	4,04,62,000	6,43,94,000	3,39,22,64,000	3,48,43,08,256	9,20,44,256
14	16-वन एवं अन्य जीव	2406-01-101-10-S00N	36,20,00,000	12,35,97,700	12,64,02,300	61,20,00,000	61,41,22,000	21,22,000
15	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	4851-00-101-04-S00N	0	0	5,00,000	5,00,000	66,00,00,000	65,95,00,000
16	20- ग्रामीण विकास	2216-03-102-07-C90N	10,41,00,000	9,20,46,270	28,02,00,000	47,63,46,270	64,36,16,270	16,72,70,000
17		2216-03-102-07-S10N	71,00,000	1,24,27,000	3,34,00,000	5,29,27,000	7,15,13,000	1,85,86,000
18		2515-00-102-23-S10N	12,00,000	1,38,08,000	69,98,000	2,20,06,000	2,92,82,000	72,76,000
19	21-सहकारिता	2425-00-101-01-S00N	10,58,41,000	0	44,92,000	11,03,33,000	11,09,12,796	5,79,796

क्र. सं.	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	व्यय	आधिक्य
20	23- विद्युत विकास	2801-80-001-01-S00N	5,72,20,000	1,01,000	1,000	5,73,22,000	5,85,59,326	12,37,326
21	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202-02-104-01-S00N	13,52,00,000	4,52,36,000	1,00,000	18,05,36,000	19,64,01,000	1,58,65,000
22	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	2217-80-191-51-S00N	1,00,00,000	0	4,08,69,000	5,08,69,000	33,04,71,000	27,96,02,000
23		2217-80-191-54-S00N	0	15,69,56,000	24,57,31,000	40,26,87,000	1,60,06,06,000	1,19,79,19,000
24		2217-80-193-15-S10N	30,000	2,99,59,000	1,40,24,331	4,40,13,331	5,72,86,000	1,32,72,669
25		4215-02-106-02-S00N	22,44,00,000	35,47,46,000	41,66,000	58,33,12,000	64,41,60,534	6,08,48,534
26	29- वित्त	2071-01-101-03-S00N	49,67,67,92,000	1,81,80,04,000	17,69,77,000	51,67,17,73,000	58,44,72,42,259	6,77,54,69,259
27		2071-01-102-02-S00N	6,87,03,86,000	1,10,00,17,000	53,86,50,000	8,50,90,53,000	9,23,00,72,892	72,10,19,892
28	31- जनजातीय विकास	2055-00-796-02-S00N	1,70,76,000	0	1,00,000	1,71,76,000	1,75,92,471	4,16,471
29		2070-00-796-01-S00N	3,17,69,000	0	71,78,000	3,89,47,000	4,00,00,626	10,53,626
30		2851-00-796-02-S00N	1,16,91,000	0	3,00,000	1,19,91,000	1,24,01,960	4,10,960
31		4702-00-796-02-S00N	1,00,00,000	0	3,39,99,000	4,39,99,000	4,83,39,454	43,40,454
32	32- अनुसूचित जाति उप योजना	4215-01-789-02-S00N	2,52,00,000	0	3,49,01,000	6,01,01,000	6,82,50,521	81,49,521
				प्रभारित				
33	29-वित्त	2049-01-115-01-S00N	1,000	0	1,99,99,000	2,00,00,000	2,14,33,901	14,33,901
34		2049-01-305-02-S00N	0	1,000	16,37,000	16,38,000	1,38,90,609	1,22,52,609
35		2049-03-104-01-S00N	11,40,00,00,000	96,25,07,000	13,74,93,000	12,50,00,00,000	12,54,35,23,190	4,35,23,190
36		2049-03-104-03-S00N	4,00,00,000	0	50,00,000	4,50,00,000	4,60,27,992	10,27,992

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.7(i))

बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	कुल बजट	अभ्यर्पण	व्यय	बचत/आधिक्य
राजस्व-दत्तमत							
1	1-विधान सभा	42,98,65,000	6,37,74,000	49,36,39,000	0	48,40,02,438	-96,36,562
2	2- राज्यपाल व मंत्रिपरिषद्	16,19,24,000	6,38,97,000	22,58,21,000	0	22,23,30,999	-34,90,001
3	3- न्यायिक प्रशासन	2,37,52,83,000	18,64,74,598	2,56,17,57,598	-15,00,000	2,47,68,56,599	-8,49,00,999
4	4- सामान्य प्रशासन	2,19,66,01,000	12,78,93,668	2,32,44,94,668	-10,48,23,721	2,14,24,12,050	-18,20,82,618
5	5- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	14,47,58,30,000	17,42,95,50,865	31,90,53,80,865	0	30,69,07,38,512	-1,21,46,42,353
6	6- आबकारी एवं कराधान	1,13,70,39,000	20,06,59,719	1,33,76,98,719	-16,28,13,191	1,12,27,55,313	-21,49,43,406
7	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	16,34,63,78,000	56,78,26,632	16,91,42,04,632	-46,78,93,084	16,36,69,67,991	-54,72,36,641
8	8- शिक्षा	78,66,54,26,000	1,64,06,11,109	80,30,60,37,109	-2,51,40,72,588	72,30,03,19,647	-8,00,57,17,462
9	9- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	25,21,13,77,000	1,93,95,05,483	27,15,08,82,483	-63,61,79,412	25,27,80,97,117	-1,87,27,85,366
10	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	33,07,74,34,000	1,000	33,07,74,35,000	-3,50,67,37,466	26,30,07,53,272	-6,77,66,81,728
11	11- कृषि	4,05,88,15,000	7,64,29,717	4,13,52,44,717	-49,81,46,381	3,26,81,31,903	-86,71,12,814
12	12- बागवानी	3,84,39,34,000	74,60,13,776	4,58,99,47,776	-8,47,88,889	4,44,45,91,454	-14,53,56,322
13	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	25,85,47,77,000	1,63,27,70,600	27,48,75,47,600	-1,43,00,833	27,20,43,47,466	-28,32,00,134
14	14-पशु पालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन	5,14,11,25,000	6,89,15,000	5,21,00,40,000	0	5,11,11,72,551	-9,88,67,449
15	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	72,01,93,000	0	72,01,93,000	-6,49,04,000	55,72,20,983	-16,29,72,017
16	16- वन व वन्य जीवन	7,46,33,32,000	57,35,98,700	8,03,69,30,700	-61,68,77,300	6,49,82,26,430	-1,53,87,04,270
17	17-चुनाव	39,19,87,000	38,44,60,146	77,64,47,146	-1,06,81,000	76,44,56,912	-1,19,90,234
18	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	1,37,39,34,000	52,98,86,706	1,90,38,20,706	-1,84,55,789	1,74,81,93,283	-15,56,27,423
19	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	17,12,85,70,000	46,26,68,506	17,59,12,38,506	-1,05,04,22,764	16,15,09,69,238	-1,44,02,69,268
20	20- ग्रामीण विकास	14,38,21,01,000	67,94,28,744	15,06,15,29,744	0	10,22,95,18,878	-4,83,20,10,866
21	21- सहकारिता	38,59,15,000	6,66,46,000	45,25,61,000	0	45,25,39,083	-21,917

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	कुल बजट	अभ्यर्पण	व्यय	बचत/आधिक्य
22	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1,88,11,73,000	36,44,91,080	2,24,56,64,080	-1,49,82,869	1,63,42,79,644	-61,13,84,436
23	23-विद्युत विकास	2,81,44,26,000	4,87,45,65,000	7,68,89,91,000	-4,01,49,401	7,64,55,56,633	-4,34,34,367
24	24- मुद्रण एवं लेखन सामग्री	27,07,46,000	5,42,03,377	32,49,49,377	-3,77,60,373	28,70,48,452	-3,79,00,925
25	25-सड़क एवं जल परिवहन	2,23,94,40,000	2,85,96,53,908	5,09,90,93,908	0	4,82,84,12,355	-27,06,81,553
26	26- पर्यटन व नागरिक उड्डयन	29,36,75,000	4,60,17,410	33,96,92,410	-38,41,743	25,69,37,040	-8,27,55,370
27	27- श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	3,56,00,00,000	43,62,78,321	3,99,62,78,321	0	3,76,57,97,230	-23,04,81,091
28	30-विविध सामान्य सेवाएं	96,17,39,000	8,76,89,886	1,04,94,28,886	-2,26,40,810	97,53,12,550	-7,41,16,336
29	31- जनजातीय विकास	18,23,81,43,000	40,24,49,108	18,64,05,92,108	-85,34,23,927	15,35,42,24,564	-3,28,63,67,544
30	32- अनुसूचित जाति उप योजना	24,76,94,47,000	2,19,23,43,601	26,96,17,90,601	-33,43,25,666	23,86,75,17,914	-3,09,42,72,687
	दत्तमत-पूंजीगत						
31	1-विधान सभा	3,05,00,000	2,62,00,000	5,67,00,000	0	5,54,68,750	-12,31,250
32	6- आबकारी एवं कराधान	2,00,00,000	0	2,00,00,000	0	0	-2,00,00,000
33	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	57,74,00,000	30,74,05,000	88,48,05,000	0	79,16,46,384	-9,31,58,616
34	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	10,76,46,00,000	7,75,89,24,000	18,52,35,24,000	0	15,00,97,56,848	-3,51,37,67,152
35	11- कृषि	47,32,95,000	0	47,32,95,000	-64,01,102	33,73,83,163	-13,59,11,837
36	12- बागवानी	7,69,12,000	7,00,00,000	14,69,12,000	0	14,40,06,769	-29,05,231
37	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	5,38,05,00,000	5,71,10,91,000	11,09,15,91,000	0	10,79,18,34,352	-29,97,56,648
38	14-पशु पालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन	9,61,61,000	54,21,000	10,15,82,000	-2,01,000	7,50,50,250	-2,65,31,750
39	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	6,81,61,00,000	0	6,81,61,00,000	-2,90,94,52,000	3,36,40,53,880	-3,45,20,46,120
40	16- वन व वन्य जीवन	13,99,00,000	0	13,99,00,000	-7,65,65,000	2,96,29,420	-11,02,70,580
41	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	26,23,00,000	2,20,62,000	28,43,62,000	0	27,01,62,000	-1,42,00,000
42	20- ग्रामीण विकास	12,25,00,000	0	12,25,00,000	0	9,52,47,000	-2,72,53,000
43	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	11,00,000	0	11,00,000	-1,05,715	5,79,119	-5,20,881
44	24- मुद्रण एवं लेखन सामग्री	30,00,000	0	30,00,000	-30,00,000	0	-30,00,000
45	25-सड़क एवं जल परिवहन	1,27,35,00,000	1,41,51,27,000	2,68,86,27,000	0	2,56,47,22,000	-12,39,05,000
46	26- पर्यटन व नागरिक उड्डयन	4,84,44,00,000	5,99,00,000	4,90,43,00,000	-33,06,24,794	2,74,47,84,131	-2,15,95,15,869
47	29-वित्त	6,67,52,000	2,49,63,449	9,17,15,449	-1,41,45,750	7,31,70,949	-1,85,44,500
48	30-विविध सामान्य सेवाएं	23,40,00,000	9,43,26,000	32,83,26,000	-23,68,075	24,73,65,733	-8,09,60,267

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	कुल बजट	अभ्यर्पण	व्यय	बचत/आधिक्य
49	31- जनजातीय विकास	4,98,13,50,000	7,000	4,98,13,57,000	-19,21,18,381	3,09,16,24,737	-1,88,97,32,263
50	32- अनुसूचित जाति उप योजना	12,40,21,32,000	21,00,49,079	12,61,21,81,079	-2,65,31,52,000	8,78,16,79,602	-3,83,05,01,477
राजस्व-प्रभारित							
51	01- विधान सभा	1,22,51,000	15,00,000	1,37,51,000	0	70,17,991	-67,33,009
52	02-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद्	8,83,59,000	22,11,824	9,05,70,824	-30,05,000	8,45,18,751	-60,52,073
53	03- न्यायिक प्रशासन	58,82,39,000	9,46,70,317	68,29,09,317	0	62,15,51,616	-6,13,57,701
54	04- सामान्य प्रशासन	12,40,49,000	1,60,38,290	14,00,87,290	0	13,28,99,979	-71,87,311
55	07-पुलिस व सम्बद्ध संगठन	0	97,51,458	97,51,458	0	97,48,647	-2,811
56	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	0	90,96,451	90,96,451	0	83,31,819	-7,64,632
57	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	0	57,21,849	57,21,849	0	47,77,743	-9,44,106
58	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	0	87,832	87,832	0	0	-87,832
59	23-विद्युत् विकास	0	42,50,40,000	42,50,40,000	0	0	-42,50,40,000
60	29-वित्त	55,62,00,51,000	97,55,49,528	56,59,56,00,528	0	56,48,73,29,946	-10,82,70,582
पूंजीगत-दत्तमत							
61	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	0	2,40,66,000	2,40,66,000	0	0	-2,40,66,000
62	29-वित्त	54,86,63,98,000	33,69,98,26,000	88,56,62,24,000	0	78,95,86,85,878	-9,60,75,38,122
योग:		**4,69,71,63,78,000**	**89,72,77,38,737**	**5,59,44,41,16,737**	**-17,25,08,60,024**	**4,97,21,27,15,958**	**-62,23,14,00,779**

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.7(ii))

निरंतर ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत वाले मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व-दत्तमत						
1	3- न्यायिक प्रशासन	-34.57	-44.56	-22.81	-30.77	-8.49
2	6- आबकारी एवं कराधान	-14.32	-17.53	-12.32	-13.05	-21.49
3	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	-212.47	-305.45	-244.75	-24.30	-54.72
4	8- शिक्षा	-1,110.61	-1,362.09	-1,096.43	-121.60	-800.57
5	9- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	-377.72	-489.64	-243.85	-207.53	-187.28
6	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	-736.83	-963.02	-1,194.46	-552.77	-677.67
7	11- कृषि	-33.44	-78.98	-37.92	-56.44	-86.71
8	13- सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	-227.91	-130.08	-80.41	-6.53	-28.32
9	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	-22.69	-21.90	-17.44	-19.66	-16.30
10	16- वन व वन्य जीवन	-145.25	-170.51	-134.39	-89.07	-153.87
11	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	-99.25	-64.74	-46.38	-64.43	-144.03
12	20- ग्रामीण विकास	-351.17	-163.47	-134.10	-120.02	-483.20
13	26- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	-56.20	-21.89	-48.45	-3.30	-8.28
14	27- श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	-39.28	-116.39	-26.09	-20.25	-23.05
15	31- जनजातीय विकास	-371.39	-415.69	-403.42	-206.93	-328.64
16	32- अनुसूचित जाति उप योजना	-513.37	-264.69	-141.50	-193.90	-309.43
पूंजीगत- दत्तमत						
17	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	-115.34	-218.07	-53.64	-168.59	-345.20
18	16- वन एवं वन्य जीव	-6.34	-3.55	-1.36	-1.77	-11.03
19	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	-14.48	-4.94	-3.76	-62.42	-1.42
20	26- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	-28.95	-924.68	-496.21	-495.11	-215.95
21	29- वित्त	-6.35	-7.74	-5.85	-6.56	-1.85
22	31- जनजातीय विकास	-94.04	-75.44	-130.10	-153.13	-188.97
23	32- अनुसूचित जाति उप योजना	-231.62	-149.75	-390.46	-321.78	-383.05
राजस्व-प्रभारित						
24	3- न्यायिक प्रशासन	-11.36	-7.33	-5.90	-5.23	-6.14
25	29- वित्त	-315.99	-459.44	-376.78	-275.95	-10.83

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.8.1)

मुख्य शीर्ष-वार आधिक्य

(₹ में)

क्र.सं.	अनुदान-कोड	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	व्यय	आधिक्य
1	29	2071- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	86,93,78,16,000	5,98,70,63,528	0	92,92,48,79,528	1,02,94,46,40,288	10,01,97,60,760
2	13	2215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	18,22,38,45,000	1,39,89,96,449	0	19,62,28,41,449	20,91,31,89,531	1,29,03,48,082
3	05	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	8,00,00,000	45,26,84,000	0	53,26,84,000	1,42,34,15,500	89,07,31,500
4	28	2217- शहरी विकास	4,85,56,63,000	3,29,08,46,800	14,33,000	8,14,79,42,800	8,84,41,91,332	69,62,48,532
5	18	4851- ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5,62,00,000	0	0	5,62,00,000	70,61,88,786	64,99,88,786
6	23	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	6,52,00,000	40,48,19,000	0	47,00,19,000	97,33,48,000	50,33,29,000
7	25	5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	4,68,00,000	1,10,67,22,000	0	1,15,35,22,000	1,49,40,17,000	34,04,95,000
8	28	2217-शहरी विकास	0	0	0	0	27,85,00,000	27,85,00,000
9	13	4215- जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	2,72,38,00,000	5,19,91,19,000	0	7,92,29,19,000	8,17,04,95,088	24,75,76,088
10	31	2202-सामान्य शिक्षा	0	0	0	0	22,35,73,000	22,35,73,000
11	05	3454- जनगणना सर्वेक्षण व सांख्यिकी	70,39,000	80,83,20,000	0	81,53,59,000	94,56,04,968	13,02,45,968
12	31	3054- सड़कें व पुल	2,87,36,49,000	0	-30,29,65,000	2,57,06,84,000	2,70,04,42,157	12,97,58,157
13	27	4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	54,73,00,000	27,61,12,000	0	82,34,12,000	90,78,24,000	8,44,12,000
14	14	2403- पशुपालन	4,01,53,41,000	6,19,15,000	2,44,73,000	4,10,17,29,000	4,17,95,36,188	7,78,07,188
15	28	4215- जल आपूर्ति व स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	22,44,00,000	35,84,54,705	41,66,000	58,70,20,705	64,78,69,239	6,08,48,534
16	09	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	95,02,34,000	1,38,89,10,072	0	2,33,91,44,072	2,36,67,72,079	2,76,28,007
17	08	4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	98,73,00,000	12,74,00,000	0	1,11,47,00,000	1,13,96,33,718	2,49,33,718

क्र.सं.	अनुदान-कोड	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	व्यय	आधिक्य
18	07	2056-जेल	42,09,99,000	4,06,66,240	0	46,16,65,240	48,03,18,859	1,86,53,619
19	16	2406-वन व वन्य जीवन	0	0	0	0	1,46,22,000	1,46,22,000
20	05	2029- भू-राजस्व	2,16,72,61,000	1,95,69,000	11,000	2,18,68,41,000	2,19,55,98,510	87,57,510
21	32	3054- सड़कें और पुल	13,00,00,000	0	0	13,00,00,000	13,79,71,890	79,71,890
22	10	2216-आवास	11,91,60,000	0	0	11,91,60,000	12,66,63,152	75,03,152
23	13	4705- कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	40,92,00,000	0	-2,00,000	40,90,00,000	41,26,13,427	36,13,427
24	03	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	10,39,00,000	6,37,00,000	0	16,76,00,000	17,05,02,742	29,02,742
25	03	2216-आवास	40,58,000	0	0	40,58,000	64,80,873	24,22,873
26	03	2059-लोक निर्माण	1,26,78,000	2,96,87,000	0	4,23,65,000	4,47,38,414	23,73,414
27	32	4705- कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	14,12,00,000	0	-2,00,000	14,10,00,000	14,21,46,823	11,46,823
28	31	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	7,37,41,000	0	71,78,000	8,09,19,000	8,19,38,943	10,19,943
29	05	2401-फसल पालन	60,00,000	0	0	60,00,000	65,15,267	5,15,267
30	30	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	38,35,000	0	22,000	38,57,000	43,45,399	4,88,399
31	04	2216-आवास	20,78,86,000	90,000	0	20,79,76,000	20,81,87,393	2,11,393
32	04	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	5,92,00,000	0	0	5,92,00,000	5,93,66,159	1,66,159
33	13	2059-लोक निर्माण	80,25,000	0	0	80,25,000	80,75,485	50,485
34	29	6004- केंद्र सरकार से ऋण व अग्रिम	1,05,40,76,000	2,22,58,000	0	1,07,63,34,000	1,07,63,35,122	1,122

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.4)

प्रमुख योजना-वार बजट एवं उपयोग

(₹ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	अभ्यर्पण	व्यय
1	वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान	20	1,29,51,55,000	0	0	1,29,51,55,000	0	0
2	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को टाईड अनुदान	20	28,23,57,000	0	0	28,23,57,000	0	0
3	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत समितियों को टाईड अनुदान	20	27,75,33,000	0	0	27,75,33,000	0	0
4	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	19	20,14,00,000	0	0	20,14,00,000	-20,14,00,000	0
5	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को मूल अनुदान	20	18,82,37,000	0	0	18,82,37,000	0	0
6	हिम उन्नति	11	0	5,000	16,47,95,000	16,48,00,000	0	0
7	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना	08	16,45,00,000	0	0	16,45,00,000	0	0
8	अटल पेंशन योजना	29	15,00,00,000	0	0	15,00,00,000	0	0
9	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों को निष्पादन अनुदान	31	9,92,45,000	0	0	9,92,45,000	0	0
10	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना-हर खेत को पानी	31	8,01,00,000	0	0	8,01,00,000	0	0
11	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	31	6,75,00,000	0	0	6,75,00,000	0	0
12	मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना	09	6,65,00,000	0	0	6,65,00,000	-6,65,00,000	0
13	राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना	27	0	6,58,10,000	0	6,58,10,000	0	0
14	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना	32	6,30,00,000	0	0	6,30,00,000	0	0
15	पंचायतों/ग्रामीण निकायों को सहायता अनुदान	06	6,00,00,000	0	0	6,00,00,000	-6,00,00,000	0
16	स्थानीय शहरी निकायों को सहायता अनुदान	06	4,63,33,000	0	0	4,63,33,000	-4,63,33,000	0
17	डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा	32	4,53,00,000	0	0	4,53,00,000	0	0
18	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज	32	4,53,00,000	0	0	4,53,00,000	0	0
19	स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान	28	4,33,00,000	0	0	4,33,00,000	0	0
20	सौर सिंचाई योजना	11	3,29,00,000	0	-2,62,476	3,26,37,524	-3,26,37,524	0
21	तेरहवें वित्त आयोग के तहत जिला नवाचार निधि	15	3,00,00,000	0	0	3,00,00,000	0	0
22	अटल श्रेष्ठ शहर योजना	28	2,80,00,000	0	0	2,80,00,000	0	0

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	अभ्यर्पण	व्यय
23	राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल	31	2,70,00,000	0	0	2,70,00,000	-1,77,94,000	0
24	स्वर्ण जयंती स्वयं सहायता समूह सहयोग योजना	20	2,63,00,000	0	0	2,63,00,000	0	0
25	15वें वित्त आयोग के तहत नगर निगम को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान	28	2,55,37,000	0	3,51,000	2,58,88,000	0	0
26	सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक/हॉस्पिटल चमियाणा	32	2,52,00,000	0	0	2,52,00,000	0	0
27	15वें वित्त आयोग के तहत नगरपालिकाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान	28	2,48,24,000	0	0	2,48,24,000	0	0
28	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	08	2,47,00,000	0	0	2,47,00,000	0	0
29	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	31	2,39,00,000	0	0	2,39,00,000	0	0
30	मेडिकल कॉलेज चंबा	32	2,52,00,000	0	-50,00,000	2,02,00,000	-2,02,00,000	0
31	राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि	11	2,17,00,000	0	-18,47,830	1,98,52,170	-1,98,52,170	0
32	खेल से स्वास्थ्य योजना	08	1,82,00,000	0	0	1,82,00,000	-49,26,780	0
33	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना	19	1,44,00,000	0	0	1,44,00,000	0	0
34	राष्ट्रीय हरित भारत मिशन	16	12,48,00,000	0	-11,23,00,000	1,25,00,000	-1,25,00,000	0
35	व्यावसायिक कार्यक्रम स्नातक	32	2,64,00,000	0	-1,40,22,000	1,23,78,000	0	0
36	हथकरघा बुनकरों का विकास	32	1,10,25,000	0	-25,000	1,10,00,000	0	0
37	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को मूल अनुदान	31	1,09,63,000	0	0	1,09,63,000	0	0
38	सखी निवास	19	1,02,00,000	0	0	1,02,00,000	0	0
39	मेडिकल कॉलेज हमीरपुर	32	1,01,00,000	0	0	1,01,00,000	0	0
40	मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह योजना	32	1,01,00,000	0	0	1,01,00,000	0	0

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.5)

मुख्य शीर्षों में हुए व्यय के तिमाही विवरण

(₹ में)

मुख्य शीर्ष	सकल कुल	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही'	चौथी तिमाही	मार्च में	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही का व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2024 का व्यय
2043-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	4,60,69,968	0	34,41,540	1,81,41,026	2,44,87,402	30,770	53	0
2205-कला और संस्कृति	33,64,49,055	3,12,52,651	7,27,54,243	3,66,86,626	19,57,55,535	14,06,45,276	58	42
2216-आवास	1,71,17,59,127	4,62,82,911	20,05,31,338	32,45,84,611	1,14,03,60,267	48,57,73,482	67	28
2404-डेयरी विकास	1,08,64,72,809	26,79,51,823	9,24,97,153	54,54,785	72,05,69,048	9,87,564	66	0
2801-विद्युत	11,48,23,23,719	1,32,11,92,988	2,92,50,39,493	1,89,81,886	7,21,71,09,352	2,35,40,17,703	63	21
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	2,69,77,15,646	29,61,80,748	67,68,76,437	25,11,70,905	1,47,34,87,556	1,16,54,30,873	55	43
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10,52,81,763	0	2,28,02,822	1,54,57,229	6,70,21,712	0	64	0
4215-जल आपूर्ति व स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	10,22,96,54,958	38,13,51,002	1,41,64,06,561	2,00,28,30,301	6,42,90,67,094	4,39,15,51,931	63	43
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	24,82,40,315	1,54,64,837	3,55,86,451	5,15,21,140	14,56,67,887	9,40,93,986	59	38
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	61,24,13,732	63,389	28,03,05,491	1,06,13,796	32,14,31,056	8,91,164	52	0
4220- सूचना और प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय	47,31,066	0	0	0	47,31,066	5,19,200	100	11
4235- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	35,95,73,000	80,95,000	10,00,00,000	0	25,14,78,000	0	70	0
4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	3,76,65,000	3,22,700	24,48,850	1,17,27,000	2,31,66,450	64,400	62	0
4408-खाद्य भंडार एवं भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय	6,76,216	0	0	1,35,000	5,41,216	50,000	80	7
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,99,886	0	0	0	3,99,886	2,92,239	100	73
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,94,69,43,623	57,63,66,019	28,57,79,005	31,97,10,097	1,76,50,88,502	70,51,10,161	60	24
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	33,02,13,622	1,08,52,659	2,49,52,435	2,72,79,041	26,71,29,487	22,61,21,208	81	68
4851-ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	72,09,40,636	26,27,831	3,54,92,907	1,43,10,763	66,85,09,135	66,21,49,650	93	92
5053-नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	3,15,81,63,140	3,38,34,180	10,30,34,493	1,46,22,920	3,00,66,71,547	3,00,51,11,517	95	95

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.5)

सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का तिमाही विवरण

(₹ में)

अनुदान संख्या व नाम	2023-24 के दौरान आवंटन	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	मार्च में	2023-24 में कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही का व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2024 का व्यय
01-विधान सभा	56,40,90,000	14,18,90,353	14,31,46,165	12,25,23,160	13,89,29,501	4,93,50,383	54,64,89,179	25.42	9.03
02-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद्	31,63,91,824	6,40,83,011	6,11,40,915	6,81,13,621	11,35,12,203	5,55,69,892	30,68,49,750	36.99	18.11
03-न्याय प्रशासन	3,41,22,66,915	84,48,95,482	77,83,67,447	75,65,37,120	88,91,10,908	40,81,37,431	3,26,89,10,957	27.20	12.49
04 सामान्य प्रशासन	2,88,21,14,958	76,82,08,000	62,68,30,829	60,92,02,822	68,87,60,083	26,22,39,931	2,69,30,01,734	25.58	9.74
05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	32,45,03,10,865	2,11,40,13,267	14,51,67,75,523	3,51,53,08,154	11,98,03,03,068	2,49,82,37,636	32,12,64,00,012	37.29	7.78
06 -आबकारी एवं कराधान	1,35,76,98,719	18,88,98,224	20,39,64,360	43,00,20,834	29,98,71,895	14,69,61,610	1,12,27,55,313	26.71	13.09
07- पुलिस और संबद्ध संगठन	17,80,87,61,090	4,67,11,00,961	4,12,95,36,036	3,96,73,63,600	4,40,03,62,425	1,33,82,99,891	17,16,83,63,022	25.63	7.80
08- शिक्षा	81,44,76,24,264	18,68,34,60,059	17,74,43,12,101	19,05,94,58,591	17,97,96,09,769	7,26,21,44,127	73,46,68,40,520	24.47	9.88
09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	29,49,00,26,555	6,28,83,48,567	7,51,85,78,053	6,03,53,51,485	7,80,25,91,091	2,80,78,74,545	27,64,48,69,196	28.22	10.16
10- लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल व भवन	51,63,41,21,451	5,79,61,95,964	9,24,51,91,086	9,26,97,60,625	17,00,76,94,264	10,63,55,70,961	41,31,88,41,939	41.16	25.74
11- कृषि	4,61,04,87,058	98,44,56,310	1,00,36,59,713	61,30,57,685	1,00,62,88,699	25,63,16,495	3,60,74,62,407	27.89	7.11
12- बागवानी	4,73,68,59,776	1,07,41,17,200	1,24,08,72,409	58,90,51,888	1,68,45,56,726	95,37,20,911	4,58,85,98,223	36.71	20.78
13- सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	38,67,62,91,537	7,31,69,10,572	6,45,95,09,106	7,06,52,49,682	17,25,07,21,633	11,01,31,73,731	38,09,23,90,993	45.29	28.91
14- पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	5,31,16,22,000	1,17,89,43,610	1,12,74,24,363	98,30,03,347	1,89,68,51,481	71,89,30,646	5,18,62,22,801	36.57	13.86
15. योजना व पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	7,53,62,93,000	59,84,17,740	97,26,12,667	89,19,20,100	1,45,83,24,356	28,82,76,772	3,92,12,74,863	37.19	7.35
16- वन एवं वन्यजीव	8,17,69,80,700	1,11,61,86,827	1,59,21,64,592	1,58,10,36,065	2,23,88,28,366	69,80,93,685	6,52,82,15,850	34.29	10.69

अनुदान संख्या व नाम	2023-24 के दौरान आवंटन	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	मार्च में	2023-24 में कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही का व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2024 का व्यय
17- चुनाव	78,39,47,146	11,80,98,125	20,95,49,808	20,15,94,719	24,27,14,260	18,28,41,401	77,19,56,912	31.44	23.69
18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	1,96,00,20,706	40,86,46,158	39,25,02,203	70,97,65,171	94,34,68,537	73,39,00,967	2,45,43,82,069	38.44	29.90
19- सामाजिक न्याय और अधिकारिता	17,87,56,88,338	3,98,88,18,686	3,78,93,58,158	3,91,49,50,563	4,72,80,03,831	1,69,32,68,354	16,42,11,31,238	28.79	10.31
20- ग्रामीण विकास	15,18,40,29,744	2,50,88,26,945	2,16,43,57,673	2,04,16,02,948	3,60,99,78,312	1,56,24,02,709	10,32,47,65,878	34.96	15.13
21- सहकारिता	45,42,71,000	12,71,12,493	9,70,53,700	8,94,48,616	14,06,34,274	7,03,70,436	45,42,49,083	30.96	15.49
22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2,24,67,64,080	70,43,43,794	44,83,03,486	27,30,76,471	20,91,35,012	2,48,49,959	1,63,48,58,763	12.79	1.52
23. विद्युत विकास	9,17,73,50,000	88,61,21,196	2,28,37,28,939	4,86,28,840	5,53,69,25,658	1,56,65,59,394	8,75,54,04,633	63.24	17.89
24- मुद्रण व लेखन सामग्री	32,79,49,377	6,85,78,811	4,42,23,726	6,04,26,081	11,38,19,834	3,74,73,269	28,70,48,452	39.65	13.05
25- सड़क एवं जल परिवहन	7,82,20,21,908	1,37,03,59,652	2,40,03,10,552	2,07,25,88,222	1,58,41,76,929	65,03,45,590	7,42,74,35,355	21.33	8.76
26- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	5,24,39,92,410	34,54,86,949	19,32,31,777	27,21,83,132	2,19,08,19,313	1,98,85,91,096	3,00,17,21,171	72.99	66.25
27-श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	4,83,01,90,321	1,28,21,11,656	1,14,82,51,259	1,33,46,08,526	91,67,43,789	37,62,77,220	4,68,17,15,230	19.58	8.04
28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	9,48,02,54,505	1,28,23,44,168	3,72,51,37,748	68,25,34,734	4,81,68,54,520	3,04,14,52,481	10,50,68,71,170	45.84	28.95
29- वित्त	2,39,53,53,86,747	51,02,27,47,560	52,75,57,05,563	62,54,80,01,430	73,28,09,03,104	38,53,29,16,546	2,39,60,73,57,656	30.58	16.08
30-विविध सामान्य सेवाएं	1,37,77,54,886	17,10,39,242	41,98,64,323	23,81,18,072	39,36,56,646	15,50,63,049	1,22,26,78,283	32.20	12.68
31- जनजातीय विकास	23,62,73,56,692	3,99,64,41,009	5,44,97,54,142	3,63,46,65,876	5,37,03,95,858	2,19,00,06,131	18,45,12,56,885	29.11	11.87
32-अनुसूचित जाति उप योजना	39,57,39,71,680	6,98,62,12,277	7,34,63,20,587	5,60,31,39,530	12,71,35,25,122	5,50,93,34,975	32,64,91,97,516	38.94	16.87
सकल योग	**6,69,91,28,90,252**	**1,27,09,74,14,868**	**1,50,23,17,39,009**	**1,39,28,22,91,710**	**2,03,62,80,71,467**	**97,70,85,52,224**	**6,20,23,95,17,053**	**32.83**	**15.75**

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: परिच्छेद 4.2)

भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी (₹ लाख में)
1.	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)	विभिन्न निजी कंपनियां	135.46
2.	अटल वायु अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)	मानव सेवा ट्रस्ट	2.85
		मानव कल्याण सेवा समिति	23.70
3.	आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी	5,042.84
4.	रक्त आधान सेवाएं	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी शिमला -9	98.55
5.	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	होटल प्रबंधन संस्थान	15.48
6.	शताब्दी व वर्षगांठ, उत्सव व योजनाएं	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	9.00
7.	फर्मास्यूटिकल उद्योग विकास	वेल्जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	488.25
8.	शुल्क वापसी योजना	इनोवा कैप टैब लिमिटेड	21.75
9.	ई-न्यायालय चरण III	महापंजीयक, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	613.42
10.	एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	4,738.00
11.	अन्य संस्थाओं को अनुदान	विभिन्न महाविद्यालय	16.73
		शर्मा गिरीश गौरव	0.33
12.	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	21,137.04
13.	वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास	हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	93.53
14.	खेलो इंडिया	हिमाचल प्रदेश खेल परिषद	650.00
15.	कृषियोन्नती योजना	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	9.88
16.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया को मजबूत करना	निदेशक हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान	28.35
17.	नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एसजेई)	गुंजन	99.84
		राज्य नोडल अधिकारी इंस्पायर पुरस्कार योजना एससीईआरटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश	0.71
		इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	3.11
		मानव कल्याण सेवा समिति	22.30
18.	राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी शिमला -9	1,326.41

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी *(₹ लाख में)*
19.	राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी	20.45
20.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	विभिन्न केंद्रीय संस्थान	22.14
21.	राष्ट्रीय जल-विज्ञान परियोजना	हिमाचल प्रदेश सिंचाई और लोक स्वास्थ्य विभाग	654.20
22.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	5.11
23.	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	250.00
24.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीआरए)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास और रोजगार गारंटी सोसायटी	60,456.96
25.	राष्ट्रीय सेवा योजना	हिमाचल प्रदेश राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना सेल	347.08
26.	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु पैकेज	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	53.25
27.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश	10.80
28.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश	54,470.62
29.	खरीद और विपणन सहायता योजना	विभिन्न निजी कंपनियां	4.69
30.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	136.00
31.	प्रवासियों और प्रत्यावर्तित लोगों के लिए राहत व पुनर्वास	दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति	800.00
32.	अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र (श्रेष्ठ) में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना	विभिन्न पब्लिक स्कूल	67.41
33.	सामर्थ्य (शक्ति सदन (स्वधार उज्जवला विधवा गृह) सखी निवास पालना पीएमएमवीवाई महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र जेंडर बजटिंग अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण मीडिया आदि)	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय	5.53
		महिला एवं बाल विकास निदेशालय, शिमला	8.69
34.	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं	निदेशक, ई-सोमसा (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का सशक्तिकरण)	5.78
35.	महिला सुरक्षा पर योजना-आरटीएच	परिवहन निदेशालय हिमाचल प्रदेश	137.40
36.	स्टार्टअप इंडिया बीज निधि योजना (एसआईएसएफ)	जैव प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र का संघ (बीआईसी)	126.00

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी *(₹ लाख में)*
37.	कौशल भारत कार्यक्रम	राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण सोसायटी परिषद	20.52
38.	सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश	74.31
39.	निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईई)	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	507.00
40.	जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई और लोक स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश	40,234.37
41.	सड़क स्कंध के अंतर्गत कार्य	राज्य आपदा प्रबंधन	1,645.89
योग			**1,94,641.73 या ₹ 1,946.42 करोड़**

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: परिच्छेद 4.3)

31 मार्च 2024 तक बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	**शहरी विकास**					
	2217- शहरी विकास	2016-17	12	12,48,15,000	4	2,27,85,000
		2017-18	11	18,84,60,000	7	12,90,00,000
		2018-19	27	92,87,48,000	17	27,90,48,000
		2019-20	30	61,43,50,000	18	3,17,47,000
		2020-21	50	3,45,42,97,158	31	2,11,35,25,158
		2021-22	141	7,44,82,36,376	91	4,19,58,43,109
		2022-23	0	0	140	6,00,57,02,683
	कुल		**271**	**12,75,89,06,534**	**308**	**12,77,76,50,950**
2	**पंचायती राज**					
	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	1	13,07,900	1	12,36,270
		कुल	**1**	**13,07,900**	**1**	**12,36,270**
	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2016-17	47	16,12,92,556	18	6,18,69,657
		2017-18	56	34,22,05,803	32	24,65,59,103
		2018-19	105	53,04,39,023	71	29,26,62,153
		2019-20	176	88,76,81,213	87	36,68,45,394
		2020-21	201	3,77,77,43,511	127	28,41,28,434
		2021-22	223	3,37,96,19,815	112	30,96,68,383
		2022-23	0	0	309	5,64,77,89,596
		कुल	**808**	**9,07,89,81,921**	**756**	**7,20,95,22,720**
	कुल		**809**	**9,08,02,89,821**	**757**	**7,21,07,58,990**
3	**आयुर्वेद (आयुष)**					
	2210- चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य	2016-17	13	1,36,87,186	0	0
		2017-18	10	16,25,13,000	0	0
		2018-19	9	16,96,30,000	1	1,06,00,000
		2019-20	32	37,29,55,878	6	5,42,00,000
		2020-21	52	40,90,43,445	1	7,00,000
		2021-22	90	1,08,06,28,233	12	14,61,79,111
		2022-23	0	0	16	10,95,92,000
		कुल	**206**	**2,20,84,57,742**	**36**	**32,12,71,111**
	2211- पारिवारिक स्वास्थ्य	2021-22	48	3,62,55,75,418	0	0
		2022-23	0	0	5	1,67,20,10,100
		कुल	**48**	**3,62,55,75,418**	**5**	**1,67,20,10,000**
	कुल		**254**	**5,83,40,33,160**	**41**	**1,99,32,81,111**
	ग्रामीण विकास					
	2216- आवास	2020-21	10	1,94,81,000	0	0
		2021-22	45	64,76,39,700	12	21,04,41,500
		2022-23	0	0	11	22,37,75,000

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
4		**कुल**	**55**	**66,71,20,700**	**23**	**43,42,16,500**
	2505- ग्रामीण रोजगार	2020-21	1	1,29,01,680	1	1,23,48,538
		2021-22	22	3,60,28,26,500	0	0
		कुल	**23**	**3,61,57,28,180**	**1**	**1,23,48,538**
	2501- विशेष कार्यक्रम	2018-19	1	70,84,659	0	0
		2019-20	8	11,06,00,000	0	0
		2020-21	9	16,19,78,000	0	0
		2021-22	57	71,08,70,483	1	16,00,000
		2022-23	0	0	5	8,93,53,836
		कुल	**75**	**99,05,33,142**	**6**	**9,09,53,836**
	कुल		**153**	**5,27,33,82,022**	**30**	**53,75,18,874**
5व6	**कृषि एवं उद्यान**					
	2401- फसल पालन	2018-19	5	88,51,00,000	0	0
		2020-21	6	1,49,03,00,000	0	0
		2021-22	18	1,86,46,00,000	6	7,92,00,000
		2022-23	0	0	13	25,97,00,000
		कुल	**29**	**4,24,00,00,000**	**19**	**33,89,00,000**
	2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2018-19	1	2,00,00,000	0	0
		2019-20	3	5,38,02,500	2	38,02,500
		2020-21	9	61,40,000	5	43,00,000
		2021-22	6	12,18,48,391	2	47,10,000
		2022-23	0	0	4	3,09,80,000
		कुल	**19**	**20,17,90,891**	**13**	**4,37,92,500**
	कुल		**48**	**4,44,17,90,891**	**32**	**38,26,92,500**
7	**उद्योग**					
	2851- ग्रामीण व लघु उद्योग	2016-17	7	1,04,27,369	7	1,04,27,369
		2017-18	15	4,24,85,810	15	4,24,85,810
		2018-19	13	5,03,37,421	13	5,03,37,421
		2019-20	14	14,62,90,668	14	14,62,90,668
		2020-21	448	55,12,19,775	448	55,12,19,775
		2021-22	459	33,49,46,510	459	33,49,46,510
			0	0	258	10,65,99,974
	कुल		**956**	**1,13,57,07,553**	**693**	**29,06,02,183**
8	**ऊर्जा विभाग**					
	2810- ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत	2017-18	3	16,00,000	0	0
		2018-19	4	20,00,000	4	20,00,000
	2801- विद्युत	2021-22	1	92,66,00,000	0	0
	कुल		**8**	**93,02,00,000**	**4**	**20,00,000**
9 एवं 10	**महिला एवं बाल विकास व अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक**					
	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2017-18	1	3,00,000	0	0
		2020-21	2	31,16,00,000	2	31,16,00,000
		2021-22	2	15,20,00,000	1	10,27,78,584
		2022-23	0	0	1	10,00,000
		कुल	**5**	**46,39,00,000**	**4**	**41,53,78,584**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
	2235- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	2017-18	43	4,91,68,520	29	3,04,50,147
		2018-19	204	5,54,03,044	30	4,49,08,178
		2019-20	38	5,85,12,596	23	5,36,81,152
		2020-21	217	5,38,35,046	23	2,61,90,544
		2021-22	287	14,91,00,955	59	10,72,08,881
		2022-23	0	0	206	30,12,06,709
		कुल	**789**	**36,60,20,161**	**370**	**56,36,45,611**
	कुल		**794**	**82,99,20,161**	**374**	**97,90,24,195**
11	**श्रम व रोजगार**					
	2230- श्रम व रोजगार	2021-22	4	57,96,66,765	0	0
	कुल		**4**	**57,96,66,765**	**0**	**0**
12	**वन**					
	2406- वन व वन्य जीवन	2019-20	19	4,15,85,859	5	1,31,14,121
		2020-21	99	9,98,35,175	5	1,21,83,304
		2021-22	255	39,90,25,338	76	15,01,62,925
		2022-23	0	0	137	22,73,60,171
	कुल		**373**	**54,04,46,372**	**223**	**40,28,20,521**
13	**शिक्षा**					
	2202- सामान्य शिक्षा	2019-20	1	19,49,88,000	1	19,49,88,000
		2021-22	1	5,02,000	0	0
		2022-23	0	0	12	2,31,96,00,000
	कुल		**2**	**19,54,90,000**	**13**	**2,51,45,88,000**
14	**भाषा, कला व संस्कृति**					
	2205- कला व संस्कृति	2019-20	69	5,83,95,564	36	1,64,89,525
		2020-21	52	3,20,89,500	46	2,33,11,600
		2021-22	67	9,32,96,100	58	8,06,35,700
		2022-23	0	0	108	9,25,44,737
	कुल		**188**	**18,37,81,164**	**248**	**21,29,81,562**
15	**पशुपालन**					
	2403- पशुपालन	2017-18	2	5,00,000	2	5,00,000
		2018-19	12	3,18,38,600	11	2,58,38,600
		2019-20	3	25,41,000	3	25,41,000
		2020-21	11	1,03,01,000	8	99,44,000
		2021-22	14	11,93,91,000	10	11,63,91,000
		2022-23	0	0	7	8,92,85,000
		कुल	**42**	**16,45,71,600**	**41**	**24,44,99,600**
	कुल		**42**	**16,45,71,600**	**41**	**24,44,99,600**
16	**आबकारी एवं कराधान विभाग**					
	2040- अन्य कर व शुल्क	2021-22	1	9,36,43,245	0	0
	कुल		**1**	**9,36,43,245**	**0**	**0**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
17	**जनजातीय विकास**					
	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2018-19	2	24,45,689	2	24,45,689
		2019-20	4	79,10,121	4	33,76,324
		2020-21	1	50,00,000	0	0
		2021-22	5	6,73,60,000	4	6,22,83,726
		2022-23	0	0	3	3,15,66,000
		कुल	**12**	**8,27,15,810**	**13**	**9,96,71,739**
18	**परिवहन**					
	3055-सड़क परिवहन	2022-23	0	0	2	10,50,00,000
	3075-अन्य परिवहन सेवाएं	2020-21	2	5,00,00,000	0	0
		2021-22	3	2,75,00,000	0	0
		2022-23	0	0	3	4,00,00,000
	कुल		**5**	**7,75,00,000**	**5**	**14,50,00,000**
19	**सैनिक कल्याण**					
	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2020-21	3	6,04,64,533	0	0
	कुल		**3**	**6,04,64,533**	**0**	**0**
20	**सामान्य प्रशासन (जीएडी)**					
	2070- अन्य प्रशासनिक सेवा	2021-22	15	5,00,00,000	0	0
	कुल		**15**	**5,00,00,000**	**0**	**0**
21	**योजना**					
	3451- सचिवालय अर्थशास्त्र सेवाएं	2017-18	1	84,24,396	1	84,24,396
		2020-21	15	1,68,66,621	3	27,01,421
		2021-22	23	1,74,14,365	5	16,86,024
		2022-23	0	0	4	18,00,012
	कुल		**39**	**4,27,05,382**	**13**	**1,46,11,853**
22	**युवा सेवाएं एवं खेल**					
	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	2020-21	2	75,000	0	0
		2021-22	9	2,08,00,000	9	2,08,00,000
		2022-23	0	0	57	2,90,48,000
	कुल		**11**	**2,08,75,000**	**66**	**4,98,48,000**
23	**राजस्व विभाग**					
	2029- भू-राजस्व	2017-18	9	48,97,000	4	24,64,409
		2018-19	14	1,16,46,000	6	47,28,000
	कुल		**23**	**1,65,43,000**	**10**	**71,92,409**
24	**पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी**					
	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2021-22	2	1,05,75,000	2	1,05,75,000
	कुल		**2**	**1,05,75,000**	**2**	**1,05,75,000**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
25	**सहकारिता**					
	2408- खाद्य भंडारण व भण्डार	2019-20	3	8,00,000	3	8,00,000
		2020-21	9	16,17,724	8	15,17,724
		2021-22	12	15,50,000	12	15,50,000
		2022-23	0	0	21	28,00,000
		कुल	**24**	**39,67,724**	**44**	**66,67,724**
	2425- सहकारिता	2019-20	6	4,40,000	5	3,80,000
		2020-21	19	23,14,500	19	23,14,500
		2021-22	29	23,25,000	17	8,30,000
		कुल	**54**	**50,79,500**	**41**	**35,24,500**
	कुल		**78**	**90,47,224**	**85**	**1,01,92,224**
26	**पर्यटन**					
	3452- पर्यटन	2017-18	2	7,40,000	2	5,40,000
		2018-19	2	2,00,000	2	2,00,000
		2019-20	2	8,00,000	2	8,00,000
		2020-21	1	2,00,000	1	2,00,000
		2021-22	5	32,99,120	4	32,00,000
		2022-23	0	0	8	3,42,00,000
	कुल		**12**	**52,39,120**	**19**	**3,91,40,000**
	3053-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	2022-23	0	0	9	2,00,00,000
		कुल	**0**	**0**	**9**	**2,00,00,000**
	कुल		**12**	**52,39,120**	**28**	**5,91,40,000**
27	**तकनीकी शिक्षा**					
	2203-तकनीकी शिक्षा	2021-22	2	51,00,000	0	0
		2022-23	0	0	3	51,00,000
	कुल		**2**	**51,00,000**	**3**	**51,00,000**
	2055-पुलिस	2018-19	1	25,45,891	1	25,45,891
	कुल		**1**	**25,45,891**	**1**	**25,45,891**
	सकल योग:		**4,106**	**42,42,51,40,248**	**2,990**	**27,95,22,95,602**

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5)

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष-800 के तहत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9.03	10.53	85.75
2.	2041-वाहन कर	18.47	21.90	84.33
3.	2075-विविध सामान्य सेवाएं	15.35	23.61	65.00
4.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.04	49.97
5.	2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	92.37	336.62	27.44
6.	2801-विद्युत	207.23	1,148.23	18.05
7.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26.53	183.03	14.49
8.	2401-फसल पालन	32.91	680.83	4.83
9.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	97.58	2,094.22	4.66
10.	2216-आवास	5.53	171.18	3.23
11.	2408-खाद्य भंडारण एवं भण्डारण	6.58	231.82	2.84
12.	2012- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक	0.20	8.95	2.29
13.	2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	1.04	109.51	0.95
14.	4401-फसल पालन पर पूंजीगत व्यय	0.18	49.77	0.37
15.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	0.15	53.17	0.28
16.	5054-सड़क व पुल पर पूंजीगत व्यय	5.01	2,065.12	0.24
17.	2202-सामान्य शिक्षा	9.43	7,941.19	0.12
18.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2.00	2169.30	0.09
19.	2702-लघु सिंचाई	0.47	619.86	0.08
योग		**530.09**	**17,918.88**	**2.96**

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5)

लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत बुक की गई प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
1.	0852- उद्योग	20.25	20.22	100.13
2.	0057- आपूर्ति एवं निपटान	0.04	0.04	100.00
3.	0217- शहरी विकास	5.23	5.23	100.00
4.	0250- अन्य सामाजिक सेवाएं	0.02	0.02	100.00
5.	0407- वृक्षारोपण	0.01	0.01	100.00
6.	0575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.05	0.05	100.00
7.	0801-विद्युत	1,667.36	1,667.35	100.00
8.	1055- सड़क परिवहन	0.05	0.05	100.00
9.	1425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.27	0.27	100.00
10.	1456- नागरिक आपूर्ति	0.39	0.39	100.00
11.	1452-पर्यटन	3.14	3.37	93.13
12.	1054- सड़कें व पुल	9.31	10.02	92.93
13.	0056- जेल	0.15	0.16	92.93
14.	0401-फसल पालन	21.88	24.99	87.56
15.	0071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में अंशदान व वसूली	150.88	177.23	85.13
16.	0211- परिवार कल्याण	0.00	0.01	84.77
17.	0029- भू-राजस्व	5.77	7.03	82.03
18.	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	14.7	20.05	73.34
19.	0851- ग्राम एवं लघु उद्योग	1.19	1.67	71.50
20.	0045- माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	274.95	391.73	70.19
21.	0230- श्रम एवं रोजगार	7.64	11.66	65.53
22.	0406- वानिकी एवं वन्य जीवन	54.79	89.95	60.91
23.	0425-सहकारिता	1.99	3.38	58.99
24.	0075- विविध सामान्य सेवाएं	1.34	2.62	51.24
25.	0049- ब्याज प्राप्तियां	60.49	126.06	47.99
26.	0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.33	5.53	42.20
27.	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	15.77	40.50	38.93
28.	0408-खाद्य भण्डार एवं भण्डारण	0.04	0.10	37.71
29.	0059-लोक निर्माण	19.87	53.86	36.88
30.	1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.39	8.06	29.67
31.	0210- चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	5.22	24.47	21.31
32.	0700- वृहद सिंचाई	0.00	0.00	21.12
33.	0220-सूचना एवं प्रचार	0.13	0.73	17.91
34.	0055-पुलिस	4.45	65.53	6.79
35.	0405-मत्स्यपालन	0.21	3.13	6.61

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
36.	0853- अलौह खनन व धातुकर्म उद्योग	20.46	331.73	6.17
37.	0041- वाहनों पर कर	39.43	781.74	5.04
38.	0042-माल एवं यात्रियों पर कर	2.39	70.88	3.37
39.	0030- स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	8.76	440.37	1.99
40.	0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.92	59.80	1.53
41.	0215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	0.78	51.99	1.50
42.	0051- लोक सेवा आयोग	0.05	4.94	1.05
43.	0701-वृहद एवं मध्यम सिंचाई	0.00	0.02	0.72
44.	0043-विद्युत् पर कर व शुल्क	0.43	369.07	0.12
45.	0006- राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.06	5,339.89	0.00
46.	0039- राज्य आबकारी	-0.26	2,692.33	-0.01
47.	0403-पशुपालन	-0.10	0.46	-22.11
योग		**2,425.22**	**12,908.69**	**18.79**

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: परिच्छेद 4.10 व 4.11)

स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण/संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	लेखा प्रस्तुतीकरण की प्रास्थिति/सूचना	धारा जिसमें लेखापरीक्षा की गई
1	हिमाचल प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	प्राप्त नहीं हुए	धारा 19 (2),(3) व 20 (1) के तहत लेखापरीक्षा की गई व पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार एवं जारी किया गया।
2	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण		
3	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला	प्राप्त हुए	
4	हिमाचल प्रदेश सिटी ट्रांसपोर्ट व बस स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण		
5	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग		
6	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला		
7	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला		
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर		
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर		
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन		
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना		
12	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला		
13	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर, रामपुर		
14	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी		
15	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू		
16	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला, कांगड़ा		
17	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन		
18	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा		
19	हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शिमला		
20	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, शिमला		
21	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, सोलन		
22	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, बिलासपुर		
23	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, सिरमौर		
24	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, हमीरपुर		
25	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना		
26	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, कुल्लू		
27	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, मंडी		
28	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, धर्मशाला स्थित कांगड़ा		
29	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, लाहौल-स्पिती		
30	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, रिकोंगपियो स्थित किन्नौर		
31	हिमाचल प्रदेश जिला प्रबंधन प्राधिकरण, चंबा		
32	नियंत्रक, सीएसके, एचपीकेवीवी, पालमपुर	प्राप्त नहीं हुए	धारा 14 व 15 के तहत की गई लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार एवं जारी किए गए।
33	डॉ. वाईएस परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन		
34	बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणन एजेंसी,बालूगंज, शिमला		
35	पशुधन एवं कुक्कुट विकास बोर्ड, बालूगंज, शिमला		
36	हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्कफेड सहकारी, टूटू, शिमला		
37	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (हिमफेड)	प्राप्त हुए	

क्र. सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	लेखा प्रस्तुतीकरण की प्रास्थिति/सूचना	धारा जिसमें लेखापरीक्षा की गई
38	हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, कसुम्पटी, शिमला		धारा 14 व 15 के तहत की गई लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार एवं जारी किए गए।
39	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हमीरपुर	प्राप्त नहीं हुए	
40	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, बिलासपुर		
41	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नाहन		
42	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ऊना		
43	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, शिमला		
44	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, किन्नौर		
45	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, मण्डी		
46	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, कुल्लू		
47	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, धर्मशाला, कांगड़ा		
48	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सोलन		
49	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चम्बा		
50	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, केलांग		
51	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी		
52	हिमाचल प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन परिषद, शिमला		
53	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), शिमला		
54	भाषा, कला और संस्कृति अकादमी		
55	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम, सोलन		
56	बाल कल्याण परिषद, शिमला		
57	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय		
58	रिन चेन ज़ेन पो सोसायटी, कांगड़ा		
59	कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी, शिमला		
60	हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद और यूनानी प्रैक्टिशनर बोर्ड		
61	हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक आयोग, टूटीकंडी, शिमला		
62	राज्य परियोजना निदेशक, रूसा, शिमला		
63	राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, शिमला		
64	हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, शिमला		
65	सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश महिला राज्य आयोग		
66	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, शिमला		
67	हिमाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, शिमला		
68	सचिव, हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षिक नियामक आयोग, टूटीकंडी, शिमला		
69	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग		
70	हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर		

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ: परिच्छेद 4.12)

30 सितम्बर 2024 तक बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक उद्यमों की सूची

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम (अन्तिमिकृत लेखे)	बकाया लेखाओं की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	1
2.	हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	1
3.	मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया)	1
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड (2020-21)	2
5.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (2020-21)	2
6.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (2019-20)	2
7.	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	3
8.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	3
9.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2019-20)	3
10.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2019-20)	3
11.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम (2018-19)	4
12.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2017-18)	5
13.	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड (2016-17) (**निष्क्रिय**)	6
14.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (2021-22)	1
15.	हिमाचल प्रदेश विद्युत् कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	1
16.	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड (2019-20)	3
17.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (2018-19)	4
18.	कृषि औद्योगिक पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (2013-14) (**निष्क्रिय**)	9
सकल योग		**54**

टिप्पणी: घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (क्र.सं. 14 से 18)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh/hi